खण्ड-293, अंक-2
सोमवार, 13 पौष, शक संवत् 1892
(3 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	141–145
प्रश्नोत्तर	145–187
चौधरी गिरधारीलाल का विरोधी दल के नेता पद से त्याग-पत्र देने तथा सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के संबंध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा सूचना	187–189
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों पर विचार एवं पारण के लिये की गई सिफारिशों के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	189–190
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियम तथा वैधीकरण) विधेयक, 1971 को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	190
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुरः स्थापित किया गया)	191
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुरःस्थापित किया गया)	191–195
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तावों को उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी गयी)	196
पाकिस्तान के आक्रमण, बंगला देश की मुक्ति, भारतीय जवानों की बीरता, केन्द्रीय सरकार के परिपक्व नेतृत्व तथा रूस और पोलैण्ड के सहयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी)	196–205
श्री उपाध्यक्ष द्वारा नेता विरोधी दल के पद पर श्री चरण सिंह की नियुक्ति की घोषणा	205
पाकिस्तान के आक्रमण, बंगला देश की मुक्ति, भारतीय जवानों की वीरता, केन्द्रीय सरकार के परिपक्व नेतृत्व तथा रूस और पोलैण्ड के सहयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	206–254
नागर अचल सम्पत्ति सीमा आरोपण सम्बन्धी संकल्प के विषय में वैधानिक आपत्ति (संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया) ..	254–259
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 (विचारोपरान्त पारित)	259–263
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 (विचार जारी)	263–266
श्री शेख मुजीबुर्रहमान की बिना शर्त रिहाई की सूचना ..	266
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 (विचार जारी)	267–270
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	270
नथित्यां	271–313

प्रेषक
विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 3 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--376

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रसाद मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी , श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
का जीजलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर तियारी, श्री
गिरधारीलाल चौधरी

गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभान गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त जूदेव, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगदार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिंहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगदार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणीराय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, वैद्य, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल शर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदर्नसिह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बलवीर सिह , श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल , श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा , श्री
बांकेलाल , श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिह विशारद, श्री
भगेलू सिह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिह, श्री
भानु प्रताप सिह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र , श्री
मनफूल सिह, श्री
मनोहरलाल , श्री
मलिखान सिह , श्री
मन्साराम, श्री
मसाली देवी , श्रीमती
महमूद अखी खां,श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिह, श्री
महातम प्रसाद,तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिह , श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिह , श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज महम्मद खां, श्री
मुल्तान सिह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
महम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल , श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिह , श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिह , श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिह वर्मा, श्री
रणंजय सिह, राजा
राजनाथ सिह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा , श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिह, श्री
राजेश्वर सिह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिह, श्री (जिला गोरपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवरदीक्षित, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री , श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री

रामदेव दुबे, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति अंचल, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव वैद्य, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू ल ल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दा ू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौ रो, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 3 जनवरी, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित नयी फेमिली पेंशन योजना

**1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1–4–61 से 31–3–65 तक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के परिवारों को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंन्शन रूल्स, 1961 के अधीन जिन्हें पारिवारिक पेंन्शन स्वीकृत हुई थी उसे 10 वर्ष से बढ़ा कर आजीवन पेंशन करने का विषय सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायगा?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

भारत सरकार द्वारा अपनी नयी फेमिली पेंशन योजना में किये गये इस प्रकार के संशोधन के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि उसका अनुकरण यहां किया जाय या नहीं? अन्तिम निर्णय यथासम्भव शीघ्र हो जायगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के निर्णय का अनुसरण किये जाने में क्या कठिनाई है? क्या वह यह आश्वासन देंगे कि 1961 से लकर 64 तक के जो लिब्रलाइज्ड पेन्शन वाले कर्मचारी हैं, उनको भी पेंशन देने के लिए आश्वासन देंगे?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अन्य राज्यों से उन्होंने अपने यहां जो कार्यवाही की थी, उसकी सूचना मांगी गई थी, इससे इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। किन्तु अब मैंने इस प्रश्न का परीक्षण कर लिया है और मैं मंत्रि-परिषद् से यह संस्तुति कर रहा हूं कि जो भारत सरकार ने प्रणाली स्वीकृत की है, उसे यहां भी लागू किया जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

लिब्रलाइज्ड पेंशन स्कीम 1961 से 64 के लिए स्वीकृत हुई थी, तो पिछला समय जो बीत गया है, उस समय का भी भत्ता (सुविधा) सरकार उन्हें देने पर विचार करेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि भारत सरकार न बहुत पहले ही कर दिया है और हम विलम्ब कर रहे हैं। जैसे-जैसे भारत सरकार पेंशन के प्रश्न का सामाजिक सुरक्षा का विषय समझ कर उसमें समय-समय पर संशोधन कर रही है, वैसे वैसे हम भी उसमें संशोधन कर रहे हैं। भारत सरकार ने पहले जो दो संशोधन किये हैं उनमें एक यह था कि यदि किसी कर्मचारी ने एक साल तक राजकीय सेवा कर ली है तो उसकी विधवा पत्नी को आजीवन पेंशन मिलेगी। हमने उसमें और आगे बढ़ कर यह भी कर दिया है कि अवयस्क पुत्र को बालिग होने तक और पुत्री को विवाह होने तक भी हम उन्हें पेंशन देंगे। अब केवल उनका प्रश्न है जो जनवरी, 64 से पहले पेंशन पा रहे थे यह जिनके परिवार कम पेन्शन पा रहे थे, उनको बढ़ा कर नई दर में पेंशन देने का सवाल है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जैसा कि सरकार ने कहा उसने विचार कर लिया है और जल्द ही कैबिनट में निर्णय हो जाएगा, तो क्या इस सत्र की अवधि में ही कैबिनेट अपना निर्णय ले लेगी?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

तो जिस दिन से सरकार इसे स्वीकार कर लेगी तो क्या इसे विध रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू कर देने की कृपा करेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, इसका अर्थ ही यही है। भारत सरकार ने जो उदार रूप से उसे लागू किया है उसी के अनुसार हम भी लागू कर देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी इससे सरकार का वित्तीय दायित्व कितना बढ़ेगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्तीय दायित्व का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं क्योंकि ऐसे हजारों कैसेज होंगे जिनमें उनकी बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी।

सहकारी संस्थाओं के सभापतियों का मनोनयन

**2—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी), श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर) तथा श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर व नवम्बर, 1971 में सहकारी अधिनियम में अध्यादेश द्वारा संशोधन करके सरकार ने प्रदेश में कितनी सहकारी संस्थांओं में चेयरमैन तथा निदेशक मंडल के सदस्य मनोनीत किये हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये सरकार ने केवल एक सहकारी संस्था के सभापति को मनोनीत किया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, और क्या आवश्यकता हुई चुने हुए व्यक्ति हटा कर बिना चुने हुए व्यक्ति को नियुक्त करने की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

उनकी जगह पर श्री राधाकृष्ण गुप्त, उप सचिव को नियुक्त किया गया। जहां तक आवश्यकता का सवाल है, रिट याचिका भी दायर है। वैसे जो अध्यादेश के जरिये से अधिकार प्राप्त हुआ उस अधिकार का प्रयोग करके किया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सहकारिता मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश भर में केवल एक सहकारी बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर को हटा कर सरकारी आदमी रखा, इसका कारण क्या है, केवल एक आदमी को सारे प्रदेश में हटाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह तो सरकार को अधिकार मिला है। जहां उचित समझेगी इस्तेमाल करेगी। इसका प्रश्न नहीं उठता कि एक किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सरकार के नंगे कुकृत्य का नमूना है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है जो इन्होंने ऐसा किया ?

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

वह तो रिट हाई कोर्ट में विचाराधीन है। क्या इस पर इस तरह से सवाल जवाब चल सकते हैं क्योंकि इससे रिट प्रभावित होगी या नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सरकार ने कहा है कि न्यायालय के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैंने पहले निवेदन किया कि रिट याचिका दायर हो चुकी है। विचाराधीन है।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस प्रश्न पर तो रिट है नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने सवाल किया था कि एक आदमी को ही हटाने की आवश्यकता क्यों हुई, और लोगों को क्यों नहीं हटाया गया, क्या यह सवाल हाई कोर्ट के सामने है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय सहकारिता मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । उन्होंने बताया है कि प्रदेश में एक संस्था के चेयरमैन को हटाया है, क्या यह सही नहीं है कि भूमि विकास बैंक और यू० पी० फेडरेशन के भी चेयरमैनों को उन्होंने उससे अलग किया है और उनके स्थान पर नये आदमियों को नोमिनेट किया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

ये दोनों सही हैं। मगर प्रदेशीय कोआपरेटिव फेडरेशन का जो प्रश्न है, इस अध्यादेश के अनुसार नहीं हुआ है। उसका पहले ही हो चुका है।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

क्या सहकारिता मंत्री बताएंगे कि भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष के खिलाफ मनमानी करने और नियुक्तियों में मनमानी और धांधली करने के गम्भीर आरोप थे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

चूंकि न्यायालय में रिट याचिका है तो मेरे खयाल से अच्छा होगा कि ऐसे विस्तार के जवाब न देने पड़ें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष ---

ठीक है।

श्री बंशीधर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जब 1965 में कोआपरेटिव ऐक्ट बना था। उसके एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में था कि जो सरकार सरकारीकरण है, सरकारी आदमी हैं उसका डिआफिश लाइजेशन हो सके, उसे जो अध्यादेश द्वारा अमेंड किया है, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उचित न होता तो करते ही क्यों ?

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक आदमी को हटा कर सरकारी आदमी को नामिनेट किया गया है, क्या उसी आदमी को हटाने के लिए अध्यादेश द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप व्योरे में जा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह तो मौलिक प्रश्न है। इसमें सरकार का नंगा चित्र सामने आता है।

श्री उपाध्यक्ष---

जब अधिनियम आयेगा तब आप कहियेगा।

(व्यवधान)

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आर्डिनेंस के तहत जहां कहीं कोआपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी बैंक अथवा फेडरेशन हैं फिर से नामिनेशन करने जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

अध्यादेश से अधिकार मिलता है, किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।

शाहजहांपुर में पाकिस्तानी हिमायतों की गतिविधियां

**3—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की खुफिया पुलिस (एल० आई० यू०) ने पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा सरकार को सूचित किया है कि तहसील तिलहर, थाना मीरानपुर कटरा के गांव, खैलपुर उर्फ निलकीपुर में एक पाकिस्तानी ट्रांसमीटर सक्रिय है और तिलहर कस्बा की कुदरत मंजिल में भी गुप्त मीटिंग पाकिस्तान की हिमायत में होती रहती है ? यह सूचना अक्तूबर, 71 व नवम्बर, 71 में कई बार दी गई ? यदि हां, तो प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

ऐसी कोई भी सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई। सरकार इस संबंध में जागरूक है और अवैध गतिविधियों के प्रति यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मलिखान सिंह—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सरकार जागरूक है तो जागरूक होने का कारण क्या सी० आई० डी० की रिपोर्ट है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सरकार जागरूक है। वैसे भी हम सावधान हैं और ऐसी कोई घटना होगी तो हम उसके प्रति कार्यवाही करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस सूचना को आधार बनाकर क्या एक बार पुनः जांच कराने का आवश्वासन सदन को देंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

फिर जांच करा लेंगे।

श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)—

इस प्रश्न के अन्तर्गत कुदरत मंजिल, तिलहर के मालिक जो हैं वह वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हैं, पक्के नेशनलिस्ट हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

हमारी सूचना यह है कि वह वहां के म्युनिसिपल दोर्ड के चेयरमैन हैं और कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं।

श्री मलिखान सिंह—

क्या इस मंजिल के अधिकांश मालिक पाकिस्तान में हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

इसकी सूचना नहीं है। वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहां काम व धन्धे से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान में हैं।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

इस किस्म की घटनाओं से एक गलत तरह की राय पैदा होती है तो क्या सरकार इसके लिए कोई ऐसी कार्यवाही करेगी कि ऐसी गलत सूचनाएं न दी जाएं ?

श्री कमलापति रिपाठी—

जब कोई सूचना देता है तो शायद सही समझ कर ही देता होगा। उसकी जांच करा कर क्या सही है और क्या गलत है, सरकार कार्यवाही करती है।

राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

** 4—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनः महंगाई बढ़ाने की घोषणा को देखते हुए राज्य कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई के कारण अन्तरिम राहत देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर विचार किया जायगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

अभी-अभी केन्द्रीय सरकार ने आपातकालीन स्थिति होते हुए भी साल भर के अन्दर अपने ही कर्मचारियों को जैसे-जैसे सूचकांक बढ़ता गया वैसे वैसे महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, इस बात को देखते हुए क्या वित्त मंत्री यह बतलायेंगे कि उन्होंने तृतीय वेतन आयोग को कितने समय का नोटिस दिया है कि वह अपना प्रतिवेदन दे केवल अन्तरिम सहायता देने के लिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मुझे सूचना है केन्द्रीय सरकार ने भी अपने वेतन आयोग की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए ही अन्तरिम सहायता की घोषणा की। हमने भी अपने प्रदेश में एक वेतन आयोग मुकर्रर किया है। यह उचित नहीं होगा कि बिना उस वेतन आयोग को परामर्श के हम अपनी ओर से घोषणा कर दें क्योंकि जो पे कमीशन मुकर्रर किया गया है उसको भी कुछ मान्यताएं हैं, उसका भी कुछ स्टेटस है इसलिए बिना उनकी राय जाने हुए हो सकता है कि वह उसके अनुकूल न हो। उनसे इस सम्बन्ध में कहा गया है और वे निकट भविष्य में ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे और उसके अनुसार आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मुझे बड़ी दया आती है कि माननीय मंत्री जी को अपने कर्मचारियों के ऊपर बड़ी वेदना रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोई सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि बिना उनकी राय के कैसे दिया जाय। यह तो सारे संसार और प्रदेश को सर्वविदित है कि उसका एक ही मापदण्ड है कि जब-जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भता बढ़ायेगी तब-तब राज्य सरकार भी बढ़ायेगी, इसे राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। आज तक यानी 1971 तक केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भता या अन्तरिम राहत दो बार बढ़ाया है तो राज्य सरकार कब तक दे देगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो तृतीय वेतन आयोग है उसने किस तिथि से कार्य करना आरम्भ किया, कब तक उसको अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी जो कि अभी तक न दे सका और अब कब तक दे सकेगा ?

श्री नारायणदत्त वितारी—

वेतन आयोग ने जुलाई, अगस्त की किन्हीं तिथियों से कार्य करना प्रारम्भ किया था. . .

श्री रामगोपाल सण्ड—

आप कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त की किसी तिथि से उसने कार्य करना प्रारम्भ किया था। आपको निश्चित तिथि देनी चाहिए. . .

श्री नारायणदत्त वितारी—

श्रीमन्, वैसे तो मैं आपकी आज्ञा से कह सकता था किन्तु प्रश्न यह नहीं पूछा गया था और प्रश्न केवल अन्तरिम सहायता के लिये था किन्तु जहां तक मुझे सूचना है कि वेतन आयोग ने इन महीनों की किन्हीं तिथियों से कार्य करना प्रारम्भ किया था। उसे अपनी रिपोर्ट 15 जनवरी, 1972 तक दे देनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने आग्रह किया है कि चूंकि प्रश्नावलियां आदि तैयार करने में तथा उसे अन्तिम रूप में विलम्ब हुआ है इसलिए कुछ समय और बढ़ाया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान डी० ए० में पैरिटी नहीं दी तो अन्तरिम राहत में पैरिटी के सिद्धान्त को वह स्वीकार करता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिन भी सिद्धान्तों की हमारा वेतन आयोग संस्तुति करेगा उन पर अवश्य गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री रामकरन सिंह—

जो वेतन आयोग गठित किया गया उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में यह था कि वह अन्तरिम सहायता की रिकमन्डेशन करे और फाइनल रिकमन्डेशन बाद में दे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, टर्म्स आफ रिफरेंस में यह नहीं था किन्तु जो बजट भाषण यहां पर मैंने प्रस्तुत किया था उसमें सरकार की ओर से यह घोषणा कर दी गई थी और उसके आधार पर मुख्य मंत्री के निर्देश से पे कमीशन से यह आग्रह किया गया था कि वे अन्तरिम सहायता के बारे में भी अपनी संस्तुति करेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरह क्या यह सरकार भी अगले चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने की सोच रही है ताकि उसे कर्मचारियों का भी समर्थन प्राप्त हो सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जहां तक मुझे सूचना है केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता चुनाव हो जाने के बाद दी है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पब्लिक अन्डर टेकिंग के कारखानों से सम्बन्धित हानि-लाभ का विवरण

*1---श्री रामकरन सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत पब्लिक अन्डर टेकिंग में कितने कारखाने कहां-कहां चल रहे हैं ? साथ ही यह भी बताने की कृपा करेगी कि किन-किन कारखानों में कितने-कितने का घाटा तथा किन-किन कारखानों में कितने का फायदा गत ३ वर्षों में हुआ है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

राज्य सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में जो कारखाने चल रहे हैं उनकी सूची संलग्न तालिका में दी गई है और इसी सूची में प्रत्येक कारखाने के समक्ष पिछले तीन वर्षों में उसको हुए हानि-लाभ का विवरण दे दिया गया है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 271 पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इसमें सब दिलचस्पी रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसे पढ़ दिया जाय जिससे लाभ-हानि का पता लग जाय ।

(श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से सूची पढ़ी गयी ।)

श्री रामकरन सिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके अन्दर २० संस्थान काम करते हैं और 13 संस्थान का 1970-71 का लाभ-हानि का विवरण नहीं दिया गया है तो इसको तैयार न करने में इनएफीशियेन्सी नहीं है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, अभी इनएफीशियेन्सी कहना तो ज्यादा उचित नहीं होगा क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े इकट्ठे करने में काफी देर लग जाती है। बैलेंस शीट के बनाने में देर हुई है। इसके आदेश दे रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र बैलेंस शीट बनाई जाय ।

श्री छांगुर राम---

जिन संस्थाओं में घाटा दिखाया गया है उनके सम्बन्ध में क्या यह भी देखा गया है कि यह घाटा क्यों हुआ है ?]

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां जिन विभागों का उन संस्थाओं से सम्बन्ध है, वे उस पर विचार करते रहते हैं ।

हरदुआगंज के वर्क चार्ज सुपरवाइजर्स को साक्षात्कार सम्बन्धित सूचना

*२—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदुआगंज वाष्प विद्युत् गृह, अलीगढ़ में वर्क चार्ज सुपरवाइर्स को रेगुलर करने के लिये दिनांक 12 नवम्बर, 1970 को किये गये इंटरव्यू में कौन-कौन प्रत्याशी सम्मिलित हुए थे, वर्क चार्ज सुपरवाइजर्स के रूप में उनकी डेट आफ ज्वाईनिंग क्या-क्या थी और प्रत्येक त्याशी के इन्जीनियरिंग डिप्लोमा में प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या-क्या था ? उपरोक्त प्रत्याशियों में से किस-किस वर्क चार्ज सुपरवाइजर को रेगुलर घोषित किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

12 नवम्बर, 1970 को हरदुआगंज में कार्यरत 42 वर्कचार्ज सुपरवाइजर्स को साक्षात्कार से संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिए नत्थी 'ख' 274 पर।)

श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सुपरवाइजरों को रेगुलर करने के लिए सेवाकाल की ज्येष्ठता का आधार माना गया था या डिप्लोमा में प्राप्तांक का आधार माना गया था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उस समय तो उनकी योग्यता, कार्यक्षमता तथा चरित्र पंजिका के आधार पर उनको चुना गया था। लेकिन अब चूंकि तीन वर्ष से ऊपर वालों को रेगुलर में रखने का निश्चित हो गया है इसलिये इस समय उनकी ज्येष्ठता का ही प्रश्न है। उसी को सामने रखा जाता है।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको तीन साल या इससे अधिक हो गये हैं उनको रेगुलर करने जा रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह सिद्धान्त स्वीकार हो गया है कि जिनको तीन साल से ऊपर सर्विस में हो गये हैं, मेडिकली फिट हैं, और चरित्र पंजिका भी उनकी ठीक है, उनको रेगुलर करने जा रहे हैं।

श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता के पुत्र का कतिपय फर्मों से तथाकथित साझा

*3—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार जांच करवा कर यह बतलाने को कृपा करेगी कि क्या (1) ए० के० अग्रवाल एन्ड कम्पनी, रेलवेगंज, हरदोई, (2) अग्रवाल एन्ड कम्पनी, रेलवेगंज हरदोई, (3) सोनिया ट्रेडर्स, हरदोई, (4) गर्ग इलेक्ट्रिक एन्ड पेन्ट्स कम्पनी, 90, ठाकुरगंज, लखनऊ उपरोक्त चारों फर्म एक ही व्यक्ति के हैं और भिन्न नामों से काम करता है तथा इसमें श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत् मण्डल, गोरखपुर के पुत्र का साझा हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

परिषद् को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रश्न संबंधित फर्में एक ही व्यक्ति की हैं अथवा नहीं। परिषद् में निम्नलिखित फर्में जो अलग-,अलग सेल्स टैक्स के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं और कार्य कर रही हैं :---

फर्मों के नाम	सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर
(1) ए० के० अग्रवाल, रेलवे गंज, हरदोई	एच० डी० 1158
(2) गर्ग इलेक्ट्रिकल एन्ड पेन्ट्स कम्पनी, हरदोई	एच० डी० 999
(3) सोनिया ट्रेडर्स, 90 ठाकुरगंज, लखनऊ	एल० के० 6324।

जहां तक श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता के पुत्र का फर्मों में साझे का प्रश्न है, इस सम्बंध में श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया जिससे विदित हुआ कि इन फर्मों में उनके पुत्र का साझा नहीं है।

श्री मंजूर अहमद---

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उनको यह मालूम नहीं है कि यह फर्म एक ही आदमी की है। आप तो केवल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के आधार पर कह रहे हैं कि वे अलग-अलग हैं। क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर यह जांच करायेंगे कि क्या यह फर्म एक ही आदमी की हैं ? और गोरखपुर डिवीजन को कितनी सप्लाई 69–70 और 71 में इन फर्मों के द्वारा की गयी और किसके आर्डर से की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी ने क्या यह जांच करा कर ही बताया है ?

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें साफ तौर से यह पूछा गया है कि क्या ये सब फर्में एक ही व्यक्ति की हैं या नहीं ? सरकार को इस बारे में स्वयं जांच करा कर उत्तर देना चाहिये था। अगर नहीं थीं तो सरकार को 'ना' कहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो मंजूर अहमद साहब ने पूछा था। यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे आ ?

श्री इन्द्रमणि---

व्यवस्था का न सही, औचित्य का समझ लीजिए।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो सामग्री राज्य विद्युत् परिषद् में उपलब्ध है, उसके आधार पर तो यही जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका सेल्सटैक्स में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया है, अब इसके आधार पर जांच कराने की व्यवस्था की जायेगी।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)---

यह तो सवाल में ही लिखा हुआ है कि फर्म अलग-अलग हैं, तो क्या उनके मालिक एक ही आदमी है क्या, इसकी जानकारी जांच द्वारा सरकार को करानी चाहिए थी कि उन सबका मालिक एक ही व्यक्ति है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष---

सरकार को जांच करा कर जवाब देना चाहिए था, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इन फर्मों के बारे में जांच के सिलसिले में क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि इनके मालिकान कौन हैं, इसे काम करने वाले कौन लोग हैं, उनका संबंध हरिपाल सिंह साहब से किस हद तक है, पिछले 3 सालों में जो आर्डर्स मिले वह कितने रुपये के आर्डर्स मिले और उन विभागों के द्वारा कितने के मिले जो एस० ई० हरिपाल सिंह के अन्तर्गत थे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य ने जिज्ञासा की थी कि इसकी जांच करायी जाय। सूचना मंगायी गयी और उसके अनुसार यह मालूम पड़ा कि वे अलग-अलग रजिस्टर्ड हैं। उसमें यह भी सूचना मिली कि हरिपाल सिंह के पुत्र कालेज में पढ़ते हैं, उनका किसी प्रकार का साझा इन फर्मों में नहीं है। आप इस सम्बंध में जो भी पत्र देंगे, उसके अनुसार हम जांच करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रश्न का ही एक पहलू था कि यह देखा जाता कि ये फर्में क्या एक ही आदमी की हैं ? इसकी आप जांच करा लीजिये। इसको स्थगित किया जाता है।

श्री इन्द्रमणि—

इससे समस्या हल नहीं होती। नियमों में यह है कि प्रश्नों के उत्तर सुसंगत होने चाहिये। लेकिन यह तो सुसंगत के नजदीक भी नहीं है। आप सरकार को वार्निंग दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने स्थगित तो कर दिया है।

*3—श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुखपाल पांडेय—

[स्थगित]

विद्युत् विभाग (मुरादाबाद) के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*4—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्किल मुरादाबाद में कुल कितने राजपत्रित विद्युत विभाग के अधिकारी हैं जिनके मुरादाबाद में 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं। और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके स्थानान्तरण किये गये परन्तु बाद में रद्द कर दिये गये हैं ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मुरादाबाद विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, में इस समय एक अधीक्षण अभियंता, एक अधिशासी अभियंता एवं चार सहायक अभियंता तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। इनमें से एक अधीक्षण एवं दो सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के उपरान्त कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निरस्त कर दिये गये थे।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी ने यह भी जानकारी प्राप्त की है कि अधीक्षण अभियंता को 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष वहां हो गये हैं और सहायक अभियंता को मुरादाबाद में 17 वर्ष हो गये हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अधीक्षण अभियंता 1965 से वहां हैं। इसी प्रकार से श्री जोशी जो सहायक अभियंता हैं वह 1968 से हैं। उसके पहले वह विभिन्न स्थितियों में काम कर के प्रोन्नति पाते रहे हैं और श्री ए० ए० खान, सहायक अभियंता 1-11-68 से वहां हैं।

श्री महीलाल—

क्या यह सच है कि राज्य विद्युत् परिषद् ने इनका स्थानान्तरण किया था लेकिन माननीय मंत्री जी ने राजनीतिक दबाव से उनके स्थानान्तरण को रद्द कर दिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

राज्य विद्युत् परिषद् ही स्थानान्तरण करता है और उसी ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका स्थानान्तरण रोका है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह देखते हुए कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को मुरादाबाद में 7 साल हो गये और एस० डी० ओ० साहब को 17 साल हो गये, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मिस्टर जोशी को मुरादाबाद में ही 17 साल हो गये, मंत्री जी विजिलेंस के द्वारा इस बात की जांच करायेंगे कि इन 7 सालों के अन्दर मुरादाबाद में कितने कनेक्शन बिना मंजूरी के खिंच गये और किस तरह से बिजली विभाग, मुरादाबाद में करप्शन चल रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जोशी जी 17 साल से वहां जरूर हैं लेकिन यह अपनी कार्य क्षमता की वजह से उत्तरोत्तर तरक्की करते चले गये और सहायक अभियंता बने। उनके खिलाफ जो भी आरोप हों उनकी जांच कराने में शासन की न हिचक हुई और न होगी। यदि किसी के खिलाफ आरोप सही पाये जायेंगे तो उसे कभी स्पेयर नहीं किया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

16-17 वर्ष अगर कोई अधिकारी एक जगह पर रह जाता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट्स क्रियेट हो जाते हैं। तो क्या सरकार इस नीति में कोई परिवर्तन लायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

विद्युत् परिषद् को यह सलाह दी जायगी कि वह इन अधिकारियों का स्थानान्तरण जिनको तीन साल से अधिक हो गये हैं यह जो बेन बन रही है उसमें कर दे। सरकार का कोई यह मंशा नहीं है कि वह किसी दबाव के कारण अधिकारियों को किसी स्थान पर रखे सामान्यतया यह सुझाव आता है कि वर्ष के बीच में बच्चे पढ़ रहे हों तो स्थानान्तरण नहीं करना चाहिये। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों का सवाल है अगर कोई इस तरह की सूचना दी जायगी तो उसकी जांच तुरन्त कराई जायगी और आवश्यकता होगी तो विजिलेंस से भी कराई जा सकती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने तो यह पूछा था कि सरकार की नीति इस बारे में क्या है और जैसा कि अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उन्होंने वहां 17 साल तक निरन्तर काम किया और उनकी कार्यक्षमता को देखकर उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया, तो यह क्राइटेरियन जो रखा गया तो क्या यह सर्वमान्य सिद्धांत रहेगा कि कार्य क्षमता को देखकर अधिक समय तक भी किसी

को एक जगह रखा जा सकता है क्योंकि 17 साल में एक अधिकारी के तमाम वेस्टेड इन्टरेस्ट हो जाते हैं और यह देखते हुये क्या यह नीति जो शासन की है और शासन के हित में होगा कि ऐसे लोगों का स्थानान्तरण किया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह कहना तो उचित न होगा कि एक व्यक्ति को जान-बूझ कर सरकार ने एक स्थान पर रखा और जैसा कि अभी बताया गया कि उस जिले में एक सहायक इंजीनियर की पदोन्नति होती रही, पहले वह लाइनमैन वहां थे फिर लाइन इंस्पेक्टर रहे होंगे और फिर इंजीनियर हुये होंगे । सरकार की नीति किसी को एक स्थान पर 17 साल तक रखने की न आज है और न रहेगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

वह उत्तर दूसरा दे देते हैं लेकिन सरकार अपनी इस नीति में परिवर्तन भी कोई करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सरकार की नीति कभी यह नहीं हो सकती कि कोई एक व्यक्ति 17 या 15 साल तक एक स्थान पर रखा जाय । सरकार की नीति साधारणतया यह रही है कि 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 4 साल के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाय और उसके स्थान पर दूसरा अधिकारी पहुंच जाय । मैं समझता हूं कि यह बहुत दृढ़नीति है और इसी के अनुसार संभवतः कार्य करने की कोशिश की जायगी और की जाती रही है ।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी अधिकारी की पदोन्नति की जाती है तो पदोन्नति के बाद उसको उस स्थान से अन्य स्थान पर अवश्य तबादला कर दिया जायगा, क्या ऐसी घोषणा मुख्य मंत्री जी करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

साधारणतः सरकार की तो पहले से नीति यह रही है और अब भी वही नीति मुनासिब है कि यथासंभव ऐसे स्थानान्तरण होने चाहिये और उस नीति का पालन होना चाहिये, जब किसी की पदोन्नति होती है तो उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सत्र के बीच में संभव नहीं होता कि तत्काल दूसरी जगह भेज दिया जाय और उस दशा में दो-चार मास के बाद हटाया जाता है । इसी नीति का पालन होना चाहिये और आगे भी उसके पालन की चेष्टा की जायगी ।

श्री महीलाल--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता जिनकी अवधि वहां 3 वर्ष से अधिक हो गई थी उनका स्थानान्तरण गत जून में किया गया और बाद में आदेशों को निरस्त किया गया, तो वे क्या कारण थे ? वे प्रशासनिक थे या इन अधिकारियों की ओर से कुछ कठिनाई प्रदर्शित की गई थी या किसी स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ता के कहने पर ऐसा किया गया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यदि कोई सम्मानित विधायक कोई सलाह देते हैं तो मान लेते हैं। सम्मानित सदस्यों को अधिकार है कि वह किसी अधिकारी की कार्यक्षमता के बारे में सुझाव दें । शासन को सम्मानित सदस्य, मुरादाबाद मैंने राय दी कि वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको 2-4 माह का और मौका दिया जाय और उनकी सलाह को परिषद् न स्वीकार कर लिया था ।

श्री महीलाल—

क्या यह सही है कि अधिकतर विधायकों ने मंत्री जी को शिकायत की, लेकिन केवल एक विधायक की, जिन्होंने मंत्री जी से सिफारिश की थी, सिफारिश को मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

विद्युत् उत्पादन-कर से आय

*5—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विद्युत् उत्पादन पर कब से कर लगाने का आदेश जारी किया गया है तथा उससे प्रति वर्ष कितनी अनुमानित आय सरकार को प्राप्त होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रदेश में 1 सितम्बर, 1970 से किसी अपील द्वारा अपने विद्युत् जनन स्रोत से उत्पादित विद्युत् पर 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत् शुल्क लगाया गया है। उक्त स्रोत से 25 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय होने का अनुमान है ।

*6—श्री रामप्यारे—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि रेनूसागर पावर कम्पनी, मिर्जापुर ने माह मई, एवं जून, सन् 1971 का विद्युत्-उत्पादन कर का भुगतान कर दिया ? यदि हां, तो दोनों माह क उक्त कर की धनराशि क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सर्वश्री रेनूसागर पावर कम्पनी लिमिटेड, रेनूकूट, जिला मिर्जापुर में मई और जून, 1971 की वाजिब विद्युत् शुल्क की 14,98,168.05 की धनराशि में से केवल 9,383.25 रुपये अदा किये हैं 14,88,784-80 रुपये की धनराशि वसूल होना शेष है ?

श्री रामप्यारे—

क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब 14 लाख रुपया विद्युत्-कर का बकाया है और इस प्रकार से लगभग 3 लाख रुपया बिरला बन्धुओं पर बिजली का बकाया है तो जब तक वे पूरी की पूरी धनराशि 3 करोड़ रुपया न अदा कर दें तब तक विस्तार के लिये इन्हें सरकार कोई बिजली न दें और न ही कोई एग्रीमेंट वगैरह करे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जो विद्युत् उत्पादन-कर का बकाया है वह लगान बाकी के रूप में वसूल किया जाय ।

श्री रामप्यारे—

जब प्रदेश में संसाधन कम है तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डिफाल्टर को अर्थात् बिरला बन्धुओं को, उस समय तक बिजली न देने का मंत्री जी सदन को आश्वासन दें जब तक उनसे सारा बकाया वसूल न हो जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य ने विद्युत उत्पादन-कर के बारे में प्रश्न पूछा था और आश्वासन में मैंने यह कहा था कि आदेश दे दिये हैं कि बाकी विद्युत् उत्पादन-कर को लगान का बकाया-एरियर्स आफ लैंड रेवन्यू की तरह से वसूल किया जाय । जहां तक 2 1/2 करोड़ रुपये का प्रश्न है आदेश दे दिये गय हैं कि उनका कनेक्शन काट दिया जाय अगर वे अदा न करें लेकिन वे हाई कोर्ट में चले गये और वहां से इन्जेकशन आर्डर ले आये ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस प्रकार के कितने बिजली उत्पादन युनिट्स ह और कितनी बिजली वे उत्पादन करते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम प्यारे—

जन-मानस को भ्रमित करके कि बिरला बन्धुओं, हिन्डालकों को बिजली देने से प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जब तक इनसे समस्त प्रकार की बकाया का लगभग 3 करोड़ रुपया वसूल न हो जाय तब तक न तो उनको बिजली दी जाय और न उनसे किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा मैंने अभी बताया सरकार ने यह आदेश दे दिये हैं कि बिजली की जो धनराशि बकाया है कि अगर वे नहीं देते हैं तो उनका डिस्कनेक्शन किया जाय लेकिन डिस्कनैक्शन को रोकने के लिये उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे-आर्डर ले लिया है लेकिन जहां तक विद्युत् उत्पादन-कर का प्रश्न है उसके आदेश दिये गये हैं कि उसे एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू की भांति वसूल किया जाय । जहां तक अतिरिक्त बिजली देने के बारे में प्रश्न है पहले ही मैंने सदन को बता दिया है कि सरकार ने उस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और न कोई कन्सेशन सरकार देने जा रही है ।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

पौने तीन करोड़ रुपये बाकी हैं, वे 1962 से 1971 तक बाकी है । वे हाई कोर्ट चले गये इन्जेक्शन ले आये । रेनूसागर के बाबत आपका स्पेसिफिक सवाल है कि क्या गवर्नमेंट आश्वासन देगी कि जब तक चौदह लाख रुपये वसूल न हो जाय तब तक उनकी और दरख्वास्त पर विचार न करें । वसूल हो रहे हैं बतौर रेवेन्यू के ? क्या आप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि चौदह लाख जब तक वसूल न कर लें और कंसीडर आप नहीं करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे सम्मानित नेता, भारतीय क्रांति दल क्षमा करेंगे । रेनूसागर कम्पनी ने बिजली की मांग नहीं की है । मांग हिन्डालको ने अतिरिक्त बिजली की की है । सरकार ने उस संबंध में निर्णय नहीं लिया है और सरकार का उन्हें कोई कंसेशन देने का भी इरादा नहीं है और जो सुझाव दिये गये हैं जब तक पुराने एरियर्स का पेमेंट वे न कर लें तब तक उनको अतिरिक्त बिजली न दी जाय । इस संबंध में सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ता के मण्डलों की सूची

*7—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, हाइडिल के कितने सर्किल हैं और इन सर्किलों में इस समय कौन-कौन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कार्य कर रहे हैं और कब से ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हाईडिल यूनिट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियंता के 31 मंडल हैं । उनके संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 276 पर ।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह जो सूची दी गई है 31 सर्किलों की इसमें से कितने सन् 1968 के पहले के बने हुये हैं और कितने बाद के बने हुये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सर्किल कब बने ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वर्तमान प्रश्न द्वारा केवल वर्तमान सर्किलों की ही सूची मांगी गयी थी । वह तो इस समय है और जो अधीक्षण अभियंता काम कर रहे हैं उनके लिये भी स्पष्ट उत्तर है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इन 31 सर्किलों में से सिर्फ 18 नम्बर का ऐसा है कि जो साढे छः वर्ष से मुरादाबाद में रह रहे हैं और उसमें प्रश्नकर्ता और औरों ने भी सरकार का ध्यान दिलाया लेकिन सरकार के पक्ष के विधायकों की वजह से वह क्यों रोक दिया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी अधीक्षण अभियंता श्री अरोरा के बाबत विचार हो चुका है और उनके स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या विद्युत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का नियम भी है कि कोई भी अधिकारी तीन वर्ष के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाता है ? तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से यह अधिकारी उसी स्थान पर साढ़े छः वर्षों से रक्खे गये हैं ? जब कि इसके पेश्तर भी इनका स्थानान्तरण हुआ और रोक दिया गया तो क्या उसका कारण बतायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

राज्य विद्युत परिषद् ने जिन कारणों से इनका स्थानान्तरण रोका है उनको तो जानकारी करने के बाद ही बताया जा सकता है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इन 18 नंबर में जो हैं उनका एक बार नहीं तीन या चार दफा स्थानान्तरण हुआ था परन्तु चारों दफे सरकार ने रोक दिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पिछले कई बार उनके स्थानान्तरण हुये । किन्तु पिछली बार उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक और कार्य की दृष्टिकोण से रोक दिया गया ।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

सरकार की यह नीति है कि हर तीन साल बाद ट्रांस्फर हो जाना चाहिये। अगर ज्यादा साल हो गये हैं तो किन कारणों से ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रशासनिक दृष्टकोण से।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब सरकार यह मानती है कि समान्यतः तीन वर्षों में स्थानातन्तरण हो जाना चाहिये, तो क्या यह नियम सेक्रेटेरियट के लिए भी लागू है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लागू तो सभी जगह होना चाहिये । कभी-कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिये उसकी विशेष आवश्यकता समझी जाय, तो दूसरी बात है ।

तारांकित प्रश्न

ग्राम फुलवारिया जिला, बहराइच तक तथाकथित बिजली की लाइन

*1—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच), श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद),श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के अन्तर्गत ग्राम फुलवरिया को बहराइच से लाई हुई बारह मील लम्बी बिजली लाइन से कितने कृषि सम्बंधित कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या विद्युत मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त लाइन के लगाने में कितने रुपये खर्च हुए ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

बहराइच जिले के अन्तर्गत बहराइच से ग्राम फुलवरिया तक 12 मील लम्बी कोई भी बिजली की लाइन नहीं बनाई गई है । अतः लाइन के खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पारसनाथ सिंह—

मान्यवर, बहराइज जिले के अन्तर्गत ग्राम, फुलवरिया स्थित 12 मील लम्बी बिजली लाइन पर डेढ़ वर्ष से कनेक्शन रोक दिये गये हैं । प्रथम पांच मील में कनेक्शन दिये जा चुके हैं बाकी 7 मील तक अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गय हैं । क्या माननीय विद्युत मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, कि ऐसा क्यों है । यदि यह स्थानीय अधिकारियों की गलत सूचना की वजह से है तो क्या इसकी भी जानकारी सदन को करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई गलत सूचना नहीं प्राप्त हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—

इ का जवाब अपेक्षित नहीं है ।

श्री पारसनाथ सिंह—

मान्यवर, अवश्य इस संबंध में गलत सूचना दी गई है। क्या विद्युत मंत्री जी यदि संबंधित अधिकारियों ने गलत सूचना दी है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यदि अधिकारियों की सूचना गलत है तो अवश्य उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मील लाइन बनाने की सूचना है और कितने कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

6 मील के लगभग भोजपुर लगता हैं। फुलवरिया की दूरी एक-डेढ़ मील होगी।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

कृषि के संबंध में कितने कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

काफी कनेक्शन दिये गये हैं। आगे और कनेक्शन दिये जाने के विषय में विचार किया जा रहा है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे। कि सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये इस दिशा में कौन-सा कार्य किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, हमनें अभी तक कोई दीर्घकालीन ओवर-ड्राफ्ट नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि इसका सर्वोत्तम उपाय यही है।

प्रदेश के अर्थोपाय स्थिति में असन्तुलन सम्बन्धी सुधार

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार को सन् 1971 में इस आशय का पत्र केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है कि अपने आय-व्यय को संतुलित करने का प्रयास करें ताकि उन्हें ओवर-ड्राफ्ट न लेना पड़े ? यदि हां, तो इस परिपत्र का प्रारूप क्या है और सरकार ने इस दिशा में अब तक कौन-कौन-सा कदम उठाया है ?

वित्त, विद्युत् एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

केन्द्र सरकार से ऐसा कोई पत्र यहां प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु रिजर्व बैंक से इस आशय का पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी अर्थोपाय स्थिति के असंतुलन को सुधारने तथा ओवरड्राफ्ट न लेने की दिशा में कदम उठाने का प्रयास करेंगी। यह प्रदेश वित्तीय अनुशासन का सामान्यतया पालन करता रहा है और पिछले कुछ वर्षों से ही अल्प-अवधि के लिये ओवर ड्राफ्ट की आवश्यकता हुई है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फर्जी नामों से फर्मों द्वारा माल सप्लाई के विरुद्ध कार्यवाही

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1971 में उत्तर प्रदेश के आडिटरों ने एक ऐसे फर्म का पता लगाया है तो फर्जी नामों से उत्तर प्रदेश की विद्युत् परिषद् को पांच लाख रुपये से अधिक लागत का माल सप्लाई कर चुकी है ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या है और सरकार ने अब तक दोषी व्यक्तियों को कौन-कौन-सा दन्ड दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विद्युत् प्रसारण निर्माण खण्ड, मैनपुरी के दिसम्बर 1970 से मार्च 1971 के लेखा संबंधी रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि उस खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने अप्रैल, 1968 से अप्रैल, 1971 तक के समय में कानपुर के कई तथा गाजियाबाद की एक ऐसी फर्म से सामान क्रय किया तथा उसके लिये कुल 14,33,857 रुपये का भुगतान किया जिनमें से कुछ फर्म एक दूसरे का प्रायः प्रतिनिधित्व करती हुई और झूटी प्रतीत होती है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता से रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्राप्त होने तथा आवश्यक जांच के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

रुहेलखंड मण्डल में बकाये सेल्स-टैक्स की वसूली

*4—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुहेलखंड मन्डल में विगत दो वर्षों से सेल्स-टैक्स का 50,000 रुपया या उससे अधिक रुपया किन-किन व्यक्तियों से वसूलना शेष है और अब तक किन-किन कारणों से बसूली नहीं हो सकी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

रुहेलखंड मण्डल में विगत दो वर्षों से सेल्स-टैक्स का 50 हजार रुपया या इससे अधिक का बकाया 30 सितम्बर, 1971 को 33 व्यापारियों पर था इन पर बकाया की कुल धनराशि 41.81 लाख रुपये थी। जिन व्यापारियों पर यह धनराशि बकाया है, उनके नाम संलग्न हैं।

जहां तक वसूली न होने का प्रश्न है यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 41.28 लाख रुपये की वसूली के लिये आवश्यक वसूली के प्रमाण-पत्र संबंधित जिलों के कलेक्टरों के पास भू-राजस्व के बकाया के सदृश्य मानकर वसूली की कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं। शेष 53 हजार रुपयों के बकाया की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व बकायादार ने सक्षम न्यायालय से रोक के आदेश प्राप्त कर लिये हैं। अतः वसूली के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किय जा सके। बकाया की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(दखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 278 पर।)

विदेशी शराब की थोक बिक्री के लिये दिये गये नये लाइसेन्स

*5—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने किन-किन जनपदों में शराब की नयी दुकानों के खोलने के कितने लाइसेन्स दिये हैं तथा उनमें कितनी देशी और कितनी विलायती शराबों के हैं ?

कारागार एवं आबकारी मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)---

चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 में सरकार ने जिला देहरादून में केवल विदेशी शराब की थोक बिक्री का एक नया लाइसेंस प्रपत्र फ० एल० 2 में सृजन करने की स्वीकृति दी है। इस वित्तीय वर्ष में देशी शराब का कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया।

इलाहाबाद के ग्राम अझुआ के श्री रामबली की पत्नी के साथ आबकारी विभाग के इन्सपेक्टर आदि द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जांच

*6---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इलाहाबाद के ग्राम अझुवा के निवासियों के हस्ताक्षर से अझुवा निवासी, श्री रामबली की धर्मपत्नी के साथ क्षेत्रीय आबकारी इन्सपेक्टर तथा उनके सिपाहियों द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत लिखित रूप में कमिश्नर महोदय, आबकारी विभाग एवं आबकारी मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिनांक 24 जुलाई, 1971 का लिखित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों के आधार पर उक्त कर्मचारियों के आचरणों की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां, इस संबंध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 25 जुलाई 1971 को श्री जसपाल सिंह उर्फ सूरजसिंह से प्राप्त हुआ है जिस पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा जांच कराई जा रही है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई जायगी।

शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में लेखाधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति

*7---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के नियन्त्रण में दिनांक 1 जुलाई, 1971 को कहां-कहां सहायक लेखा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी के पद रिक्त थे और उन पर किन कारणों से नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

दिनांक 1 जुलाई, 1971 को वित्त विभाग के नियंत्रण में सहायक लेखाधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं था। उक्त तिथि को वित्त विभाग के नियंत्रण में शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में लेखाधिकारी के दो पद 300-900 रु० के वेतन-मान में रिक्त थे जिन पर उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्तियां अगस्त एवं दिसम्बर, 1971 में की जा चुकी हैं।

*8---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या वित्त मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के वित्त विभाग में कितने ऐसे सहायक हैं जिन्होंने जून, सन् 1971 से पूर्व ट्रेजरी आफिसर की परीक्षा पास कर ली है। लेकिन उनकी नियुक्ति उपरोक्त रिक्त सहायक लेखा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी पदों पर नहीं की जा सकी है और क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस समय जून, 1971 से पूर्व ट्रेजरी आफिसर की परीक्षा पास करने वाले 6 सहायक वित्त विभाग में हैं। चूंकि सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी का कोई पद वित्त विभाग के नियंत्रण में रिक्त नहीं है इसलिये इनकी इन पदों पर अभी नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली विद्युत् विभाग बरेली में रहने वाले लाइन इन्सपेक्टर

*9--श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, बरेली विद्युत् विभाग में कितने लाइन इन्सपेक्टर जो बरेली के रहने वाले हैं पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

चार।

भारत केमिकल कारपोरेशन सिकन्दरा राव, जिला अलीगढ़ गड़बड़ियों का आबकारी उपमंत्री द्वारा निरीक्षण

*10--श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह तथा श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत केमिकल कारपोरेशन, सिकन्दरा-राव, जिला अलीगढ़ का निरीक्षण माननीय उप आबकारी मन्त्री ने दिनांक 31 अगस्त, 1971 को किया था ? यदि हां, तो क्या-क्या गड़बड़ियां निरीक्षण में उप मन्त्री को प्राप्त हुई ? क्या पूरा विवरण तथा जिला अधिकारी, अलीगढ़ की रिपोर्ट दोनों, सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, भारत केमिकल कारपोरेशन, सिकन्दराराव, जिला अलीगढ़ का निरीक्षण उप आबकारी मंत्री जी ने 31 अगस्त, 71 को किया था। उनकी निरीक्षण †टिप्पणी की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है जिसमें पूरा विवरण है। जिलाधिकारी, अलीगढ़ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः उसे सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। उप मंत्री जी की निरीक्षण टिप्पणी में उल्लिखित मामलों पर जांच कराई जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 279 पर।)

तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एटा जिले का विद्युतीकरण

*11--श्री नेत राम सिंह (जिला एटा) तथा श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला में तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में किस-किस विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम का विद्युतीकरण हुआ है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में किस-किस विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम की विद्युतीकरण करने की सरकार की योजना है ? और यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सम्पूर्ण एटा जनपद में 48 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है जिनका विवरण संलग्न है। उसके बाद तीन वार्षिक योजना काल में 182 ग्रामों का भी विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार कुल 230 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया।

---

†छापा नहीं गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी सम्पूर्ण जनपद में 290 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिनमें से योजना के प्रथम दो वर्षों में 160 का विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष का योजना के शेष वर्षों में धन की उपलब्धतानुसार तथा निर्धारित वार्षिक प्रतिलाभ के प्राप्त होने की आशा पर किया जा सकेगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 284 पर।)

एटा जिले में निजी नलकूपों व पंपिंग सेटों के लिये प्रार्थना-पत्र

*12--श्री नेतराम सिंह तथा श्री सतीश चन्द्र--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला में गत 3 वर्षों 1969-70, 1970-71, 1971-72 में माह जून, 1971 तक अलग-अलग कितने प्रार्थना-पत्र निजी नलकूपों, पम्पिंग सेटों के किस-किस कृषक के बिजली लेने को प्राप्त हुए, जिसमें कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत ? स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में कितने कृषकों के नलकूप का कार्य पूर्ण हो गया तथा कितनों का नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एटा जिला में वर्ष 1969-70, 1970-71 एवं 1971-72 (माह जून 1771 तक) में निजी नलकूपों, पम्पिंग सेटों की स्वीकृति के लिए क्रमशः 12,52,495 और 83 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से क्रमशः 1,225, 493 एवं 83 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए एवं क्रमशः 27,2 एवं शून्य प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए।

उक्त तीन वर्षों 1969-70, 1970-71 एवं 1971-72 (माह जून 1971 तक) में स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में से क्रमशः 391, 698 एवं 91 नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया एवं क्रमशः 831, 629 एवं 621 नलकूपों का विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण रहा। कृषकों के नामों से संबंधित विस्तृत सूचना सदस्य महोदय मेरे कक्ष में देखे सकते हैं।

जनपद, गोंडा के तुलसीपुर नगर में बनस्पति तथा सीमेन्ट के लाइसेन्सदार

*13--श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर नगर में वर्ष 1970 की 1 मार्च से 30 जून की तिथियों के बीच कितने लोगों के वनस्पति विक्रय के लाइसेन्स विभिन्न अनियमितताओं के कारण निरस्त कर दिये गये हैं ? उनके नाम क्या हैं तथा लाइसेन्स निरस्त करने का क्या कारण है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

जनपद, गोंडा के तुलसीपुर नगर में वर्ष 1970 की 1 मार्च से 30 जून की तिथियों के बीच किसी वनस्पति विक्रेता का लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया है।

*14--श्री सूरज लाल--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जनपद, गोंडा के तुलसीपुर नगर में कुल कितने सीमेंट के लाइसेन्सदार हैं, उनके नाम क्या हैं तथा क्या कृपया यह भी बतावेंगे कि उन्हें क्रमशः 1 जनवरी, 1969 से 30 सितम्बर, 1971 तक कुल कितने बोरी सीमेन्ट के बिक्री हेतु दिये गये ?

श्री बेनी सिंह--

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1955 के अन्तर्गत सीमेन्ट के व्यापारियों को लाइसेन्स लेना अनिवार्य था परन्तु दिनांक 1 जनवरी, 1966 से भारत सरकार के आज्ञानुसार इस आदेश को निरस्त कर दिया गया अतः अब सीमेन्ट विक्रेताओं को लाइसेन्स लेने की आवश्यकता

नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश सीमेन्ट आदेश, 1966 के अन्तर्गत सीमेन्ट के व्यापारियों को केवल सीमेन्ट के स्टाक की मात्रा तथा उसका मूल्य दूकान के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हर बिक्री का कैशमेमो भी काटना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में सीमेन्ट के लाइसेन्सदार का नाम या संख्या और एक जनवरी, 1969 से 30 सितम्बर, 1971 तक सप्लाई की गयी सीमेन्ट की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

*15—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

रिहन्द डैम, मिर्जापुर द्वारा हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्टरी को दी जाने वाली बिजली का रेट

*16—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्ड डैम, मिर्जापुर से हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्टरी को बिजली कितने पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है और सन् 1969-70 में कुल कितने यूनिट बिजली उक्त फैक्टरी ने खर्च की है? तथा मिर्जापुर जिले के अन्य फैक्टरियों को सरकार ने उक्त डैम से बिजली किस दर पर प्रति यूनिट 15 मार्च, 1970 तक दी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सन् 1962 से हिन्दुस्तान अल्मूनियम फैक्टरी मिर्जापुर को उनके 55 मेगावाट अनुबन्ध जो 29 अक्तूबर, 1959 को शासन द्वारा किया गया था, के अनुसार 1.9977 17 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दी जा रही है। इस अनुबन्ध से सम्बन्धित 1969-70 में उक्त फैक्टरी ने 37,62,43,349 यूनिट विद्युत खर्च की।

मिर्जापुर जिले के सर्वश्री कनोडिया केमिकल्स ऐन्ड इन्डस्ट्रीज को भी विशिष्ट दर पर उनके आठ मेगावाट अनुबन्ध जो 30 सितम्बर, 1963 को दिया गया था, विद्युत् दी जा रही है जिसकी दर इस प्रकार है:

13 मिलियन यूनिट प्रति तिमाही	2.5 पैसे प्रति यूनिट
13 मिलियन से अधिक और 16 मिलियन के यूनिट पर प्रति तिमाही	5 पैसे प्रति यूनिट
16 मिलियन से अधिक और 22 मिलियन यूनिट तक प्रति तिमाही	5 पैसे प्लस कोल सरचार्ज
22 मिलियन यूनिट प्रति तिमाही से अतिरिक्त उपभोग पर	10 पैसे प्रति यूनिट

मिर्जापुर जिले के सर्वश्री कनोडिया केमिकल्स को छोड़ कर अन्य उपभोक्ताओं को निम्नलिखित तारीखों तक निम्न दरों से बिजली दी जाती रही है:

गई 1962 से अगस्त, 1967 तक लगभग	7 पैसा प्रति यूनिट
सितम्बर 67 से जून, 68 तक लगभग	9 पैसा फी यूनिट
जुलाई, 68 तक 15 सितम्बर, 1970 तक लगभग	10.5 पैसा फी यूनिट

यह औसत दर 1000 के0 वी0 ए0 पर 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर तथा .85 पावर फैक्टर पर 11 के० वी० पर है।

परिषद् के स्टैन्डर्ड रेट शिड्यूल पर छोटे उद्योगों के लिये रेट शिड्यूल एल० एम बी० .5 की तथा वृहत् उद्योग के लिये रेट शिड्यूल एच० बी० 2 तथा एच० बी० .2 बी है।

यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि उक्त उपभोक्ताओं को रिहन्द डैम से ही बिजली दी जा रही है। इनको ग्रिड से विद्युत दी जा रही है क्योंकि सारे प्रदेश का ग्रिड अब सम्बद्ध कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विद्युत् कम्पनियां

*17--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पर प्राइवेट विद्युत् कम्पनियां कार्य कर रही हैं जो नगरपालिकाओं व अन्य संस्थाओं को बिजली दे रही हैं और इनके लाइसेन्स पिछली बार कब समाप्त हुए और अब कब समाप्त होने जा रहे हैं ? क्या सरकार ने कोई योजना इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अब तक बनाई हैं ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस समय जो निजी बिजली कम्पनियां कार्य कर रही हैं उनकी सूचना संलग्न है। इन निजी विद्युत् सप्लाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है। परन्तु इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 के प्राविधान के अनुसार कम्पनियों को लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति पर उन्हें क्रय करने का विकल्प राज्य विद्युत् परिषद् को उपलब्ध है और इसी प्राविधान के अनुसार निजी कम्पनियों को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा क्रय किया जाता रहा है।

(देखिय नत्थी आगे 'छ' 285 पृष्ठ पर)

जिला बदायूं के गांवों को बिजली

*18--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं के कितने गांवों में रोशनी व पंखों के प्रयोग के लिये अब तक बिजली पहुंचा दी गई है और कितनों में नहीं ? बाकी गांवों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कब तक बिजली पहुंचा दी जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला बदायूं में अब तक 213 गांवों में रोशनी व पंखे के प्रयोग हेतु बिजली पहुंचा दी गई है। 1,605 गांवों में अभी बाकी है। इन शेष गांवों का विद्युतीकरण इनसे निर्धारित प्रतिकर लाभ मिलने पर तथा पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धतानुसार किया जा सकेगा।

कानपुर जिले के सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच

*19--चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर के सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में कोई आरोप-पत्र डेरापुर लाइयर एसोसियेशन की ओर से 29 जून, 1971 में दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और रजिस्ट्रार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

डेरापुर के सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध डेरापुर लाइयर एसोसियेशन की ओर से कोई पत्र 29 जून, 1971 का नहीं प्राप्त हुआ है। डेरापुर बार एसोसियेशन की ओर से दिनांक 20 सितम्बर, 1972 का एक पत्र जिला निबंधक, कानपुर को 27 मई, 1971 को जरूर प्राप्त हुआ था जिस की प्रारम्भिक जांच जिला निबंधक, कानपुर ने की थी। सब-रजिस्ट्रार का स्थानान्तरण कर दिया गया है और विस्तृत रूप से निबंधन महानिरीक्षक को जांच करने के लिये कहा गया है जिन्होंने इस विषय में विभागीय निरीक्षक को आदेश दे दिये हैं।

मुजफ्फरनगर जेल में नेक्सलाइट नेता की किसी व्यक्ति से मुलाकात

*20--श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजफ्फरनगर जेल में नेक्सलाइट नेता, श्री शिवकुमार

मिश्र से 11 सितम्बर, सन् 1971 को दो बजकर ५५ मिनट और 4.55 मिनट सायं के बीच कोई व्यक्ति मिला ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन था और कैसे मिला ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला जेल मुज्जफरनगर में बन्द नेक्सलाइट नेता, श्री शिवकुमार मिश्र से 11 सितम्बर, 1971 को दो बजकर 55 मिनट और 4.55 मिनट सायं के बीच कोई व्यक्ति नहीं मिला। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*21--श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

क्या यह सही है कि शिव कुमार नक्सलाइट नेता के बन्दी होने के बाद सितम्बर महीने के अन्त तक चारु मजूमदार नक्सलाइट नेता भी उनसे जेल में मिले थे ? यदि हां, तो मैं उक्त बन्दी से कैसे मिले और जेल के रोज नामचे में उनके नाम दर्ज हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह सही नहीं है कि शिव कुमार नक्सलाइट नेता के बन्दी होने के बाद सितम्बर, महीने के तक चारु मजूमदार नक्सलाइट नेता उनसे जेल में मिले। दूसरे भाग का प्रश्न उठता।

स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश पंचम मण्डल, वाराणसी के बिजली के बिल का रुपया

*22--श्री देवराम (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश पंचम मन्डल वाराणसी के कार्यालय का बिजली के बिल का रुपया माह अगस्त और सितम्बर, 1971 का सरकारी खजाने से निकाल लेने के बावजूद माह अक्तूबर, 1971 तक जमा नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस खयानत के लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं, । अगस्त और सितम्बर, 1971 का बिजली के बिल का रुपया सरकारी खजाने से नवम्बर 1971 में निकाला गया और उसी मास में तीन दिन के भीतर जमा कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

*23--श्री भानुप्रताप सिंह--

[3रे सोमवार के लिये स्थगित]

जिला बस्ती, ब्लाक बहादुरपुर, के ग्रामों को निजी नलकूप के लिये बिजली न मिलना

*24--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या विद्युत मन्त्री को ज्ञात है कि 23 अप्रैल, 1970 को जिला बस्ती के ब्लाक, बहादुरपुर के ग्राम, पठानपुर के श्री रामनरेश वर्मा व ग्राम खखोड़ा के बलिकरन तथा पारसनाथ व ग्राम दौलतपुर के राम उजागर व ग्राम लोवाड़ा के कृपा व माईपाल सिंह व अयोध्या सिंह व भगौती व हरदयाल तथा ग्राम बेला बुजुर्ग के राधेश्याम ने निजी नलकूप हेतु बिजली की लाइन प्राप्त करने के लिये सर्वे फीस 25 रु० प्रति व्यक्ति जमा किया था किन्तु अभी तक सर्वे नहीं किया गया और न आगे कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बस्ती जनपद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र बहादुरपुर के विभिन्न गांवों के 10 उपभोक्ताओं ने निजी नलकूपों/पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण हेतु 25 रु० अग्रिम धनराशि दिनांक 23 अप्रैल, 1960

[श्री नारायण दत्त तिवारी---]

व 18-7-70 को जमा की। उन्हे कनेक्शन देने हेतु सर्वे किया गया तथा प्राक्कलन भी बनाया गया। इन उपभोक्ता को कनेक्शन देने हेतु क्लस्टर बनाया गया उस पर लगभग 51,000 रु० व्यय होने का अनुमान है जबकि नियमानुसार इस पर कुल 37,600 रु० तक व्यय किया जा सकता है। इस प्रकार यह जलस्तर आर्थिक दृष्टि से अभी उपयुक्त नहीं है इसलिये इन उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दी जा सकी।

पंपिंग सेटों को दी जाने वाली बिजली पर से मिनिमम गारेन्टी हटाया जाना

*25---श्री सुरेन्द विक्रम --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 अप्रैल, 1971 से 15 अक्तूबर, 1971 तक प्रदेश के कितने उद्योगपतियों ने बिजली की दरों में कमी करने हेतु शासन से प्रार्थना की तथा शासन ने क्या निर्णय किया और क्या कृषकों को पंपिंग सेट के लिये जो बिजली दी जाती है उसमें भी कमी करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

1 अप्रैल, 1971 से 15 अक्तूबर, 1971 तक सर्वश्री कनोरिया केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि० हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम कारपोरेशन तथा कुछ अन्य लोगों से प्रार्थन-पत्र प्राप्त हुए है। इन पर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

पंपिग सेटों को दी जाने वाली बिजली पर से मिनिमम गारेंटी 1 जनवरी, 1972 से हटा दी गई है।

राज्य विद्युत् परिषद् के निविदा के अन्तर्गत बिजली के तार का क्रय

*26---श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत परिषद् ने निविदा संख्या 597 में 9 करोड़ रुपये के कन्डक्टर्स क्रय करने के आर्डर स्टोर्स प्रोक्योरमेन्ट मन्डल, लखनऊ द्वारा दिये हैं? यदि हां, तो क्या सब निविदा दाताओं की तालिका, उनके नाम, अरनेस्ट मनी, आई० एस० आई०, लाइसेन्स नम्बर तथा अन्तिम दरों सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां, जुलाई 1971 के अन्त में निविदा संख्या सी० आई० एफ० 597 के अन्तर्गत 8.89 करोड़ रुपये के बिजली के तार क्रय करने के आर्डर दिये गये।

*27---श्री रामकुमार दीक्षित---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि साहिबगंज इलेक्ट्रिक कैबिल्स प्रा० लि०, कलकत्ता को जिनकी फैट की दर 1262 रु० और रैकुन की दर 2351 रु० सबसे कम थी, आर्डर न दिये जाने का क्या कारण है ? और इस सम्बन्ध में क्या दिनांक 11 सितम्बर, 1971 का कोई शिकायती-पत्र माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने उन शिकायतों पर क्या निर्णय लिये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

साहिबगंज इलेक्ट्रिक कैबिल, कलकत्ता शासक के फैट और रैकुन कंडक्टर के दर ऊंचे थे। इसलिये उनको आर्डर देने का प्रश्न नहीं उठता। बाद में उक्त फर्म द्वारा माननीय मंत्री जी को सम्बोधित एक प्रतिवेदन परिषद् में प्राप्त हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उन्होंने समय में अपने दाम कम करने की सूचना परिषद् को भेज दी थी। इस मामले में परिषद् द्वारा छानबीन की जा रही है और मामला विचाराधीन है।

जनपद, चमोली के विकास क्षेत्रों के लिये विद्युतीकरण परियोजना

*28—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के विकास क्षेत्र थराली, नारायण गढ़ तथा विकास क्षेत्र, पेरसैण में विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ हो चुका है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद, चमौली के विकास क्षेत्र, थराली, नारायण गढ़ तथा गैरीसेंड का विद्युतीकरण निकट भविष्य में संभव नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों के निकट अभी विद्युत् की लाइनें नहीं है। विद्युत् ग्रिड की लाइनों को इन स्थानों तथा चमोली जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिये तथा इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा एक प्रायोजना बनाई जा रही है। आशा है कि यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष में हो जायगा।

*29—श्री शेरसिंह दानू—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, चमोली में कितने लोगों ने सिंचाई के उपयोग के लिये बिजली की मांग की है तथा कब तक इन लोगों को बिजली मिल जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन अथवा किसी भी व्यक्ति ने जनपद चमोली में सिंचाई के लिए विद्युत् शक्ति की वांछना नहीं की है।

मकानों की मरम्मत हेतु दिये जाने वाले अग्रिम की सीमा बढ़ाने पर विचार

*30—श्री नारायणदास (जिला लखनऊ)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण सामग्री के बढ़ते हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 5, भाग 1 के पैरा 244 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को दी जाने वाली मकान मरम्मत अग्रिम (House Repairing Advance) की धनराशि को एक वर्ष के वेतन से बढ़ाकर दो वर्ष के वेतन के बराबर करने पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मरम्मत के लिये दिए जाने वाले अग्रिम की सीमा को बढ़ाने के प्रश्न को भी मंत्रि परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रशासन में मितव्ययिता के लिये समिति का गठन

*31—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशासन में अथवा सरकार के अन्य मदों में मितव्ययिता लाने के लिये इस वर्ष कोई समिति बनाई है? यदि हां, तो वह कौन है और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं।

ब्लाक शमसाबाद, जिला आगरा का विद्युत उपगृह

*32—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक शमसाबाद, जिला आगरा में जो बिजली घर बना पड़ा है वह बेकार पड़ा है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी शीघ्र से शीघ्र इस बिजली घर को चालू करने का आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शमसाबाद विद्युत् उपगृह अभी हाल ही में बन कर तैयार हुआ है तथा 16-11-71 को चालू कर दिया गया है।

जनपद, प्रतापगढ़ के विद्युत् उपकेन्द्र पट्टी से बिजली की लाइन

*33—श्री जय राम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि विकास खन्ड, पट्टी, जनपद, प्रतापगढ़, में उपकेन्द्र पट्टी से भरोखन, रेंडी, गारापुर होते हुए ग्राम पटखौरी तक बिजली की लाइन ले जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो यह लाइन कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। ऐसी कोई कार्यवाही अभी नहीं की जा रही है।

जिला मिर्जापुर में स्प्रिट की दुकान के लिये विधायकों की संस्तुति

*34—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी से मार्च, 1971 के अन्दर जिला मिर्जापुर के विधायकों द्वारा जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में स्प्रिट की दुकान खोलने की मांग की गयी है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मार्च, 1971 में कछवा टाउन एरिया म विकृत स्प्रिट का लाइसस देने के लिये श्री सुभाष चन्द, निवासी गोधना, जिला मिर्जापुर से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर मिर्जापुर जिले के विधायकों ने अपनी संस्तुतियां की थीं। उक्त आवेदन-पत्र पर जिला अधिकारी, मिर्जापुर व आबकारी आयुक्त से, कछवा टाउन एरिया में विकृत रिप्रट का लाइसेंस दिये जाने के औचित्य की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में अपनी आख्या व संस्तुति भेजने के लिये कहा गया है। आख्या व संस्तुति प्राप्त होने पर इस विषय पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

विद्युत् अनुरक्षण मंडल मुरादाबाद में डिविजनल आफिसर

*35—श्री महीलाल—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायगे कि मन्डल मुरादाबाद में कुल कितने सब-डिवीजनल आफिसर हैं और वह कितने समय से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं? इनमें से कितनों के स्थानान्तरण कितनी-कितनी बार हुये हैं और रद्द कर दिय गये तथा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विद्युत अनुरक्षण मंडल, मुरादाबाद में कुल 34 सब डिवीजनल आफिसर हैं। इनमें से केवल दो 3 वर्ष सं अधिक समय से हैं। केवल एक ही सब डिवीजनल आफिसर के स्थानान्तरण के आदेश निर्गत हो जाने के पश्चात् प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिये गये थे।

कानपुर में शराब में जहर मिलाने वाले व्यापारी के लाइसेन्सों का निलंबन

34—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर, 1971 के दूसरे पाख में उन्नाव व कानपुर में अलग-अलग जहरीली शराब पीने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और क्या शराब के जहरीली होने के कारण यह था कि उसमें डिनेचर्ड स्प्रिट की आमेंजिश थी ? यदि नहीं, तो एनालिसिस में किस जहरीले पदार्थ का मिश्रण पाया गया और इसके परिणाम स्वरूप किन-किन शराब के ठेकेदारों व इक्साइज अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

अक्तूबर, 71 के दूसरे पाख में उन्नाव में मृत्यु होने की शासन के पास कोई सूचना नहीं है। कानपुर में जहरीली शराब पीने से कुल 37 व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार जिलाधिकारी, कानपुर के कार्यालय से प्राप्त हुये है। इस शराब की रसायनिक जांच केमिकल एक्जामिनर, आगरा द्वारा कराई जा रही है और अभी उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें डिनेचर्ड स्प्रिट की आमेंजिश थी या नहीं। विसरा की भी जांच कराई जा रही है और जांच के परिणाम आने पर ही ज्ञात हो सकेगा कि शराब में किस जहरीले पदार्थ का मिश्रण था। संबंधित सचेंडी शराब की दुकान तथा लाल बंगला स्थित स्प्रिट की दुकानों के अनुज्ञाप्तियों के विरुद्ध धारा 304/328 भारतीय दण्डविधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया है तथा उनके लाइसेन्स भी निलम्बित कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सचेंन्डी एवं लाल बंगला क्षेत्र से संबंधित आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है तथा सहायक आबकारी आयुक्त, कानपुर एवं आबकारी अधीक्षक, कानपुर का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण मांगें गये हैं। थाना-ध्यक्ष सचेंड़ी को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है।

मेरठ कोषागार के कर्मचारी द्वारा अंशकालिक सेवा के लिये दो वेतन प्राप्त करना

*37—श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कोषागार में ऐसे कितने और कौन-कौन कर्मचारी हैं जो 1958 से बराबर अंशकालिक सेवायें (पार्ट टाइम सर्विस) करके दो वेतन पा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*38—श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल के कोषागारों के जिन कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 1984/2—क—1970 नियुक्त (क) विभाग, दिनांक 23 फरवरी, 1970 के विरुद्ध अगस्त, 1970, में असाधारण स्थानातरण किये गये थे क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों को पुनः वापिस स्थानान्तरण करने का कोई मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनों का तथा सब कर्मचारियों का क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर के हिन्डालको के बिजली के किराया की वसूली

*39--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में स्थित हिन्डालको कारखाने के ऊपर ढाई करोड़ से अधिक बिजली की कीमत की बकाया की वसूली का विवाद चीफ जस्टिस श्री हिदायत उल्ला के सुपुर्द पंच निर्णय के लिये किया गया था ? यदि हां, तो पंच निर्णायक ने इस विषय में क्या निर्णय दिया है और सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हिन्डालको के ऊपर बिजली की कीमत की बकाया की वसूली के बारे में कुछ विवादों को अवकाश प्राप्त भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला को पंच निर्णय के लिये सुपुर्द करने का निश्चय किया गया है । श्री हिदायत उल्लाह ने पंच बनना स्वीकार कर लिया है । हिन्डालको भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं ।

राज्य विद्युत परिषद् तथा हिन्डालको के बीच अनुबन्ध भरने की कार्यवाही हो रही है जो अभी तक अपूर्ण है । इसमें शीघ्रता की जा रही है ।

*40--श्री सजीवन लाल तथा श्री राम निहोर राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्डालको कम्पनी को 50 मैगावाट अतिरिक्त बिजली सस्ते दर पर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में शासन को कुछ विधायकों के पत्र गत अक्तूबर, नवम्बर, 1971 में मिले हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

संपूर्ण प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*41--श्री हरवंश प्रसाद पांडेय--

[चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सेन्ट्रल जेल, फर्रुखाबाद के फार्म की पैदावर

*42--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेन्ट्रल जेल, फर्रुखाबाद में कोई 32 एकड़ का फार्म है ? यदि हां, तो उसकी तीन साल 1968--1969 व 1970 में क्या पैदावार हुई है ? और इस वर्ष 1971 में उसकी जुताई की स्वीकृति न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1968-69, 1969-70, 1970-71 में जो पैदावार हुई, उसका विवरण संलग्न है ।

वहां पर उपलब्ध बैलों द्वारा जुताई कराने के अतिरिक्त वर्ष 1971 में ट्रैक्टर द्वारा जुताई कराने की स्वीकृति दे दी गई थी । जिसके आधार पर कारागार ने भूमि की जुताई ट्रैक्टर द्वारा करा ली है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 287 पर)

जिला मिर्जापुर के मझुवा विकास खण्ड़ में बिजली से मृत्युएं

*43—श्री राम निहोर राय—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के मझवा विकास खन्ड में सन् 1971 में 1 जून से 10 नवम्बर तक बिजली की दुर्घटना से कितने जानवर व कितने मनुष्य की जानें गईं ? क्या इनके लिये सरकार ने सम्बन्धित परिवारों को कोई सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला मिर्जापुर के मझवा विकास खंड में सन् 1971 में 1 जून से 10 नवम्बर तक बिजली की दुर्घटनाओं से दो बैलों तथा एक मनुष्य की जान गई ।

मुआवजा देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

हिन्दुस्तान अ्रल्युमुनियम कारपोरेशन पर विद्युत् परिषद् का बकाया

*44—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दालको, रानीकूट, जिला मिर्जापुर पर नवम्बर, सन् 1971 तक राज्य विद्युत परिषद् की कितने रुपये की धनराशि और कब से बकाया है और उसे वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सर्वश्री हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरशन लिमिटेड तथा रेनुसागर पावर कम्पनी पर विद्युत उपभोग शुल्क हेतु 1-2-62 से कुल रु० 2,67,02,429.44 मास नवम्बर, 1971 तक बकाया है । इस बकाया की वसूली के बारे में कुछ विवादों को अवकाश प्राप्त भारत के न्यायाधीश श्री हिदायत उल्लाह को पंच निर्णय के लिए सुपुर्द करने का निश्चय किया गया ।

सर्वश्री हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन को श्री हिदायत उल्लाह की नियुक्ति के बारे में एक अनुबन्ध पर साक्षर करने को कहा गया था जो अभी अपेक्षित है । चूंकि इस मामले में वह देरी कर रहे थे और उपभोग शुल्क अत्याधिक था अतएव हिन्दालको को विद्युत विच्छेदन का नोटिस दिनांक दिसम्बर 8, 1971 को दिया गया था । उस नोटिस के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा रिट पिटीशन दाखिल करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22-12-71 को स्टे आर्डर जारी किया है । जिससे विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सका ।

हिन्दुस्तान अ्रल्मुनियम कारपोरेशन तथा रेनुसागर पावर कम्पनी पर बकाया विद्युत् शुल्क ।

*45—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेणूकुट तथा रेनूसागर पावर कम्पनी पर अब तक कितनी धनराशि सरकार की बकाया पड़ी है, तथा उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सर्वश्री हिन्दुस्तान अल्यूमनियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेनुसागर पावर कम्पनी पर विद्युत उपभोग शुल्क हेतु 1-2-62 से कुल रु० 2, 67, 02, 42, 44 मास नवम्बर 1971 तक बकाया है । इस बकाया की वसूली के बारे में कुछ विवादों को अवकाश प्राप्त भारत के न्यायाधीश श्री हिदायत उल्लाह को पंच निर्णय के लिए सुपुर्द करने का निश्चय किया गया ।

सर्वश्री हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन को श्री हिदायत उल्लाह की नियुक्ति के बारे में एक अनुबन्ध पर साक्षर करने को कहा गया था जो अभी अपेक्षित है चूंकि इस मामले

में वह देरी कर रहे थे और उपभोग शुल्क अत्यधिक था अतएव हिन्डालकों को विद्युत विच्छेदन का नोटिस दिनांक दिसम्बर 8, 1971 को दिया गया था। उस नोटिस के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा रिट पिटीशन दाखिल करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22-12-71 को स्टे आर्डर जारी किया है। जिससे विद्युत् विच्छेदन नहीं किया जा सका।

राज्य विद्युत परिषद् लेखा संगठन में लेखपाल पद पर अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी

*46—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक द्वारा 27 नवम्बर, 1971 का भेजा हुआ कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें राज्य विद्युत परिषद् की लेखा संगठन में लेखापाल पद हेतु की गई 33 नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं की शिकायत की गई है और यह मांग की गई है कि दिनांक 15 नवम्बर, 1971 को की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1971 प्राप्त हुआ। परिषद् के लेखा संगठन में लेखापाल पद हेतु की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। एक अभ्यर्थी जो कि अनुसूचित जाति के थे, उनको लेखापाल (प्रशिक्षण) नियुक्त कर लिया गया है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कानपुर के कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

*47—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कानपुर के कार्यालय में कितने और कौन-कौन सहायक लेखाधिकारी कार्य कर रहे हैं जिनकी अवस्था 55 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनकी चरित्र-पंजिका में कई प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं और खाद्य तथा वित्त विभाग ने उनको शीघ्र सेवा निवृत्त करने की संस्तुति भी की थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर, के कार्यालय में निम्नलिखित 3 सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनकी अवस्था 55 वर्ष से अधिक हो चुकी है:—

(1) श्री सत्यदेव

(2) श्री कृष्ण दत्त पाठक

(3) श्री बाकर अली

श्री पाठक की चरित्र-पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी। अन्य दो अधिकारियों की पंजिकाओं में कुछ प्रतिकूल प्रविष्टियों अवश्य थी, परन्तु खाद्य विभाग ने इनमें से किसी को भी सेवा से निवृत्त करने की संस्तुति नही थी वित्त विभाग ने भी उनके संपूर्ण कार्यकलाप को देखते हुए यह निर्णय लिया कि ये तीनों अधिकारी 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी सेवा में रखे जाने के योग्य है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ के कर्मचारियों को भवन निर्माण क्रय हेतु अग्रिम धनराशि

*48—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय के कितने कर्मचारियों को विगत 5 वर्षों में भवन निर्माण, भवन खरीदने के लिये अग्रिम धन-

राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा कितने कर्मचारियों ने सम्बन्धित कागजात शासन को बन्धक आदि के सम्बन्ध में प्रेषित किये हैं? जिन कर्मचारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ के कार्यालय के दो कर्मचारियों को विगत 5 वर्षों में भवन खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि की स्वीकृति दी गयी है। उनमें से एक कर्मचारी ने मकान खरीदने का दस्तावेज भेजा था और उनसे बन्धक पत्र भेजने को कहा गया है। दूसरे कर्मचारी से वांछित कागजात प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ में तीन वर्ष से अधिक अपने नियुक्त स्थान पर कार्य करने वाले लेखाधिकारी

*49—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ क्षेत्र के उप क्षत्रीय खाद्य नियंत्रक एवं सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी तीन वर्ष से ज्यादा समय से यहां कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण कब तक किया जायेगा ?

श्री बेनी सिंह—

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ क्षेत्र के एक उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक जो लखनऊ में तैनात हैं एवं दो सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी जो लखनऊ तथा बरेली में तैनात हैं तीन वर्षों से ज्यादा समय से अपने नियुक्त स्थान पर कार्य कर रहे हैं ।

2—इनका स्थानान्तरण अगले वर्ष ग्रीष्म काल में करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा विद्युत परिषद् को ऋण तथा परिषद् को हुई हानि

*50—श्री कल्याण सिंह—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1969–70 एवं 1970–71 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया और उपरोक्त वर्षों में कुल कितने रुपयों की हानि राज्य विद्युत परिषद् को हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को राज्य सरकार द्वारा 1969–70 में 57,21,53,800 रुपये तथा 1970–71 में 65,74,36,499 रुपये ऋण दिया गया।

विद्युत परिषद् को 1969–70 में 686.583 लाख व 1970–71 में 1551.516 लाख रुपये की हानि हुई ।

राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्यों की योग्यता

*51—श्री कल्यान सिंह—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य कौन-कौन हैं और उनको विद्युत पूर्ति अधिनियम के किन-किन प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त पदों पर नियुक्त अथवा नामांकित किया गया है। उनकी शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता क्या है, और प्रशासनिक अनुभव कितना-कितना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

बांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 288 पर)

कानपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

*52---श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)---

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में 1971-72 में कौन-कौन से गावों में बिजली पहुंच जायेगी ? क्या बिल्हौर तहसील के सभी गावों में सन् 1972-73 तक बिजली पहुंच जाने की आशा है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से गांव तक पहुंच जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिबारी---

वर्ष 1971-72 में कानपुर जिले के 33 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है जिनकी सूची संलग्न है ।

बिल्हौर तहसील के सभी गांवों में वर्ष 1972-73 तक बिजली पहुंचना संभव नहीं है फिर भी प्राविधिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये गये अधिक से अधिक गांवों को उक्त वर्ष में बिजली प्रदान करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 289 पर)

बिक्री-कर का बकाया

*53---श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 मार्च, सन् 1971 की बिक्री-कर का कितना बाकी था प्रत्येक जिले में और उसके वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

31 मार्च, 1971 को बिक्री-कर का राज्य में कुल बकाया 32.02 करोड़ रुपया था । जिलेवार बकाया की स्थिति परिशिष्ट 1 में संलग्न है ।

बकाया के वसूली न होने के कई कारण हैं, जिनमें न्यायालयों द्वारा वसूली रोक दिये जाने के आदेश प्रमुख हैं । कई मामलों में यह बकाया पुराने वर्षों से संबंधित होती है, और संबंधित व्यापारी लापता या दिवालिया हो गये होते हैं । इसके अतिरिक्त किसी भी दिनांक को कुल बकाया धनराशि में वह धनराशि भी सम्मिलित होती है जो व्यापारी पर निर्धारित तो हो चुकी होती है किन्तु जिसे जमा करने के लिये विधि के अनुसार निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हो गई होती है । बकाया की यथाशीघ्र वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती रहती है ।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 290 पर)

*54---श्री त्रिवेणी सहाय---

[3रे सोमवार के प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के कर्मचारियों तथा अध्यापकों को अन्तरिम सहायता

*55---श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री बंशीधर पांडेय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों की संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार को इस आशय की नोटिस दी है कि 31 दिसम्बर तक

यदि उन्हें बढ़ी महंगाई के कारण अन्तरिम रिलीफ न दी गई तो जनवरी, 1972 से वे आन्दोलन करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं । इस विषय पर शासन को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

*56—श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री बंशीधर पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केंद्रीय सरकार ने जैसे अपने कर्मचारियों को महंगाई में वृद्धि होने के कारण दो अन्तरिम रिलीफ दिये हैं ? क्या प्रदेशीय सरकार भी उसी के अनुरूप में अपने कर्मचारियों को अन्तरिम रिलीफ देने जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायगा।

कोषागार अधिष्ठान के प्रशासकीय अधिकार तथा सेवा नियमावली

*57—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1958 में कोषागार का अधिष्ठान कलेक्ट्रेट से अलग कर दिया गया था किन्तु अभी तक सर्विस रूल नहीं बना ? इसका क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां । सेवा नियमावली बनने में बिलम्ब इस कारण से हो रहा है कि कोषागार अधिष्ठान के संबंध में जो प्रशासकीय अधिकार इस समय मंडलों के आयुक्तों तथा राजस्व परिषद में निहित है, उन्हें यथावत रहने दिया जाय अथवा नहीं, इस विषय में राजस्व परिषद् तथा राजस्व विभाग से विचार विमर्श किया जा रहा है । निर्णय होते ही सेवा नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

*58—श्री इन्द्रजीत—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार का कार्य फरवरी एवं मार्च में प्रति वर्ष काफी बढ़ जाता है । यदि हां, तो क्या इसकी पूर्ति हेतु कोषागार के लिपिकों को कोई मान देय देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां ।

जनपद, गोंडा के विकास खंडों में ट्यूबवेल के कनेक्शन

*59—श्री डी०पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतावेंगे कि जनपद गोंडा के विभिन्न विकास खंड क्षेत्रों में क्रमशः कितने ट्यूबवेल कनेक्शन, कितने पावर कनेक्शन 1 अप्रैल, 1968 से 30 नवम्बर, 1970 तक की तिथियों के बीच दिये गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 191 पर)

*60—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[2 रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*61—श्री राम प्यारे—

[3 रे सोमवार में प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी गढ़वाल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1—श्री शिबानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिला पौड़ी-गढ़वाल के किन-किन गांवो को सन् 1971–72 में सम्मिलित किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सन् 1971–72 में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है :—

1—पिप्रसेण
2—पोखरी
3—मुसेटी
4—धालीसेण
5—ऐथा
6—धारा सेहरी
7—सिरसू
8—सई गांव
9—पाली
10—जुगलसेन
11—फरनारी
12—गढ़कोट
13—धुरासीखाल
14—कुजोली
15—बोरोखाल
16—डुमेला मलला
17—डुमेला तल्ला
18—सरा तल्ला
19—ककरोला
20—सियूसी
21—बंगौर
22—बेजरो
23—बेदीसाल
24—नोगांव
25—सुकई
26—जिवई
27—चाधर
28—खमोली
29—संगलाकोटी
30—जुनेसेरा
31—मड़डली
32—सरोईखेत
33—कसई
34—रबीयाखेत
35—देवराजदेवी
36—मालगांव
37—पोखड़ा
38—चचीरा
39—कारखेत
40—चमलूघर
41—नागघर
42—रीठाताल
43—कुरख्याल
44—दहेली
45—टोल
46—गोरली गांव
47—इना
48—श्रीकोटखाल
49—बरनुगांव
50—बैथाली
51—नोगांव
52—व्योली
53—एकेखर
54—रिंगवाडी
55—चोपटियाखाल
56—नोगावखाल
57—फरगुला
58—गोदी बड़ी

59—गोदी छोटी
60—चोपड़ा
61—नादोली
62—अल्दावा
63—सकाली
64—सेंहरी
65—हनुमन्ती
66—हंसिहपुर
67—रतनपुर
68—भेरवां
69—सिन्दरी
70—पूरनकोट
71—काशीरामपुर
72—सिंगडडी
73—किशनपुर
74—ओन्था
75—अपरसिला
76—लोबरसिला
77—मुरेना
78—ब्याली
79—ढोर
80—सेंरा मल्ला

प्रदेश लाटरी टिकट की चोरी

2—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश लाटरी के 7 वें ड्रा के टिकट नम्बर सी 125001 से सी0 126000 तक चन्डीगढ़ में खो गये ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, सातवें ड्रा के जो एक हजार टिकट चन्डीगढ़ में चोरी हो गये थे, कि नामजद रिपोर्ट तुरन्त उसी दिन वहां के पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा दी गई थी तथा उक्त टिकटों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च, 1970 द्वारा बिना बिका हुआ भी घोषित कर दिया गया था ।

3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3 रे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

आर० ई० सी० योजनान्तर्गत बस्ती जिले की तहसीलें

5—श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह तथा श्री कृष्ण दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० ई० सी० योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले की कौन-कौन सी तहसील है और कितने लागत की योजना स्वीकृत की गई है तथा कब से कार्य प्रारंभ करने का विचार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आर० ई० सी० योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले की डोमरियागंज तहसील ली गई है । यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम दिल्ली को नवम्बर, 1971 में स्वीकृति के लिए भेजी गई है । अभी इस योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । इस योजना की लागत 58.53 लाख रुपये हैं । योजना की स्वीकृति मिलने पर कार्य तुरन्त शुरू किया जायगा ।

इलाहाबाद, राज्य विद्युत् परिषद् के तीन साल से अधिक एक स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारी

6--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्किल इलाहाबाद में कुल कितने राजपत्रित विद्युत् विभाग के अधिकारी हैं जिनको इलाहाबाद में 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं और उनमें से कितने ऐसे ह जिनके स्थानान्तरण किये गये परन्तु बात में रद्द कर दिये गये हैं ? इन अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इलाहाबाद में दो विद्युत् मण्डल हैं । इनमें केवल 4 राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जिनको तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं। इनमें एक अधिशासी अभियन्ता और तीन सहायक अभियन्ता हैं । उनके नाम नीचे दिये हैं :--

(1) श्री मोहम्मद यहिया कुरैशी, अधिशासी अभियन्ता ।
(2) श्री दुर्गा प्रसाद, सहायक अभियन्ता ।
(3) श्री पी० एन० बाजपेयी, सहायक अभियन्ता ।
(4) श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी, सहायक अभियन्ता ।

उपरोक्त में से केवल एक सहायक अभियन्ता--श्री दुर्गा प्रसाद के स्थानान्तरण के आदेश सितम्बर, 1969 में किए गए थे परन्तु बाद में कार्यहित में रद्द कर दिये गये थे ।

जनपद, प्रतापगढ़ में पंपिंग सेट तथा निजी नलकूप के लिये प्रार्थना-पत्र

7--श्री जयराम यादव--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में पंपिंग सेट व निजी नलकूप कनेक्शन लगवाने हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र वर्ष 1970-71 में प्राप्त हुए और उनमें से कितने को कनेक्शन मंजूर हुए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जनपद प्रतापगढ़ में पंपिंग सेट व निजी नलकूप के लिए कनेक्शन लगवान के लिए वर्ष 1970-71 में 502 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 404 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किए गए । शेष 98 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिए गए ।

पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार से लैन्सडाउन तक बिजली-लाइन

8--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौढ़ी-गढ़वाल में कोटद्वार से लैन्सडाउन तक 37 के०वी० की बिजली लाइन कब स्वीकार की गई थी और कब उसका आगे के लिये विस्तार होगा ?

श्री नारायणदत्त वितारी--

पौढ़ी गढ़वाल में कोटद्वार से लैंसडाउन तक 37 के0 वी0 विद्युत् लाइन की स्वीकृति सन् 1969 में प्रदान की गई थी ।

इस लाइन पर प्रारंभिक मार्ग निरीक्षण हो चुका है और जरूरी सामान का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस लाइन में लगभग दो वर्ष का समय लगगा क्योंकि भू-भाग बहुत दुर्गम है ।

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल में जिलेवार विद्युतीकरण

9--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के जिलेवार विद्युतीकरण के लिए कुल कितने धन को प्रस्तावित किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के जिलेवार विद्युतीकरण के लिये कुल 481.13 लाख रु० की धनराशि प्रस्तावित की गई है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न रूप है :--

क्रम-संख्या	जिला	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की परिव्यय लाख रु० में
1	नैनीताल ..	208.98
2	अल्मोड़ा ..	122.23
3	पौड़ी ..	64.21
4	टैहरी ..	75.71
	योग	471.13

10--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में वर्ष 1969-70, 1970-71 में कहां-कहां विद्युतीकरण हुआ और प्रस्तावित वर्ष, 1971-72 में कहां-कहां की योजनाएं विद्युत् लगाने के लिए प्रस्तावित है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला गढ़वाल में विद्युतीकरण वर्ष, 1969-70 में 14 जगह, 1970-71 में 5 जगह हुआ और 1971-72 में 80 जगहों का लक्ष्य है, ब्योरा निम्न प्रकार है :--

1969-70--निम्बूचोर, मेवाकोट, गोरखपुर, घमन्डपुर, कोल्टा, पदमपुर, नन्दपुर, दुर्गापुर, कलालघाटी, मानपुर, लक्षमनपुर, लूधापुर, बालागंज, जसोधापुर।

1970-71--अमसोर, देवीलाल, बेत्वा, दादामन्डी, बोन्धा।

1971-72--फरसूजा, सीलातल्ला, सीला मल्ला, मुरेना, अल्दवा, बड़ी गोदी, छोटी गोदी, चपरा, गोदली, हर्रासिंहपुर, रतनपुर, सीगाडी, औनथा, किथनपुर, सकाली, सेहरी, हनुमती, जुगालसेन, डबी, सिंदरी, बरहा, पाली, सिरसू, सेगवान, एथा, पुरानकोट, कसलीरामपुर, चमसुधार, बयाली, नागधर, ढीर, रीथालाल, कुरखियाल, दहाली, थिरेनखाला, बेजरी, थालीसेन, सीयून्सी, मुसेती, दुमेला मल्ला,

डुमैला तल्ला, खेरा तल्ला, खेरा मल्ला, नवगांव, ककरोडा, आगर, जेदीलाल, सुकाई, जिवाई, पिलरासन, पाखरी, और अन्य स्थानों के बारे में सर्वे किया जा रहा है।

वित्त इकोनामिक प्लानिंग सेल की स्थापना

11--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वित्त विभाग में इकोनामिक प्लानिंग सेल की स्थापना हो गई है ? यदि हां, तो कब से और इसने 31 अक्तूबर, 1971 तक कौन-कौन से कार्य सम्पादित किए हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। वित्त इकनामिक प्लानिंग सेल की स्थापना 12 सितम्बर, 1968 को हुई थी तथा इस सेल द्वारा 31 अक्तूबर, 1971 तक संपादित किये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ड" आगे पृष्ठ 292पर)

बस्ती जिले के लाइन मैन, इन्सपेक्टर तथा कर्मचारियों का बकाया वेतन तथा टी० ए०, डी० ए०

12--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में अक्तूबर, 1968 से 15 जुलाई, 1971 तक कितने लाइनमैन एस० एस० ई० तथा लाइन इन्स्पेक्टर एवं अन्य कर्मचारियों का डी० ए०, टी० ए० एवं वेतन बाकी है? और क्या कोई शिकायती-पत्र विद्युत् मंत्री को मार्च, 1970 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो वेतन तथा भत्ता और यात्रा भत्ता कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उपलब्ध सूचना के आधार पर उक्त अवधि में 7 लाइनमैनों, 2 सब-स्टेशन अटेन्डेन्ट तथा 10 अन्य कर्मचारियों के पैसे बाकी हैं। उनके भुगतान करने की यथाशीघ्र कार्यवाही हो रही है। एक लाइनमैन का पत्र दिनांक, 18 मार्च, 1970 विभाग में 29 अप्रैल, 1970 को प्राप्त हुआ और उसे 7 मई, 1970 को निस्तारण हेतु राज्य विद्युत् परिषद् को भेज दिया गया था।

गोंडा जिले के निजी तथा राजकीय नलकूपों का विद्युतिकरण

13--श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गोंडा जिले में किस-किस तहसील में कितने-कितने राजकीय व निजी विद्युत् नलकूपों को अक्तूबर, 1971 तक कनेक्शन दिया था तथा वर्ष 1972 के अन्त तक कितने और कनेक्शन दिये जायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला गोंडा में अक्तूबर, 1971 के अन्त तक कुल 1,753 निजी नलकूपों व 204 राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया जिनका तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है :—

तहसील का नाम		निजी नलकूपों की संख्या	राजकीय नलकूपों की संख्या
गोंडा	..	676	78
उतरौला	..	364	49
बलरामपुर	..	362	53
तरबगंज	..	351	24

वित्तीय वर्ष 1971-72 के अन्त तक 300 निजी नलकूपों व 5 अन्य राजकीय नलकूपों को कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ।

14—श्री श्रीराम सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले में किस-किस विकास खन्ड के कितने-कितने ग्रामों में 31 अक्तूबर तक बिजली लग गई है तथा चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने और ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रोग्राम है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सम्पूर्ण गोंडा जिले में 31 अक्तूबर, 1971 तक कुल 475 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है जिनका विकास खण्डों के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण है :—

1—मंझरी	..	..	..	62
2—इटियाथोक	..	..	..	58
3—करनैल गंज	..	..	..	14
4—परसपुर	..	..	..	16
5—डलधनमऊ	..	..	..	19
6—नवाबगंज	..	..	..	48
7—कटराबाजार	..	..	..	1
8—बलरामपुर	..	..	..	78
9—तुलसीपुर	..	..	..	18
10—गैसड़ी	..	..	..	2
11—पचपेड़वा	..	..	..	—
12—अमनजोत	..	..	..	18
13—छपिया	..	..	..	9
14—रुपईडीह	..	..	..	3
15—मनकापुर	..	..	..	34
16—गेडासबुर्जेग	..	..	..	—
17—तरबगंज	..	..	..	42
18—उत्तरोला	..	..	..	27

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में इस जनपद के लगभग 340 गांवों के विद्युतीकरण का प्रोग्राम है ।

हाइडिल विभाग, अलीगढ़ के भण्डार का वार्षिक सत्यापन

15—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाईडिल विभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़ स्थित भन्डार का वार्षिक सत्यापन (Physical Verification) कब से नहीं हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अलीगढ़ में स्थित हाइडिल विभाग के निम्नलिखित चार भंडार हैं जिनका वार्षिक सत्यापन (फिजकल वेरीफिकेशन) पिछली बार उनके सामने दिये हुये महीने में हुआ है:—

(1) विद्युत् अनुरक्षण खंड भंडार—जुलाई/अगस्त, 1971
(2) विद्युत् परीक्षण खंड केन्द्रीय भंडार—मई, 1970 भंडार
(3) संरक्षण एवं सहायक प्रयोगशाला भंडार—जून, 1971
(4) विद्युत् प्रसारण निर्माण खंड भंडार—मार्च, 1971

हाइडिल विभाग, अलीगढ़ डिवीजन द्वारा दिये गये डेमरेज

16—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हाईडिल विभाग, अलीगढ़ डिवीजन द्वारा डेमरेज के रूप में वर्ष 1969–70, 1970–71 में कुल कितनी धनराशि रेलवे विभाग को देनी पड़ी है ?

श्री नारायणदत्त तवारी—

अलीगढ़ में स्थित हाईडिल के निम्नलिखित तीन खंड है । इन खंडों द्वारा 1969–70, 1970–71 में रेलवे विभाग को दिये गये डेमरेज की धनराशि उनके सामने दी गई है :—

क्रम-सं०	खंड का नाम	वर्ष 1969–70	वर्ष 1970–71	योग
1	विद्युत् अनुरक्षण खंड ..	1,183–90	20,656–20	22,040–10
2	विद्युत् परीक्षण खंड ..	928–00	374–10	1,302–10
3	विद्युत् प्रसारण निर्माण खंड	1,074–00	11,875–00	12,949–00
	कुल योग ..	3,185–90	33,105–30	36,221–20

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पम्पिग सेट्स तथा निजी नलकूपों का विद्युतीकरण तथा उन पर होने वाला व्यय

17—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामों एवं कितने निजी नलकूपों तथा पम्पिग सेट्स के विद्युतीकरण का लक्ष्य सामान्य कार्यक्रम (नार्मल स्कीम) जमा योजना (फुल डिपाजिट स्कीम) और कार्मशियल स्कीम के अन्तर्गत पृथक-पृथक निर्धारित किया गया है ? और उपरोक्तानुसार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ? ग्रामीण उपभोक्ताओं को उद्योग धन्धों के लिये बिजली देने हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने 2 लाख निजी नलकूप, पम्पसेटों का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। इसका ब्योरा इस प्रकार है।

सामान्य कार्यक्रम (नार्मल स्कीम) ..	. ..	1,00,000 नलकूप
कार्मशियल योजना ..	.. .. ..	90,000 नलकूप
जमा योजना ..	.. ..	10,000 नलकूप
योग ..		2,00,000 नलकूप

उपरोक्त 2 लाख निजी नलकूपों का विद्युतीकरण करने के लिये योजनावार निम्न 88.5 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है :

सामान्य कार्यक्रम ..	.. ..	45.0 करोड़ रुपये
कार्मशियल योजना ..	.. ..	40.5 करोड़ रुपये
जमा योजना ..	.. ..	3.0 करोड़ रुपये
योग ..		88.5 करोड़ रुपये

इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना में 9 करोड़ रुपये की लागत से 15,000 नये ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 6 करोड़ रुपये की लागत में लगभग 7,500 ग्रामीण उद्योग धन्धों के लिये कनेक्शन देने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

श्री कल्याण सिंह--

18--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1971-72 में जिला अलीगढ़ में किस-किस विधान सभाई क्षत्र में कितन ग्रामों में, नलकूपों एवं पम्पिग सेट्स के विद्युतीकरण का लक्ष्य क्रमश: सामान्य कार्य-क्रम जमा योजना एवं कार्मशियल स्कीम के अन्तर्गत किन-किन आधारों पर निश्चित किया गया है? उपरोक्त विधान सभाई क्षेत्रों में ग्रामीण उपभोक्ताओं को उद्योग धन्धे के लिये कितनी-कितगी धनराशि व्यय की जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अलीगढ़ जिले में इस वर्ष 40 गांवों, 800 निजी नलकूपों व पम्पिग सेंटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य सामान्य व 800 का जमा व व्यापारिक योजना क अन्तर्गत है। चूंकि ग्रामों, निजी नलकूपों व पम्पिग सेटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया जाता है, तहसीलदार अथवा विधान सभा क्षेत्रानुसार नहीं, अत: यह बताना कठिन है कि अलीगढ़ जिलें के किस-किस विधान सभाई क्षेत्रों में कितने-कितने गांवों व नलकूपों का विद्युतीकरण इस वर्ष (1971-72) किया जायेगा। वसे सम्पूर्ण अलीगढ़ जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत इस वष में लगभग 71 लाख रुपये व्यय करन की योजना है।

चौधरी गिरधारी लाल का विरोधी दल के नेता पद से त्याग-पत्र देने तथा सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। माननीय चौधरी गिरधारी लाल जी ने विरोधी दल के नेता से त्याग-पत्र दिया है, इसकी मैं सूचना आपको देता हूं। अब इस समय सदन में विभिन्न

दलों के माननीय सदस्यों की संख्या इस प्रकार है :—

कांग्रेस	..	230
कांग्रेस (संगठन)	..	54
भारतीय क्रांति दल	..	56
जनसंघ	..	41
सोशलिस्ट पार्टी	..	18
कम्युनिस्ट पार्टी	..	4
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	..	1
स्वतन्त्र पार्टी	..	2
निर्दलीय	..	8
मुस्लिम मजलिस	..	1
रिक्त स्थान	..	9
असम्बद्ध	..	2

अब इसमें जो औपचारिक कार्यवाही होनी है, जब हो जायेगी तब मैं आपको सूचना दे दूंगा कि विरोधी दल का नेता यहां कौन हुआ। वैसे अध्यक्ष जी के पास मैं आदेश के लिये कागज भेज रहा हूं और एक-आध दिन में इसकी घोषणा हो जायेगी।

एक सदस्य—

जब आपने फिगर्स दे दी है तो कौन सी बात रह जाती है.....

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा मैंने निवेदन किया, इसमें औपचारिक कार्यवाही होनी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज आपने त्याग-पत्र स्वीकार किया है तो सदन में कोई विरोधी दल का नेता नहीं है। अतः मैं निवेदन करुंगा कि यह जो औपचारिकता है उसके हिसाब से चौधरी चरण सिंह को विरोधी दल के नेता के रूप में एलान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आज ही एलान करुंगा। यह पत्र जो मुझे मिला है उसे मैं स्पीकर साहब के पास भेज रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बीच में क्या होगा यह एक वैधानिक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो नियमानुसार होता है वही हिसाब रहेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आज तो आपने स्वीकार कर लिया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैंने नहीं कहा कि मैंने त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है। मैंने तो कहा है कि मैं त्याग-पत्र औपचारिक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। जैसे ही मुझे त्याग-पत्र स्वीकार होने की सूचना प्राप्त हो जायगी मुझे आज ही अपरान्ह में, एलान करने में कोई हिचक नहीं होगी।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

बी० के० डी० के नेता, जिसमें 56 सदस्य हैं, श्री जयराम वर्मा हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मुझे सुझाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

मैं समझता हूं, मान्यवर, कि जो परिपाटी है उसके हिसाब से चौधरी चरणसिंह जी को विरोधी दल के नेता के रूप में स्थान दे दिया जाय। वह यहां आकर बैठें।

श्री उपाध्यक्ष——

नियम की स्थिति यह है। इस अधिनियम में पदावधि 'नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया है। अगर अध्यक्ष के आदेश आज ही हो जाते हैं तो मैं इसका एलान जल्दी ही कर दूंगा। अभी तो उन्होंने त्याग-पत्र दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी——

मेरा यह प्रश्न नहीं है, तब तक क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष——

यह सर्वविदित नियम है, ऐसी स्थिति में जैसा होता है वैसा रहेगा।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी का भ्रम इस सिलसिले में जो है उसको दूर कर देना चाहता हूं। कान्स्टीट्यूशन में अपोजीशन के लीडर का कोई स्थान नहीं है। लिहाजा बिना अपोजीशन के लीडर से काम चल सकता है, उसके अन्दर कोई कानूनी नुक्स नहीं रहता।

श्री उपाध्यक्ष——

चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। इसका एक नियम और कानून है। जैसा माननीय गिरधारीलाल जी ने अपनी मर्यादा के अनुरूप कार्य किया है और जैसा चौधरी साहब कर रहे हैं यह उनका कर्त्तव्य था और मैं भी अपने कर्त्तव्य के पालन की चेष्टा करूंगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों पर विचार एवं पारण के लिये की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सूचना दे रहा हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 30 दिसम्बर, 1971 की बैठक में सदन के दिनांक 4 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में शिफारिश की है कि उस दिन सदन सायंकाल 4 बजे तक उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और कर का वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर एवं उसके उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा उनका पारण हो। माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अपनी 30 दिसम्बर, 1971 की बैठक में सदन के दिनांक 4 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गयी यह सिफारिश कि उस दिन सायंकाल 4 बजे तक उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर एवं उसके उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा उनका पारण हो, को यह सदन स्वीकार करता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता था। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का ताल्लुक तो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 और उसके उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 दोनों विधेयकों पर विचार करने से था। समिति की यह आम राय थी कि इन दोनों विधेयकों के लिये कम से कम एक दिन रखा जाय। अगर इसके तरह से होगा तो.... (व्यवधान)

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दोनों विधयकों को एक साथ न रखा जाय। अलग-अलग रखा जाय। कई माननीय सदस्यों की राय थी कि दोनों विधेयक महत्वपूर्ण हैं, उन पर विचार हो। माननीय मही लाल जी ने कहा था, यह नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और यह कार्य सूची में शामिल कर लिया जायगा। जहां तक हो सकेगा करेंगे और अगर नहीं हो सकेगा तो नहीं करेंगे। यह प्रस्ताव रखा गया था उसको पूरा करने में कोई अड़चन नहीं है इसलिये आपके राय के लिये रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अपना 30 दिसम्बर, 1971 की बैठक में सदन के दिनांक 4 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गयी सिफारिश कि उस दिन सायंकाल 4 बजे तक उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली, (संशोधन) विधेयक, 1972 पर एवम् उसके उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा उनका पारण हो, को यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1971 को वापस लेने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री जी (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1971 के वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1971 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा प्रदान करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 293 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 पुरःस्थाति करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी को इस काले कानून को जो संशोधन के रूप में आया है, रखने की आज्ञा न दें । मुझको इसकी इजाजत दी जाय कि मैं इसके बारे में इस पर प्रकाश डाल सकूं । इस प्रकार का संशोधन इस सदन में नहीं आना चाहिये और सरकार को इस तरह की इजाजत नहीं देनी चाहिये । मैं इस काले कानून का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

विरोध करने से आपको कोई नहीं रोकता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सिद्धान्ततः इस संशोधन विधेयक को सदन में नहीं आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको विरोध करने के अधिकार है परन्तु इसके लिये कुछ नियम बने हुये हैं और उसके अनुसार ही आपको चलना पड़गा । यदि इस प्रकार का कोई विरोध किया जाता है तो सदस्य के द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकती है । वह बिना वाद-विवाद के ही प्रश्न रख सकेंगे । इस प्रकार से दो व्यवस्थायें नियम में दी हुई हैं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं केवल संक्षिप्त रूप में ही अपने विचार इस पर रखना चाहता हूं। एक तो विधायिनी शक्ति की बात है जो हमको मिली है। हमारा सिद्धान्तों पर ही मतभेद है। आप कृपा करके मुझको अपनी बात कहने की इजाजत दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने यह संशोधन इस बात के लिये किया है कि केवल एक ही व्यक्ति को हटाने के लिये यह संशोधन लाया गया है। अब प्रश्न तो केवल इतना सा है कि इस सदन में केवल एक ही व्यक्ति का राज्य चलेगा, माननीय लक्ष्मी शंकर यादव का। प्रदेश में जो भी व्यवस्था की गई है इस अध्यादेश के जरिये उसके आधार पर एक ही प्रकार की व्यवस्था सभी स्थानों पर की गई होती। जितने भी कोआपरेटिव बैंक्स हैं उन सभी बैंकों में जितने सभापति थे उन सभी लोगों को हटाया गया होता और उस स्थान पर सरकारी आदमी नियुक्त किये गये होते। जो कोआपरेटिव बिल सदन ने पहले पास किया था उसकी मंशा थी कि सरकारी आदमियों के हाथ से असरकारी आदमियों के हाथ में सहकारिता का काम सौंपे। परन्तु इस संशोधन विधेयक के द्वारा सहकारिता का असरकारी के बजाय सरकारी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पहले आपने देखा ही है कि कोआपरटिव फेडरेशन में क्या किया गया, उसके डाइरेक्टर को हटाया गया फिर उसके बाद अपने मन पसन्द डायरेक्टर को वहां पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार से किया जा रहा है। इस संशोधन विधेयक के जरिये सहकारी समितियों में सरकारीकरण होता चला जायगा और सहकारिता का इस प्रदेश से नाम भी मिट जायगा। हमारे नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रदेश में और देश में सहकारिता का आन्दोलन चलाया और उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में और देश में सहकारिता के जरिये खेती भी हो सकती है और हम अपना पूर्ण विकास कर सकते हैं परन्तु कितने दिन इस प्रकार की उच्च भावना यहां पर रही। उनका नाम लेनेवाले जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं और इस प्रकार का काम करने के लिये तैयार हो रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के जिम्मे सहकारिता का काम सौंपने के लिये आज हमारी सरकार तैयार हो गई है। मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश में सहकारिता का आन्दोलन किस प्रकार से चल सकता है। इतना ही नहीं इस बात को भी मद्देनजर रखा गया कि जनता के क्या मौलिक अधिकार हैं। जब से यह अध्यादेश जारी हुआ है और उसके स्थान पर जो संशोधन विधेयक आने वाला है, अगर यह देखा जाय तो साफ जाहिर हो जायगा कि केवल एक व्यक्ति के लिये इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया। यह इस बात को जाहिर करता है कि इस सरकार की मनोवृत्ति क्या है और इसकी मंशा क्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे सहकारिता के आन्दोलन में इस प्रकार के काले कानून को आप इस सदन में पेश करने की इजाजत न दें। मैं सरकार से और मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस विधेयक को वापस ले लें। इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। यह आपके विचारों के अनुरूप संशोधन विधेयक नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति के विचार का हो सकता है लेकिन आपके विचार का नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इसको वापस ले और आप भी इसको सदन में रखने की अनुमति न दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर दूसरा नहीं बोल सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री--

नियम 123 का इसमें पालन नहीं किया गया है। किसी माननीय सदस्य को कोई प्रति नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी दो आपत्तियां हैं। समय से प्रतियां नहीं दी गईं और इसको पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न दी जाय।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जहां तक प्रति का सवाल है मैं समझता हूं कि वे भेज दी गई हैं।

अनेक सदस्य--

वह नहीं भेजी गई हैं। हम लोगों को नहीं मिली हैं।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जहां तक दूसरा सवाल पुरःस्थापित करने के विषय में है इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। जिन बातों को उन्होंने रखा है वे सब बातें जिस समय वह विधेयक विचार के लिये यहां पर आयेगा उन सब बातों पर विचार होगा। इसलिये इसको पुरःस्थापित होना चाहिये।

श्री रामधारी शास्त्री--

नियम 123 में यह साफ लिखा हुआ है कि जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों। आज भी नहीं मिली हैं। यह नियम की अवहेलना नहीं तो क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

इसी नियम में आपको भी अधिकार दिया है। तो आप भी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 123 में यह लिखा है कि नियम 114 के अधीन रखते हुये किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायगी परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों।

श्री रामधारी शास्त्री--

जब तीन दिन का समय हो जाये तभी वह ला सकते हैं। तभी इसको लाना चाहिये। प्रति पहले मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

विचार के लिये जब आयेगा तब आप ऐसा कह सकते हैं। यह केवल पुर स्थापन है।

श्री रामधारी शास्त्री--

आप देख लें, 4 तारीख तक के लिए हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो सिर्फ इसका पुरःस्थापन होने की बात है, विचार तो आपके विचार सुनने के बाद होगा। उस समय आपने आपत्ति नहीं की और इस समय आप चाहते हैं कि.....

(श्री बांके लाल के पुनः खड़े होने पर)

आप (श्री बांके लाल) कुछ कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य नहीं हैं। लेकिन जो उसके सदस्य हैं, वे ऐसी आपत्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मेरे लिए आपने कहा---जो चाहे सो कह सकते हैं, तो आप भी जो चाहे कहते रहते हैं, आप भी विधान की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह प्रज्यूम किया गया कि प्रतियां दी जाएंगी, किन्तु यह कैसे प्रज्यूम कर लिया गया कि प्रतियां नहीं दी जाएंगी। कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय तो अपनी जगह ठीक है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य था, आप मेरी बात सुन लें कि वास्तविकता क्या थी। वहां पर जो बात चल रही थी, यह प्रतिलिपियां किसी ने देखी नहीं थीं। यह तय हुआ था कि पहले यह बंटवाई जाएंगी, तब लाया जाएगा। आप पहले पुरःस्थापन करा रहे हैं, प्रतियां किन्तु बंटी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिए, आप ने आज भी स्वीकार कर लिया है। समय की जो अपेक्षा है, उसको पूरा नहीं किया गया यह सही है, यह आपने भी आपत्ति नहीं की। उस समय और अभी भी आपने स्वीकार किया, इसलिए समय की अब पाबन्दी लगाना हमारे लिए ठीक नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कब इसके लिए हम लोगों ने स्वीकार किया था? क्या कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि बिना प्रतियां दिये हुये लाया जाए? बिना प्रतियां बंटे हुए पुरःस्थापन करने की बात कहीं नहीं थी। रामधारी शास्त्री का यह प्रश्न नितान्त नियमानुकूल है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जब कहते हैं 4 तारीख को विचार हो, तो उसका मतलब है कि मंजूर कर लिया है और आज पुरःस्थापन भी नहीं होने देना चाहते हैं, यह कैसे ठीक है?

श्री कल्पनाथ सिंह---

4 तारीख को यह कहां है?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

नियम 123 में पुरःस्थापन करने से पहले प्रतियां देना जरूरी है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

यदि आप कहें कि 15 दिन की नोटिस नहीं दी गई और विधान सभा बुलाई गई तो आप कैसे लेंगे, जब समय से नहीं है। किन्तु आप उससे पूरी तरह सहमत हुये। आपने कार्य मंत्रणा

समिति में समय के बारे में स्वयं उदार नीति बरती है और यह निर्णय किया कि 4 तारीख को लिया जायगा तो उसमें भी यही चीज लागू होती है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

4 तारीख की सूचनानुसार एजेन्डे पर यह है ---इंटरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) विधेयक और उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन)---4 तारीख के लिये यह है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने अभी पुछवाया था---सभी के पिजेन होल में यह प्रतियां हैं।

श्री रामधारी शास्त्री---

नहीं हैं, मैंने यहां निवेदन करने के पहले दिखवाया था।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे अभी सूचना मिली है कि इस समय वहां हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस बहस के दौरान रख दिया गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

हो सकता है, लेकिन मैं यह नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं आपके सामने यहां बैठा हुआ हूं। समय के बारे में कार्य मंत्रणा समिति ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

श्री उपाध्यक्ष---

जितने और बहुत से विधेयक आ रहे हैं उनके बारे में भी अनुज्ञा मांगी गयी है, यदि लागू होता है इसके बारे में, इसको मैं खारिज करता हूं। अब रह गया दो। इस पर माननीय कल्पनाथ सिंह ने जो राय जाहिर की और माननीय मंत्री जी ने जो राय जाहिर की है, मैं आपके सामने प्रश्न रख देता हूं, आप गिरा दीजिये या स्वीकार कर लीजिये।

श्री रामधारी शास्त्री---

जो रखा गया है कागज अभी वह सहकारिता सम्बन्धी अध्यादेश है, विधेयक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यादेश 31 को रखा गया था।

श्री रामधारी शास्त्री---

वह विधेयक नहीं रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको मिलेगा। यह बात सही है कि आप को मिलना चाहिये। मैं देखूंगा कि समय से मिलता है। आगे प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

यह अधिनियम मैं 11 बजे लाया हूं। मेरे पास है। पता नहीं रामधारी जी...

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः-स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन विधेयक 1972) को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 304 पर)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

एक कार्य स्थगन-प्रस्ताव आया था श्री हरिवंश सहाय जी का जो काशी विश्वविद्यालय एवं बनारस के विभिन्न डिग्री कालेजों के छात्रों में असंतोष के विषय में है। विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कल माननीय मंत्री जी की राय आपने सुनी थी। इस पर अलग से वक्तव्य दिया जायगा। अस्वीकृत किया गया है।

दूसरा प्रस्ताव सर्वश्री बंशीधर पांडेय, कल्पनाथ सिंह, रामबिलास पांडेय तथा सुरेन्द्र विक्रम का है जो प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप जनता में असंतोष के विषय में है। इस पर मैंने सरकार को लिखा है कि वह कब बहस के लिये तैयार हो सकेगी। इसके बारे में सारे आंकड़े की तैयारी होनी चाहिये। इसका समय बाद में निश्चित किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तीसरा प्रस्ताव श्री शम्भूनाथ चौधरी का है जो बलिया जिले के उजियार घाट को अनियमित ढंग से तथा कथित बदनाम ठेकेदार को अनिश्चित काल के लिये ठेके पर दे दिये जाने के सम्बन्ध में है। इसको भी सरकार के पास कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

शम्भूनाथ चौधरी वाले में आपने क्या किया है

श्री उपाध्यक्ष—

इसे सरकार के पास कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। इस पर एक सवाल भी मंजूर किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने निवेदन किया था कि नियम 52 के अन्तर्गत ढाई घंटे की बहस प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के प्रश्न पर करा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जो बेकारी या महंगाई की समस्या है वह प्रदेश भर की समस्या है। इस पर जब सरकार का दृष्टिकोण मैं समझ लूं तब समय दे सकूंगा।

पाकिस्तान के आक्रमण, बंगलादेश की मुक्ति, भारतीय सेना की वीरता, केन्द्रीय सरकार के परिपक्व नेतृत्व तथा रूस एवं पोलैण्ड के सहयोग के संबंध में प्रस्ताव—(क्रमागत)†

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

माननीय, उस दिन आप की आज्ञा से आदरणीय सदन के सम्मुख मैंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था। वास्तव में वह प्रस्ताव एक ऐसी घटना से सम्बन्धित है जिसकी सारे जगत में बहुत चर्चा है और जिस पर आज दुनिया में बहुत से देशों में बहुत अकुलाहट है, जिसकी घटना के फलस्वरूप बहुत से देशों में बौखलाहट हुई और जिस घटना ने जगत के इतिहास में एक नये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†31 दिसम्बर 1972 की कार्यवाही से।

इतिहास की सृष्टि की। मान्यवर, द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारी मातृ-भूमि की धरती पर दो घटनायें ऐसी घटित हुईं जिन्होंने संसार के इतिहास को एक नया मोड़ प्रदान किया और उसकी जो सब से महत्वपूर्ण घटना थी वह उस समय हुई जब भारत स्वाधीन हुआ। एक ऐसा देश जो कई शताब्दियों से पराधीन था जिस पर एक विदेशी सत्ता राज्य कर रही थी जो कि उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शिकार था, जिसकी बुनियाद पर साम्राज्यशाही टिकी हुई थी, वह देश द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता भी अर्जित की गई एक नये प्रकार की युद्ध प्रणाली से एक नये प्रकार की क्रांतिशैली से, जिसके फलस्वरूप संसार का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। हजारों व्यक्तियों से बसा हुआ यह देश, विभिन्न भाषा-भाषी देश, विभिन्न धर्मों को मानने वाला यह देश, भिन्न-भिन्न प्रकार के रहन-सहन व खान-पान वाला यह देश राष्ट्रीयता के आधार पर एक सूत्र में आबद्ध हुआ था और बिना शस्त्र उठाये गांधी जी के देवोत्तर नेतृत्व में देश की स्वाधीनता का संघर्ष किया और साम्राज्यशाही वहां से विलीन हुई। बहुत से कारण थे जिनसे हमारे देश को स्वतंत्रता संग्राम का प्रोत्साहन मिला और हम स्वाधीन हुये। भारत की स्वाधीनता ने कदाचित् सारे संसार की मानवजाति को एक नया मोड़ प्रदान किया। जनता का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ और न जान जगत की कितनी दबी हुई जातियां जो साम्राज्यशाही का शिकार थीं व मुक्त हुईं और संसार की सब से बड़ी साम्राज्यशाही जो सारे इतिहास में अभूतपूर्व थी, वह विघटित हुई। हमारा देश स्वाधीन हुआ और हमारे देश के पास-पड़ोस के कई अन्य देश भी स्वाधीन हुये। लंका स्वाधीन हुआ, बर्मा स्वाधीन हुआ, मिस्र स्वाधीन हुआ और दक्षिणी-पूर्वी एशिया के और देश स्वाधीन हुये, अफ्रीका की बहुत सी जातियां स्वाधीन हुईं जो कि साम्राज्यशाही की गुलाम थीं। जो देश स्वाधीन नहीं हुये उनमें स्वाधीनता के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा और स्फूर्ति उत्पन्न हुई। उसके फलस्वरूप जगत का नक्शा वैसे ही बदला हुआ था, भारत की स्वाधीनता ने उस सारे मानचित्र को उलट-पुलट दिया और साम्राज्यवाद के तख्त के ऊपर जो ब्रिटिश शासन हुकूमत कर रहा था वह समाप्त हुआ। उस घटना को बीते हुये बीसियों वर्ष हो गये। हमारे देश का नक्शा उस काल में बदला। स्वाधीनता के संघर्ष में हम एकसूत्रता में आबद्ध थे और हमारा देश एक विशाल देश था। स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही साथ हमारे देश में भी बंटवारा हुआ। एक हिस्सा पूर्व में पाकिस्तान का और एक हिस्सा पश्चिम में पाकिस्तान का और देश का बंटवारा हुआ। दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर, साम्राज्यवाद की बुनियाद पर देश का बंटवारा हुआ। जहां हमने अपनी स्वाधीनता अर्जित की वहां दुर्भाग्य से यह घटना भी घटी और हमारे देश का जो मान-चित्र था उसमें भी परिवर्तन हुआ। आज इतने वर्ष के बाद पुनः एक नयी घटना हमारे देश में घटी और उसने सारे संसार के आज के मान-चित्र को बदला है, विचारों पर उसने प्रभाव डाला है लोगों की दृष्टियां घूमी हैं और जैसा मैंने निवेदन किया कुछ लोग अगर व्याकुल और परेशान हैं तो कुछ बौखलाहट में पड़े हुए हैं। बंगला देश का उदय हुआ और अब वह अभ्युदय के मार्ग पर अग्रसर है। बंगला देश आधुनिक युग में पूंजीवाद का एक प्रतीक बन रहा था। पाकिस्तान की रचना से हमारे देश को कोई प्रसन्नता हुई हो ऐसी बात नहीं थी पर जब पाकिस्तान की रचना हो गयी, दुर्भाग्यवश हो गयी और गलत आधारों पर हो गयी और वह अस्तित्व में आ गया तो इस देश की नीति यह थी कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ संभव हो तो अत्यन्त घनिष्ठ और वह संभव न हो तो मैत्री का संबंध हम बनाये रखें। बार-बार इस बात की चेष्टा की गई कि पाकिस्तान जब बन गया हमारे पड़ोस में तो वहां की जनता के साथ अथवा उस देश के साथ हमारे संबंध कुछ मैत्री के हो जायं या कम से कम ऐसे हो जायं जो एक पड़ोसी के पड़ोसी के साथ होते हैं। दुर्भाग्य की बात थी कि यह सारा प्रयास हमारा विफल हुआ। मान्यवर, वह विफल होता भी क्योंकि स्वभावतः हमारे और उनके दृष्टिकोण में ही भेद था। हम भी स्वाधीन हुए और पाकिस्तान भी स्वाधीन हुआ। दो देश बने। दोनों स्वाधीन देश बने। पर हमने अपने जीवन की रचना जिन

[श्री कमलापति त्रिपाठी—]

आदर्शों और सिद्धान्तों के ऊपर आरंभ की उसने पाकिस्तान का दृष्टिकोण बिल्कुल ही भिन्न था, भारत ने स्वाधीनता अर्जित करते ही लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना पग बढ़ाया। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया और धर्म-निर्पेक्षता के आधार पर हमने देश के जीवन की रचना करने की बात सोची थी। हम जानते थे कि बहु-भाषी देश है, बहु धर्मों देश है। इस देश की स्वाधीनता तभी तक सुरक्षित रखी जा सकती है जब हमारा राष्ट्र एक राष्ट्रीयता के सूत्र में आबद्ध हो। हम यह जानते थे कि उस राष्ट्रीयता का जन्म तब तक हो नहीं सकता जब तक कि हमारे जीवन की रचना धर्म-निर्पेक्षता के आधार पर न हो। धर्म-निर्पेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध नहीं था। धर्म-निर्पेक्षता का अर्थ सब धर्मों के प्रति शासन का समाज का एक सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण था। प्रत्येक अपने धर्म के अनुसार जीवन-यापन कर सकता है पर शासन अथवा समाज धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद-भाव किसी के साथ न करेगा, यह संविधान की घोषणा हुई। यही धर्म-निर्पेक्षता का आधार था और वह आवश्यक था हमारे देश के लिये। वैसे इस भारत की यह संस्कृति ही धर्म-निर्पेक्षता की रही है। सर्वदा से ऐसा अपना दावा है और विचार है। यह हमारे आदर्शों से और हमारे इतिहास से सिद्ध है फिर भी हमने उसे और भी अनुप्रमाणित करने की चेष्टा की, इस कारण कि राष्ट्रीय एकता के बिना लोकतंत्र और देश की स्वाधीनता सुरक्षित न रहेगी।

देश की स्वाधीनता को जब धक्का लगा था तो अपने देश की अनेकता के कारण और राष्ट्रीयता की हीनता के कारण लगा था, इतिहास से हमने शिक्षा ग्रहण की थी। उस आधार पर हमने धर्म-निर्पेक्ष राष्ट्र बनाने की चेष्टा की। लोकतंत्र को जीवन का, समाज का और शासन का एक बड़ा आधार स्वीकार किया और वह व्यवस्था अपने देश में परिपालित की। भारत में लोकतंत्र, धर्म-निर्पेक्षता और सामाजिक न्याय और आर्थिक विषमता को दूर करके सारी भू-शक्ति को राष्ट्र की, देश की जनता के हाथों में समर्पित करके नये भारत की रचना आरम्भ की। पाकिस्तान ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया, धर्म की बुनियाद पर एक दूसरे राष्ट्र की बुनियाद पर जिसको हमारे देश में स्वतंत्रता के युद्ध में प्रसारित किया था। भारत में दो राष्ट्र बने। उनका राष्ट्र जब धार्मिक आधार पर बना तो स्वाभाविक था कि घृणा और द्वेष के आधार पर उसने अपना कार्य आरम्भ किया। फलस्वरूप हमारे देश पर उनका चौथा आक्रमण हुआ जो तीन दिसम्बर को हुआ था। बावजूद हमारी चेष्टाओं के कभी उन्होंने मैत्रीपूर्ण या पड़ोसी का दृष्टिकोण नहीं अपनाया। यह बुनियाद वही थी जो हमारे लिये तकलीफ और परेशानी की बात बनी रही।

बंगला देश पाकिस्तान का एक पूर्वी हिस्सा था। एक प्रकार से उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता रहा जैसा कि एक उपनिवेश के साथ होता है। एक उपनिवेश की सूरत में उसके साथ पाकिस्तान की सरकार ने वैसा ही वर्ताव किया। स्वाधीन हम लोग साथ-साथ हुये। पाकिस्तान में धर्म-निर्पेक्षता की तरह धर्मोन्माद और विद्वेष का आधार पकड़ा गया और वहां सैनिक तानाशाही का जन्म हुआ। मैत्रीपूर्ण और पड़ोसी की भावना से जीवन यापन की बात तो दूर, शत्रुता की भावना से ओत-प्रोत की गई और थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन की शक्ति वहां सेना के माध्यम से एकत्र की गई और जहां बंगला देश में उपनिवेशवाद की चाल से पकिस्तान में सैनिक तानाशाही का जन्म हुआ और आज बंगला देश की घटनाओं के संबंध में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य हैं और हमारे सदन के बाहर भी देश के कोने-कोने में इन घटनाओं का पूरी तरह से ज्ञान लोगों को हो चुका है।

कहा जाता है कि पिछले दस वर्षों से बंगला देश का शोषण होता रहा और उन्हें वे अधिकार प्राप्त नहीं थे जो मनुष्य को होते हैं और सारी शक्ति वहां कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में, पश्चिमी पाकिस्तान के उस गुट के पास थी जो सेना और सस्त्र के आधार पर खड़ा हुआ था और जिसकी

ओर से न केवल शोषण, न केवल अत्याचार और न केवल अधिकार की अवहेलना बंगला देश की होती रही है बल्कि वह देश धीरे-धीरे दुर्बल भी होता गया, गरीब भी होता गया, नंगा और भूखा भी होता गया।

यह मानी हुई बात है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जन्म नहीं हुआ। वहां घृणा और विद्वेष की नीति चली तो पाकिस्तान का विकासोन्मुख गतिशीलता का जीवन भी नहीं था। हमने अपने देश में तमाम अभावों के रहते हुये बहुत सी भूलों और गल्तियों को करते हुये भी कुछ प्रयास किये जिससे हमें उन अभावों से किसी प्रकार मुक्ति मिल सके। इसकी भी वहां कोई प्रक्रिया नहीं हुई। राज्य की सारी शक्ति, सारी सम्पत्ति और सारे राज्य का उपयोग कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के हित में किया गया। धीरे-धीरे बंगला देश में विरोध और विद्रोह की भावना भरने लगी।

एक समय आया जब शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में एक आन्दोलन की सृष्टि हुई। आन्दोलन की सृष्टि का कारण भी एक ऐसी बात थी जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण कैसा था। स्वयं पाकिस्तान की सरकार के कथनानुसार वहां पर एक चुनाव कराया गया और उस निर्वाचन में शेख साहब की अवामी लीग पार्टी बड़े बहुमत से जीती। इतना बहुमत उन्हें प्राप्त हुआ कि उन को पाकिस्तान का प्रधान मन्त्री हो जाना चाहिये था। जब बहुमत प्राप्त हो गया तो पाकिस्तान ने बंगला देश पर फिर आघात किया। वह घटना हम सब के सामने की है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिस जनता से अपनी राय, अपना वोट देने को कहा गया, उन्होंने वोट दिया और वोट देने के फलस्वरूप जो परिणाम निकला, वह परिणाम उन लोगों के लिये वांछनीय नहीं था जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी। जनता उनको अपना एक मात्र शत्रु समझती थी। उन्होंने अपने अत्याचार और अपनी पशुता के व्यवहार से यह बता दिया कि वे उनको कुचल देना चाहते थे। बावजूद इसके, शेख साहब ने ऐसे प्रस्ताव रखे जिनके माध्यम से इस मसले को हल करना नामुमकिन नहीं था। लेकिन उन प्रस्तावों को नहीं माना गया और सेनायें बंगला देश में उतार दी गयीं। आश्चर्य तो यह है, जैसा कि मैं कहता हूं,दुनियां के इतिहास में एक नये अध्याय की सृष्टि हुई कि बंगला देश की जनता ने पहले एक सत्याग्रह और अहिंसात्मक संघर्ष का सूत्रपात किया और हमको-आपको स्मरण है, सदन के सम्मानित सदस्यों को भी यह स्मरण होगा कि उसका सारे बंगला देश की जनता ने साथ दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ी और जो लोग सरकारी नौकरियों में थे, पुलिस में थे, जो वहां की अदालतों में थे अथवा कोई काम करते थे, उन सब ने उस आन्दोलन में शेख-मुजीबुर्रहमान का साथ दिया। सारे बंगला देश की जनता उनके पक्ष में रही और वह आन्दोलन अहिंसात्मक ढंग से चला। लेकिन उसको कुचलने और दबाने की कोशिश की गयी। शेख साहब से ढाका में बातचीत की गयी और उस बातचीत के बीच में चेष्टा यह हो रही थी कि फौजों को बंगला देश में उतार दिया जाय। फौजें उतार दी गयीं और कत्लेआम शुरू हो गया। उस समय बंगला देश में जो कुछ हुआ वह आधुनिक सैनिक इतिहास की एक अत्यन्त क्रूर घटना है। हम सब उस को जानते हैं और धीरे-धीरे और लोग भी उसको जान जायेंगे। लेकिन जो नहीं जानना चाहते हैं वह कभी नहीं जान पायेंगे कि किस प्रकार का गैर-उत्तरदायी नरसंहार, क्रूरता और बर्बरता का नंगा नाच वहां पर हुआ और उसने एक ऐसी दशा पकड़ी कि इस बीसवीं सदी में उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लाखों व्यक्ति मार डाले गये। गांवों के गांव जला दिये गये। निहत्थों और महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार किये गये। बुद्धिजीवियों, विद्वानों और मस्तिष्क वालों, जिनके लिये यह समझा जाता था कि उन्हीं के द्वारा यह आन्दोलन जीवित है उनका खुले-आम कत्लेआम किया गया शेख साहब को भी गिरफ्तार करके बन्द कर दिया गया। अब सौभाग्य है कि यह सुनने में आता है कि वे जीवित हैं और सारी दुनिया के बहुत से देश उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उस समय

[श्री कमलापति त्रिपाठी---]

उनको वहां ले जाया गया। वहां के जो अन्य नेता और बुद्धिजीवी थे उनकी हत्याएं की गयीं और अत्याचारों का नया दौर बंगलादेश में शुरू हो गया।

कहा यह जाता है कि यह उनका आन्तरिक मामला था। हम भी बहुत दिनों से देख रहे थे कि यह उनका आन्तरिक मामला है यह कैसा मामला है। आदर्शों का हनन हो रहा था, मनुष्यता का हनन हो रहा था। उन बुनियादों को ही बदला जा रहा था जिनके आधार पर हमारे पड़ोसी देश की रचना होने वाली थी। फिर भी हम देख रहे थे। हमारे देश के जीवन में भी एक दूसरे प्रकार की हलचल मची। करीब 1 करोड़ के, 95 लाख से ऊपर वहां के मजलूम, वहां के अत्याचार से पीड़ित, वहां के सताये हुये लोग अपने देश को छोड़ कर भागे और हमारी सीमाओं के भीतर प्रवेश किया। ये विदेशी थे। किसी विदेशी का किसी देश में आना, यह वैसे ही जुर्म होता है और उस देश को यह अधिकार होता है कि बिना अनुमति के कोई विदेशी उसके यहां आये तो उस देश के कानूनों का शिकार हो। हमें यह भी अधिकार है कि हम बलपूर्वक उसे आने न दें और अगर आ जांय तो बलात् उसे बाहर निकाल कर फेंक दें। यही अधिकार था भारत को कि जो वहां भागते हुये हमारे देश में प्रवेश करें उन्हें हम अपनी सीमाओं पर रोक दें। और इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रवेश करें तो उन्हें रोकने का एक ही तरीका हो सकता था कि जिन गोलियों से पीड़ित होकर उन्होंन अपने देश को छोड़ा था उन्हीं गोलियों का शिकार उन्हें बनाते। हमारे देश का आदर्श, परम्परा और आत्मा कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। वे बेचारे पीड़ित, वेदना से भरे हुये लोग, बालबच्चों को लिये हुये अपना सब कुछ खोकर अपना देश छोड़कर उन्होंने हमारी सीमाओं में प्रवेश किया। एक करोड़ विदेशी हमारे देश में आ गये और उसके फलस्वरूप जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा उसका केवल आर्थिक बोझ ही नहीं, बल्कि जो सामाजिक तनाव हमारे यहां उत्पन्न हुआ से देखते हुये हमारे लिये यह सोचना कि यह उनका आन्तरिक मामला है, यद्यपि वह उनका आन्तरिक मामला नहीं रह गया था, क्योंकि एक देश की जनता जब अपनी स्वाधीनता के लिये युद्ध करती है तो वह किसी देश का केवल आन्तरिक मामला नहीं रह जाता, फिर वह आदर्शों का भी प्रश्न हो जाता है, औचित्य का भी प्रश्न हो जाता है और सारी दुनिया उसकी ओर देखती है। भारत ने तो अपनी पराधीनता के काल में भी ऐसे देशों को अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया था और स्वाधीन होने के बाद जब-जब अवसर आया है तो उसने बराबर अपनी आवाज उठाई है। जो देश स्वाधीनता का संघर्ष करते हैं उन्हें हम अपनी सहानुभूति प्रदान करते हैं। फिर जब हमारे यहां एक करोड़ व्यक्ति आ गये तब तो वह हमारा आंतरिक मामला हो गया। हमारे लिये यह संभव नहीं रहा कि हम उस चीज की अपेक्षा कर सकते क्योंकि सशे हमारा आर्थिक ढांचा टूट जाता और हमारे देश की अपनी समस्यायें किस सीमा तक बढ़ जायेंगी उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे।

यह आवाज उठी इस देश से कि इन शरणार्थियों को हमारे देश में आने से रोका जाय और जो देश में आ गये हैं उन्हें फिर अपने देश में वापस जाने के लिये ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायं जिससे कि वे अपने जान व माल के संबंध में आश्वस्त हो कर अपने देश को वापस जा सकें। मैं नहीं समझ सकता कि भारत ने इस आवाज को उठा कर किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य किया। बोझ हमारे ऊपर पड़ा। हमने मांग ही क्या की थी। यह मांग थी दुनिया के उन तमाम प्रगतिशील राष्ट्रों से जो प्रगतिशीलता का बड़ा दावा करते हैं, हमारे देश के नेता, प्रधान मंत्री ने और हमारे देश की पार्लियामेंट ने यह मांग की कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो लोग आ गये हैं उन्हें यह आश्वासन प्राप्त हो कि बंगला देश में जो परिस्थिति उत्पन्न की

जा रही है वह आसानी से ठीक हो और अपनी इज्जत को लिये हुये और बचाते हुये और इज्जत के साथ वह लोग अपना जीवन-यापन कर सकें, हमारे ऊपर से यह बोझ हटाया जाय और इस मांग का करना ही पाकिस्तान के क्रोध और आक्रोश का शिकार होना हुआ। आश्चर्य यह है कि संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियां जो शक्ति तुला के गड़बड़ाने पर स्वयं गड़बड़ा जाती है उन्होंने इस अधिकारों की मांग को बड़ी उपेक्षा और उपहास की दृष्टि से देखा। यह एक-दो दिन की बात नहीं, 8–9 मास तक लगातार यह घटनाचक्र चलता रहा। इस बीसवीं शताब्दि में इस तरह 8–9 मास तक मानवता का संहार हो रहा था, मनुष्य सताये जा रहे थे और रक्त की नदियां बहाई जा रही थीं जबकि एक देश केवल अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहा था।

स्वतंत्रता के संघर्ष में बंगला देश ने जैसा त्याग और बलिदान किया है और जो उदाहरण उसने प्रस्तुत किया है वह दुनिया के इतिहास में जल्दी से ढूंढ़े नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के शासकों के कानों पर जूं नहीं रेंगी और न दुनिया के किसी राष्ट्र ने उचित कोई कदम उठाया। इस देश के संदेशवाहक उसके बाद संसार के देशों में गये, हमारे राष्ट्रपति जी भी गये, विदेश मंत्री जी भी गये, श्री जय प्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति भी गये जिनका संबंध कभी किसी सरकार से नहीं रहा है, जो सदा ही जीवन भर शांति के पुजारी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति दुनिया के देशों में घूमे। हमारी प्रधान मंत्री जी भी गयीं और सारे बड़े-बड़े देशों के राष्ट्रनायकों से मिलीं और उन्हें यहां की परिस्थितियों से अवगत कराने की चेष्टा की लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि जो लोग यह समझते हैं कि दुनिया का सूत्र उनके हाथ में है उन्होंने भी इस समस्या की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और खास-तौर से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका ने, जिनकी फंडामेंटल राइट्स की घोषणायें और उनके वह इन्डिपेंडेंस और लिबर्टी के स्टेचयूट्स और दुनियां के सामने रखे जाने वाले ह्यूमेन चार्ट्स वह सब रखे रहे और जो अपने को संसार में स्वतंत्रता का हिमायती कहते हैं उन्होंने इस समस्या के प्रति न केवल उपहास और उपेक्षा का ही दृष्टिकोण अपनाया बल्कि जिन शक्तियों की ओर से स्वतंत्रता के लिय संघर्ष करने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहा था उल्टे उनको प्रोत्साहन दिया।

इतिहास साक्षी है कि जो कुछ भारत में और संसार में हुआ है और जो यह रक्तपात हुआ है और जो यह संघर्ष हुआ है उसकी जिम्मेदारी यदि सबसे अधिक किसी पर हो सकती है तो वह अमरीका पर है। यदि उसने पाकिस्तान को इस तरह से प्रोत्साहन न दिया होता। उनकी नीति कदाचित यह थी कि इस पूर्वी उपखंड में, भारतीय महासागर में और प्रशांत महासागर में किसी अन्य शक्ति का उदय पसन्द नहीं था, वह पूर्वी उपखंड में और एशिया में एक मजबूत भारत का उदय देखना नहीं चाहता था। हम पिछले कई साल से इस बात को देख रहे हैं कि उनकी यह चेष्टा और प्रयास रहा है और उनके साथ कुछ और ताकतों का भी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष होता रहे, यह देश उभर न पाये और हमेशा एक कांटा बना रहे और यह शक्तियां आपस में संघर्षरत रहें, यह प्रगति न कर पायें और ऐसे मामलों में सदा उलझे रहें और उनकी प्रगति अवरुद्ध रहे। इसी भूमिका को अदा करके उन्होंने पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया।

हमारी अपील को किसी ने नहीं सुना और उनके न सुनने पर भी हम अपने देश में आश्वस्त बैठे थे कि कदाचित् ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी और हम बराबर बार-बार अनुनय-विनय कर रहे थ, पाकिस्तान से कह रहे थे कि वह कोई ऐसी स्थिति पैदा करे कि इन शरणार्थियों की समस्या और बंगला देश की स्वतंत्रता का संघष किसी तरह से सुलझे। हमें धमकियां

[श्री कमलापति त्रिपाठी--]

दी जाने लगीं। हमें दुख है कि बड़ी प्रगतिशीलता का दावा करने वाले हमारे पड़ोसी, जो जनवादी हैं, तानाशाही का समर्थन करने के लिए, उन्होंने खुल्लमखुल्ला अपनी आवाज उठायी, धमकियां दीं कि पाकिस्तान को अकेला मत समझो, हम उनकी सहायता करने के लिए तयार हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रोत्साहन प्रदान किया और कदाचित् इन देशों की बात से पाकिस्तान के नेताओं की समझ में यह नहीं आया कि आज की दुनिया ऐसी है जो अपने स्वाथ में काम करती है। पाकिस्तान का समर्थन करना उनके स्वार्थ में था, पाकिस्तान के स्वार्थ में नहीं था। उन्होंने उसको समर्थन दिया और उस प्रोत्साहन के फलस्वरूप पाकिस्तान ने हमारे देश पर 3 दिसम्बर को आक्रमण किया और उसका जो परिणाम हुआ वह हमारे सामने है।

आक्रमण किया उन्होंने। शायद अपनी रचना करने में पाकिस्तान समर्थ नहीं हुआ था। कोई देश किसी दूसरे देश की सहायता पर बलवान नहीं बन जाता है। भले ही पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार और भले ही चीन से ट्रेनर्स प्राप्त हुए हों पर पाकिस्तान में पिछले 20 वर्षों से वहां के नेताओं ने एक टैन्शन बनाये रखा है और देश की रचना में कोई कार्य नहीं किया है। उसने बाहर से सहायता ली और हमारे ऊपर आक्रमण किया। हम जानते थे कि हमारी सीमाओं पर तलवारें खड़खड़ाई जा रही हैं। हमें आशा थी कि यह हमारे ऊपर किसी समय भी आक्रमण कर सकते हैं। दो आक्रमण पहले हो चुके थे और किसी जमान में एक आक्रमण काश्मीर पर हो चुका था। सन् 1965 में कच्छ की रन पर हो चुका था और यह आक्रमण चौथी बार हो सकता था। इस देश के समस्त राजनीतिक दलों ने और सब लोगों ने अभूतपूर्व देशप्रेम और एकता का परिचय दिया। सारे अपने छोट-छोटे मतभेदों को, जो हमारे यहां अक्सर रहते ही हैं, और सारे धार्मिक मतभेद जो देश में रहते ही हैं और सारे प्रांतीयता के विचारों और भावनाओं को जो इतने बड़े-बड़े हमारे प्रांत हैं, कहीं-कहीं दिखाई दे जाती है, भुला दिया। इस देश के नेता, सार्वजनिक कार्यकर्ता और देशभक्त इस बात से परिचित थ कि संघर्ष हो सकता है और उन्होंने एक ऐसी दृढ़ता और एकता का परिचय दिया कि कदाचित् आज उसको देख कर दुनिया स्तम्भित और आश्चर्य से चकित है।

जैसा कि हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा दुनिया के लोग भारत को नहीं समझ पाये। दुनिया न इस देश की जनता और इस देश की विशिष्टता और विशषता को नहीं समझा है। हमें इस बार इस संकटकाल में जिस दृढ़ता, दूरदर्शिता, देश प्रेम और वीरता का एक प्रमाण मिला है, मान्यवर, वह आने वाली शताब्दियों में भावी पीढ़ी को एक नयी दिशा हमारे देश को देता है। हम जानते हैं कि इतने बड़े-बड़े राष्ट्र हमारे विरुद्ध है। उन खतरों से भी हम सावधान हैं। शायद 7वां फ्लीट (जहाजी बड़ा) वहां से चलाया गया। पता नहीं क्या वे यह समझते थे कि इस देश की जनता इतनी दुर्बल है कि धमकियों से डर जायगी ? उन्होंने यह भुला दिया मान्यवर, कि जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सामना कर सकता है वह स्वाधीन होने के बाद अपनी स्वाधीनता को एक क्षण के लिये भी अपनी कल्पना में भी कभी खतरे में नहीं जाने देगा। एक भी संकट आया तो देश की जनता सब कुछ भुला कर उसका प्रखर और तेजस्वी से मुकाबला करेगी और दुनिया आश्चर्य के साथ देखेगी। युद्ध हुआ और युद्ध का जो परिणाम होना चाहिये था वह हुआ। पाकिस्तान की भरपूर पराजय हुई और बंगला देश का उदय हुआ और मुक्तिवाहिनी ने जो कुछ किया मान्यवर, उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाय और जितना अभिनन्दन किया जाय और जितना भी देश आदर के साथ अपना मस्तक झुकाये, वह कम है।

यहीं, मान्यवर, मुझे सैनिक अस्पताल में जाने का अवसर मिला। वहां पर मुक्तिवाहिनी के सैनिक घायल हो कर आये थे। मुझे उनको देखने का अवसर मिला। वे छोटे-छोटे बच्चे 12–12, 15–15 साल के, जो सातवें और आठवें दर्जे में रहे होंगे, गोली से घायल हो कर वहां पड़े थे, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और मुझे एक पवित्रता का अनुभव हुआ। यह भू-खंड भारत का ही भूखंड रहा है जिसे हम "बंगला देश" कहते हैं। अब वह पाकिस्तान से अलग हुआ है। बड़े-बड़े क्रान्तिकारियों ने इस महान् आन्दोलन में अपने जीवन की आहुति कर डाली है। उस प्रदेश में वहां के लोगों ने मुक्तिवाहिनी की रचना करके अपनी देश की स्वाधीनता के लिये जब कहीं से उस देश को सहायता नहीं मिल रही थी, जिस बलिदान और त्याग और पुरुषार्थ का परिचय दिया है वह मै समझता हूं, मानव जाति के इतिहास म सदा स्मरणीय रहेगा और आदर के साथ उसके प्रति सिर झुकेगा।

हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। हमारे सैनिकों ने, हमारे बहादुरों ने, जो कुछ उन्होंने किया देशभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित हो कर किया उनके प्रति कुछ श्रद्धांजलि अर्पित की जाय। मैं जानता हूं, मैंने देखा कि हमारे सैनिक इधर से उधर जा रहे थे। यह ब्रिटेन की सेना नहीं थी, यह तो भारत के देशभक्तों की सेना थी। यह वेतन भोगी सेना नहीं थी। राष्ट्र के प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उन्नयित आत्मा के नये उन्मेष के साथ हमारी सना के लोग जाते हुए दिखाई दिये। जहां-जहां व जवान जाते थे वहां पर स्टेशनों पर "भारत माता की जय" के नारे सुन सकते थे। नौजवानों को जब मैं देखने गया तो मुझे उन्होंने कहा घायल हो जाने का हमें खेद नहीं है। लेकिन हमें खेद इस बात का है कि हमें आखिरी दम तक लड़ने का अवसर नहीं मिला और हमने अपनी आंखों से ढाका का समर्पण जिसे हम समझते थे होगा, नहीं देख सके। शीघ्रता से हम अच्छे हों और हम अपने मोर्चों पर पहुंचें। इस भावना से ओतप्रोत नौजवानों को चाहे वे नभसेना के रहे हों, चाहे जलसेना के रहे हों, चाहे धरती के सैनिक रहे हों, जिस दृढ़ता से, जिस बहादुरी के साथ वे लड़े हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है और प्रशंसा क्या इस देश की जनता सदा उनकी ऋणी रहेगी और हम उनके ऋणों से कभी उऋण नहीं हो सकते। उनके प्रति जितना सम्मान व्यक्त करें वह केवल मौखिक बात नहीं है हृदय से उनके हम ऋणी रहेंगे और उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी है।

इस देश में जब नये जीवन का उदय हो रहा है, एक नई दिशा राष्ट्र ने पकड़ी है और हमारे जैसे लोग इस संसार से जायं तो आगे आन वाली पीढ़ियां उसी प्रेरणा और स्फूर्ति से ओतप्रोत और अनुप्राणित हो जिससे यह देश महान् बन सके। कोई राष्ट्र महान् बनता है महान् कार्यों से। केवल अपने बहुत बड़े आकार प्रकार से या केवल धन से कोई देश बड़ा नहीं बनता। आज दुनिया को यह स्पष्ट हो जायेगा कि अमेरिका बड़ा देश होते हुए भी कितना गिरा हुआ है। हमारे देश की महत्ता एक गरीब और छोटे देश होने के बावजूद भी बढ़ गई है। हमने यह बार-बार घोषणा की थी कि हम किसी देश को पराधीन नहीं बनाना चाहत हैं। हमारा देश अपनी समस्याओं को हल करने में व्यस्त है। हम किसी देश को गुलाम बनाकर हुकूमत नहीं करना चाहते हैं। दुनिया में गुलामी के विरुद्ध मने आवाज उठाई है। पाकिस्तान से युद्ध करने का हमारा कभी इरादा नहीं था। हम शांति के इच्छुक हैं। मान्यवर, दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। हम ढाका र विजय प्राप्त करते ही, जैसे ही हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया, हमने युद्ध विराम की घोषणा

[श्री कमलापति त्रिपाठी—]

कर दी। कोई उदाहरण संसार में ऐसा नहीं देखा जायगा। प्रधान मंत्री की तरफ से यह आश्वासन मिला था जिसको कि संसद के समस्त प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था कि हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं, किन्तु हम मानवता के लिये, देश की सीमाओं की रक्षा के लिये सदा तयार रहेंगे, चाहे उसके लिये हमारा एक-एक बच्चा काम आ जाय। आज हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे राष्ट्र का मस्तक ऊंचा उठा है। भले ही दुनिया के कुछ बड़े लोग हमारे विरुद्ध रहे हों, किन्तु दुनिया उनको लानत की दृष्टि से देखती है और हमारा देश भले ही एक गरीब देश हो किन्तु अपने आदर्शों की रक्षा के लिये हम जिस शौर्य और वीरता के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, आज विश्व के सामने आये हैं, उससे विश्व को हमारी महत्ता का कुछ-कुछ ज्ञान हुआ है।

अब हमारा आगे क्या कर्त्तव्य है? हम बंगला देश की सहायता कर रहे हैं। आज भी रामलीला मैदान में प्रधान मंत्री ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं जब भारत एक गरीब देश था तो वह पाकिस्तान के साथ युद्ध में क्यों शामिल हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि हम गरीब भले ही हों किन्तु अपने आदर्शों को कायम रखना चाहते हैं। मान्यवर, हमारा देश एक ऐसे युग और स्थान में खड़ा हुआ है, कि उसके समक्ष अनेकों नई-नई समस्यायें हैं। जबकि दुनिया ने एक नई दिशा पकड़ी है और यह सारा युद्ध अनाचार के विरुद्ध तानशाही के विरुद्ध, यह सारा युद्ध बर्बरता और क्रूरता के विरुद्ध हुआ है और बंगला देश ने शोषण और अत्याचार और दमन के विरुद्ध जिस संघर्ष का सूत्रपात किया है और जिस बुनियाद पर इसका निर्माण हुआ है, उसका विस्फोट किया है। आज यह सिद्ध हो चुका है कि दुनिया में केवल धर्म के नाम पर, अब केवल किसी एक विशेष जाति के नाम पर कि हम इस धर्म के मानने वाले हैं, हम अलग से एक राष्ट्र हैं और ऐसे राष्ट्र के नाम पर जिन लोगों ने ऐसी कल्पना को जन्म दिया, राष्ट्र की रचना की है, वह भी इस बात का अनुभव करते हैं कि यह सारी थ्योरी विस्फोट हो चुकी है। काश्मीर में हिन्दू-मुसलमान मिलकर लड़ते ही थे, आज बंगला देश ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बड़े-बड़े प्रश्नों के सामने और इस प्रकार के धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करके कुछ करने की चेष्टा करने की जो नीति है वह उन्हीं के लिये खतरनाक हो सकती है। हमने धर्म निरपक्षता के सिद्धान्त की पुष्टि की है, स्वतंत्रता के सिद्धान्त की पुष्टि की है और हम आशा करते हैं बंगला देश के राष्ट्र-पिता, शेख मुजीब साहब की रिहाई होगी, वह अपने देश में आयेंगे। वह बंगला देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वह अपने देश की जनता की और उन सिद्धान्तों की सेवा करेंगे जिन्हें बंगला देश की सरकार ने पालन करने की घोषणा की है। ये वही सिद्धांत हैं जिन्हें लेकर भारत ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। हमारे और उनके सिद्धांत में साम्य है। हम आशा करते हैं कि उन्हें नैतिक समर्थन प्राप्त होगा और शेख मुजीब की रिहाई के लिये वे लोग भी, जो आज इस उत्पन्न हुई परिस्थिति के लिये, मान्यवर, उत्तरदायी हैं, उनकी बुद्धि सुधरेगी और इस बात के लिए पाकिस्तान के जो नये प्रशासक हुये हैं, श्री भुट्टो उन्हें सलाह देंगे कि शीघ्र से शीघ्र मुजीब साहब को छोड़ और वे स्वतंत्र बंगला देश की रचना और निर्माण में अपनी शक्ति लगा सकें। यही तरीका है जो सभ्य जगत को स्वीकार करना चाहिये।

अन्ततः हम तमाम देशों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने इस संकट के काल में भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई, विशेषकर सोवियत रूस के प्रति हम मान्यवर, जितनी कृतज्ञता प्रकट करें उतनी कम है। मान्यवर, 9 अगस्त हमारे देश के लिये एक बड़ा एतिहासिक दिवस होता है। सन् 1942 में जिस क्रांति का सूत्रपात गांधी जी ने किया वह 9 अगस्त को ही आरम्भ हुआ और 9 अगस्त को मैत्री का सुलहनामा भी रूस के साथ हुआ। हम मिलकर किसी देश पर आक्रमण करेंगे ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम दोनों मित्र हैं और संकट पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। केवल इतना ही था एक

नैतिक समर्थन प्राप्त करने के लिये और इस संकट की स्थिति में हमें उनका समर्थन भी प्राप्त हुआ। ब्रिटेन और फ्रान्स ने भी तटस्थता की नीति बरती। उनका जो 65--66 के आक्रमण काल में दृष्टिकोण था, इस समय उससे बिलकुल भिन्न था। रूस ने तो हमारा समर्थन किया जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस प्रश्न को उठाया गया था। पहले भी कई बार उन्होंने हमारा समर्थन किया। उनका नैतिक समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, उनका भौतिक समर्थन हमें प्राप्त हुआ है और उनकी मित्रता भी हमें प्राप्त हुई है। हम रूस के प्रति ऋणी और कृतज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी तटस्थता की नीति अपनाई उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं और जिन्होंने इस कुचक्र की रचना की है, उन सब की हम भर्त्सना करते हैं और यह मानते ह कि अगर उन्होंने यह नीति न बरती होती तो इतना बड़ा नर-सहार न हुआ [होता।]

हमारे देश के नेताओं न, विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री और उनके साथियों के साथ समस्त राजनैतिक दलों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, और भारत सरकार ने जिस प्रकार मे दृढ़ता, जो संकल्प और वीरता दर्शायी और उन्होंने राजनैतिक दूरदर्शिता का जिस प्रकार से परिचय दिया उससे भारत का गौरव बढ़ा है। हमारे देश के नेतृत्व ने इस कठिन परिस्थिति में जिस प्रकार से इस देश का संचालन किया वह इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इन शब्दों के साथ में उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सारे देश की श्रद्धा, स्नेह और कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ायी। इसके लिये केवल यह सदन ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, उनके प्रति ऋणी रहेगा परन्तु उनके घर और परिवार और तमाम दुखों और कष्टों के निवारण हेतु जो कुछ संभव होगा वह यह समाज और यह सरकार सदा करती रहेगी जिससे कुछ थोड़ा बहुत कम से कम हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर और उनके ऋण की अदायगी कर सकें। उनका यह त्याग युगों-युगों तक हमारे लिये सफलता और प्रेरणा का कारण रहेगा। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, देश की जनता के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हुए, जिस दृढ़ता और संकल्प का परिचय दिया उस पर गौरव अनुभव करते हुए मैं यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि इसे हम सब एक स्वर से स्वीकार करें।

(सदस्यों के द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष द्वारा नेता विरोधी दल के पद पर श्री चरण सिंह की नियुक्ति की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने आपकी जिज्ञासा देख कर यह कहा था कि मैं नेता विरोधी दल का एलान कर दूं। मैं यह उचित समझता हूं कि नेता विरोधी दल की घोषणा कर दी जाय। तो चौधरी चरण सिंह जी नेता विरोधी दल घोषित हुये। मैं चौधरी चरण सिंह जी से कहूंगा कि वह अपने को इस प्रस्ताव से सम्बद्ध करें।

पाकिस्तान के आक्रमण, बंगला देश की मुक्ति, भारतीय जवानों की वीरता, केन्द्रीय सरकार के परिपक्व नेतृत्व तथा रूस और पोलैण्ड के सहयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो घोषणा की है उसके लिये। क्योंकि मैं यह जानता हूं कि भारतीय क्रांति दल की कोई बड़ी मेजारिटी नहीं है और जो कुछ मैं इन दो सालों से देख रहा हूं उसको दृष्टि में रखते हुए मैं इस सिलसिले में कोई बहुत कान्फीडेंट भी नहीं हूं। मुझे यह पूरा भरोसा नहीं है कि यह हाल कब तक रहेगा क्योंकि मेरे जो दोस्त इस समय हंस रहे हैं उनके कारनामों से मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। उनके जो एचीवमेंट हैं उनसे मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। यह तो बीच में वैसे ही रहे लेकिन मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता था कि यह चार दिन की बात ह, अधिक दिन चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा यह खयाल है कि चाह माननीय त्रिपाठी जी कुछ कहें या माननीया राजेन्द्र कुमारी जी कुछ कहें लेकिन मुझे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहां भी असेम्बली के चुनाव होने वाले हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली तारीख को यह कहा था कि अगर अपोजीशन चाहता है तो वह चुनाव करायेंगे अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि अपोजीशन की पार्टी और दूसरे नेता गण मुझसे सहमत होंगे। इसमें अपोजीशन का कोई बड़ा हाथ नहीं है और न तो अपोजीशन इससे एफेक्टेड है। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी पार्टी पर और सबसे ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप पर निर्भर करता है कि चुनाव होंगे या नहीं। हम तो इसमें बिलकुल ही अनकन्सर्नड हैं। हम कुछ खोते नहीं है। अगर हम हार गये तो हम फिर अपोजीशन में बैठेंगे और अगर चुनाव जीत गये तो अपनी रोशनी के मुताबिक अपने सूबे की खिदमत करेंगे। दोनों ही तरीके से हम लूजर नहीं रहते हैं और अगर लूजर कोई है तो वह हैं माननीय कमलापति त्रिपाठी। अगर जीत गये तो कोई गेन नहीं हुआ और अगर हार गये तो उनका लास हुआ। यह उनकी जिम्मेदारी है और उनको ही तय करना है, हमको नहीं।

अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनके भाषण पर। वह अबुल कलाम मास्टर आफ वर्ड्स हैं। मौलाना आजाद साहब का नाम मोहिउद्दीन साहब था लेकिन उनको अपनी लेखनी और जबान पर इतना कमाल हासिल था कि वह मास्टर आफ दि वर्ड्स कहे जाते थे। इस पर मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही यह भी कह देता चाहता हूं कि मैं करीब-करीब पूर्णतः उनसे सहमत हूं और अगर मैं थोड़ी बात जो विदहोल्ड करना चाहता हूं वह यह कि जो स्वप्न वह देख रहे हैं और जो उन्होंने इमोशन्स में कहे हैं, वही गलतियां हमारे काम में रही हैं और हम फिर उन्हीं काम्प्लेसेंसी में न रह जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में अधिक वक्त नहीं लेना चाहता कि बगला दश में क्या स्थिति थी और हमारी फौजों ने किस बहादुरी के साथ काम किया। बंगला देश में शेख साहब को जो कामयाबी मिली वह लासानी थी। वह बंगला देश ही नहीं, सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल थे। उधर जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे वह आसानी के साथ शक्ति को छोड़ने वाले नहीं थे। लिहाजा संघर्ष हुआ और वह कांड हुआ जो इतिहास के पृष्ठों ने अब तक नहीं देखा। ऐसा न तो किसी काल में और न किसी देश में ही हुआ जैसा कि बंगला देश में हुआ। जो पाकिस्तानी फौजों ने अत्याचार किया, जो बर्बरता का कार्य किया वही एक प्रमुख कारण था कि उनकी डिफीट हुई। पाकिस्तान की वर्दी वाली आर्म-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाइज्ड फौज थी। उसने और उसके अधिकारियों ने जो बंगला देश में कार्य किया और वहां जो भयानक कांड हो गया उसने ही उन लोगों का आत्मबल, मोरेल गिरा दिया। आगे लड़ने का मनोबल उनका नहीं रह गया। उनके पास इतना अधिक फौजी सामान था जिसके जरिये से वे अप्रैल तक लड़ सकते थे। यहिया खां यह जानते थे कि 3-4 महीनों तक वे लोग लड़ सकते ह, मुकाबिला कर सकते हैं परन्तु उनका जो पतन हुआ वह डीमोरेलाइजेशन के कारण ही हुआ। यह पतन नैतिक पतन था।

जहां तक कि हमारी फौज का ताल्लुक है वह तो दुनिया में एक बहादुर फौज है, उसके सिपाहियों को अपनी वीरता पर नाज रहा है परन्तु सन् 62 में जो उसको बदनामी मिली उसका उनको गहरा सदमा था। फौज के सिपाहियों और आफीसर्स का कहना था कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी और सहसा लड़ाई होने की हालत में उनको पिटना पड़ा और उनके मुस्तक पर काला टीका लग गया था, उस काले टीके को उन बहादुर जवानों ने इस युद्ध में धो डाला है। उनकी बहादुरी की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको उन्होंने पुनः वापस ले लिया है। तो जहां तक आम आर्मी की बात है और आर्मी कमांड की बात है उन्होंने जो स्ट्रटिजी अपनाई वह बहुत ही शानदार रही। मैं टाइम्स आफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें लंदन के कारेस्पोडेंट ने लिखा था कि ब्रिटिश सर्किल में इस बात की प्रशंसा की जा रही थी और हमारे आर्मी कमांड ने जो विशेष नक्शे बनाये थे उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की। हम सबको मालूम है कि जहां पर हमारा सख्त मुकाबला हुआ उसको छोड़कर आगे बढ़े और जहां पर उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर हम आगे बढ़ गये और वह मुकाबला नहीं कर सके। ढाका में यही हाल हुआ कि वहां पर लोग उस तरह से तैयार नहीं थे तो उसका सरेंडर हो गया। पाकिस्तान को यह चाहिये था कि उत्तर के हिस्से को छोड़कर दक्खिनी हिस्से में जिसके चारों तरफ नदियां और समुन्दर था, जहां पर मेघना और पद्मा बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उस हिस्से में अगर वह कन्सन्ट्रेट करते तो हमारी आर्मी का मुकाबला कुछ दिन तक कर सकते थे। लेकिन हमारी आर्मी ने, जैसाकि त्रिपाठी जी ने कहा कि जिस बहादुरी से काम किया उसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। हमारे मुल्क को इससे बहुत-सी उपलब्धियां हुई, जो इस लड़ाई से नतीजा निकला उसमें पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में आत्म विश्वास पैदा हुआ और वह दुनिया के सामने आज खड़ा हो सकता है और दूसरे देशों के लोगों से आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है। हमारे यहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह भावना हुई और हमारे लीडरों ने भी यह भावना पैदा की कि जिस जरिये से स्वतंत्रता मिली वही जरिया, उन्हीं जरियों से हम देश की स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकते हैं। हालांकि यह ख्याल गलत था। हमने जिन हालात में स्वतंत्रता हासिल की, बेशक बड़ी कुरबानी की फिर भी मैं यह समझता हूं उस तरीके से आजादी मिली। वह एक अहिन्सा का तरीका था और उस समय उससे कामयाबी मिली लेकिन दुनिया ने उसकी ज्यादा कदर नहीं की। उसका नतीजा हमारे सामने यह आया कि चीन के मुकाबले में हमारा डिबेकिल हुआ। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई के बाद हमारी सारी पार्टीज को, सब नेतागण को यह एहसास हुआ कि हमारी आजादी की रक्षा बिना खून बहाये नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि हमारी कौम में आत्म विश्वास पैदा हुआ और दूसरी बात यह है कि अब हमारा जनतंत्र जिसके चारों तरफ खतरे ही थे और जो चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ था वह कम हो गया है। सबसे बड़ा खतरा विघटनकारी शक्तियों का था, चाहे वह भाषा के आधार पर हों, चाहे सूबाई आधार पर हों और चाहे वह और कोई प्रदेश की बात को लेकर चल रहे हों, उनसे देश के शुभचिन्तकों को यह आतंक हो गया था कि आया देश एक रह सकेगा या नहीं और यह जनतन्त्र कामयाब होगा या नहीं लेकिन इस विजय के बाद मैं समझता हूं कि

[श्री चरण सिंह]

हमारे सब देशवासियों के दिल के अन्दर यह आत्मविश्वास बैठ गया है कि विघटनकारी शक्तियां, साम्प्रदायिकता फैलाने वाली शक्तियां अब उभर नही पायेंगी । यह दूसरी उपलब्धि, मैं समझता हूं जो हमारे देश को हासिल हुई है ।

तीसरी बात यहां यह हुई कि कृत्रिम शक्ति का जो सन्तुलन बना कर रखा जा रहा था उसमें असफलता मिली । दूसरे देश, खास कर अमेरिका और म रूस को भी शामिल करता हूं और चीन को भी कि व यह समझते थे कि पाकिस्तान को इतना शक्तिशाली बनाकर रखा जाय कि उसमें इस तरह की हिम्मत पदा हो जाय कि वह हिन्दुस्तान के बराबर शक्तिवाला हो जाय ताकि हिन्दुस्तान कभी तरक्की न कर सके । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का एक ही सांस में वे नाम लेते थे । हमारे लीडरों ने भी इस बात को माना । धीरे धीरे यह इम्प्रेशन दिखाई दिया हमारे यहां बहुत से नेताओं की बातों से कि शक्ति सन्तुलन में पाकिस्तान बराबर है । यह पाकिस्तान के लिये गौरव की बात थी कि वह शक्ति सन्तुलन में हिन्दुस्तान क बराबर हो । वह ऐसा कहते भी थे कि एक गर्वोक्ति थी कि एक पाकिस्तानी सिपाही 10 हिन्दुस्तानी सिपाहियों के बराबर है । आज उनकी यह गर्वोक्ति खत्म हो गई है । बैलेंस आफ पावर का कोई सवाल नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है । पाकिस्तान हमें धमकाता था, दम्भ की बात करता था, तो हमारी तरफ से एपालोजिस्टिक टोन, सफाई की बात, भाई-बन्धुत्व की बात होती थी । नतीजा यह हुआ कि दुनियां के लोगों में एक विश्वास जमने लगा था कि हिन्दुस्तान में यह शक्ति नहीं है कि वह अपने आत्म-सम्मान की और सीमा की रक्षा कर सके, और उसकी रक्षा के लिए तलवार उठा सके । ऐसा लगता था कि हमारा ही सारा प्रयास है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त बना रहे । होना यह चाहिये था कि पाकिस्तान को यह चिन्ता होती कि हिन्दुस्तान उसका दोस्त बना रहे, न कि दुश्मन । यदि पाकिस्तान को तरक्की करनी है, तो जैसा हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, इसमें कोई धमकी की बात नहीं है । तो वह हिन्दुस्तान का दोस्त बना रहे । तो जो आर्टिफिशियल बैलेंस आफ पावर था वह खत्म हुआ । यह तीसरी बड़ी उपलब्धि भारत को इस लड़ाई के नतीजे से हासिल हुई है ।

अब हमारे सामने तस्वीर का दूसरा पहलू भी है । हमको सेन्टीमेन्ट्स, यानी आवेश में आकर कोई सच्चाई को भूल नहीं जाना चाहिये । इसलिये हम मगालते में न रहें । पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो ह्यमन और फिजीकल रिसोर्सेज हैं, वह हमस चौथाई से भी कम हैं । यदि पाकिस्तान की फौज को हमने हरा दिया तो कौन बड़ी बहादुरी की बात हो गई ? फौज भी ईस्टर्न सेक्टर में हमारी 6 डिवीजन और पाकिस्तान की 4 डिवीजन ही थी । तो हमें अपने आप को बधाई देते हुए, बेटिंग करते हुए यह न भूल जाना चाहिए कि हमारा अनईक्वल मुकाबला था । हमार पास दोहरी शक्ति फौज की थी और हमारे पास साधनों की बड़ी शक्ति थी । सिर्फ खुशी इस बात की है कि हमने अपनी शक्ति को पहचाना । जिस शक्ति को पिछले 20 सालों से हम भूले हुये थे, जिससे हमारे राष्ट्र का कोई सम्मान दुनिया में नहीं रह गया था । जो हमारे नेता, आफीसर और कर्मचारी दूसरे देशों में जाते थे, वह हमें बताते थे कि भारत के जो नेता विदेशों में जात हैं, उनके संबंध में समाचार-समाचार पत्रों के आखिरी पेज में आखिरी कालम में बड़ी उपेक्षापूर्ण दृष्टि-कोण से दिये जाते हैं । उस देश में पाकिस्तानियों की इज्जत ज्यादा है । जिस समय बंगला देश का नरसंहार का काण्ड शुरू हुआ, विदेशों के लोगों को हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं थी । धीरे-धीरे दूसरे देशों के पत्रकारों ने सच्चाई को दुनिया के सामने रखा, अपन देश के पत्रकारों ने नहीं, जो भी हमें इस संबंध में ज्ञान हुआ विदेशी पत्र-कारों के द्वारा हुआ, टेलीविजन पर जब चित्र दिखाए गए तो उस से वहां की जनता को, दुनिया के लोगों को वस्तुस्थिति का पता चला । अब उस जनता की यह समझ में नहीं

आता है कि जब ईस्ट बंगाल का पूरा देश आवामी लीग के साथ है और हिन्दुस्तान केवल उसकी मदद करना चाहता है तो उसने पहले आक्रमण क्यों नहीं किया, क्यों इतनी देर की ? तो कहने का मतलब यह है कि हम हवाई बातों में फंस रहे हैं, इसलिये विजय के बाद हमें जमीन पर ही अब रहना है। वस्तुस्थिति की बात को हमें नहीं भुलाना है। मैं तो समझता हूं कि यह स्थिति आनी ही नहीं चाहिये थी जो आज आई है। सन् 47-48 से ही पाकिस्तान को जाहिर हो जाना चाहिये था कि हिन्दुस्तान से लड़ना और उसका मुकाबला करना उसके हित में नहीं है। लेकिन 22 साल के बाद हम उसको यह सच्चाई जाहिर करने में कामयाब हुए।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं ठीक है। मैं स्वयं सहमत हूं, अपने आपको सम्बद्ध करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ अपनी गवर्नमेंट को बधाई देने में, वह हमारी देश की जनता के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लेकिन यह नवम्बर, दिसम्बर तक क्यों इस मामले को रोका गया ? प्रारम्भ में ही यह मामला हल हो सकता था बहुत आसानी से। बधाई का मुस्तहक होता है वह व्यक्ति जिसके सामने कई रास्ते खुले हुए हों, वह सही रास्ते को चुने और कामयाब हो जाय। सारा देश, सारी दुनिया बधाई देगी। लेकिन जब किसी व्यक्ति या संगठन के सामने केवल एक ही रास्ता हो कोई दूसरा रास्ता न हो, उस वक्त अगर अमल करें, अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, मैं बधाई में शामिल हूं लेकिन फुल प्रोटेड बधाई में नहीं। नवम्बर, दिसम्बर में जब एक करोड़ आदमी आ गये, तीन करोड़ रुपया रोज का खर्चा करना पड़े, तो मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया की किस गवर्नमेंट या देश के सामने दूसरा रास्ता था सिवाय पाकिस्तान का मुकाबला करने का ? कैसी बधाई ? मजबूरी थी, जैसा मेरे दोस्त इधर से कह रहे हैं। विचार कीजिये। आठ महीने तक बराबर नरसंहार होता रहा। एक दिन नहीं। दो दिन नहीं। नादिरशाह, चंगेजखां, हलाकू ने चार-पांच दिन किया, लेकिन आठ महीने तक बराबर होता रहा। हम खामोश रहे। नवम्बर-दिसम्बर में कार्यवाही करें, जब कि कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा था। तो मैं बधाई देता हूं लेकिन पूरी बधाई की मुस्तहक हमारी गवर्नमेंट नहीं है ? अगर प्रारम्भ में यह कार्यवाही की जाती तो सारा नरसंहार, सारी मिजरीज, होलोकास्ट बच जाता। इस सिलसिले में चार-पांच बातें कही जाती हैं। एक बात यह कही जाती है कि शायद वर्ल्ड ओपीनियन हमारे खिलाफ हो जाती अगर फौरन कार्यवाही करते। किसको कहते हैं वर्ल्ड ओपीनियन ? क्या वर्ल्ड ओपीनियन अब हमारे माफिक रही है ? इंटरनेशनल पालिटिक्स की प्राथमिक सच्चाई है कि कोई देश ह्यूमनिटेरियन कंसीडरेशन से, मानवता की भावना से किसी देश के साथ, गुण अवगुण, पर कार्यवाही नहीं करता है। अपने नैशनल इंटरेस्ट को देख कर कार्यवाही करता है। यह दुनिया भर की बात है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुर्बानी कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए तकलीफ उठा सकता है, भावना या आवेश के बस में होकर कोई काम कर सकता है, सच-झूठ, बेईमानी, ईमानदारी, बड़े-बड़े उसूल हैं, उनसे प्रभावित होकर काम कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन जहां तक एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुक है, इन कंसीडरेशन्स का कोई मतलब नहीं, प्योर नेशनल इंटरेस्ट में कंसीडिरेशन होता है। दूसरे देशों का क्या हित था कि हमारा साथ देते ? क्यों रेकग्नाइज करते बंगला देश को ? वह मैं बाद में अर्ज करूंगा। वह इससे भी जाहिर है, जब माननीया इंदिरा जी दूसरे मुल्कों से लौट कर, उनका जो स्टेटमेंट है, उसको मैंने पढ़ा अखबारों में, मैं उसकी कटिंग लाना चाहता था, वह लाया नहीं, जो मैंने पढ़ा है, कि सारे देश अपने-अपने हित की बात कर रहे हैं, लफ्ज मुझे ठीक याद नहीं है। मतलब यह था कि मेरी बात का किसी पर असर नहीं हुआ। क्यों ? नेता का फर्ज यह है कि वह समझे कि ह्यूमन कांडक्ट के आर्डिनरी रूल्स क्या हैं। नेता जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, उसको

[श्री चरण सिंह---]

समझना है कि प्राबेबिलिटी यह है कि दूसरे देश क्यों साथ दें ? जिस समय पाकिस्तान बना उनकी यह काऊंटर पालिसी रहीं कि दोनों देशों में बैलेंस आफ पावर रहे । वे इसीलिये पाकिस्तान को इस्तेमाल करते रहे । वह पाकिस्तान को कमजोर होते देखना नहीं चाहते थे, फिर पाकिस्तान की तकसीम क्यों ? लाखों आदमी मर जायं, लाखों स्त्रियों के शील भंग हो जायं, बच्चों तथा बूढ़ों पर अत्याचार हों और आप अपील कर रहे हैं ? यह अपील आप अपने लोगों से कर सकते हैं और हम उसके लिये कुरबानी करने के लिये तैयार होंगे, लेकिन दूसरे देशों पर इस का असर नहीं होता । 8 महीने होने के बाद हमारी बहन जी को यह मालूम हुआ कि दूसरे देश अपने हितों से प्रेरित हो कर काम कर रहे हैं । यह आर्गूमेंट दिया जाता था कि वर्ल्ड ओपीनियन आपके खिलाफ हो जायगी, अब क्या आपके माफिक हो गयी ? यू० एन० ओ० में वोटिंग से मालूम हुआ कि 104 ने आपके खिलाफ वोट दिये और केवल ८ दोस्त आप इकट्ठा कर पाये । लंका, नेपाल तथा बरमा जैसे-छोटे देशों ने हमारा साथ नहीं दिया और लंका ने तो विरोध ही किया जिसके लिये हमने भंडारनायक के कहने पर फौज तक भेजी थी । यह हमारी कोशिश का नतीजा हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय, और देशों ने कोई नई बात नहीं की । हममें से बहुत से लोगों ने इसीलिये प्रधान मंत्री को मश्विरा दिया कि देर न कीजिये । बाबू जय प्रकाश तो पेसिमिस्टिक आदमी हैं । लड़ाई लड़ने की बात नहीं सोच सकते, लेकिन जैसा खुद अपनी तकरीर में कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त वह थे और इस वजह से कुछ बदनाम भी देश में हो गये । जून में आकर उन्होंने भी यही कहा कि कोई राष्ट्र अपने हित से उठ कर मानवता के विचारों से वशीभूत होकर हमारी मदद करने वाला नहीं है । जार्ज फरनेन्डिस साहब ने भी यही कहा और मैंने भी 6 मई को तीन सफे का पत्र उनको लिखा । लेकिन कहा गया कि सोवियत देश मान्यता दे तो हम भी मान्यता दे देंगे । अगर प्रायर रिकग्नीशन देने की बात है तो साइमलटेनियस रिकग्नीशन की कोशिश है । लेकिन किसी ने हमारी बात न मानी और हम ८ महीने यही कोशिश करते रहे कि बंगला देश के मामले में पाकिस्तान आइसोलेट हो जाय, वर्ल्ड ओपीनियन हमारे साथ हो जाय, लेकिन उसमें हमको कामयाबी नहीं हुई ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

पूर्वी बंगाल में चार महीने तक अत्यधिक वर्षा से नदियों में बाढ़ आ जाती है और मिलिटरी प्वाइंट आफ व्यू से उस समय अटैक नहीं हो सकता था ।

श्री चरण सिंह---

सब दलीलों का उत्तर देने के बाद अगर आप कोई समुचित बात कहेंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा ।

श्री शिव कुमार पांडेय (सुल्तानपुर)---

मैं चौधरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि वह धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं अथवा चुनाव भाषण कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं अच्छा नहीं समझता कि जब विरोधी दल के नेता बोल रहे हों तो उनको बीच में टोका जाय । माननीय पांडेय जी ने टोक दिया, उसका मुझे खेद है और मैं उनसे क्षमा मांगता हूं ।

मैं त्रिपाठी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बात जरूर कहूंगा कि शिवकुमार जी ने इलेक्शन की ऐसी बात उठा दी कि अगर उसके विषय में मैं बोलना शुरू कर दूं तो फिर उनके लिये जबाव देना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही जाती है कि हमने इस बीच रूस से संधि कर ली और अगर उस बीच कोई कार्यवाही कर ली जाती तो रूस से संधि करने का अवसर न मिलता। ठीक है, रूस से संधि हुई और उसने हमारी मदद भी की किन्तु मैं कहता हूं कि इस संधि से कोई नया फायदा हमें नहीं हुआ। रूस से जो फारेन मिनिस्टर, ग्रोमिको साहब यहां पर थे लगभग 9 और 10 अगस्त के समय पर, उन्होंने जो बयान दिया है वह तो अखबारों में छपा ही है कि इस संधि से कोई नई बात नहीं हुई है। उन का कहना था कि यह तो हमारे भारत के साथ फ्रेन्डली रिलेशन्स हैं इसलिये हुई है। उनके ही लफ्जों में, उन्होंने कहा है कि उनको जाब्ता की शक्ल दी जा रही है और हमारा आपस का ताल्लुक है। तो मैं कहता हूं कि आखिर यह संधि करने की क्या जल्दी थी? याहिया खां की धमकियों से इतनी जल्दी संधि करने की जरूरत नहीं थी। रूस अपने हित में हमारी मदद करता, किन्तु फिर भी हम अहसानमन्द हैं। लिहाजा हमें संधि करने का अवसर मिल गया।

यह कहा जाता है कि चीन का डर था। यह तिवारी जी ने नहीं कहा है कि चीन से हमें डर था। यह खबर अखबार में दिल्ली में मैंने सुनी कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमने अभी हमला कर दिया तो चीन आ जायगा मदद के लिये और नवम्बर-दिसम्बर तक माउन्टेन्स में बरफ पड़ जायेगी तब चीन नहीं आ सकेगा, इसलिये तब यह कार्य किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आफीसर ने बतलाया कि जो नवम्बर-दिसम्बर में बरफ पड़ती वह 15 मई को पिघलती है और छोटी-छोटी पहाड़ियों की बरफ 30 अप्रैल तक पिघल जाती है, किन्तु 15 नवम्बर से बरफ पड़नी शुरू हो जाती है और 30 मई से पिघलना शुरू होती है। 26 मार्च को हमारी पार्लियामेंट एक प्रस्ताव पास करती है और पूरी हमदर्दी और पूरे समर्थन से और उसके बाद 2-4 जोशीले भाषण होते हैं, उसके बाद खामोशी छा जाती है। उसके बाद 12 अप्रैल को बयान दिया गया। 17 दिन तक खामोशी रही। मुझे मालूम हुआ है और बाद में वह बात साबित भी हुई है कि मिलिटरी के आफिसरों से बात की गई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें उन्होंने यह कहा कि यह तो 3-4 दिन का काम है और जब कि पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसमें 11-12 दिन लगे। उस वक्त उनकी तैयारी नहीं थी केवल डेढ़ डिवीजन उनके पास था और बाकी बाद में भेजे गये। हमारे मिलिटरी आफीसर, हरबख्श सिंह का आर्टिकिल आप पढ़िये जिसमें उन्होंने लिखा है कि वहां की फौजें चली गईं। किन्तु उस वक्त 25 या 30 हजार आदमी था जबकि 15-17 हजार का एक डिवीजन होता है। उस वक्त भी कहा जाता है कि हमारी तैयारी नहीं थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की भी तैयारी नहीं थी। हमारे पास उस वक्त आदमी ज्यादा थे बनिस्बत पाकिस्तान के। जहां तक बरफ पड़ने की बात है, वह बिलकुल गलत और बेबुनियाद है। 30 अप्रैल से बरफ पिघलनी शुरू हो जाती है, बल्कि मुझे तो 15 अप्रैल ही बताया गया। तो फिर यह नर संहार क्यों होने दिया? क्यों नहीं 55 करोड़ आदमियों की शक्ति केन्द्रित करते जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडरान डेमोक्रेटिक तरीके से बैठे हैं देहली में और यह सब कुछ जो हो रहा है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने इशारा किया, हिन्दुस्तान के नेरोसांसमें पुनरुत्थान में सबसे बड़ा हाथ बंगाल का है और बंगाल के उस सबसे बड़े हाथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस ईस्ट बंगाल के लोगों का था। उनकी औलाद और बच्चों के साथ जो जुल्म होते रहे, जो उनकी बरबादी हुई, कत्ल हुए, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वहां की महिलाओं

[श्री चरण सिंह]

के साथ जो कुकृत्य हुए, जितनी ज्यादती हुई वह महिला होते हुए भी देखती रहीं, लेकिन मुझ जैसे आदमी को यह बात समझ में नहीं आती। यह सब बच जाता अगर वह कार्यवाही करतीं फौरन।

फिर यह खयाल कि दूसरे देश आ जाते मदद के लिए। चीन की बात कही जाती है, चीन हो आ सकता था। नहीं आ सकता था। जो आर्गूमेन्ट्स मैं इस वक्त दे रहा हूं यही ५-६ आर्गूमेन्ट ६ तारीख को इंदिरा जी को मैंने लिख कर भेजे लेकिन मुझे अफसोस है जिसको उन्होंने एकनालिज तक नहीं किया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कैसे यह खयाल गलत है। चायना में तो साल भर से इंटरनल पोलिटिकल स्ट्रगिल है, इसलिये वह कोई कार्यवाही कर ही नहीं सकता दूसरे देश के खिलाफ।

दूसरी बात यह कि हमारे 10 ग्रेंड माउंटेन डिवीजन मौजूद थे, जो कि 1962 में एक भी नहीं था, माउन्टेन पर लड़ने के लिए। उनसे उबर पाना आसान काम नहीं था। फर्ज कर लो, उनसे उबर पा लिया और वह मैदान में आ जायें तो जो लाइंस आफ कम्युनिकेशंस है, चायना के बेसिज हैं वह इतने बड़े हैं, इतने लम्बे हैं कि वह पूरा नहीं कर सकता था। उनको महीनों लगते। कोई भी बुद्धिमान मिलिटरी कमांडर यह रिस्क नहीं लेता कि लाइंस आफ कम्युनिकेशंस लम्बे हो जायं।

फिर चीन और रूस के वह ताल्लुकात नहीं थे जो सन् ६२ में थे। चीन के साथ रूस के बार्डर कमिशेज बोर्डर डिस्प्यूट और चीन का नेशनल इंटेरेस्ट—यह तो मुझे बाद में मालूम हुआ लेकिन मैंने उन्हें लिखा कि चीन कभी अपने फ्लैंक्स को खाली छोड़ करके एक्सपोज्ड और नंगा छोड़ कर कभी हमला नहीं करेगा। 90 डिवीजंस रशिया की बराबर फ्रन्टियर पर गो हुई हैं। तो चीन के कमांडर यह रिस्क ले सकते थे कि वह हमला करते जबकि रूस से उनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, इंटरनल पोलिटिकल सिचुएशन इर्रेलेवेंट मान लीजिये हमारी दस माउंटेन डिवीजन इर्रेलेवेंट वह अपने फ्लैंक की परवाह न करे लाइंस आफ कम्युनिकेशंस लम्बी होने की परवाह न करे यह चीज आप इर्रेलेवेंट मान लीजिये लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि आपके जरिये से और माननीय मित्रों से अर्ज करना चाहता हूं कि रूस और कभी कुछ न करता लेकिन हमारी मदद को दौड़ कर आता--हमारे हित की खातिर नहीं अपने हित की खातिर। जितने भी जी-सऊर हैं और जो पोलिटिकल मामलों में दिलचस्पी रखते हैं सबको मालुम है कि तीनों नेशंस में स्ट्रगिल है---फार दि कंट्रोल आफ इंडियन ओशन। आज रूस की एक बहुत जबरदस्त फ्लीट नौसेना जिसके बारे में कुछ विशेषज्ञों का खयाल है कि वह अमेरिका की नौसेना के बराबर है, वहां पहले से पड़ी हुई है और हिन्द महासागर में क्रूजिंग करती रहती है। ग्वादर नाम का एक छोटा सा बंदरगाह करांची से कुछ पश्चिम में पाकिस्तान में है जिसको वे नेवल बेस के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। तो रूस पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था लेकिन जब सन् 67 आया तो उसने देखा कि एक तरफ अमेरिका और चीन और साथ में पाकिस्तान अथवा हिंदुस्तान इन दो में से उसे चूज करना था तो उसने हिन्दुस्तान को पसन्द किया। वह कब चाहता था पाकिस्तान का ब्रेकअप? जिस 9 अगस्त की संधि का जिक्र हुआ है उस संधि के बाद जब इंदिरा जी मास्को गयी हैं तब भी उनका यह एटीट्यूड रहा और उसके बाद पेरिस में 28 अगस्त को जो कांनफ्रेंस हुई तो जिस वक्त बंगला देश का प्रस्ताव आया तो हमारे प्रस्ताव का विरोध किया रूस के नुमाइन्दों ने और सितम्बर में ग्रोमिको और रोजर्स जो फारेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के उन दोनों के बयान हुए हैं जब कि यूनाइटेड नेशंस असेम्बली की मीटिंग चल रही थी, बिलकुल एक लाइन से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वह नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को छोड़े। लेकिन जब मजबूरी होती है और जब हिन्दुस्तान की फौज हारती और चीन का कलकत्ते पर

कंट्रोल हो जाता तो सारे रास्ते उसके खुल जाते। रूस इसको कभी बर्दाश्त नहीं करता अगर कलकत्ता चीन के हाथ में चला जाता तो अन्तरर्राट्रीय संतुलन बिगड़ जाता तो वह कहना कि चीन आ जाता ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता और ऐसा रिस्क तो लेना ही पड़ता है और दुनिया में हर आदमी रिस्क लेता ।

इस सिलसिले में एक प्रोपेगेंडा यह भी किया गया कि जनता के उफान के सामने पाकिस्तान की आर्मी का जोश खत्म हो जायगा। इसलिये मदद करने की कोशिश नहीं की गई और थोड़े दिन तक यह चीज चली। फिर यह हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि जब पाकिस्तान की जूट और टी की आमदनी बन्द हो जायगी तो उसकी इकोनामी शैटर हो जायगी और पाकिस्तान हथियार डाल देगा। इसका बाद में जिक्र किया गया कि वर्ल्ड बैंक और अमेरिका एड देना बन्द कर देंगे तो पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था डूब जायेगी और वह हथियार डाल देगा। फिर यह हुआ कि दुनिया के दूसरे देशों से कहें कि वह अपना मारल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाले और उसको विवश कर दें। इसके लिये दुनिया के हर देश में मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स जाते रहे। क्या वे इतने नावाकिफ थे या कुछ जानत नहीं थ ? ऐसी चीज नहीं है। वे पूरे तौर से वाकिफ थे, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थी और वे हिन्दुस्तान को बढ़ना देखना नहीं चाहते थे और पाकिस्तान का ब्रक-अप नहीं चाहत थे। उनके सामन यही पालिसी थी। ये सारी बातें बेकार की थीं।

अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सीज फायर हमारी तरफ से आफर हुआ वह बड़ी भारी गलती है। माननीय त्रिपाठी जी जैसे व्यक्ति कुछ कह सकते हैं। हम लोग इतने इमोशनल हैं कि हमने जनरलाइज कर दिया कि हमने वह काम कर दिया जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता है। हम जीत रहे थे फिर भी हमने सीज फायर कर दिया। दुनिया इतनी इमोशनल नहीं है जितने हम लोग हैं मोटी-सी बात है कि आक्रमणकारी वे थ तो किस की तरफ से सीज फायर का प्रस्ताव होना चाहिये था ? मोटी सी बात ह कि हमारी फौज बराबर उस समय तक लड़ती रहती जब तक कि उधर से कदम पशी न होती। हम कवल एक शत अपनी तरफ से रख देते कि पीस और शान्ति की बात बाद में होगी, पहल शख मुजीबुरहमान को रिहा कर दिया जाय। इसके बाद सीज फायर होगा। अब इसके लिये दुनिया से अपील हो रही है। क्या पाकिस्तान उसको अब छोड़ेगा ? उस समय तो अपने हाथ में था और उसको मजबूर होकर छोड़ना पड़ता वरना हमारी फौजें बढ़ती चली जाती, दुनिया में कोई कह सकता था कि हिन्दुस्तान का यह नाजायज मतालबा था ? लेकिन अब तो आप करके बैठ गये ह। मेरी ही राय नहीं बल्कि यह आपके मिलिटरी आफीसरों की राय है कि पहली गलती को दुहराया न जाय। हमारे नौ जवान कुरबानी करें, उनका अपर हैन्ड हो और जिस इलाके को वह जीतें, उसको छोड़ दिया जाय। हमारे नौजवान तो अपने नाम के लिये, अपने देश के लिये कुरबानी करें और आप उनके जीते गये इलाके को छोड़ कर बठ जाय। इससे उनको तकलीफ होती है। मर जाती इल्म में एक बात है। मरी लड़की कश्मीर में हैं। मेरी बेटी के साथ ही में एक मजर की पत्नी थी, उसका पति पिछली पाकिस्तान की लड़ाई में मारा गया था हाजीपीर पर। एक महिला के लिये इससे अधिक अफसोस की बात और क्या हो सकती है ? उसको भी बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद जब हाजी पीर को वापस कर दिया तो मेरी लड़की का कहना था कि—'हर एंग्विश न्यू नो बाउन्ड्स।' उसके गुस्से की कोई सीमा ही न रहा। इस बार भी फौजों के आफीसरान का जो रुख था उसको भी आपने देखा होगा। लेफ्टीनेंट जनरल कैन्डेथ ने 17 तारीख को ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि

[श्री चरण सिंह--]

"वी आर प्रेस्ड विद एन्टी क्लाइमेक्स।" यानी उनका विचार था कि बढ़ती हुई फौजों को रोकना नहीं चाहिय था। उसके बाद कदाचित् जनरल मानिकशाह स कहा गया। शायद उनके कहन स कई दिन के बाद उनका फिर बयान निकला कि मरी मन्शा यह नहीं थी। लकिन इसस समस्या का हल तो होता नहीं है। अच्छा छोड़ दीजिय इसको। आज के ही पायनिर म मजर जनरल ओंकार सिंह कलकट का बयान निकला है। 2 जनवरी को उन्होंन फीरोजपुर में यह बयान दिया है। वह इस प्रकार है:--

"*Ferozpore. Jan.* 2.—Major General Onkar Singh Kalkat, G. O. C., Ferozpore Area, believes that Pakistan will again attack India, because a major portion of the Pakistani armour is still intact Addressing a victory day celebration at Guru Nanak College here to-day, Genl. Kalkat apprehended a bloody war ahead, because during the recent India-Pakistan conflict, the Pakistan army had not been seriously damaged, although its morale was low."

दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसे मामलों में कमांडर-इन-चीफ की राय को अवहलना नहीं करती है। मरी राय में भी कभी एसा नहीं करना था जो किया गया। उनकी मिलिटरी मशीन इनटैक्ट है। 75-80 हजार सनिक और बाकी पराट्रपस तो अकल बंगाल म ही पकड़े नहीं है। इस खयाल से उनकी मैन-पावर कम नहीं हुई है। उनके पास 4 लाख ट्रप्स थे जिनसे सवा तीन लाख अब भी मौजूद है। जहां तक मिलिटरी हाडवयर की बात है, आज भी अमेरिका उसको बराबर द रहा। जो पाकिस्तान के लोग यहिया खां क शाकी हैं वह इसलिय हैं कि उसने हथियार क्यों डाल दिय? आज तजी के साथ भुट्टो लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट होत जा रहे हैं, उसस क्या लगता है? कोई वार-मोंगर आयगा, एसी नहीं है भुट्टो मियां स्वय ही एक वार-मोंगर ह और उसन जो फौजों का कमांडर अबुल हसन को बनाया है, वह भी भारत के खिलाफ व्यूज का आदमी है। लकिन भुट्टो न जो इतन सार जनरलों को निकाल दिया है, उसस हो सकता है कि यह खुद हटा दिया जाय और मरा खयाल ह कि अप्रल के आखीर तक या ज्यादा स ज्यादा मई-जून तक उसको हटाकर भारत पर अटैक कर दिया जायगा। आफीसरों का भी यही खयाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमन गेन ही क्या किया है। जवाहर लाल नहरू की फेमिली की उदारता के बार मैं कोई दो राय नहीं हो सकती। उसूल तो गांधी जी के बहुत अच्छ थ। उनस हम सब पल ह। हम पर उनका असर पड़ा है। लेकिन जब लड़ाई की बात आती थी तो गांधी जी भी कहत थे कि तलवार उठाओ। कश्मीर के बारे म उन्होंन कहा था कि तलवार उठाओ और रक्षा करो। हम नामालूम कितनी गलती में पड़े हैं कि हमारी बड़ी उदारता मानी जायगी। माननीय त्रिपाठी जी, नहीं। ऐसे मामलों म उदारता का सवाल नहीं होता। कोई इस बात की कद्र नहीं करता। हमारे उसूल तो बीस सालों म बहुत अच्छे रहे। लेकिन आज हम कहां पर है दुनिया की निगाह में, या कहां थ बरसों तक ?

मुझ अच्छा नहीं लगता कि मैं यह कल्पना करूं कि माननीय इन्दिरा जी न रूस के दबाव से ऐसा किया, तबियत मेरी नहीं मानती। लकिन अगर एसा हुआ है तो और भी तकलीफदेह और दुखद बात है। तो जैसा मैंने कहा, यह बड़ी भारी गलती हुई है। इसके लिये हमें पछताना होगा।

जहां तक दूसरी कौमों को बधाई देने की बात है, ठीक है। मैं केवल यही कहूगा कि गर जरूरी ह, मत दो। क्योंकि फिर आप पब्लिक में इम्प्रेशन क्रियेट करने जा रहे हैं कि हमारे हर सुख-दुख का साथी रूस है। नहीं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। दो, एक दोस्त

सामने बैठे मुस्करा उठे हैं। हम तो जिन हवालों में पल हैं मुस्कराना ही है। लेकिन मुस्कराने से काम नहीं चलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वाक्या है या नहीं कि इसी अक्तूबर तक रूस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये ? और क्या यह वाकया है या नहीं कि पहले हम यह उम्मीद कर रहे थे कि हमसे भी पहले रूस बंगला देश को मान्यता देगा ? हमने 6 दिसम्बर को मान्यता दे दी है लकिन रूस ने आज तक उसे मान्यता नहीं दी है। क्या यह बिला वजह है ? यही नहीं, आप खुश हुये होंगे परसों के अखबार में यह पढ़ कर कि रूस मान्यता देने जा रहा ह, जल्दी कर रहा है, लेकिन कई हफ्ते लगेंगे। अगर जल्दी के माने कई हफ्ते ह तो मैं यह अपने माननीय मित्रों पर छोड़ता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

रूस न मित्रता का परिचय दिया इधर या नहीं ?

श्री चरण सिंह--

दिया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

तो जितना दिया उसके लिय कृतज्ञता प्रकट करना क्या कोई अपराध है ?

श्री चरण सिंह---

माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं जो मैं कह रहा हूं और सिर्फ वह प्वाइंट स्कोर करना चाहते हैं कि म यह कह दूं कि म कृतज्ञ नहीं हूं। मैं कृतज्ञ हूं लेकिन एक लेकिन के साथ और वह यह कि उसको भी हमारा कृतज्ञ होना चाहिये। (श्री कमलापति त्रिपाठी के खड़ होने पर) आप बीच में ही पूछेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप नाराज तो नहीं हो गये, मैं कुछ पूछना चाहता था ?

श्री चरण सिंह---

आज तो आप के भाषण पर मैं फिदा हो गया, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं ? कोई शंका न कीजिये (हंसी)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मेरे सौभाग्य की बात है। भला किसी पर आप फिदा तो हुये। (जोर की हंसी) मैं सिफ यह पूछ रहा था कि यदि किसी ने कोई भलाई कर दी है और उसके प्रति कृतज्ञता उस समय न प्रकट कर दी जाय तो दुनियां में कोई आप से मित्रता करने के लिय हाथ बढ़ायेगा ? यदि हम यह कहें कि तुम फलां वक्त हमारे खिलाफ थ ?

श्री चरण सिंह--

बढ़ायेगा। मैं एक बात कह चुका हूं। शायद मैं अच्छी तरह अपने मन्तव्य को जाहिर नहीं कर सका। वह यह कि कृतज्ञता जाहिर करने में तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन चारों तरफ से पार्टीज के रिजोल्यूशन्स हों और हमारे हाउस से रिजोल्यूशन हो तो मुझको आशंका यह है, जैसी भोली जनता यहां की है उस पर यह इम्प्रेशन पड़ेगा कि रूस हमारा बिना शर्त दोस्त है। इससे बस मुझे इतना अन्देशा है कि उसका गवर्नमेन्ट की पालिसी पर असर पड़ सकता है। यह बात बिना शर्त नहीं है, यह वही आवाज है जो मैं कहने जा रहा था कि 21 दिसम्बर,

[श्री चरण सिंह]

के करीब एक व्याख्यान दिया है रूस के एक लीडर ने और चीन को ललकारते हुए कहा है कि तुम भी क्या बात करते हो अब हम भी 80 करोड़ हैं (क्योंकि उस की 77-78 करोड़ की आबादी है) और उसके मुकाबले म रूस का लीडर कहता है कि अब हम भी 80 करोड़ हैं यानी 55 करोड़ भारत के लोग और 25 करोड़ रूस के खड़े हैं। इससे उनका लाभ यह ह कि वह आइसोलेट हो गये थे, इससे हमारा लाभ इतना नहीं है जितना कि रूस का है, उनकी जरूरत हमसे ज्यादा है, यह उनकी पालिसी है इसको आप न भूलें। आप इस बात का उत्तर क्यों नहीं देते? और इस पर गौर क्यों नहीं करते कि यह सब क्या हो रहा है? उनका आदमी जाकर बंगला देश की मिनिस्टरों से सीधा मिलता है, बंगला देश आज उनके सीधे असर में है, रूस चाहता है कि उसका सीधा सम्बन्ध विग्रड-ब्रो-को बंगला देश से हो। मुझे तारीख तो याद नहीं है लेकिन अभी अगस्त या सितम्बर की बात है कि वहां की जो एक प्राविजिनल गवर्नमेन्ट बनी उसमें जब तक कुछ कम्युनिस्ट शामिल नहीं कर दिये गये तब तक रूस को तसल्ली नहीं हुई। अब भी वैसी ही सूरत चली रही है, हमारी प्राइम मिनिस्टर से भी बात चल रही है और अब भी रूस व अमेरीका ताक में है कि किसी तरह से शेख मुजीबुर्रहमान को किसी लूज टाइप आफ फेडरेशन क लिये राजी कल लिया जाय। इससे तरदीद हो सकती है लेकिन यह भी एक सम्भावना हो सकती है। रूस ने वीटो किया उसके लिये हम उनके मशकूर हैं लेकिन अगर वह ऐसा न करता तो यू० एन० ओ० क्या करती? क्या दस दिन में कुछ होने वाला था? क्या वह मुजीबुर्रहमान को निकालते? उन्होंने इजरायल, साउथ अफरीका और रोडेसिया में क्या किया? हमारा तो दिल इतना नम है कि हम उनके अहसान को मानते हैं, दस गुना अहसान मानते हैं और कहते हैं कि हम रूस न जिता दिया। लेकिन यह बात आप समझ लें कि यह जितनी बड़ी पावर्स हैं उनमें से कोई नहीं चाहता कि हमारा मुल्क कोई बड़ी पावर बने.....नो बडी वान्ट्स टु सी ए बिग एन्ड प्रासपेरस कन्ट्री... हमें तो दुनिया के सामने केवल अपनी ताकत पर खड़ा ही होना है और अपनी ताकत पर खड़े होने पर ही हमारी और हमारे देश की इज्जत होगी। आज के हालात में हमें किसी तरह भी काम्पलेसेन्ट नहीं होना चाहिये, हमारी हर तरह की फौजी तैयारी होनी चाहिये और इस बंगला देश की आजादी के बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारी प्राबलेम्स और जिम्मेदारी और बढ़ गई ह, बंगला देश की आजादी के बाद हमारा सारा नार्थ ईसटर्न बार्डर खुल गया है अन्य देशों के लिय। हमारे सीधे सादे कमलापति जी पंडित जी हैं वह उपनिषद् से और रामायण से कोई कथा कह देंगे और जो देश की असली समस्या है उस की बात नहीं कहेंगे। तो कम्प्लेसेन्सी नहीं होनी चाहिये। एक बात तो यह है कि क्रिमिनल ट्राइब, पाकिस्तानी सोल्डर्स या दूसरे लोग जो हैं, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, उन्हें चाहे मुक्तिवाहिनी की सुपुर्द कर द और चाहे हमारी सरकार उन पर केसेज चलाये। जैसा माननीय त्रिपाठी जी और दुनिया ने माना जो अत्याचार वहां की लड़कियों, औरतों और इन्टलक्चुअल्स के साथ हुए हैं और जिसको श्री जोशी, कारेस्पान्डेन्ट, ने भी लिखा है, उनसे रोंगटें खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने ये जुर्म किए, वे फ्री चले जायं, मुनासिब न होगा। लिहाजा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जब कभी उनकी खुद की बातचीत माननीया इंदिरा जी से हो या सरकार की ओर से कोई चिट्ठी जाये वे यह मश्विरा जरूर दें कि इन गैर-शरीफ लोगों का ट्रायल जरूर करना चाहिये।

अब अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और वह है नेशनल डिफेन्स फन्ड जो वसूल किया जा रहा है। वह आज जबरदस्ती वसूल हो रहा है। हर आदमी पर कोटा फिक्स कर दिया जाता है, बिला लिहाज उसकी माली हालत के जब हमारे यहां पर बाढ़ और अधिक वर्षा में बरबादी हो चुकी है। हमारे लोगों की माली हालत बहुत खराब है। आज देश भक्ति से कोई आदमी खाली नहीं है। जिनके पास काफी धन है वे भरपूर धन देंगे। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं दे सकते हैं। बस्ती की बहुत सी बातें एक साहब ने हमें बतायीं।

एक दो बातें मेरठ की भी सुनने को मिलीं और इधर और उधर से भी बहुत सी बातें मेरे कानों में आयी हैं कि ज्यादती हो रही है। दबाव हो रहा है माननीय तिवारी जी से जो एम० एल० ए० कह देते हैं पता नहीं कि उसको वे दबाव मान रहे हैं या नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदि कहते हैं उससे कोआर्शन हो रहा है। मुझे याद है अंग्रेजी जमाने में वार फंड कलेक्ट हो रहा था। उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में था। उस वक्त मेरे कान में जो केसेज आये या लोग मेरी नोटिस में लाये मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा और सब का जवाब मुझे मिला। जो बात सही थी वह सही बतायी गयी। आज क्या होता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई पत्र लिख कर पूछें तो बता दिया जायगा कि बड़ी खुशी से दिया गया है। मैं समझता हूं कि वह नहीं होना चाहिये। आज लड़ाई नहीं ह, वह एटमास्फियर नहीं है, वह वातावरण नहीं है। लोगों को शिकायत का मौका मिल रहा है, लेकिन जो लोगों की तकलीफ है, वह मैं आपसे कह रहा हूं। इसी संदर्भ में एक बात कहूं 37 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को भत्ते के इजाफे में दिया है। फर्ज कीजिये कि अगर यू० पी० से 37 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाय तो यह धनराशि उन लोगों के भत्ते के इजाफे म चला गया। 142 करोड़ रुपया सिम्बर म एनौन्स किया गया। दुनिया में मिसाल नहीं मिलगी कि देश लड़ाई में संलग्न हो और हमारे नौजवान और हमारे अफसरान अपनी लाइफ को स्टेक करके दांव पर रखें हों अपनी जिन्दगी को और खुद गवनमेंट आफ इंडिया ने घटाया हो पांच परसेन्ट या दस परसेन्ट। ऐसा मुझे याद पड़ता है और जो लोग आराम से हैं शहरों में रह रहे हैं, केन्द्रीय कर्मचारी और वे भत्ते की मांग कर रहे हैं और आप भत्ता दे देंगे। वे तो भोले-भाले सिपाही हैं। कैसा भत्ता और कौन बढ़ा रहा है लेकिन मैं तो यह चैलेन्ज करना चाहता हूं कि दनिया में मिसाल मिलेगी नहीं। जरूरत थी एक वातावरण पैदा करने की, एक एकोनामी की, एक और सेक्रीफाइज की। लोग पैटन टैंक दे रहे हैं, नैट दे रहे हैं। यह तो देश में हवा है। आप यह भी सोच सकते थे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग नहीं है इस वक्त बढ़ाने की। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको तो एक और शिकायत भी है। मैं नहीं कहना चाहता हू अगर इलेक्शन हो गया तो श्री शिव कुमार पान्डेय जी को उनके जिले में बता देंगे। यह मैं अर्ज करना चाहता हूं.....(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि अगर राज कर्मचारियों को प्रधान मंत्री यह कह देती कि मैं उनको देश भक्त मानती हूं, हर आदमी देशभक्त होता है। ऐसे मौके पर अगर उन्होंने मांगा था, मुझे शक है उन्होंने मांगा हो। उन्होंने मांगा नहीं। कोई अक्लमन्द आदमी, यह कोशिश क्या कर सकता है या चाहेगा कि ऐसे मौके पर उनकी तनख्वाह का पैसा बढ़ाओ? उन्होंने नहीं चाहा। कुछ और ही हुआ। चाहे प्राइम मिनिस्टर ऐसे मौके पर कहें मैं यह जानता हूं कि उस वक्त तो अगर वे जानते कि हमारा दस परसेंट घट जायगा तो वे कर्मचारी फौरन राजी हो जाते। इसमें से हर आदमी राजी हो जाता। हमने दस परसेंट कटवाया। अगर यह जरूरत पड़े कि आधी तनख्वाह दे देंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी होगा जो इंकार करेगा? नहीं इंकार करेगा। चलो, उन्होंने मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं कहा कि अपनी कांग्रेस लीडरशिप में नहीं दिया जायेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसी बेमिशाल मिसाल हुई और आप ऐसे मौके पर कर्मचारियों को भत्ता दे रहे हैं। गरीबों से डिफेंस फंड वसूल किया जा रहा है। बस, एक दिन की उनकी तनख्वाह पांच करोड़ रुपये है, छोड़ दी। यह बताया कि कितना व्योरोक्रेसी का बवा ह? सवा अट्ठारह अरब रुपये और व्योरोक्रसी पर खर्च हुए सेंटर पर ही। मैं नहीं समझता था कि इतना खर्च हो रहा है। यह तो खुद ही अखबारों में आया। पांच करोड़ रुपये एक दिन की तनख्वाह अदा की थी। 32 करोड़ रुपये का क्या हुआ? क्या बात है? एक ऐसी बात हुई है अनहोनी। इससे मालूम होता है कि मानो एहसास ही नहीं है लोगों जनबे का और गरीब का। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं फिर अपने आपको सम्बद्ध करता हूं

जो कुछ इस प्रस्ताव में लिखा गया है अपने को अपने साथियों को भी और जो कुछ माननीय त्रिपाठी जी ने कहा है इसके मातहत या अधीन उन चन्द बातों में जो मैंने उन्हें और गौर के लिये पश की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन दिये गये हैं ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

मेरी तबियत खराब है । अगर आप····

श्री उपाध्यक्ष—

सभी बैठे हैं माननीय धर्म बीर सिंह जी का प्रस्ताव है वे है नहीं । माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी का संशोधन है जो बाद को आया है .... अब श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का संशोधन का प्रस्ताव लिया जायगा ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं नेता सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पैराग्राफ 3 की तीसरी पंक्ति में शब्द 'बधाई देता हूं' तथा विराम के बाद तथा "इस सदन' के पहले निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—

"और साथ ही यह सदन यह आशा करता है कि हमारा नेतृत्व बहादुर जवानों द्वारा जीती गयी पाकिस्तान की भूमि पर से भारतीय सेना को उस समय तक नहीं हटायेगा जब तक कि पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे में जम्मू कश्मीर का सम्पूर्ण भू-भाग तथा इस लड़ाई में कब्जा किये हुये अन्य भू-भाग को वापस नहीं कर देता और भारत पर थोपी गई इस लड़ाई में हुई कुल क्षति को पूरा नहीं कर देता।"

मान्यवर यह जो बधाई का प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने रखा है, मैंने प्रारम्भ ही में कहा है कि मैं इसमें कुछ संशोधन के साथ समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर मैं, गणतंत्र बंगला देश का स्वागत करता हूं । मुक्तिवाहिनी का स्वागत करता हूं और सरकार का अभिनन्दन करता हूं और मुजीबुर्रहमान की रिहाई की मांग करता हूं । मान्यवर, जिस वक्त हमारे देश का विभाजन हुआ, उस वक्त हमारा सही नतृत्व नहीं था। सही नेतृत्व न होने के कारण ही भारत का अप्राकृतिक विभाजन हुआ । भारतीय जनसंघ ने प्रारम्भ से ही इसके विरुद्ध नारे लगाये थे। उसी वक्त हमने कहा था यह पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का अलग-अलग होना ठीक नहीं क्योंकि वे एक-दूसरे से 1,500 मील की दूरी पर हैं। पूर्वी पाकिस्तान किसी प्रकार आजाद होकर रह नहीं सकता है। वह पश्चिमी पाकिस्तान का एक उपनिवेशन ही बन कर रहेगा । इसका समर्थन मुहम्मद अली साहब ने जो पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे किया था । लेकिन हमारी बात न मानी गई । जिसका यह परिणाम है कि वहां साढ सात करोड़ की आबादी होते हुए भी 10 प्रतिशत पुलिस सर्विसेज में, लगभग 10 प्रतिशत मिलिट्री में उनको स्थान दिया । करीब-करीब सभी सर्विसेज में इनको 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व मिला । इसके अतिरिक्त जो भी विकास कार्य हुआ पूर्वी पाकिस्तान में—इस समय जो बंगला देश है वह भी पूरे पाकिस्तान का 15–20 प्रतिशत था । जिसका नतीजा यह हुआ कि बंगला देश के लोगों का शोषण होता रहा और वहां के लोग समय-समय पर इसके विरुद्ध आवाज उठाते रहे । इस शोषण को कायम रखने के लिये पश्चिमी पाकिस्तान को सैनिक शासन की जरूरत महसूस हुई और इस तरह से सैनिक शासन की उपज हुई । अन्ततोगत्वा गत वर्ष जब यह स्थिति पैदा हुई कि आम चुनाव होंगे तब बंगला देश के लोगों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मन में ऐसी जागृति पैदा हुई कि यहां लोकतंत्र की स्थापना होगी और यहां के लोग ही देश में शासन करेंगे तथा अपनी इच्छानुसार विकास करेंगे । यह बात पाकिस्तान के सैनिक शासकों को स्वीकार न थी, और उन्होंने उसी बीच में कुचक्र रचा और 25 मार्च को वहां अपनी फौजें उतार दीं और नर संहार करना आरम्भ कर दिया । इसके बारे में जैसा माननीय चौधरी साहब और माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा, बंगला देश के लोगों के मन में में स्वाधीनता की आग जगी और वह आग बुझी नहीं। वहां लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया । शेख मुजीबुर्रहमान तो जेल के अन्दर चले गये, लेकिन जितने नवजवान थे, जितने राजनैतिक दल थे, उन्होंने एक होकर वहां संघर्ष छेड़ दिया और सब मुसीबतों को झेलते हुये आगे बढ़ते गये और स्वतंत्रता के लिये बराबर लड़ते रहे। उसका जो परिणाम निकला वह आपके और हमारे सामने स्पष्ट है, जनता के सहयोग से तमाम कठिनाइयों को पार करते हुये उन्होंने आज का दिन देखा जाय कि बंगला देश का स्वतंत्र अस्तित्व हमारे सामने आया। बंगला देश की विजय जनसंघ की नीतियों की सफलता का परिणाम है । धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण गलत है---द्वै-राष्ट्र का सिद्धान्त का जनसंघ ने सदा से ही विरोध किया और कहा कि यह भी रह ही नहीं सकता। दूसरी बात, मान्यवर, सदा से हम यही कहते आये हैं कि धर्म निरपेक्षता लोकतंत्र से इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है और उसी से भारतवर्ष स्वतंत्र रह सकता है। हमने ही अखंड भारत का नारा शुरू से लगाया और, मान्यवर, आपने देखा कि यह हमारी नीतियों का प्रथम चरण था ।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम धारी शास्त्री, पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस संबंध में मैं एक बात और रख देना चाहता हूं । बंगला देश की लड़ाई के दो पक्ष हैं---एक तो मुक्ति वाहिनी और दूसरी जो भारतवर्ष से सहायता मिली । इसका एक पक्ष यह भी है कि यह दिन इतिहास की एक ऐसी चीज है जिसको भुलाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना ने अमानुषिकता के साथ वहां की जनता के साथ व्यवहार किया । मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि माननीय चौधरी साहब ने जो न्यूरेमवर्ग के ट्रायल की बात कही है मैं इस संबंध में आपकी आज्ञा से एक वक्तव्य पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो मान्यवर, महामंत्री बंगला देश महिला परिषद का है :—

"व्यापक नरसंहार के साथ-साथ वहां हमारी महिलाओं को बहुत यातनाएं दी जा रही ह, हर उमर की औरतों का बलात्कार, उनके गुप्तांगों को काट देना, जिससे वे चिल्ला-चिल्ला कर मरती है, गर्भवती महिलाओं के पेट में संगीन धोंपना, माताओं की गोद से शिशुओं को खीचकर आग में फेंक देना, छोटे बच्चों को हवा में फेंकना और सीधे गिरने पर उनके शरीर में संगीनें भोंकना, आदि ऐसे जघन्य अत्याचार हैं, जो याहिया खां के खूनी कुत्ते वहां पर कर रहे हैं"

जहां हमने तारीफ की मुक्तिवाहिनी और मुजीबुर्रहमान की और पूर्वी बंगाल के लोगों की वहां हम यह कहना चाहते थे कि जिन्होंने मानवता के विरुद्ध ऐसे जघन्य अपराध किये और 15 लाख व्यक्तियों की हत्या की ताकि वह बौद्धिक व्यक्ति जो लोकतंत्र में प्रेम रखते हैं वह उभरने न पायें जिन्होंने युद्ध की परम्पराओं के विरुद्ध घोर अपराध किये उन अपराधों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये हमारी सरकार को एक इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना करना चाहिये और उन अपराधियों का न्यूरेम्बर्ग ट्रायल की तरह ट्रायल हो ।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं सेना की तारीफ की बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, पाकिस्तान द्वारा यह चौथी बार आक्रमण हमारे देश पर हुआ है जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। विजयवाहिनी सेना के शौर्य और पराक्रम से ही देश को आज यह दिन देखने को मिला है। हमारी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---]

सरकार की गलत नीतियों के कारण सन् 1962 में हमारे इन वीरों को बुरे दिन देखने को मिल लेकिन उसके बाद की तीन घटनाओं में ऐसी स्थिति हुई और उन्हें अवकाश मिला अपना पराक्रम दिखाने का कि दुश्मन के एक लाख सिपाहियों ने आत्म-समर्पण किया । ऐसी कुशल रण नीति मान्यवर, हमें देखने को भारतवर्ष के इतिहास में नहीं मिली । इसलिये मैं कह रहा हूं कि आज सारी दुनिया की शक्तियां इससे चमत्कृत हो गई है और हमारे चौधरी साहब ने यह सही कहा है कि सचमुच में आज सारे देश में आत्म विश्वास की लहर फैल गयी है और दुनिया के देश यह सोचने लगे हैं कि भारत अपनी गौरवपूर्ण प्रथाओं को कायम रख सकता है और दुनियां की कोई शक्ति उसकी आंख के सामने नहीं टिक सकती । अतः हम अपनी विजयवाहिनी सेना के जल, थल और नभ सेनाओं के लोगों को बधाई देते हैं और ऐसे वीरों के प्रति जिन्होंने वीरगति प्राप्त की उनके प्रति मैं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता था । केंद्रीय और प्रांतीय सरकार ने इन वीर सैनिकों की सहायता के लिये कुछ घोषणायें की हैं, बाबू जगजीवन राम ने उनकी सहायता के लिय कुछ घोषणायें की हैं, मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहता था । प्रांतीय सरकार को भी एक ऐसी समिति गठित करनी चाहिये जिसमें फौज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और समिति के सामने यह निर्णय हो कि कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं जिसकी सहायता ऐसे सैनिकों को देनी चाहिये । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । अभी यह बात हुई कि वीरगति पाने वाले सैनिकों को आर्थिक सहायता दी जाय । श्रीमन्, आर्थिक सहायता से जो अभी उनके मरने से कमी हुई है वह पूरी नहीं हो सकती, उनके परिवार की वह कमी पूरी नहीं हो सकती है और न उनकी आत्मा को शांति मिलेगी । जिस वक्त लड़ाई छिड़ रही थी पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी । उसने कहा था कि अंतिम लड़ाई है और हमारे जवानों ने भी इसको स्वीकार किया था कि यह अंतिम लड़ाई होगी। यही उनका उद्देश्य था कि ऐसी स्थिति भविष्य में न रह जाय कि फिर हमने और पाकिस्तान से लड़ाई होने का अवसर आये। उनकी चुनौती को हमने स्वीकार किया और अपने मन में इस बात को रखा था कि फिर ताशकन्द की पुनरावृत्ति नहीं होगी । पुराने इतिहास को देखते हुए यह शंका हो जाती है। 1 जनवरी, 1949 को युद्ध बन्दी हुई थी तब हमने 1/3 हिस्सा काश्मीर का पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया । यह पहला उदाहरण है । 4 मई, 1965 को हमने युद्धबन्दी की और उस दिन हमने कच्छ का एक भाग पाकिस्तान को समर्पित कर दिया। तीसरी युद्धबन्दी 23 सितम्बर, 1965 को हुई इस दिन हाजीपुर और कारगिल को उनके सुपुर्द कर दिया। जिस स्वतंत्रता को हमने अपने जवानों के रक्त से सींचा था उस भूमि को हमने उनके सुपुर्द कर दिया। इस पर वह इस आशा से लड़े थे कि हम जीती हुई भूमि को किसी भी हालत में वापस नहीं करेंगे । उसी संदर्भ में मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि कहीं दूसरा ताशकन्द दोहराया न जाय। मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वह किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति न पैदा करें कि ताशकन्द दोहराया जाय। पाकिस्तान को जितनी भूमि हमारे कब्जे में इस समय है उसको हम उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि काश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास चला गया है वह वापस न मिल जाता। हम उस समय तक अपनी सेना को भी वहां से नहीं हटायेंगे, जब तक कि जो क्षति हमारी हुई है पाकिस्तान उसकी पूर्ति न कर दे । पिछली लड़ाई में 400 करोड़ रुपये का माल हमारा पाकिस्तान ने पकड़ लिया जो उसने आज तक नहीं लौटाया है जबकि जो सामान भारत ने पकड़ा था वापस कर दिया गया। अब जब तक कि हमारी क्षति पूर्ति नहीं की जाती तब तक हमारी सेना उस भू-भाग से नहीं हटेगी और जो पाकिस्तान की भूमि हमारे पास आ गई है वह वापस नहीं की जायेगी। मैं यह भी कहूंगा कि ऐसी सामरिक महत्व की जो भूमि हमारे

कब्जे में आ गई है उसको हम वापस नहीं करें। उसके कारण हैं। अगर सामरिक महत्व की भूमि को वापस कर दें जिसका ज्ञान हमको तो नहीं है और हमारे जनरल्स को ही है, जिसका हमारे देश की सुरक्षा के लिये सदैव से ही महत्व रहा है और रहेगा इस कारण ऐसी सामरिक महत्व की भूमि को हम किसी भी सूरत में वापस न करें।

अब मैं दूसरे प्रस्ताव पर आता हूं जो इसका तीसरा अंग है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्रायः सभी बातें कह दी हैं और उस को पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, यह प्रधान मंत्री को बधाई देने की बात है। हमारे प्रधान मंत्री की दृढ़ता, नेतृत्व के लिये हम उनको बधाई देते हैं। उन्होंने हमारी फौज को ऐसा अवसर दिया कि वह अपना पराक्रम, वीरता, शौर्य का वह प्रदर्शन कर सके जिसके लिये हम सभी उनके आभारी हैं। हमारी फौज के जो सिपाही थे जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया और जिसके कारण ही हमारी जीत हुई और दुनियां में हमारा मस्तक ऊंचा हुआ और सारा देश जिसके कारण गौरव का अनुभव करता है। हम अपने प्रधान मंत्री को उनकी दृढ़ और कुशल नीति के लिये बधाई देते हैं।

दूसरी बात यह है कि हम जनता को बधाई देते हैं जिसने अभूतपूर्व त्याग और देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर सरकार का समर्थन किया और एक दीवार बन कर फौज के पीछे खड़ी रही। उसने भारी एकता का परिचय दिया। उस जनता में चाहे विद्यार्थी हों, चाहे लेबर हों और चाहे वह किसी भी वर्ग के हों उन सब को मैं बधाई देता हूं। एक ऐसा समय था जब कि हर वर्ग अपने भेदभाव को भुला कर अपने देश के हित में बिना किसी रिजर्वेशन के समर्थन दिया उसके बाद मैं मान्यवर, विरोधी दल को भी बधाई देता हूं। यद्यपि मैं भी विरोधीदल में से एक हूं। मैंने इसलिये विरोधी दल को समर्थन की बात कही कि विरोधीदल के मन में शंका की बात सम्पन्न हो सकती है। राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा में कोई भाषाई, प्रान्तीयता की बात हो सकती है लेकिन इन सब को भुला कर जिस प्रकार से हमारे देश की सारी जनता के साथ दिया उसी प्रकार से विरोधी पार्टी ने अपने-अपने दलीय मतभेदों को भुला कर, अपनी प्रतिद्वन्दिता को भुला कर, अपने सारे भविष्य के विचारों को भुलाकर इस सरकार के हाथ मजबूत किये और प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत किये। आज यह सोचने की बात हो सकती है कि क्या अकेले ही प्रधान मन्त्री ने इस जीत को पाया है? अब इस सम्बन्ध में म इतना ही केवल कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा और चौधरी साहब ने उसका जिक्र नहीं किया कि रामलीला मैदान में दिल्ली में जो प्रधान मंत्री का भाषण हुआ वह बड़ा ओजस्वी था। उस भाषण को जिस रूप में उन्होंने प्रारम्भ किया मैं उस दिन इलाहाबाद में था। उसको उन्होंन इस तरह से शुरू किया कि अभी हमने एक पहलीबार लड़ाई लड़ी है जिसमें लोगों ने हमारा साथ दिया और अब दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जिस तरह से इसको राजनैतिक रंग दिया क्या वह राष्ट्रीय निष्ठा की कसौटी पर खरी उतरती है? क्या आज इस सारी जीत का श्रेय वह अपने झोले में रखना चाहती हैं? मान्यवर, यह मानी हुई बात है कि पाकिस्तान बराबर धमकी दे रहा है। यह संकटकालीन स्थिति है। अगर हमारे यहां संकट की स्थिति है तो इसका दुरुपयोग न किया जाय। मैं जानता हूं कि उनके पीछे इस समय में सारा राष्ट्र एक पुरुष की तरह से खड़ा था। मगर शासक यदि यह समझता है कि यह अच्छा मौका है इस अवसर से लाभ उठाया जाय तो यह कहां तक उचित है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चुनाव के विरुद्ध हूं। मेरा केवल यह निवेदन है कि अगर इन सब बातों के साथ इस चुनाव की बात को न जोड़ा जाता तो बात समझ में आती। सारे देश में चुनाव की बात कर रहे हैं मैं जानता हूं लेकिन जब यह हजारों विधवायें कराह रही होंगी, जिन पिताओं ने अपने पुत्र को इस युद्ध में बलिदान कर दिया है और उनके हृदय का घाव सूख भी नहीं पाया है तो उस समय इस प्रकार की इलेक्शन की बात इस तरह से करना क्या शोभा देता है? लोक सभा में एक विधेयक पेश होने वाला था कि चुनाव रोके जा

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---]

रहे हैं। दो रोज बाद वह विधेयक आने वाला था लेकिन वह विधेयक अब रुक गया है। अब चुनाव होने जा रहे है। यह केवल मनोवृत्ति की बात है कि किस तरह से उसको सोचा जा रहा है। वह क्या चाहते हैं इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देशवासियों के बलिदान पर हजारों लाखों सिपाहियों के आहुति होने पर ऐसे समय में कुर्सी पर बैठने की बात करें क्या यह उचित होगा ?

दूसरी बात, इसका एक पहलू और है। युद्ध विराम के बाद लड़ाई बन्द हुई। युद्ध-विराम से हम भी सहमत नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह की दो बातों से हम भी इत्तिफाक करते हैं। एक तो यह कि 6 महीने पहले यदि लड़ाई छेड़ दी गई होती तो आज पन्द्रह हजार आदमियों का नर-संहार न हुआ होता और कई करोड़ रुपया न खर्च हुआ होता। अब लड़ाई छड़ने से, इतने दिनों बाद लड़ाई छेड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ है। एक गुड काडंक्ट का सर्टिफिकेट अवश्य हमारी प्रधान मन्त्री जी को मिल गया, वकील की तरह तर्क प्रस्तुत करने का अवसर भले ही उन्हें मिल गया हो, इसके अलावा कोई लाभ नहीं हुआ है। यह तर्क इलेक्शन के लिए काफी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता को हम देखें तो इससे हमारा वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ। परिस्थिति में क्या बदलाव हुआ ? कई लाख हमारे आदमियों की जान बच सकती थी यदि यह कार्य को कुछ समय पहले किया गया होता। लड़ाई हमने बन्द की हम इससे सहमत नहीं हैं। लड़ाई न बन्द की जाती तो अच्छा होता। हमारे मन में भी यह शंका है कि लड़ाई किसी और के असर से बन्द की गई है। क्योंकि कोई जीता हुआ राष्ट्र लड़ाई अपनी तरफ से बन्द करेगा, यह बात समझ में नहीं आती है।

आज युद्धबन्दी हुई, अब शेख मुजीबुर्रहमान को छुड़ाने की बात करनी चाहिए, बन्दियों को छुड़ाने की बात करनी चाहिये, जमीन के इधर-उधर की बात करनी चाहिये, लेकिन यह चीजें आज एलेक्शन के पुकार में छिप गई है। आज यह मंहगाई क्यों बढ़ रही है, बेकारी क्यों बढ़ रही है, टक्सों का बोझ जनता पर क्यों बढ़ रहा है ? आपने शासन में मितव्ययता कौन सी की है, इस प्रान्त में आपने क्या किया ? क्या सहयोग आपने दिया, आदि तमाम प्रश्न इस समय शासन के सामने रखे जाते, और उसका जवाब आपको देना पड़ता, लेकिन आज चुनाव के आड़ में उन्हें दबा देने का अवसर मिल गया है। जैसे तिवारी जी ने बाढ़ का बहाना लेकर कह दिया कि हम कोई विकास का काम नहीं कर पाये, वैसे ही आज की परिस्थितियों में महंगाई और बेकारी की बातों को चुनाव के कारण से सरकार अन्तराल में ले जाना चाहती है। आज की परिस्थिति में मान्यवर, इन्होंने जो पांच वर्षों के लिए कुर्सी लेने का प्रयास किया, म समझता हूं, यह सराहनीय नहीं है, इसे हम निन्दनीय ही कह सकते हैं। इसे वह काम में न लायें, हर वक्त यह कहा जाए कि यह शानदार विजय अकेले हमारी जीत नहीं है और चुनाव में इसका प्रचार न किया जाये, तो मैं समझ सकता हूं कि नेकनियती से इनकी सरकार चुनाव लड़ना चाहती है। हम दोनों पक्षों--सरकार और विपक्ष को सामने रखें तो देखते हैं कि सरकार ने इसका फायदा उठान का प्रयास किया है और विपक्ष ने निस्वार्थ भाव से ऐसा करके अपने देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का परिचय दिया है।

अब मैं संशोधन का समर्थन करते हुए चौथे अंश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने समय-समय पर उद्योग किया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये, हमें दूसरे देशों से कोई मदद नहीं लेनी चाहिये, कर्ज नहीं लेनी चाहिये। लेकिन आज 24 वर्षों बाद उनके समझ में यह बात आई है कि कर्ज नहीं लेना चाहिये, जब कि हमारे देशवासियों का बाल-बाल गिरवीं हो चुका है। भारतीय जनसंघ इन दोनों बातों को बहुत पहले से कहता आया है। हमें उतना ही अपना पैर पसारना चाहिये, जितनी लम्बा हमारी चादर हो। उसने यह भी कहा था कि हम आत्मनिर्भर नही होंगे और उसमें स्ट्रिंग्ज होंगे। ऐसे संकट के समय आ सकते हैं जब हमारे विदेशी देश हमें धोखा दे सकते हैं, जैसे अमेरिका ने हमारे साथ

किया। इस लड़ाई में बहुत सी चीजें हमारे सामने आयीं। इस युद्ध काल में हम को शत्रु और मित्र की परख मिली, हमारी वैदेशिक नीति क्या होनी चाहिये इसकी कसौटी राष्ट्र होता है। लेकिन हमारी सरकार राष्ट्र हित नहीं देखती थी। हमने खुश करने की बात को भी देखा, चाहे अन्दर के लोग हों या बाहर के देश हों। 104 राष्ट्रों ने विरोध किया। उन राष्ट्रों ने साथ दिया जो रूस के दबाव में थे। हद हो गयी, लंका जिसका परम्परा से साथ चला आ रहा था, जब लंका में विद्रोह हुआ तो हमने फौज भेजी, लंका ने भी विरोध किया। मिस्र का हमने स्वेज के मामले में साथ दिया, उसने भी हमारा साथ नहीं दिया। हमारी सब से गलत नीति अरब देशों के प्रति रही। चाहे अरब देश हों, या अफ्रीका के देश हों, सब ने विरोध किया, किसी न किसी देश के दबाव में आकर सबसे अधिक कटु अनुभव हमें पश्चिमी एशिया में हुआ, अरब देशों के हित में सारे अंडे हमने एक थैली में रख दिये लेकिन हमने देखा कि उन्होंने हमारा विरोध किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राष्ट्र की वैदेशिक नीति पर निर्णय लेने में राष्ट्रहित ही कसौटी मानना चाहिये। अब से सरकार को चाहिए कि अपनी नीति में परिवर्तन करें।

हमने प्रधान मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि अरब देशों के प्रति जो नीति अपनानी है उसमें वह कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं समझती। हमने अपने मन में समझ लिया। कोई दूसरी शक्ति है जो ऐसा दबाव डाल रही है जो इनके मन में ऐसी बात आयी। जो इस देश के अन्दर तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिये कह रही हैं। वरना रबात से लेकर आज तक सारी घटनाओं का मूल्यांकन करें तो यही बात है कि इन देशों ने कभी साथ नहीं दिया। बल्कि इजरायल ने जिसका हमने विरोध किया उसने साथ देने का किसी न किसी रूप में निर्णय लिया। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हमारी सरकार गलत नीति अपनाने जा रही है। हम को एक बात की और चिन्ता है, जिस दल का मैं हूं, एक भावना हमारे मन में उठती है, चाहे पश्चिमी देश हों, चाहे अरब देश हों, वहां के लोगों ने गुट बनाया है, उन पर हमारा भरोसा हो नहीं सकता। बेरूत में एक मुसलिम आफिस है उसने कहा कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिये, उसने यह अपील की। इस लड़ाई से यूनाइटेड नेशंस के सम्बन्ध में यह धारणा बन गयी है कि जैसे पहले युद्ध के बाद लीग आफ नेशंस की मृत्यु हुई क्योंकि वह बिलकुल इनएफेक्टिव साबित हुई, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस की मृत्यु होगी। वह बिलकुल इन एफेक्टिव साबित हुआ। दुनिया में इतना बड़ा नरसंहार हो, सारी दुनिया का कांशंस जाग्रत न हो, बल्कि उल्टे भारत को दोषी ठहराएं जब कि भारत ने मानवता का रास्ता अपनाया था। तो यूनाइटेड नेशन्स की यह स्थिति रही और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वह एक दम बेकार साबित हुई।

अमेरिका के बारे में हम सब को महान् क्लेश हुआ और उसके इस रवये की मैं भर्त्सना करता हूं। जो अपने को डिमोक्रेसी का पोषक समझता था उसने हमारा साथ नहीं दिया बल्कि एक डिक्टेटर का साथ दिया। चीन जो जन मुक्ति के बारे में कहा करता था उसने भी फौजी शासन का साथ दिया और एक लिबरेशन मूवमेन्ट जो चल रहा था उसको दबाने के लिये विरोधी शक्ति का साथ दिया। यह भी गलत साबित हो गया। कि कम्युनिज्म चारों तरफ एक साथ दुनिया में फैलेगा। कम्युनिज्म के भी दो टुकड़े हो गये। एक डेमोक्रेसी की तरफ चला गया और दूसरा डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया उसका कोई सिद्धान्त नहीं है। दुनिया के हर देश के बारे में जब मैं सोचता हूं तो यह पाता हूं कि सब ने एक रास्ता अपनाया है कि उसके राष्ट्र का हित किस चीज में है। रूस के बारे में मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने कहा इस संकटकाल की स्थिति में जो कुछ रूस ने दिया उसके लिये हम कृतज्ञ हैं लेकिन हमारी वैदेशिक नीति का निर्धारण इसी आधार पर नहीं होना चाहिये। हमको देखना होगा कि इस शक्ति संतुलन के युग में कौन राष्ट्र किधर जायगा अपने को बलवान बनाने के लिये। चौधरी साहब की यह शंका

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—]

अपनी जगह सही है कि ऐसी शक्तियां जो पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहेंगी। रूस के एक महान नेता का अभी हाल में मैंने भाषण सुना। आज भी बंगला देश का प्रयोग नहीं हुआ।, ईस्ट पाकिस्तान का प्रयोग हुआ। उसका कारण भारतवर्ष का विरोध नहीं है। इतना अवश्य मैं कहना चाहूंगा कि वह पाकिस्तान को अप्रसन्न नहीं करना चाहेगा और अगर कोई देश उसकी शक्ति बढ़ाने में सहयोग देता प्रतीत होगा तो दूसरा ताशकन्द पैदा करने की स्थिति वह पैदा कर सकता है। जैसे ही सीज फायर हुआ समय समय पर प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मंत्री के वक्तव्य हुए कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, स्वयं निर्णय लेंगे। मैं सुरक्षा मंत्री की तारीफ करता हूं उसके लिये जो कुछ उन्होंने किया ऐसी कठिन परिस्थिति में। एक बात जो चौधरी साहब ने कही उस पर इस सरकार को सोचना होगा कि सत्तारूढ़ दल ने इस समय जो रवैया अपनाया है विजय का सारा श्रेय अपने ऊपर लेने का और एक आवाहन-सा छेड़ दिया है उसके लिये तो एक शंका उत्पन्न होती है अगर फिर कहीं संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि आप कहते हैं कि पाकिस्तान रोज युद्ध की धमकियां देता है तो फिर कैसे वह अवसर आयेगा सारे दलों से यह कहने के लिये कि वह आप के साथ आवें। भले हो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो कर हम आपके साथ आयेंगे लेकिन आप की हिम्मत कैसे बढ़ेगी यह कहने की सारा समाज आपके साथ है, सारा देश एक है और सारे राष्ट्र व देश की जनता को एक हो जाना चाहिये। इस चीज को ध्यान में रख कर सरकार को आगे का कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यदि आप की इजाजत हो तो मैं बैठकर बोलूं ?
(इस समय 3 बजकर 14 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनःपीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठकर बोल सकते हैं।

चौधरी गिरधारी लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया है बंगला देश के सिलसिले में, कि इस 9 महीनों के अन्दर हमारे और पाकिस्तान के बीच एक नये राज्य का उदय हुआ है, उसके अन्दर जो भी गतिविधियां और जो-जो कठिनाइयां हुई हैं उसमें कितना रोल हमारे देश का, हमारे देश की जनता का और हमारा रहा है। कुछ बातें हमें इस बात के लिये प्रेरित करती हैं कि हम उसका स्वागत करें जिसमें कि इतनी कुरबानियों के बाद एक नये बंगला देश का उदय हुआ है। इस वक्त ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है वास्तव में जिस वक्त हमारा पूरा मुल्क आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उसी का वाई-प्रोडक्ट यह पाकिस्तान है। हिन्दुस्तान ने कुछ सिद्धांत कुछ वसूल तथा एक फिलासफी जो कि गांधी जी ने इस मुल्क को दी थी, उससे प्रेरित हो कर वह हमेशा आगे की ओर और हर स्टेज पर वह राजनीतिक सीढ़ी पर आगे दिन-ब दिन बढ़ता चला गया और उन्हीं बातों के नाते एक स्टेज पर जाकर यह हुआ कि सारा मुल्क आजाद हुआ। आजाद होते हुए इस मुल्क के दो टुकड़े हुये। जिस वक्त दो हुये उस वक्त यहां पर एक डिमोक्रेटिक सोशलिज्म तथा सेक्युलरिज्म स्थापित हुआ और वहां पर थ्यूरोक्रेटिक स्टेट का धर्म हुआ। जैसा कि नेता सदन ने यहां पर जिक्र किया कि धर्म के वसूलों पर यदि वास्तव में पाकिस्तान चला होता तो तब भी उसका मान होता। यह एक अजीब सी बात है और कंट्रोडिक्टरी (प्रतिरोधात्मक) बातें हैं जो कि वहां पर होती रहती है। जहां तक पूर्वी बंगाल या पाकिस्तान का प्रश्न है स्वभावतः जो असर वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ना चाहिये वह असर वहां पर रहा। बंगाल चाहे वह पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो वह पेट्रोटिज्म से ओत-प्रोत है। इसके लिये उसके सामने हिन्दू या मुसलमान या किसी भी धर्म के सवाल की बात नहीं है, बल्कि सवाल देशभक्ति का है और इसी नाते प्रांतीयता भी उसके अन्दर बहुत ज्यादे है और उसके मुकाबले में किसी भी देश की संस्कृति उसे बरदाश्त नहीं कर पाती। जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ उसी वक्त से वहां पर हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से साथी इस बात की जानकारी रखते होंगे कि उसी वक्त से वहां पर इस बात की बेचैनी थी और वह बेचैनी स्वाभाविक ही थी। वह एक रेशनल तरीके से एक डिमोक्रेटिक ढंग से अपने देश की हुकूमत को पसन्द करते थे लेकिन उसको एक उपनिवेश जैसे बनाया गया क्योंकि उसके सामने उनकी संस्कृति का सवाल था। दो सौ करोड़ रुपये साल के नुक्सान को वे बरदाश्त नहीं कर पाते थे और हमेशा मुझे याद है जिस वक्त मिरजा सिकन्दर 1949–50 में पश्चिमी पाकिस्तान से वहां पर उन लोगों को दबाने के लिये भेजे गये थे उस समय यह प्रश्न उठा और वे खुद दबा दिये गये और तब से यह चीजें सुलगती रहीं। जब वे परिपक्व हो चुके तो वह उभर कर इस 1971 में चुनाव के पश्चात् सामने आयीं।

उस वक्त, जैसा मैंने कहा, आज के इस युग में यह थियोक्रैटिक किस्म की स्टेट चल नहीं सकती। और उन्होंने जो अपने मुल्क के अन्दर नारा दिया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उसी की बुनियाद के ऊपर ९९ फीसदी कामयाबी उनको अपने चुनाव में हुई और उसके बाद यहिया खां की या पश्चिमी पाकिस्तान की आंखें खुलीं और उसके बाद जो-जो किस्से वहां पर हुए वह एक ऐसी तवारीख बनी जोकि हम लोगों की याद से कभी नहीं मिटाई नहीं जा सकती। और जैसे ही वहां पर एक विद्रोह खड़ा हुआ, इधर की तरफ से मुक्तिवाहिनी को वहां की फौज का दर्जा दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक गवर्नमेन्ट कायम की और हमारे पूरे देश ने मान्यता की मांग की। वह इसलिये की कि हमारा जैसा देश जो कि डमोक्रैटिक सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था और जिसके अन्दर खुद भी से कुलरिज्म था वही मांग उसी की थी। साथ ही हमारा एक पड़ोसी देश है। अगर उसके अन्दर अन्याय, अत्याचार और पौशाचिक वृत्तियों की ज्वालाएं भड़क रही हों तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। यही कारण था कि उस वक्त लोक सभा ने और हर विधान सभाओं ने और बड़े-बड़े नागरिकों ने इस देश के इस बात की मांग की, एक बहुत जोरदार शब्दों में की कि एक दम इसको मान्यता दी जाय। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, जो सरकार में नहीं है और अन्य इस प्रकार के हमारे इस देश के नेता निकल कर के बाहर आये और उन्होंने भी एक दम इस बात की मांग की कि इसको मान्यता दी जाय-सिद्धांन्ततः भी और साथ ही साथ अपन देश के हित को दृष्टिकोण से भी। बाद में उनकी प्रधान मंत्री से मुलाकात हुई। क्योंकि शायद हम लोगों को जन बातों की वाकिफयत नहीं, उन्होंने अपनी दिक्कतें उनके सामने रख दीं और उनकी वजह से उनको तमाम संसार का भ्रमण करना पड़ा और फिर मायूस होकर यह कहना पड़ा और खुद जनकी समझ में आया कि हर मुल्क दुनिया का, उसको अपने-अपने हित का ख्याल है। और हिन्दुस्तान में आकर उन्होंने यह संदेश दिया और यह बात रखी कि हमको बाहर के मुल्कों का कोई इंतजार नहीं करना चाहिये। यह जो मान्यता दी गयी तो यह कहा गया कि इस वक्त मान्यता देकर काम आगे चालू करना है, यह कंट्रोवर्शियल बात है और एक मत-भेदवाली बात है कि उस वक्त मान्यता देने से हमारे देश को इस समय जो कुछ एक हानि उठानी पड़ी, जो एक परेशानी उठानी पड़ी और वह देश भी काफी हानियों के अन्दर से गुजरा, वह बचाया जा सकता था या नहीं। मुझको अन्दर-खाने की तो बहुत ज्यादा वाकिफयत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे पूरे मुल्क ने उस वक्त एक बात की मांग की थी, अगर एकदम से मान्यता दे देते तो दुनिया के अन्दर जो इतने-इतने अत्याचारों को देखने का मौका मिला है वह न मिलता। मैं खुद कहा करता था कि जिस वक्त दो आदमियों की लड़ाई होती है, पहला हमला जिसका होता है तो वही हमेशा कामयाब हुआ करता है।

[चौधरी गिरधारी लाल--]

अभी जैसा नेता विरोधी दल ने यहां पर कहा हमारे देश के अन्दर बहुत शक्ति थी, उस वक्त हो न हो, आज है उसमें हमें पूरी कामयाबी हुई और बंगला देश का उदय हुआ। मुक्तिबाहिनी जो सेना थी और वहां के जो नागरिक थे उन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी सही है। वहां के बुद्धि-जीवी ,वहां के बच्चे, स्त्रियां, वहां के किसान, वहां के कारीगर, हर एक आदमी अपने उन सिद्धान्तों के ऊपर डटा रहा और इतने दिन तक वह हर प्रकार के अत्याचार को पाकिस्तान की फौज के हर प्रकार की पैशाचिक वृत्तियों का मुकाबला करते हुए एक चट्टान की तरह से डटे रहे। और उसके बाद हमें एक सबक मिला है कि पाकिस्तान की फौज सिद्धांतहीन थी। यही कारण था कि जैसे ही हिन्दुस्तान की फौज 4 तारीख को वहां पहुंची तो 14 तारीख को उसने सरेंडर कर दिया और बंगला देश के आदमी एक सिद्धांत को लेकर चल रहे थे और वे एक चट्टान की तरह अड़े रहे। बंगला रिपब्लिक का उदय हुआ, उसका हम अभिनन्दन करत हैं और हमें विश्वास है कि हमारा यह पड़ोसी देश हमारे सिद्धांतों के अनुसार चलता रहेगा और उनके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान जिनकी रहनुमाई में उन्होंने अपना संगठन बनाया था और अपने देश को उनकी गैर हाजिरी में आजाद कराया तो हमारे देश का जो संगठन का बल है जिनको रिहा कराने में वह पूरा पूरा अपना सहयोग उनको देगा। अभी हमारे सभी नेता विरोधी दल ने जो बात कही कि जो सीज फायर हुआ है उसमें यह बात रखी जानी चाहिये थी कि पहले उनको छोड़ा जाय उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा, इसके पीछ भी एक बात है, एक शक्ति है और उस समय शायद हमें दिक्कत न होती। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां हमारे देश की सेना का संबंध है, हमारे देश के दलों का संबंध है, हम सबन इस बात का परिचय दिया है और हमारी सेना के सामने एक फिलासफी थी, सिद्धांत था, उनके बल पर, महज शस्त्रों की बुनियाद पर नहीं बल्कि उन सिद्धांतों की बुनियाद पर आगे बढ़ती रही और उन्होंने अपनी अक्लमन्दी और साहस का परिचय दिया, इसके लिये हमारा राष्ट्र उसकी सराहना करता है और हमारा सदन भी करता है और साथ ही जो लोग वीरगति को प्राप्त हुय ह उनकी हम सराहना करते हैं और हमारी संवेदना उनके प्रति है और नेता सदन ने इस बात को प्रकट किया है कि बराबर इन लोगों को यथाशक्ति जो मदद होगी वह की जायगी। मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

हमारे देश के नागरिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जिस समय हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आती है, भले ही हम लोगों में आपसी मतभेद हो भले ही हम लोग अलग-अलग हों लेकिन ऐसे मौके पर हम सब लोग एक हो जाते हैं। एक शरीर की तरह उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हो जाते हैं। यह हमारे देश के लिये बड़े फख्र की बात है। अभी नहीं बल्कि 1966 में भी हमारे देश ने इस बात का परिचय दिया था। यह हमारे देश के लिये बड़े गौरव की बात है। जहां तक केन्द्रीय सरकार की बात है उसमें हमारे साथी धर्मवीर जी न एक बात रखी थी, उन्होंने एक अमेंडमेंट भेजा है और उन्होंने मुझ अपनी तरफ से अथोराइज किया है कि मैं इस बात को रख दूं कि जहां प्रधान मंत्री की सराहना की गई है वहां उसके साथ-साथ रक्षा मंत्री जी का नाम भी जोड़ दिया जाय। आपको याद होगा कि 1962 और 1966 में जब चीन से हमारी लड़ाई हुयी थी और उस समय जो सेंट बैंक हुआ तो पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठा कि इसका डिसक्रडिट रक्षा मंत्री जी के ऊपर आये और रक्षा मंत्री को निकाल दिया गया मैं इस तरीके से इस बार भी अगर कोई थोड़ी सी भी जुम्बिश हो जाती बदनामी मौजूदा रक्षा मंत्री पर आती। इसलिए इस बार जब पूरे तौर पर कामयाबी हुई है और उससे पूर्व रक्षा मंत्री जी ने जो भी कदम उठाय, जहां-जहां व गय और जिस हिम्मत का उन्होंने परिचय दिया है, वे सब की सब बातें इस बात का सबूत कि उन्होंन बड़ी हिम्मत और संयम से काम लिया। इसलिये जैसा कि धर्म वीर जी का अमेंडमेंट है जिसके लिये उन्होंन मुझे भी आथोराइज किया है, जहां पर प्रधान मंत्री की इस प्रस्ताव में सराहना की गयी है वहां उनके साथ ही साथ रक्षा मंत्री का नाम भी जोड़ दिया जाय।

जहां तक बाहरी मुल्कों की बात है, जब हमारी चीन से लड़ाई हुई थी, उस समय इसी रूस ने कहा था कि हमारा भाई है, और दूसरा हमारा दोस्त है। लेकिन उसने इस बार हमारा पूरे तौर पर साथ दिया और जिसकी हमें उम्मीद भी न थी। हम तो सोचते थे कि मिला जुलाकर कुल समझौता करा देगा। लेकिन जिसने इस बार हमें एक्टिव समर्थन हर जगह दिया। इसलिए इस सम्बन्ध में रशा और पोलैन्ड की तारीफ किये बिना नहीं रहा जा सकता। जहां तक इंग्लैंड और फ्रांस की बात है, उन्होंने भी कम से कम हमारा विरोध नहीं किया अमेरिका और चीन सरकार की जरूर शतरंजी चालें चलती रहीं। लेकिन वहां की जनता में भी मिस्टर केनेडी और हम्फ्री आदि नेताओं ने, जिन्होंने स्वयं उस नर संहार को देखा, उन्होंने उस पालिसी की खुले दिल से निन्दा की और उन्होंने इस बात की भी ख्वाहिश की है कि बंगला देश को मान्यता दे दी जाय। इसके लिये भी हम वहां की जनता की तारीक करते हैं। जहां तक चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की बात है। एक ओर तो वे कहते थे कि हम डेमोक्रेसी के पक्षपाती हैं, हम स्वतंत्रता के हामी हैं लेकिन यह चीज पूरे तौर पर साबित हो गयी कि तीनों देश की नीयत कुछ दूसरी ही थी। जब तीनों मिल गये थे तो हिन्दुस्तान की कुछ ऐसी पोजीशन हो गयी थी कि मानों वह बिल्कुल अकेला हो गया था। और हमारे देश के नागरिकों का मनोबल कुछ ढीला पड़ गया था। उस वक्त 10 लाख आदमियों की जो भीड़ दिल्ली गयी थी उससे मालूम पड़ता था कि बंगला देश को मान्यता दी जाने वाली है लेकिन शाम को जो सूचना आयी उससे मालूम हुआ कि रूस से ट्रीटी हो गयी है और अगले दिन हमारा मनोबल कुछ ऊंचा हो गया था। इसलिए उसकी सराहना हम को जरूर करनी पड़ेगी। साथ ही यह जरूर कहूंगा कि सिर्फ हमारी केन्द्रीय सरकार या उसके रक्षा मंत्री को ही नहीं बल्कि इस देश के हर नागरिक को जिसने राष्ट्रीय भावना और देश भक्ति का परिचय दिया है इस बात का क्रेडिट खास तौर पर जाता है। तो जहां हमें अपनी सरकार की, इसके प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री की सराहना करनी है वहां देश के हर मजदूर और हर किसान की, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो, सराहना करनी है और हमें उनके लिये गर्व महसूस होना चाहिये। साथ ही मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब पाकिस्तान से फैसला हो तो जब तक कश्मीर का सवाल हल न हो जाय तब तक हमारी फौजें वापस न बुलाई जायं। शास्त्री जी अमर हो गये जो वहां खत्म हो गये वरना अगर वह यहां वापस आते तो हिन्दुस्तान के नागरिक और हिन्दुस्तान की फौज उनके लिये एक आफत हो जाती। तो मैं चाहूंगा कि सदन की तरफ से केन्द्रीय सरकार तक हमारी यह इच्छा जरूर जानी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि ताशकंद दोहराया नहीं जायगा, तो जब तक कश्मीर का वह हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है हमें न वापस मिल जाय तब तक हमारी फौजें हटनी नहीं चाहिये चाहे वह सिन्ध में हों चाहे पंजाब में हों।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ व्यतिक्रम हो गया, मैं था नहीं। संशोधन सब से पहले लिये जाने चाहिये थे। जो दो तीन संशोधन हैं, जो आज मिले हैं, जिनमें से एक हबीब अहमद साहब का है कि "यह एवान बंगला देश के उन अमर शहीदों के खिराजे अकीदत पेश करता है जिन्होंने बंगला देश की जंगे आजादी के लिये अपनी जानें न्योछावर कीं और बंगला देश के उन मजलूम अवाम के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता है जिनके ऊपर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जुल्म ढाये" जोड़ दिया जाय। तृतीय पंक्ति में फ्रांस, ब्रिटेन आदि जिन देशों ने तटस्थ रह कर अपनी सहानुभूति दी है उनको भी यह सदन धन्यवाद देता है, जोड़ दिया जाय और चौथी पंक्ति में शब्द "क्षोभ प्रकट" को काट कर "कटु आलोचना" जोड़ दिया जाय। इसकी शब्दावली दूसरी है लेकिन यह प्रस्ताव में है। "क्षोभ प्रकट" के बजाय जो "कटु आलोचना' की बात है, तो वह भी शाब्दिक है और क्षोभ शायद अच्छा भी हो। और चौथी पंक्ति में जो

फ्रांस और ब्रिटेन आदि तटस्थ देशों को धन्यवाद देने की बात है, तो उस पर आप वोट दे दीजियेगा। यह स्वीकार किया। इसके अलावा, अगर एक दल एक संशोधन दे तो मैं उसको समझ सकता हूं। लेकिन अगर एक ही दल के दो संशोधन आयें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

मैंने तो इम्प्रूव किया था। फ्रांस और ब्रिटे .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप की वह बात मैंने इसीलिए रख दी कि अगर वह स्वीकार्य हो तो स्वीकार किया जायगा। लेकिन उसमें शब्दों का फेर है, कोई बहुत अन्तर नहीं है।

अब माननीय मोतीलाल देहलवी और जायसवाल जी ने एक-एक संशोधन दिया है। तो मैं जायसवाल साहब का ले लेता हूं और देहलवी जी का अस्वीकार करता हूं। अब जायसवाल जी संक्षेप में अपना संशोधन रख दें।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी--

जिन लोगों ने संशोधन दिया है वे ही बोलेंगे या अन्य लोगों को भी मौका दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष--

समय के अन्दर जिनको भी अवसर मिल सकेगा वह दिया जायगा, बख्शी जी को जल्दी है तो वह बोल लें.....

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी--

मैं जनसंघ के नेता श्री माधव बाबू का समर्थन करना चाहता हूं, मेरी तबियत खराब है, जल्दी थोड़ा कहकर जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप 5 मिनट बोल लें उसके बाद जायसवाल जी अपना संशोधन रख लें।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी--

उपाध्यक्ष जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे मौका दिया। मैं इसीलिये साढ़े तीन, पौने चार घंटे से बैठा था। जो कुछ बंगला देश में हुआ वह हमारे मुख्य मंत्री ने तथा विरोधी दल के नेता चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह ने और चौधरी गिरधारी लाल जी और जनसंघ नेता माधो बाबू ने अपने भाषण में बताया। श्री कमलापति जी के भाषण ने तो "आज" के एडीटोरियलों की याद दिला दिया और इस सम्बन्ध में जनसंघ के माधव प्रसाद जी के संशोधन और वक्तव्य के बाद ज्यादा कुछ कहने को नहीं रह जाता। फिर भी जो 2-4 बातें रह गई हैं उनको कहने के लिए मैं माधव प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। हममें बंगला देश से एक सबक लेना चाहिये और वह यह है कि जिस दिन बंगला देश आजाद हुआ उसके दो ही चार दिन के अन्दर ही वहां की नई सरकार ने प्रस्ताव पास किया और उनकी राष्ट्रभाषा बंगला घोषित हो गई। बंगला भाषा को एकाएक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बना कर विश्व में लाकर उन्होंने एक उच्च स्थान पर खड़ा कर दिया। हमारे यहां 55 करोड़ इन्सान रहते हैं लेकिन 25 साल में वह काम हम नहीं कर पाये। जब हमारे यहां के लोग बाहर जाते हैं तो आज भी अंग्रेजी बोलते हैं और विदेश के लोग इनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है? हमारी बंगला भाषा जो है वह भी आज की नहीं है इस भाषा के सहारे शेख मीजीबुर्रहमान आगे आये और वह उछल कर राजनीति में आगे आये और शेख पहले जब कलकत्ता में थे जब 1946 में कत्ले-आम हुआ था तो वह कालेज में पढ़ते थे, वह मुझे दादा शचीन्द्र दादा कहते थे, वह मुसलमानों के

नेता थे और सुहरावर्दी के साथ थे। वह कलकत्ता से बी०ए० पास कर के चले गये और ढाका में एल०एल०बी० पढ़ते थे जब सन् 1947 में कंवोकेशन यूनिवर्सिटी का हो रहा था, वहां पर मि० जिन्ना का स्पीच हुआ और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वन नेशन, वन लीडर एन्ड वन लैंगुएज फार पाकिस्तान और पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा केवल उर्दू होगी उसी वक्त बीच में मुजीबुर्रहमान खड़े हुये और कहा कि साथ में बंगला भी। यह कहकर वह बैठ गये। फिर जिन्ना साहब ने कहा कि केवल उर्दू होगी शेख ने फिर कहा गलत भी लेकिन तीसरी बार फिर जिन्ना ने कहा कि उर्दू ही केवल पाकिस्तान की भाषा होगी तो मुजीब के साथ 20 विद्यार्थी खड़े हो गये जो मुजीबुर्रहमान के चेले थे और उन्हों कहा कि बंगला आलसो जिन्ना साहब ने बिड़ चिड़ाकर शेख मुजीब तथा विद्यार्थियों को गिरफ्तार कराया और उन्होंने यह करके दिखा दिया और ढाका रेडियो से उर्दू नहीं चलने दिया और ढाका रेडियो पर हमला किया और बरबाद किया और वहां से उर्दू को हटा कर बंगला भाषा को एस्टेबलिश किया और हम यहां 24 साल में भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा न बना सके और हम आज भी देश के अन्दर और बाहर जाकर अंग्रेजी छांटते हैं। आज भी अगर ताजउद्दीन से कहीं बाहर जाकर किसी भाषा में बोलने को कहा जायगा तो वह बंगला में ही बोलेंगे। रावलपिंडी में कराची में और पाकिस्तान पार्लियामेन्ट में बराबर बंगला ही बोली जायगी और बोलते रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिटरी सरकार वहां 24 साल तक रही लेकिन अब तक वहां का सारा काम और सरकारी गजट सब बंगला में होता रहा है। तो हमें यह सबक भाषा के विषय में बंगला देश के लोगों से लेना चाहिये कि मातृ भाषा और राष्ट्रभाषा को कैसे सम्मान दिया जाता है और राज्य के काम में लाया जाता है।

आज भी हम गांधी जी का नाम लेते हैं और अहिंसा का गीत गाते हैं। अच्छा हो कि हम उन का नाम न लें, हम ने गांधी जी को और उन की अहिंसा को दफना दिया। उन्होंने सन् 47 में कहा था कि अब स्वराज्य हो गया इस कांग्रेस को विघटित कर दो लेकिन खाने कमाने के लिये उसको कायम रखा गया। आज कांग्रेस के 3 टुकड़े यहां हैं, एक नेता चौधरी चरण सिंह जी हैं, एक नेता पंडित कमलापति जी हैं और तीसरे नेता चौधरी गिरधारी लाल जी हैं और यही हाल रहा तो अभी 8 टुकड़े होंगे, मौज लेते वक्त वह समझते हैं गांधी जी का नाम लेते हैं और अहिंसा का नाम लेकर आज लोग देशद्रोहिता करते हैं।

बड़े अच्छे शब्दों में पंडित जी ने हमारे देश के सिपाहियों और बहादुरों की प्रशंसा की। हमारी फौजों के जवान बहादुर कब नहीं थे? अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे बहादुर मेसोपोटामिया की खाइयों में छिपे मोर्चा लेते थे जबकि अंग्रेज सिपाही डबल रोटी गोश्त, मक्खन न मिलने पर पस्त हो जाते थे और हमारे सिपाही चने चबाकर बहादुरी से लड़ते थे। वह कभी बुजदिल नहीं रहे हैं, बुजदिल तो हमारे नेता थे जो अहिंसा की आड़ में बुजदिल और नामर्द बने बहादुरों की जीत दुनिया में हमेशा होती है। सन् 65 की लड़ाई के वक्त हमारे जनरल चौधरी ने खुद कहा था, मैं उनसे मिला था, हम एक लिबरेशन आफ ईस्ट पाकिस्तान डेपुटेशन लेकर श्री भट्टाचार्य और केशव चक्रवर्ती के साथ दिल्ली के बड़े-बड़े मिनिस्टरों से मिला था उस वक्त जनरल चौधरी ने कहा था कि लाहौर को क्यों नहीं सर करने दिया? जब हमारी फौज लड़ती है वह आगे बढ़ती है तो यहां के नेता युद्ध विराम का आदेश देते हैं। काश्मीर में जब जनरल करिअप्पा की फौज आगे बढ़ रही थी और सारे काश्मीर से दुश्मन को खदेड़ रही थी ठीक उस वक्त युद्ध विराम किया गया जवाहर लाल ने देखा कि काश्मीर फ्रन्ट पर एक नया (rival) नेता पैदा हो रहा है। हमारी लीडरशिप सोचती थी कि अगर युद्ध विराम न किया गया तो नतीजा यह होगा कि हमारी फौज पाकिस्तान के अन्दर घुस जायगी और सारे देश भारत की और जनरल करिअप्पा की जय होगी और जवाहर लाल को लोग भूल जायेंगे और उन की जय कोई नहीं बोलेगा और सारा भारत करिअप्पा जिन्दाबाद बोलेगा। और यह सोचकर जवाहर लाल नरवस हो गये और बहाना लेकर हारते हुए पाकिस्तान के लीडर लियाकत अली ने जब कहा कि हम भाई-भाई कब तक लड़ते रहेंगे

[श्री शचीन्द्र नाथ बक्शी]

और उन्होंने झटपट युद्ध विराम करा दिया। इस बार भी क्या प्रधान मंत्री इन्दिरा बेटी ने जनरल मानकशा से पूछा था कि युद्धविराम करें या न करें ? लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिये। जनसंघ ने तो बहुत साथ दिया लकिन कांग्रेस के लोग कहीं भी न लड़े। देश के सिपाही लड़े और साम्प्रदायिक कहलाने वाला आर० एस० एस० के नौजवान मुसलमान नाम रखकर मुक्तिबाहिनी के साथ लड़े, मैं उनके बीच में बराबर जाता रहा हूं, जिनको कहा जाता है कि वह काम्यूनल हैं वह इस मुक्ति संघर्ष में बराबर लड़ हैं, बंगला देश के मुक्ति संघर्ष में जनसंघ हमेशा आगे रहा। पाकिस्तान बना हिन्दुस्तान का दुश्मन बनकर पाकिस्तान बना। दुश्मन को खत्म करने का सदियों बाद मौका आता है। जब शेख मुजीबुर्रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने की स्थिति में थे उसी वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर को यह डिक्लेअर करना चाहिये था कि हम बंगला देश को मान्यता देते हैं और साथ ही पूरी मिलिटरी सपोर्ट। अगर उस वक्त यह काम कर दिया होता तो इतने आदमी न मरते। जैसे कि चौधरी साहब बोले हैं चौधरी साहब स्ट्रांग मैन हैं। वह मिलिट्री का मामला समझता हैं। मैं भी खुद मिलिटरी की गोली चलाने वाला आदमी। मैं कहता हूं कि आज अगर ताशकंद जैसा छ होगा तो मैं विरोध आर्गेनाईज करूंगा। जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के नेता हैं ताशकन्द जैसा कुछ करेगा उनको इतिहासकार कभी क्षमा नहीं करेगा। ताशकन्द की पुनरावृत्ति होने पर उनको मैं गोली से मारने का बन्दोबस्त करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे बख्शी जी, यद्यपि 72 वर्ष के हो गये हैं, का खून वही है जो पहले था। इन्होंने अपन सर्वस्व देश के लिय जला डाला। इनमें प्राणों को आहुत करने की भावना अब भी विद्यमान है। जो कुछ इनके हृदय में है, इसीलिये सब कुछ बोल जाते हैं।

श्री हबीब अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या जायसवाल जी के बाद मुझे मौका देंगे ? मुझे सिर्फ पांच मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इतने समय में.....। मैं कोशिश करूंगा।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मूल प्रस्ताव पर मेरे संशोधनों को उपस्थित करने का मुझे मौका दिया। संशोधन इस प्रकार है—

पहला संशोधन है—प्रस्ताव के पैरा 3 के स्थान पर निम्नांकित पैरा रक्खा जाय—

"सदन बंगला देश की साढ़े सात करोड़ जनता, उसकी सशस्त्र सेनाओं, भारतीय जनता, भारत के राजनैतिक दलों और सशस्त्र सेनाओं को, उनकी एकता और उनकी उस महान् विजय पर बधाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप गणप्रजातन्त्रीय बंगला देश की स्थापना हुई।"

दूसरी संशोधन है—प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय।

सदन नोट करता है कि भारत पाक सम्बन्धों का अब तक का इतिहास है कि समझौता और लड़ाई एक के बाद एक होते रहे ह और आगाह करता है कि यह तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर तनाव बढ़ेगा और अगर स्वीकृति से (महासंघ की सक्ल में) एका नहीं होता है तो यह तनाव फिर भयंकर रूप ले लेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

6——सदन को खेद है कि आपत्कालीन परिस्थिति की छोटी सी अवधि में सरकार आम इस्तेमाल की जरूरी वस्तुओं के दामों में वृद्धि को रोकने और बलिदानों की समानता लागू करने में बुरी तरह असफल रही है।

7——अन्त में सदन विश्व की बड़ी शक्तियों और विश्व की सरकारों को बतलाना चाहता है कि उनके अपने हितों की तरह हमारे भी हित हैं। दूसरा संशोधन है——प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय।

नम्बर एक हित है कि भारत-पाक एक हो और नम्बर दो हित है कि देश में गरीबी मिटे। सदन उनसे साफ बोलना चाहता है कि जो कोई सरकार इन दो कामों में मदद देने को तैयार हैं उस सरकार के हित में हम भी पूरी तरह मदद देंगे। भारत सरकार की भारत-पाक के सम्बन्ध में विदेश नीति का यही उद्देश्य होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, माफ करेंगे आखिरी संशोधन वह है

3——मूल प्रस्ताव के पैरा 4 के अन्तिम शब्दों के आगे जोड़ दिया जाय:——

"फिर भी सदन को हर्ष है कि अमेरीका की सामान्य जनता ने स्वाधीन बंगला देश के आन्दोलन पर उससे सम्बन्धित भारत के दृष्टिकोण को सामान्य रूप से सराहा है।"

मान्यवर, बंगला देश को आजाद होने के पहले जैसा पूर्व निश्चित हो उसी तरह की बात हुई कि ऐसा होना ही था। यह एतिहासिक नीयत थी इतिहास ने अपना पूरा काम किया है जिसके फलस्वरूप बंगला देश आजाद हुआ।

डाक्टर लोहिया ने सन् 1950 में ही भविष्यवाणी की थी।

डाक्टर लोहिया के उस लेख का उद्धरण मैं यहां देना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सितम्बर, 1950 का लेख है। इसमें उन्होंने लिखा है :——

"While Kashmir is an obvious territorial issue between India and Pakistan, various parts of Pakistan and relationships among them may perhaps become the indirect cause of future disputes. That does not apply to India for there are no parts not naturally belonging to her or wanting to get away from her. Pakistan on the other hand is a highly artificial construction. Two major parts of which are separated by over a thousand miles of Indian territory. West and East Pakistan cannot stay in their present relationship. East Pakistan must either become the colony of West Pakistan or continually loosen its present relationship in favour of that with the neighbouring areas of India. West Pakistan does not possess the armed resources to reduce East Pakistan to a state of subjection, the ideological hold is, of course there, but it is difficult tosay how long it will last. The likely outcome there is towards independence rather than colonization of East Pakistan."

तो, मान्यवर, यह घोषणा सन् 50 की है। घोषणा की भविष्यवाणी लब्ज-ब-लब्ज सिद्ध हुई।

श्री उपाध्यक्ष——

सारांश बता दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें यह कहा गया है कि कश्मीर की जमीन आदि के झगड़े को लेकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में यह जो जोड़ है, वह अस्वाभाविक है। उसका एक हिस्सा दूसरे से अलग लगभग एक हजार मील है और यह टूट सकता है। आज वह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो रही है। उन्होंने कहा था कि आज जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का अंग है, वह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। वह या तो पश्चिमी पाकिस्तान का उपनिवेश बन कर रहेगा, या उससे अलग हो जायगा क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की फौजी ताकत ऐसी नहीं कि वह उसे रोक सके। मान्यवर, उन्होंने कहा था कि:—

"Historical destiny is inescapable. Although India may do nothing to help achieve this destiny. Pakistan will be suspicious and will throw the blame on her for something which develops naturally. Already issues of trade and language and the bureacuratic caste have caused friction between East and West Pakistan and more are to come. Instead of working out this friction rationally Pakistan has sought the dangerous expedient of obscuring it and transferring it irrationally into Hindu-Muslim and Indo-Pakistan relationships."

उन्होंने आगे लिखा है :—

"The territorial mal-adjustment inside Pakistan is so heavy that it may at any time start falling like nine pins, fut before that happens, it may seek to avoid its historical destiny by making India the scapegoat and waging a policy of riots and war. Already the Indian peopb have been guilty of the infamous perfidy of betraying the Frontier and its Khudaai-Khidmatgars.

The India Government may yet stay neutral in the face of their agony or that of East Pakistan. The Indian people. however, must not. Any democratic aspiration of the people in East Pakistan or in the pushtto speaking area will awaken responsive echoes in the rest the Indian people and nothing should be done to strifle them. The Indian people must not suppress their yearning for a complete integration of their own whole and also with Afghanistan if it were willing. The only wise course for Pakistan would be to reverse its course from separatism to integration but such wisdom is rarely known in human affairs.

तो, मान्यवर, यह सब डा० लोहिया ने पहले ही लिख दिया था जो कि आज घटित हो रहा है, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार कुछ करे या न करे, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा शक रहेगा कि हिन्दुस्तान ही इस मामले को बढ़ा रहा है और अगर पाकिस्तान में कुछ होने लगे तो हिन्दुस्तान की सरकार तटस्थ रह सकती है ,लेकिन हिन्दुस्तान की जनता तटस्थ नहीं रह सकती है। पाकिस्तान इस मामले का हल निकालने के बजाय कोशिश यही करेगा कि हिन्दू-मुस्लिम राइट हो और लड़ाई का रास्ता अख्तयार करेगा, हालांकि उसे चाहिये कि वह हिन्दुस्तान के साथ एकी के रास्ते पर चले लेकिन ऐसी समझदारी मानव इतिहास में मुश्किल से मिलती है। यह भविष्य-वाणी थी और यह सब हो गयो। इस सम्बन्ध में मान्यवर, ताशकंद समझौते की एक बात और कह देना चाहता हूं। 1965—66 में ताशकन्द समझौते के सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी का एक प्रस्ताव हुआ था, उसका अंश मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप अंग्रेजी का उद्धरण देंगे तो हमारा विभाग उसे छापेगा नहीं। आप उसका सारांश पढ़ दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह हिन्दी का है, मैं उसे पढ़ रहा हूं।

हम नहीं कह सकते हैं कि ताशकंद घोषणा का असर कब तक रहेगा। यह तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर तनाव बढ़ेगा और अगर स्वीकृति से (महासंघ की शक्ल में) एका नहीं होता तो वह तनाव भयंकर रूप ले लेगा। पाकिस्तान भयंकर काम किये बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिये चाहे स्वीकृति से या समर से अथवा दोनों के मिश्रण से, इतिहास अपना काम पूरा करेगा। मान्यवर, इतिहास ने अपना काम पूरा किया। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं उन अग्रणी शहीदों को जिन्होंने-पाकिस्तानी फौजों के जुल्म से लड़ते हुये अपनी जानें दीं, मुक्ति वाहिनी सैनिकों को और जो अन्य गुरिल्ला सशक्त सैनिक थे, उनको बधाई देता हूं और साथ ही साथ शेख मुजीब साहब को और उनकी अवामी लीग को धन्य कहता हूं क्योंकि उन्होंने जो धर्म के आधार पर जो राष्ट्र अथवा दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों पर चल पड़े थे, जिसके फलस्रूप हिन्दुस्तान के दो टुकड़े किये गये थे, के आधार पर जबर्दस्त चोट पहुंचाई है। वह पुराना सिलसिला तोड़ा, इसलिये वह भी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और साथ ही बंगला देश को स्वतंत्र कराने में हमारे जो जल, थल और वायु की सेना है उनके जवानों को और जनरलों को जिन्होंने वीरता दिखाई और बंगला देश को स्वाधीन बनाया है, उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं।

मान्यवर, इस मौके पर आप को याद होगा आरम्भ से इस संदर्भ में कई स्टेजों पर मामला चला। शुरू में नवम्बर और सितम्बर के महीने में पिछले साल जो पाकिस्तान में चुनाव हुये उसमें मुजीब साहब को बहुत भारी अक्सरियत हासिल हुई। न केवल बंगला में बल्कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में भी उन्होंने बहुमत प्राप्त किया और उन्हें वहां का प्रधान मंत्री होना चाहिये था। लेकिन वहां की डिक्टेटरशिप उन्हें यह अवसर नहीं देना चाहती थी। मजबूर हो कर उन्होंने सविनय अवज्ञा का रास्ता अख्तियार किया। यह मैं इसलिये बता रहा हूं ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि भारत सरकार का इस पूरे संदर्भ में क्या रोल रहा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मार्च का महीना आया, उन्हें सहारा था कि हिन्दुस्तान से पूरी मदद मिलेगी और जैसा दादा ने अभी सपोर्ट की बात कही कि हमारे लोग मुक्तिवाहिनी के साथ बराबर लड़ने जाते थे। ऐन मौके पर 23 मार्च के आस पास जब मदद की बात आई तो बिल्कुल भुला दिया। जो मुक्तिवाहिनी के सम्पर्क के लोग थे, मुजीब साहब के या समझिये आवामी लीग के लोग . . . तो उन लोगों से जब हम दिल्ली गये मालूम हुआ कि 23 मार्च को जब श्री मुजीबुर्रहमान को यह मालूम हुआ कि उन्हें हिन्दुस्तान कोई मदद नहीं दे रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गये और उन्होंने निराश हो कर फौज के सामने आत्म समर्पण किया। उसके बाद 17 अप्रैल का दिन आता है जिस दिन बंगला देश की हुकूमत स्थापित हुई उस मौके पर भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी। वह अनिश्चय की स्थिति में चलते रहे, दृढ़ फैसला नहीं कर पाये क्योंकि उन को डर था कि चीन न दाखिल हो जाये। जहां तक पाकिस्तान का मामला था, सभी लोग जानते थे और जैसा चौधरी साहब ने बताया तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें पाकिस्तान के मुकबले में हमारी जमीन ज्यादा है, कई गुना है। दोनों को मिला कर अगर पाकिस्तान की आबादी 10-11 करोड़ है तो हमारी आबादी 55 करोड़ है। अगर हम साढ़े सात करोड़ को अलग भी कर दें तो पाकिस्तान की ताकत आबादी के लिहाज से हमारी फौज की सैनिक शक्ति के मुकाबले उसकी एक तिहाई के आसपास है। इसी सन्दर्भ में हमारे अवकाश प्राप्त जनरल श्री हरबंशसिंह जी का बयान अखबारों में निकला था उससे पता चलता है कि जहां तक हमारे

[श्री अनन्त राम जासवाल]

आर्म्स और एम्युनीशन का सवाल है उनके मुकाबले हमारे आर्म्स व एम्युनिशंस बहुत अच्छे थे। मगर हम गणतंत्रीय हैं और हम गणतंत्रीय आन्दोलन का स्वागत करते हैं। हमको उनकी मदद करनी चाहिये थी और 17 तारीख को यह हुआ तो आपकी फिर कोई मदद उन्हें नहीं हुई। हालांकि लोक सभा का प्रस्ताव भी था कि बंगला देश के आन्दोलन के साथ एक एकात्मकता प्रकट करते हैं, हमदर्दी जाहिर करते हैं और हर प्रकार से उनकी हम सहायता देंगे. लेकिन हमारी तरफ से उनको कोई सहायता नहीं हुई।

फिर आगे चल कर, मान्यवर, आप की तमाम दुनियां में हमारे मैसेंजर घूम-घम कर वजीर, प्रधान मंत्री और संसद के सदस्य, घूम फिर कर दिल्ली लौटकर कर आये तो आप की कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में सारी चीजों पर विचार कर यह तय किया गया और एक स्लोगन आता है नो रिकगनीशन नो वार क्योंकि अगर हम मान्यता प्रदान करते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ाई खाली पाकिस्तान के मुकाबले नहीं होगी क्योंकि वह कुछ नहीं था दो मोर्चे खुल जायेंगे--चीन के मुकाबले से। लेकिन यह नहीं जानते कि दुनिया किस तरह की बनी है। अगर चीन के साथ हमारी लड़ाई है पर दुनिया की जो शक्ति सन्तुलन है, उसमें हम चीन से ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन लड़ना पड़ेगा, उसके बाद अमेरिका और रूस आगे आ सकते हैं, कोई नहीं कह सकता वह कब आगे आ जायेंगे। पिछली दफा जब चीन का हमला हुआ था तो कई देश भागे थे अमेरिका, रूस और ब्रिट्रेन वाले। लेकिन आज कल उस ख्याल से तो मैं फौज के लोगों की प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि यह सम्भावना है कि चीन मदाखलत नहीं करेगा। हमारी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले गिर नहीं गई है। और हमें पाकिस्तान के हाथ में पहल नहीं छोड़नी चाहिये और अब हमला हमें करना चाहिये। उसके बाद श्रीमन्, 9 अगस्त, 1942 के दिन हमने इस देश में फैसला लिया था कि आखिरी आदमी तक हम अंग्रेज साम्राज्यशाही के खिलाफ लड़ेंगे। तो उस दिन डू आर डाई का संकल्प लिया गया था। वहां बराबर संघर्ष हो रहा है, वहां के विस्थापितों को वह कत्ल कर रहे हैं और लूट रहे हैं लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है। उस दिन मान्यता दे देते लेकिन वह दिन भी चला जाता है। पहले तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के एम०पी० कहा भी करते थे कि मान्यता दो लेकिन जो नो वार नो रिकगनीशन का नारा आया तो उन बेचारों ने भी बोलना बन्द कर दिया। अगर शुरू से देखें तो एक के बाद दूसरी ओर फिर तीसरी बंगलिंग मिलती ही चली जायेगी। अन्त तक कोशिश की गई कि बचा जाय लेकिन जो डैस्टीनी थी उससे बचा नहीं जा सकता है। जो उनको श्रेय मिल गया वह श्रेय जनरल मानिकशाह और दूसरे जनरल्स को मिलना चाहिये, इस देश की जनता को मिलना चाहिये, निम्नस्तर की जनता को मिलना चाहिये जिसने त्याग किया है।

लड़ाई चल रही है और आप नये-नये टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, एक, दो, तीन टैक्सों की भरमार होती चली जा रही है। 550 करोड़ रुपयों के टैक्स लगा दिये गये, नये टैक्स लगा दिये गये। जनता को तेल नहीं मिलता, आवश्यकता की चीजें नहीं मिलतीं और नये टैक्स लग रहे हैं और वह उफ तक नहीं करती क्योंकि वह चाहती है कि हमारी लड़ाई जीत जाय। दूसरी तरफ सरकार के जो लोग हैं कोई त्याग उन्होंने दिखलाया होता, उनके ठाटबाट में कोई कमी आई होती। आप की सरकार ने ही क्या किया। इसी समय आप की सरकार ने नई शेवरलेट गाड़ी भी मंगाई है। आप एक तरफ तो दूसरों को त्याग और बलिदान की शिक्षा दे रहे हैं परन्तु जहां पर आपका मामला है आप के पुराने ठाटबाट ज्यों के त्यों हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिये जनता को या प्रधान मंत्री को? हमारी प्रधान मंत्री ने न मालूम कितने रूप बदले इतने दिनों में। इसको कोई सोच भी नहीं सकता था। आपके देश में ऐसा भी विचारक था जिसने 20 साल पहले ही लिख दिया था कि क्या होने जा रहा है परन्तु उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और क्रेडिट

दिया जा रहा है प्रधान मंत्री को। चौधरी साहब कह रहे थे कि बाबू जगजीवन राम का नाम भी जोड़ दिया जाय। सन् 1962 में चीन की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय हम सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। हमको इन सभी चीजों को देखना चाहिये। बंगला देश में आजादी क्यों मिली? वहां पर औपनिवेशिक राज्य था। जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया था वही चाहते थे कि पाकिस्तान टूट जाय और इस में आप को कामयाबी मिल गई और आप फूले नहीं समाते हैं। जो सिपाही लड़ रहे थे उनको सारा श्रेय जाना चाहिये था, पूरे देश को श्रेय जाना चाहिये था या फिर पूरे दल को जाना चाहिये था खाली एक आदमी को ही इसका पूरा श्रेय दिया जा रहा है और हम फिर दूसरी गलती करते चले जा रहे हैं। हमको कहना ही पड़ता है कि पिछली जाति के अछूत जगजीवन राम को छोड़ दिया जाता है और वह इसलिये कि हम ब्राह्मण और चमार का भेद मानते हैं। वह चमार हैं इसलिये उनको छोड़ दिया जाता है यह कितना बड़ा हमारा दोष है। यह चीज हमको नपुंसक बनाता चला जा रहा है और जनता की इसी ने कमर तोड़ डाली है। जितना अहित इस चीज ने हमारे देश में किया है उतना अहित और किसी दूसरी चीज ने नहीं किया है। इसलिये मैंने अपने प्रस्ताव में यह बात रखी है कि यह एक ही आदमी को शाबाशी क्यों दी जाय? क्या आप यह चाहते हैं कि यहां पर यह जनतन्त्र न चले? क्या यहां पर एक आदमी की हिटलरी हकूमत चल रही है? आखिर एक आराम हो जायगा कि पंडित जी को मिर्जापुर दुर्गा की पूजा करने के लिये नहीं जाना पड़ेगा। उनको घर बैठे ही दुर्गा मिल जायेंगी और वह पूजा करें। वास्तव में, यह बधाई जानी चाहिये देश की विशाल जनता को और देश के विरोधी दलों को और जो आप का अपना हिस्सा हो वह आप भी ले लें लेकिन आप ने ऐसा कौन-सा खास तीर मार दिया कि उनको अकेले ही यह बधाई दी जाय।

विधान सभा के जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं वह सभी 15 रुपया अपना कटाते हैं। आपने कुछ ज्यादा दे दिया होगा लेकिन वह चीज अकेले के लिये नहीं हो सकती है। मैं थोड़ी देर के लिये आपके सामने एक सवाल यह रखना चाहता हूं कि अगर इत्तिफाक से खुशकिस्मती ने हमारा साथ न दिया होता और हमको कहीं नीचा देखना पड़ता तो फिर ये प्रधान मन्त्री जी जातीं या जगजीवन राम जाते। इस सवाल का क्या जवाब है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर 1962 वाली बात दुहराई जाती तो यह नहीं होता कि प्रधान मंत्री जी जातीं। बेचारे जगजीवन राम को पूरे देश का गुस्सा भुगतना पड़ता जैसे कि अहिया खां को भुगतना पड़ रहा है। जिस दिन से यह बंगला देश आजाद हुआ उस दिन से चाहे अखबार देखिये या रेडियो खोलिये या कहीं बाहर देखिये बिलकुल ऐसा मालूम होता है कि मानो तमाम देश माट बना दिया गया है। ऐसी हालत हो गई है मानो जनतन्त्र या जनता कोई नहीं रह गई है। यह हालत चल रही है। यह सारी चीजें हुई लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया? इस डेस्टिनी को हासिल करने के लिये कभी आप ने सोचा और किसी बात की कोशिश की। अगर थोड़ा और पीछे चला जाय तो आप तीन तरह की बोलियां बोलते रहे। एक बोली यह थी कि चीन हमारा दुश्मन नम्बर 1 है। दूसरी बोली यह रही कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नम्बर 1 है और दूसरी बोली यह रही चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन नम्बर 1 हैं। यह समझकर ही बोलते रहे हैं ऐसे मैं मानता हू जहां तक चीन का सम्बन्ध है पिछले दो हजार साल से हमारा बुनियादी एका किसी किस्म का चीन से नहीं रहा है। इस बात का इतिहास साक्षी है। जहां तक भविष्य को समझने की बात है उसमें भी हम यह कह सकते हैं कि 100, 200 साल तक इस तरह का एका नहीं होने वाला है लेकिन पाकिस्तान क्या वही है? 15 अगस्त, 1947 तक हम सब एक ही देश के रहने वाले थे। एक ही हमारा देश था। यहां पर रहने वाले और वहां पर रहने वाले दोनों एक ही देश के सदस्य थे और नागरिक थे उनके साथ खाली यह बात हुई कि वह दूसरे हिस्से में चले गये, एक ऐसी सरकार के कब्जे में चले गये जो नफरत और कटुता की बुनियाद पर खड़ी है। अगर उस नफरत की बुनियाद को मिटाया जाता और हिन्दुस्तान में इस बात की कोशिश की जाती, यहां पर

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

भी समता को लाया जाता तो क्या वह पागल थे कि उन पर हमारा कोई असर न पड़ता ? हमने भी वही हरकतें कीं। दोनों जगह वही बराबर की बातें चलती रहीं। हमने हिन्दू और मुसलमान को नजदीक लाने में कौन से काम किये बल्कि उनको अलगाव करने में हमने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। 18 साल या 25 साल तक पहले दोनों भाई-भाई एक जगह थे। थोड़े दिनों से वह एक दूसरे के कब्जे में चले गये हैं जो नफरत और अलगाव की दीवार पर खड़े हैं। मान्यवर, अगर नजर बदल जाती है तो वह देखने का अन्दाज भी बदल जाता है। अगर हमारी नजर बदल जाती है तो हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान हमारा नम्बर 1 का दुश्मन है या चीन और पाकिस्तान हमारे दोनों बराबर के दुश्मन हैं। हमारे अपने देश में हिन्दू-मुसलमान का एका बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन आपने इसके लिए क्या कोशिश की ? कुछ नहीं। धर्म-निरपेक्षता आप बराबर रटते रहे, लेकिन उसके नाम पर क्या आपने अलगाव नहीं बढ़ाया ? जो अलगाव बढ़ रहा है, जो सेक्यूलरिज्म चल रहा है, उसके चलते पाकिस्तान आपका दोस्त नहीं हो सकता है। वह पाकिस्तान का दोस्त रहा है, जिसके अन्तर्गत वहां पर फौजी तानाशाही काम कर रही है। यह फर्क सामने आ जाता है। इस चीज को आप समझें कि धर्म-निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है ? एकता यदि आप लाना चाहते हैं तो पहले नम्बर और दूसरे नम्बर की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात सामने नहीं रहती है। आपको इसके लिए इतना ऊंचा विचार लेकर चलना है कि यदि कहीं किसी मुसलमान की जान बचाने का कोई रास्ता नहीं रहता है तो एक हिन्दू की जान लेकर आपको उसकी जान बचानी है। क्या आपन इस प्रकार की कोई नीति अपनाई है ? यहां पर जितने हिन्दू-मुसलमान पास आते उतनी ही भारत–पाक मिलन की योजना दूसरे हिस्से में कारगर होती। साथ ही आपको यह भी करना होता....

(व्यवधान)

ये देश के दुश्मन हैं, ये अपने स्वार्थ के दोस्त हैं। जिसके सामने देश रहता है, वह अपनी बात कहने से कदापि बाज नहीं आता है। उसे चाहे कोई भला या बुरा कहे, चाहे उस पर पत्थर बरसे। मैं पढ़ना चाहता हूं, डाक्टर लोहिया साहब का "हिन्दू और मुसलमान" पर एक लेख है। शायद हैदराबाद का भाषण है, वह इस प्रकार है :—

'आम तौर से जो भ्रम हिन्दू और मुसलमान, दोनों के मन में है, वह यह कि हिन्दू सोचता है पिछले 700–800 वर्ष तो मुसलमानों का राज्य रहा, मुसलमानों नें जुल्म किया और अत्याचार किया और मुसलमान सोचता है चाहे वह गरीब से गरीब क्यों न हो, कि 700–800 वर्ष तक हमारा राज्य था, अब हमको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों के मन में यह गलतफहमी धंसी हुई है। यह सच्ची नहीं है। अगर सच्ची होती तो इस पर मैं कुछ नहीं कहता। असलियत यह है कि पिछल 700–800 वर्ष में मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। मारा है, कोई रूहानी अर्थ में नहीं, जिस्मानी अर्थ में मारा है। तैमूरलंग आता जब 4–5 लाख आदमियों का कत्ल करता है, तो उसमें से 3 लाख तो मुसलमान थे, पठान मुसलमान थे, जिनका कत्ल किया। कतल करने वाला मुगल मुसलमान था" यह एक चीज थी इतिहास की, इसे हिन्दू–मुसलमान दोनों अगर समझ लेते, सबक लेते.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप किस किताब से पढ़ रहे हैं ? आप किताब का नाम बता दें, तो सब लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किताब ही कौन पढ़ता है, किताब पढ़ते होते तो यह हालत न होती। आगे इसी में है :—
"इस बात को हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ जाते हैं तो फिर नतीजा निकलता है कि हर एक

बच्चे को सिखाया जाए, हर एक स्कूल में, घर-घर में, क्या हिन्दू क्या मुसलमान बच्चे-बच्चे को रजिया, शेरशाह, जायसी वगैरह हम सब के पुरखे हैं, हिन्दू और मुसलमान दोनों के। मैं यह कहना चाहता हूं कि रजिया, शेरशाह और जायसी को मैं अपने मां-बाप में गिनता हूं। यह कोई मामूली बात इस वक्त मैंने नहीं कही है! लेकिन, उसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि हमारे से हरएक आदमी, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, यह कहना सीख जाए कि गजनवी, गौरी और बाबर लूटेरे थे और हमलावार थे। यह दोनों जुमले साथ-साथ हों, हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए कि गजनवी, गौरी और बाबर हमलावार और लुटेरे थे, सारे देश के लिए, परदेशी हुए देशी लोगों की स्वाधीनता को खत्म करने वाले लोग थे और रजिया, शेरशाह और जायसी वगैरह हमारे सब के पुरखे थ अगर 700 वर्ष को देखने की यह नजर बजाय तो फिर हिन्दू और मुसलमान दोनों पिछले 700 वर्ष को अलग-अलग निगाह से नहीं देखेंगे, लड़ाई करने वाली निगाह से नहीं देखेंगे, फिर वे देखने लग जायेंगे, जोड़ने वाली निगाह से कि हमारे इतिहास में यह तो मामला था देश का, यह था परदेशी का, यह अपने, यह थे पराये, और दोनों का नजरिया एक हो जायगा।"

मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो मन है आप का बहुत बिगड़ा हुआ है। उस पर किसी चीज का असर पड़ जाय, मुश्किल है। जमीन इतनी सड़ गयी है कि चाहे जितना अच्छा बीज डाला जाय अंकुर नहीं बनेगा। जिस तरह की तमाम ढपोरसंखी बातें हुई बंगला देश को स्वाधीनता के बाद, सेकुलरिज्म पर आधारित राज्य अगर बनाना है तो यह रास्ता हमने आपके सामने रखा। भारत सरकार को भी आप कहो। नफरत और अलगाव पर तो दोनों सरकारें खड़ी हैं। जब तक अलग-अलग हैसियत रहेगी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यह बिल्कुल साफ बात है। अलग रहते हुए कोई दोस्ती हो जायगी, यह गलतफहमी है। रास्ता एक बचा है। जैसे अलग हुए थे, उसी तरह से अपने मन से जुड़ने के रास्ते पर मिलें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खाली सरकार की बात नहीं सोचना चाहिये। यह सही है कि निक्सन ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारी दृष्टिकोण को ऐप्रीशिएट नहीं कर सकता। लेकिन क्या अमेरिका की जनता का भी यही हाल रहा है? वहां के लोग बराबर आपके दृष्टिकोण की सराहना करते रहे, बंगला देश की समस्या पर बराबर सोचते रहे और वही बात कहते रहे जो आप कहते रहे हैं। यह जनता और सरकार का फर्क दिमाग में रहना चाहिए। नैपाल की घटना शायद आपको याद होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

बढ़ाइये नहीं। अब वक्त नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

हमारे इंस्टैन्स पर वहां तानाशाही का अन्त हुआ और जमहूरियत कायम हुई। को-साला ब्रदर्स की अगुवाई में। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया! किस तरह के रिश्ते रहे! वह सारा इतिहास आप के सामने मौजूद है। नतीजा क्या हुआ। वहां से जनतंत्र भी गया और किंगशाही फिर लद गयी है। बराबर हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। शुरू से लगता है, हम को यह बंगला देश के मामले को बिगाड़ेंगे। चौधरी साहब ने थोड़ा इशारा किया था। बंगला देश की सरकार का जब इस्तीफा हो गया, आरजी हुकूमत की, तो आपने दबाव डाला। काहे के लिए दबाव डाला? उसमें कम्युनिस्ट विचार धारा के लोगों को भी रखा जाय। लेकिन अवामी लीग के लोग तैयार नहीं हुए। तब फिर उनको किसी तरह राजी किया गया कि किसी तरह से एडवाइजरी कमेटी बना दें, उसी में शामिल कर लिया जाय। यह उनके सामने प्रोपोजल रखा गया। इसको लेकर जहां तक हमारी जानकारी है आवामी लीग ने तमाम कारनुन एकट्ठा हुए, आरजी सरकार के लोगों को सख्त बदतरीन नुक्ताचीनी का मुकाबला करना पड़ा। आज भी बराबर उसी तरह से चल रहे हैं। हमने खुला सीमा का भी सिद्धांत नहीं रखा।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

वही पास्टपोर्ट वाली बात हमारे दिमाग में है कि हम दोनों अलग हैं। नतीजा क्या होगा ? जैसे नैपाल में आप ने जनतन्त्र का नाश किया वहां से जैसे आप के ताल्लुकात बिगड़े।

अगर वही पुराना रास्ता आपका रहा तो यह रिश्ते बिगड़े रह नहीं सकते और आखिर में दुनिया के तमाम मुल्क, तमाम शक्तियां अपने अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से अपनी विदेश नीतियां और सारी नीतियां चलाते हैं लेकिन हम ही ऐसे हैं जिनका दिमाग ढल गया है कहीं अमेरिका और कहीं रूस के साथ दोस्ती करने में और हमारे अपने क्या हित हैं उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यह दोस्ती कुछ दिन के लिये छोड़ें और अपना हित पहले अपने सामने रखें, भारत के दोस्त पहले हम बनें। यह बात जब आप समझ जायंगे तो बोलने की ताकत पैदा हो जायगी, बड़ी शक्तियों से आप कह सकेंगे कि देखो जिस प्रकार आपका राष्ट्रीय हित है, वैसे ही हमारा राष्ट्रीय हित है। जो बड़े राष्ट्र हैं उनसे आप ऐसा कह सकेंगे। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है उसे भी खत्म किया जाय और इस देश से गरीबी मिटाई जाय। जो देश इसमें हमारा साथ देते हैं वे हमारे दोस्त हैं वर्ना नहीं। पंडित जी इस स्थिति में हैं, उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वह भारत सरकार को यह सुझाव दे सकते हैं और ऐसा करने पर जरूर लोगों को सोचना पड़ेगा। प्रदेश में घूम कर भी वह ऐसा वातावरण बना सकते हैं और जब वातावरण बन जायगा तो बंगला देश आजाद हो जायगा, जो हमारी भूलें हैं वे सुधर सकती है और सारे मामले ठीक हो सकते हैं क्योंकि मामला बहुत बिगड़ा नहीं है।

हिन्द महासागर पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि बहुतों की उस पर निगाह लगी हुई है और दो बड़ी ताकतों के बेड़े तो वहां एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अपना समुद्र और सीमायें आप को बचानी है और उसके लिये आप कटिबद्ध हो जायं। यह आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम मिट भी जाते हैं तो हमारी राख पर मकान बन जायगा जैसे जापान और जर्मनी बना रहे हैं। हम रहें या न रहें लेकिन हमारी सीमायें और समुद्र बिल्कुल ठीक रहने चाहिये, सुरक्षित रहने चाहिये। जब तक एका वाली बात नहीं हो जाती है तब तक पाकिस्तान के साथ हमारे मजबूत कदम होने चाहिये। जब बड़ी चीजों के स्वप्न देखे जाते ह तो और चीजें छोटी हो जाती हैं। आप के प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि काश्मीर में जो पुराने जमाने से सीज फायर लाइन थी वह लाइन अब हमारे लिये नहीं रह गयी है दूसरे यह भी कहा था कि इस लड़ाई में जितने आगे जा कर कब्जा कर लेंगें उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश के साथ अपने जो वायदा किया है उस वायदे पर आप कायम रहियेगा क्योंकि हमारे जवानों का खून बहा कर आप ने यह कब्जा पाया है। प्रधान मन्त्री का जो प्रेस सम्मेलन हुआ है जिस में उन्होंने कहा है कि सुरक्षा और शांति के लिये जो मौजूदा गोलाबन्दी लाइन है उसमें हेर-फेर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जितने लोग हैं अमेरिका और रूस, ये दबाव डाल कर आप से अभी भी न मालूम क्या करवाने जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप ने जो वायदे किये हैं आप याद रखें। इन शब्दों के जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंनें संशोधन रखा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है आपने नेता विरोधी दल को अपना समय दे दिया था।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

ओरीजनल संशोधन तो मेरा था। दो मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता है।

श्री धर्मवीर—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके सम्बन्ध में मैंने संशोधन दिया था। संशोधन रखने वाले को तो समय मिलना ही चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने आपकी बात रख दी। तब आप क्यों नहीं खड़े हुये थे। अगर ऐसा होगा तो कसे काम चलेगा?

(घोर व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

जिन्होंने प्रस्ताव रखा था। संशोधन तो मैंने दिया है। उनको यह तो मालूम नहीं होगा कि संशोधन के बारे में मुझे क्या कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने स्वयं अपने नेता को अधिकृत किया है।

श्री धर्मवीर—

मैंने सिर्फ यह कहा था कि व सिर्फ पुष्टि कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आप का नाम पुकारा भी था किन्तु आप मौजूद नहीं थे।

श्री धर्मवीर—

संशोधनकर्ता को यदि आप समय नहीं देंगे.....मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि संशोधनकर्ता को बोलने का समय देना चाहिये अथवा नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस प्रस्ताव के लिये जो समय निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार तो इस पर अब वाद-विवाद समाप्त होना चाहिए और आगे का जो बिजनेस है उसे लेना चाहिए।

श्री हबीब अहमद—

जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको मैं कांग्रेचुलेट करता हूं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से। मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ तरमीम कर दी जाय, जो आपने अभी पढ़कर सुनाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं संशोधन पर बोलने की इजाजत नहीं देता। उसे मैंने खारिज कर दिया है। केवल दो मिनट आप बोलेंगे।

श्री हबीब अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी राय है कि यह ढ़ाका कैसे फाल हुआ और क्यों इतनी जल्दी बंगला देश आजाद हुआ, तो इसकी केवल यह वजह नहीं थी कि हमारे जवान बड़े दिलेर थे, बहुत बलवान थे और उधर के रहने वाले निकम्मे या बुजदिल थे । यह हमारे जनरल्स की स्ट्रेटिजी थी, हमारे जनरल्स ने जो वहां पर लड़ाई का तरीका अपनाया था वही वजह थी । वह एक वक्त ऐसा आ गया था कि दुश्मन का पानी का रास्ता बन्द हो गया, जमीन के रास्ते बन्द हो गये और हवा का भी रास्ता बन्द हो गया था । वह कहीं जा नहीं सकते थे, सिवाय इसके कि वह सरेंडर करते और इसमें चूंकि बंगला देश के अवाम हमारे साथ थे, यहां पर जितनी पोलिटिकल पार्टीज थीं उनमें एका था और सब ने एक राय होकर इंदिरा जी का साथ दिया था और यहां पर कोई अन्दरूनी खलफिशार भी नहीं था---जबकि बंगला देश में एक अन्दरूनी खलफिशार भी था और वह अपनी हुकूमत के खिलाफ थे । हुकूमत का साथ देना तो दरकिनार, वह हमारे साथ थे । तो यह एक ऐसा इम्पार्टेंट फैक्टर है हमारी अपनी इस फतेह में जिनको हमें नहीं भुलाना चाहिये । वहां के वह लोग जो शहीद हुए या उन पर जो मजालिम हुए उनका तजकिरा भी इस प्रस्ताव में जरूरी है, इसीलिये मैंने आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि यह जरूर लायें ।

जहां तक कि फ्रांस और ब्रिटेन की बात कही गयी है कि "फ्रांस, ब्रिटेन आदि जिन देशों ने तटस्थ रह कर अपनी सहानुभूति दी है, उनको भी यह सदन धन्यवाद देता है" तो उन्होंने सहानुभूति क्या दी है ? जिन्होंने एब्सटेन किया था उनको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं, इसलिये कि उन्होंने उस मौके पर एब्सटेन करके एनिमी कंट्री को बल दिया है, इसलिये धन्यवाद की जरूरत नहीं है ।

तीसरी बात, आखिर में अमेरिका और चीन के रवैये के सिलसिले में जो यह कहा गया कि यह सदन क्षोभ प्रकट करता है, तो इसके लिये मैं आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उनकी तो कटु आलोचना होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय संशोधन का जिक्र न करें ।

श्री हबीब अहमद---

इंदिरा जी ने उनको अपनी तकरीरों में बिटरली क्रिटिसाइज किया है, तो क्षोभ प्रकट न करके उनकी कटु आलोचना करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

केवल जवानों को धन्यवाद देने की बात नहीं है, जनरल्स की स्ट्रेटिजी मैंने बतला दी और उसके अलावा यहां की 55 करोड़ जनता को भी मुबारकबाद देना है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जरा इनसे यह स्पष्ट करा लें कि क्या वह यह कहते हैं कि जवानों को धन्यबाद देना जरूरी नहीं है, यह जरूर स्पष्ट करा लें ।

श्री हबीब अहमद---

बात यह है कि क्योंकि इसमें जो सीनियर लोग लड़ रहे थे वह 1947 में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनने से पहले एक साथ रहे, एक साथ के पढ़े हुए, एक स्कूल में पढ़े हुये थे, वे सब स्ट्रेटिजी जानते थे । इस वजह से यह कहना कि वे बुजदिल थे, यह बात नहीं है, हमारी स्ट्रेटिजी जरूर अच्छी थी और वहां के अवाम को भी धन्यवाद देना चाहिये जिन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ करके इस खित्ते को आजाद किया ।

इंदिरा जी ने यह कहीं भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं या वहां की एक इंच जमीन भी लेना चाहते हैं और यूनिलेटरल सीजफायर जो हुआ, यह हमारे बड़प्पन का सबूत है । एनिमी कंट्री का यह ऐलीगेशन कि हम उसकी जमीन ले लेना चाहते हैं या उस मुल्क को खत्म करना चाहते हैं, वह गलत साबित हो गया । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो का इस सिलसिले में जिक्र करना जरूरी है । इंदिरा जी तो यह कहती रहीं कि हम पाकिस्तान की इंच भर भी जमीन नहीं लेना चाहते और हम दोस्ताना तरीके से रहना चाहते हैं और इतने जिम्मेदार लोग जो आल-इंडिया रेडियो को कंडक्ट कर रहे थे, सुबह से शाम तक उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान को कुचल दो, पाकिस्तान को मिटा दो । गवर्नमेंट की पालिसी यह हर्जिग नहीं थी और उन्होंने इस तरीके से अवाम को गुमराह किया उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

मैं हिन्दुस्तान में ही रहता हूं और बाजाब्ता रहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म करें ।

श्री हबीब अहमद—

हुकूमत की उस पालिसी, जिसका प्रचार आल इंडिया रेडियो को करना चाहिये था, वह उसने नहीं किया और उसके खिलाफ काम किया इसकी जांच की जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमने संशोधन दिये हैं उन पर विचार करें ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिलना चाहिये । चाहे 2/3 मिनट ही मिलें, लेकिन मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किसी का नाम आया था और किसी ने इच्छा व्यक्त की थी तो वह माननीय छांगुरराम जी थे ।

श्री सजीवन लाल—

हमारा पर्चा भी गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका पर्चा अभी आ रहा है।

श्री सजीवन लाल—

पहले से मौजूद है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जब तक आज का कार्य समाप्त न हो उस समय तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव यह है कि जब तक सदन का कार्य समाप्त न हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो फिर कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग न बुलाइये । यह बहुत गैर-जिम्मेदारी की बात है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर आध घंटे का समय बढ़ाने की सहमति दे दें क्योंकि सभी दलों के सदस्य बोलना चाहते हैं । 2/2 मिनट में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर दें । हमारे डिप्टी लीडर भी बोलना चाहते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, उस रोज बातचीत हुई थी और पहले दिन इसको नहीं रखा गया था । उस दिन नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने कहा था कि आज इसको रखा जाय और आश्वासन दिया था कि चार बजे तक यह हो जायगा। बड़ी मुश्किल है, किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं । उस दिन यह हुआ था कि चार बजे तक यह चलेगा इसके बाद उस दिन का काम ले लिया जायेगा । अगर जरूरत होगी तो थोड़ा समय बढ़ा लिया जायेगा । अब आध घंटे का समय बढ़ाने का प्रस्ताव आ रहा है और वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा तो बंशीधर जी की बंशी बजने लगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं कह रहा हूं कि समय न बढ़े और उसी के अन्दर काम हो जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर वे बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा बोल लें ।

श्री सजीवन लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश के संबंध में जो माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । बंगला देश में जो मुक्तिवाहिनी ने अपने शौर्य और साहस से कार्य किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है । वहां की जनता ने साहस और दृढ़ता दिखाई है और हमारा जो उनको सहयोग मिला उसके लिये भी धन्यवाद देना चाहिये । हमारे देश के नौजवानों ने सीमा की रक्षा के लिये, चाहे काश्मीर क्षेत्र में हो या पूर्वी हिस्से में हो, जो उन्होंने कुर्बानी की है, वह किसी से छिपी नहीं है । मुझे यह भी निवेदन करना है कि हमारे देश पर आक्रमण करने में तीन दुश्मन रहे हैं । एक अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चीन है। इनकी तरफ भी हमें देखना है । चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है । इसको हमें भूलना नहीं चाहिये । मुझे यह कहना है कि जो अमेरिका की सम्पत्ति हमारे देश में है, जो उद्योग हैं, तेला है, कारखाने हैं, वे सब पूरी तरह से जब्त किये जायं और पी० एल० 480 के गेहूं का जो कर्जा है, वह भी जब्त किया जाय और इसलिये जब्त किया जाय कि अरबों रुपया अमेरिका ने मुनाफे की शकल में हमारे देश से कमाया है और अमेरिका का जो कर्जा है, वह रुपया हमारे देश का ही है उसको भी खत्म कर दिया जाय ।

पूर्वी पाकिस्तान जिसको कि अब बंगला देश कहा जाता है इस आधार पर आन्दोलन के लिये खड़ा हुआ कि वहां के चुने हुए लोगों को मान्यता नहीं दी जा रही थी जो कि चुनाव में चुने गये थे, उनके ऊपर उर्दू भाषा लादी जा रही थी, उनके प्रदेश की 60 फीसदी इनकम पश्चिमी पाकिस्तान में खर्च की जाती थी, ऐसी हालत में बंगला देश बगावत के लिये उत्तर आया । हमारा सूबा भी एक पिछड़ा हुआ सूबा है, कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाये कि केंद्र उसको सहायता देना बन्द कर दे या कम कर दें । हमारे पिछड़े हुए सूबे को केंद्र से ज्यादा से ज्यादा सहायता देनी चाहिये और इतना ही नहीं, हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है । उसकी सुरक्षा के लिये हमारी पार्टी सदैव ही सहायता तथा हर कुर्बानी करने के लिये तैयार हैं । इस संबंध में त्रिपाठी जी तथा और दूसरे लोगों ने जो कहा है, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

भारतीय क्रांति दल के नेता, चौधरी चरण सिंह जी को दो चीजें बहुत ज्यादा खटकीं। एक तो यह कि बंगला देश के नाम पर इलेक्शन कराये जा रहे हैं और उसका फायदा पार्टी के लिये लिया जा रहा है । उसके बाद वे रूस के ऊपर टूट पड़े। रूस हमें चाहे जिस ढंग से सहायता दे रहा हो, चाहे वह वोटों के द्वारा हो अथवा वैज्ञानिक ढंग से हो, उसको हमें मानना ही चाहिये और समाजवादी देशों की इस बारे में जो अच्छाई है, उसको भी बताया जाना चाहिये ।

कम्युनिस्ट पार्टी से तो चौधरी साहब की खास दुश्मनी है और उसका नतीजा उन्होंने मुजफ्फरनगर में देख लिया । इसलिये बराबर चोट पर चोट कम्युनिस्ट पार्टी पर करते चले जा रहे हैं और यह इसलिये कर रहे हैं कि उनके 96 सदस्यों में से 56 रह गये हैं और उनको डर है कि अब वे 56 भी गायब न हो जायं । इसलिये हमारे देश के प्रगतिशील नेताओं ने जो कदम उठाया है, हम उसमें पूरे तौर पर उनके साथ हैं और कम्युनिस्ट पार्टी और उसके कार्यकर्ता हर प्रकार की कुरबानी उसके लिये करने को तैयार हैं ।

श्री छांगुरराम (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, पहले तो माननीय सदस्यों को असीमित समय दे दिया जाता है और बाद में समय को आप बराबर कम करते चले आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलना है या हम आगे चलें ?

श्री छांगुरराम—

एक मिनट में मैं क्या अपनी बात कह सकता हूं । आपका यह रुख अच्छा नहीं है । हम लोगों की संख्या कम है....

श्री उपाध्यक्ष—

कम संख्या का सवाल नहीं है, संख्या एक है ।

श्री छांगुरराम—

एक मिनट में मैं क्या कह पाऊंगा । आपके रुख के प्रति मैं अपना क्षोभ प्रकट करता हूं और आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री छांगुरराम सदन त्याग कर चले गये।)

श्री धर्मवीर---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ ज्यादती हो रही है मुझे आप समय नहीं दे रहे हैं और दूसरे लोगों को समय दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका मैंने नाम पुकारा था लेकिन आप थे नहीं और दूसरे लोग सदन में मौजूद थे । फिर आपने अपने माननीय नेता को अधिकार दे दिया था । उन्होंने आपके वकील की हैसियत से वह बात भी कह दी । अब आप क्यों बोलना चाहते हैं ?

(श्री वीरेंद्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री धर्मवीर---

आप दूसरे दलों को दोबारा मौका दे रहे हैं । मैंने परसों ही प्रस्ताव रख दिया था और अब सदन में मौजूद हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नहीं है । अगर आप बोलने के लिये समय मांगते तो दूसरी बात होती, लेकिन संशोधन के बारे में आपके नेता को मौका दिया गया और आपकी बात रखी गयी ।

श्री धर्मबीर---

मैं तो संशोधन के माध्यम से ही बोल सकता था और किस माध्यम से आप मुझे बुलाते?

श्री उपाध्यक्ष---

आपके नेता ने आपका संशोधन रख दिया और मैंने वह स्वीकार किया । फिर भी आप बार-बार खड़े होते हैं । या तो आपके नेता और जो संशोधन उन्होंने रखा है वह गलत है या आप को अविश्वास है उन पर । उन्होंने कह दिया कि धर्मवीर जी ने अधिकृत किया है । यह उनके शब्द हैं ।

श्री धर्मबीर---

आपने शुरू में ही यह कह दिया होता तो मैं बैठ जाता । आपने स्वीकार किया तो ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा कि संसदीय मंत्री ने प्रस्ताव रखा है प्रश्न यह है कि जब तक कि आज की कार्य-सूची का सारा काम समाप्त न हो जाय तब तक यह सदन चलता रहे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है यह किसी राजनीतिक दल से या केवल हमारे प्रदेश से इसका संबंध नहीं है बल्कि इसका संबंध समूचे देश और दूसरे देशों से भी है । जो प्रस्ताव की भावना है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । कई एक बातें इसमें कही गई हैं । सबसे पेश्तर तो मैं बंगला देश की जनता, जो 'ऐज वन मैन' आन्दोलन करके अपने देश की आजादी की लड़ाई में जुटी, उसकी, मुक्तिवाहिनी की और भारत के वीर जवानों की उस कुर्बानी और साहस की जो उन्होंने बंगला देश में हो रहे अत्याचार को, नर संहार को रोकने में और उस देश की आजादी के आन्दोलन में सहयोग प्रदान किया उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । कई एक

प्रश्न यहां पर उठाये गये और देश में भी विभिन्न रायें हो सकती हैं । मेरी प्रारम्भ से यह राय रही है बंगला देश की मान्यता के प्रश्न पर, सभी राजनीतिक दल यह कहा करते थे कि इसको शीघ्र मान्यता दे दी जाय, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कभी अपने दल में भी और बाहर भी उनसे सहमत न था और मेरा आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जिस समय पर बंगला देश को मान्यता दी गई है उससे उपयुक्त और कोई समय उसके लिये हो नहीं सकता था ।

जहां तक सीजफायर का सवाल है, मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि अगर कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता था तो वह यही था बंगला देश की लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद । चूंकि हम लोगों ने जिस प्रकार की बातें उठाई थीं कि एक करोड़ के करीब शरणार्थी हमारे देश में आ चुके हैं और हमारे देश के नेताओं ने इस बात की कोशिश की थी, पार्लियामेंट ने प्रस्ताव द्वारा इस बात की कोशिश की थी कि किसी न किसी प्रकार इन शरणार्थियों का मामला हल कर दिया जाय क्योंकि यह हिन्दुस्तान का अन्दरूनी मामला हो चुका था, यहां के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता था। लेकिन संसार के किसी भी देश ने इसकी कोई परवाह नहीं की । हमारे बहुत नेता, हमारे राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री भी और संसद के सदस्य विदेशो में गये लेकिन संसार के किसी भी देश ने अपने कान पर जूं नहीं रेंगने दी और आखिर यह हुआ कि भारत को लड़ाई ठानना पड़ी । हिन्दुस्तान जिस दिन से बना उस दिन से और अब भी हिन्दुस्तान की नीति ने किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करन की रही और न वह अब है और न वह चाहता है कि संसार के मसले युद्ध के जरिये से हल किये जायं या वह स्वयं भी ऐसा करें । प्रारम्भ से ही हिन्दुस्तान की नीति यही रही है कि वह शांति से रहे और रहने दे शांति के दूत की हैसियत से ही भूतपूर्व प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल जी नेहरू सारे संसार में गये थे । मुझे अच्छी तरह से याद है कि सऊदी अरेबिया में उन का स्वागत शांति का दूत कह कर किया गया था । अब इस पर कोई सहमत हो या न हो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति शांतिवन बना, वह शांति का संदेश लेकर गये थे । सारे संसार को भारत में सारे मसलों को शांति के साथ हल करने का सन्देश दिया है और उसी रास्ते पर वह हमेशा चला है । लेकिन जब बंगला देश की समस्या आई तो हिन्दुस्तान की फौज, मुक्तिवाहिनी और वहां की जनता ने १२ दिन के अन्दर उस मसले को हल कर लिया और उसके बाद भी अगर लड़ाई जारी रखी जाती तो उसका मतलब स्पष्ट यह था कि हिन्दुस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की सर-जमीन पर कब्जा करना चाहता है । आखिर पाकिस्तान एक परिस्थितिवश बना और बनने के बाद उसके अस्तित्व को हमने स्वीकार किया, वह यू०एन० ओ० का मेम्बर है, उसके विघटन की कभी हमारी इच्छा नहीं रही, संसार की कोई ताकत यदि हमारे देश के विघटन की भी कोशिश करे तो भारत उसको कभी बरदाश्त नहीं करेगा । इसी तरह से हमारा दुश्मन जो इस समय पाकिस्तान है उनका भी विघटन यदि कोई करे तो वह न्याय की दृष्टि से उचित न होगा । इस दृष्टि से अगर संसार की कोई ताकत पाकिस्तान का विरोध विघटन की दृष्टि से करती तो मेरा जैसा आदमी उसको अच्छा नहीं समझता, मैं कभी नहीं चाहता कि उसका कभी विघटन किया जाता लेकिन जब पाकिस्तान के शासकों ने अपनी समस्या हमारे ऊपर थोप दी तो हिन्दुस्तान की हुकमत मजबूर हुई लड़ाई के लिये और हमारे जवानों और सिपाहियों ने कुर्बानी देकर बंगला देश के प्रश्न को हल किया । वहां की जनता के लिये हमारे नौजवानों ने कुरबानी दी और अपना बलिदान कर बंगला देश को आजाद कराया । जब बंगला देश का मसला हल हो गया तो पश्चिमी पाकिस्तान में किस कारण भारतीय नौजवानों की कुरबानी देने से कौन-सा और मसला हल होने वाला था ? यह मेरी समझ में नहीं आता अगर कोई आदमी इस प्रकार की बात करता है कि चीन हिन्दुस्तान पर हमला करने वाला नहीं था, यही गलतफहमी हमारे पंडित नेहरू को भी थी कि चीन हमला नहीं कर सकता और चीनी-हिन्दी भाई भाई

[श्री वीरेंद वर्मा]

और पंचशील का नारा लगाया गया । फिर भी दगाबाज चीन ने हमारे ऊपर हमला किया और उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया । मैं नहीं मान सकता कि दगाबाज चीन का भरोसा किया जा सकता है कि वह हम पर हमला नहीं करेगा ।

जहां तक रूस की बात है उसने अाड़े वक्त में हमारा साथ दिया । मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि रूस की दोस्ती उसके अपने हक में थी । यहां की आम जनता भी आज समझती है और मैं भी जहां तक समझता हूं ऐन मौके पर हमारे कठिन समय में सबसे अधिक दोस्ती और सहयोग का किसी ने कोई सबूत दिया है तो वह केवल रूस की दोस्ती और सहयोग का रहा है और उसके ऊपर भी हम रूस की सराहना नहीं कर सकें तो फिर और किसकी करेंगे । प्रस्ताव जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने रक्खा है कि क्षोभ प्रकट करते हैं, यानी गुस्सा है चीन और अमेरिका की नीति पर । गुस्सा जो जरूर है देश के हर आदमी को लेकिन अगर भर्त्सता का शब्द यहां रखते तो ज्यादा अच्छा था । यानी वैहिमैन्टली कन्डेम करना चाहिये था चीन और अमेरिका को । अगर कुछ शब्द और जोड़े जाते । नया वर्ष भी है कि इस नये वर्ष में हम बंगला देश की समृद्धि और विकास की भी कामना करते हैं तो और भी अच्छा होता । आखिर में माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात की चर्चा की कि जो जवान शहीद हुए हैं, जिन जवान के हाथ और पैर टूट जाने से या घायल हो जाने से अपंग हो गये हैं उनके साथ हमको पूरी सहानुभूति है और वह उनकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे । भारत सरकार की भी यह नीति है कि वह उनकी सहायता करेगी । जाहिर है कि बहुत लोगों ने काफी कुरबानियां दी हैं । उनकी कुर्बानियों के कारण, यानी लाखों लोगों की कुर्बानियों के कारण ही यह देश आंजाद है और संसार के सामने सिर ऊंचा करके चल सकता है । इस आजादी को कायम रखना है उसके लिये हमारे नौजवानों ने जो अद्भुत कुर्बानियां दी हैं उनके सामने हमारा देश नतमस्तक है और उन जवानों की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है । मैं आपके जरिय माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने कुर्बानियां की हैं और जो शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुये हैं, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट महकमें से परमिट देने में प्राथमिकता देनी चाहिये, कृषि योग्य भूमि के आवंटन के लिये आपने कुछ व्यवस्था की है । नौकरियों में भी जो जिस लायक है उनके लिये नौकरियों में व्यवस्था करनी चाहिये । आखिर में मैं जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री ने पेश किया है, उस प्रस्ताव में अगर वे इस बात को बढ़ा सकें कि हम बंगला देश की स्मृति और विकास की कामना करते हैं और भर्त्सना कर दें अगर कर सकें चीन और अमेरिका की । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले भी संविधान संबंधी संशोधन का बिल हाउस में पेश हुआ था तो भी आपने इसी तरह का रुख अख्तियार किया था । आज जो डीलिंग की है उससे मुझे एसा लगा कि मुसलमानों के ख्याल से केवल मुस्लिम मजलिस के ही सदस्य को बोलन का मौका दे दिया गया । वह आप तर्जुमानी आप कर सकते हैं । हमारे यहां से, दल की ओर से कहा गया कि नोमानी जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दिया जाय । हबीब साहब को मौका दिया गया । आप मुसलमानों को मौका नहीं देना चाहते । जब मौका ही नहीं मिलेगा तो मुसलमानों का क्या दृष्टिकोण है, इससे जाहिर नहीं होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें और आपको बोलने का मौका देना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा दृष्टिकोण साफ है । मेरा न हिन्दू दृष्टिकोण है और न मुसलमान दृष्टिकोण है । जो दल के नेता हैं उनको बोलने का मौका दिया गया । दल के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उनके दल के नेताओं में तीव्र विरोध आ गया है, वे दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहते हैं तो उसको समय दिया । और मैं हिन्दू और मुसलमान नहीं ढूंढ़ता हूं कि कौन मुसलमान है और कौन हिन्दू है उसी को मौका दिया जाय। यह जो दृष्टिकोण है ठीक नहीं, जहां कहीं भी खराबी हो वहीं उसका उपचार किया जाना चाहिये। यह बात मेरे दिमाग में नहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था तो इसके पहले कि यह सदन में रखा जाय, मुझे यह सूचना दी गई थी कि इस प्रस्ताव की सारी रूप रेखा हमारे सभी विधान सभा के प्रतिनिधियों की राय से बनाई गई थी । मैं नहीं था किन्तु हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कार्य-मंत्रणा समिति में थे, मुझे यह सूचना दी थी कि यह प्रस्ताव सभी दलों की राय से बना है । मुझे आशा थी कि जब यह प्रस्ताव पेश होगा तो सारे दलों की ओर से इसका समर्थन हो जायगा क्योंकि सब की राय से इसको बनाया गया था और इसमें विशेष वादविवाद की गुंजाइश नहीं रह गई थी क्योंकि यही सोच रखा गया था कि इस अत्यन्त ऐतिहासिक अवसर पर जो यह सदन बैठ रहा है, तो हम अपने मनोभाव व्यक्त कर देंगे जिससे देश की शक्ति को और बल मिलेगा । उससे हमारा समर्थन उनको प्राप्त होगा और अपने प्रदेश में अच्छा वातावरण बनेगा कि हम सब, चाहे वें हिन्दू हो या मुसलमान हों, हरिजन हों या ब्राह्मण या जायसवाल सब मिलजुल के देश प्रेम और राष्ट्रीयता का परिचय दें और अपने छोटे मोटे मतभेदों से बहुत ऊपर उठें । देश का प्रश्न जब हमारे सामने आये, तो हम सब एक हों और अपने देश की शक्ति को बढ़ाये हों साथ ही साथ उस देश को समर्थन भी प्राप्त हो, जो कि अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था । ऐसा वातावरण बनने से हमारी शक्ति बढ़ेगी । जहां तक मतभेदों का प्रश्न है, वह तो लोकतंत्र में होता ही है । लेकिन जो यह टीका-टिप्पणी हुई उस पर मुझे आश्चर्य हुआ । किन्तु अपने अपने विचार व्यक्त करना ही चाहिए । संभव है उनका ही दृष्टिकोण सही हो । तो मैं इस सब बहस का उत्तर किस तरह दूं । मैं जिस बात से बचना चाहता हूं वह बातें पैदा होंगी और मैं वह बातें पैदा नहीं करना चाहता ।

विरोधी दल के नेता, चौधरी चरण सिंह के विचारों को मैंने सुना । मान्यवर, उन विचारों से मेरा मौलिक मतभेद है । मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं । उनके विचार में विराम संधि बहुत भारी भूल थी। उनके विचार में अप्रैल में भी धावा कर देना चाहिये बिना दायें-बायें किसी भी तरफ देखे उनकी समझ में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिये था, कब्जा कर लेना चाहिये था । ये सारे विचार ऐसे हैं जो हमारे दृष्टिकोण से बिलकुल विपरीत हैं । सारी नीति संचालन इनके विपरीत दृष्टिकोण से किया गया है, और जिस दृष्टिकोण से किया गया है मैं उनसे सहमत हूं । अब मैं उनकी किस बात का जवाब दूं । मैं नहीं समझता कि हमारा कोई इरादा था कि मौका पाते ही पाकिस्तान पर हमला कर दें । माना कि 25 तारीख को मुजीब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, माना कि अप्रैल में बंगला देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हो गया, यह भी माना कि पाकिस्तान हमसे छोटा है, दूर्बल है, यह भी माना कि उसकी सैनिक शक्ति इतनी नहीं थी जितनी हमारी थी, यह भी माना कि उससे पिछले 20 वर्षों से हमारे साथ कोई मित्रता का व्यवहार नहीं किया, दुश्मनी का व्यवहार किया, यह माना कि बहुत से देश ऐसे हैं जो उसकी मदद करते रहते हैं, इस ख्याल से कि पहले ही कहा था कि इस मामले का हल नहीं हो पायेगा – इसलिये यह मौका था कि चील झपट्टे में हम पाकिस्तान को समाप्त कर देते और उस पर कब्जा कर लेते । फिर मान्यवर, आज की दुनिया है—20 वीं सदी है—किसी कार्य को करने के लिये—चाहे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

व्यक्तिगत कार्य हो—आप एक औचित्य ढूंढते हैं, उसका जस्टीफिकेशन खोजते हैं। एक देश ने अपनी स्वाधीनता का संघर्ष आरम्भ किया, उस समय तो स्वाधीनता का प्रश्न भी सामने नहीं आया था। उनकी 6 मांगें थीं, जिन मांगों को वह चाहते थे कि पाकिस्तान की सरकार मान ले, उस पर उन्होंने आन्दोलन किया। यह उनका आन्तरिक मामला था, सारी दुनिया कह रही थी कि आन्तरिक मामला है। क्या उस मौके का लाभ उठाकर अप्रैल में उन पर धावा करके पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिये था। क्या हमारी यह नीति रही है कि हम पाकिस्तान को मिटा दें और उस पर कब्जा कर लें? क्या बराबर हमने इस बात को नहीं कहा कि हम किसी देश पर कब्जा नहीं करना चाहते?—किसी देश को गुलाम बनाना हमारा काम नहीं है। क्या हमने बराबर इस बात को नहीं कहा कि हम गुलामी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? अपनी तमाम कमजोरियों को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए, दुनिया की परवाह न करते हुए, स्वाधीनता चाहने वाले देशों को हम नैतिक बल प्रदान करते रहे हैं। यह मानते हुए कि पाकिस्तान एक अलग देश है, क्या यह लाजमी था कि हम पाकिस्तान पर कब्जा करके उसे तोड़-ताड़ दें? यदि नहीं, कर सकते थे तो मान्यवर, यह मुनासिब नहीं था कि हम अप्रैल में धावा कर देते।

कहा गया कि 9—9 महीनों तक इधर उधर की बातें करते रहे। मान्यवर, अपने ही देश में जनमत बनाना होता है। संसार सुने या न सुने, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमने दुनिया से अपनी बातें कहीं और दुनिया ने उसे नहीं सुनी और तब हमको स्वयं इस मसले को हल करना पड़ा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, जहां कहीं झगड़ा हो, फसाद हो वहां उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है—हमने हमेशा इस बात को कहा है कि सारा मामला लड़ाई से नहीं सुलझाया जा सकता—एक्रास दि टेबिल मामले हल हों। संसार में युद्ध नाम की चीजें मिटाई जायं—यही भारत का नारा है। आवश्यकता इस समय इस बात की है कि यहां जो हुआ है, उसकी वास्तविकता को पहचाने बार बार कहा नेताओं ने, प्रधान मंत्री ने कि रियलिटी को देखिये। यहां की वास्तविकता को पहिचानिये, यह आन्तरिक मामला नहीं है। स्वतंत्रता के संघर्ष को अगर बलपूर्वक दबाया जायगा तो यह समस्या सुलझ नहीं सकती है और हम एक पड़ोसी की हैसियत से चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप इस मसले को हल करें नहीं तो स्थिति भयंकर हो जायगी—और यह कहा गया और दुनिया को आगाह किया गया। यह गांधी जी का भी कहना है कि अपने विरोधी को गलती में रखें ताकि तुम्हारे कार्य का औचित्य सिद्ध हो सके। वही हम ने किया। धावा पाकिस्तान ने किया। हम जानते थे। एक ओर उनकी शिकायत थी कि सीमा पर हम ने सेनायें लगा रखीं हैं। हमें मालूम था और हम जानते थे कि हमारी सेनायें कहां इकट्ठी हैं। उन्होंने शोर किया कि हमारी सेनायें क्यों इकट्ठी हैं और हमारे ऊपर धावा करना चाहते हैं। हम बराबर कहते रहे कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये हमारी सेनायें सीमा पर इकट्ठी हैं और धावा तुम करना चाहते हो। वही भूमिका हम ने अदा की। यहिया खां ने कहा कि दस दिन के अन्दर हम टोटल वार करेंगे। यही हमारी सेनाओं के एकत्रीकरण के लिये औचित्य था। उन्होंने धावा किया, एक चपत उन्होंने लगाई, तो चार थप्पड़ हम ने उनके चेहरे पर लगाये। हमारा इरादा पाकिस्तान को तोड़ने का नहीं था। उन्होंने गलती की जब हमारे ऊपर धावा किया, शरणार्थियों के मसले को हल नहीं किया। सिर्फ यह कहना कि उनके कुछ मसलों को हल किये बगैर शत्रु घोषित करते हैं, सही नहीं है। दूसरी ओर हमारी सेना आगे बढ़ी, और बंगला देश में जो कुछ हुआ, उसमें आपकी सेना ने जो भूमिका अदा की उसके कारण आज दुनिया के देश अपना मस्तक आदर और सम्मान के साथ झुकाते हैं। बंगला देश की जनता ने जो कुछ किया उसके लिये जितनी भी प्रशंसा की जाय, आदर और सम्मान उनके प्रति प्रकट किया जाय, श्रद्धांजलि अर्पित की जाय, वह कम है। उस निहत्थे देश ने इतने बड़े राष्ट्र के सैनिक आक्रमण का मुकाबला 9 महीने तक किया, वहां की

मुक्तिवाहिनी लड़ती रही, वह कैसे शिक्षित होती थी, कहां शिक्षित होती थी, उसकी कौन सराहना नहीं करेगा । हम जीतने के बाद विराम संधि न करते, यह हम नहीं समझ पाते। यह कहना कि किसी पर विश्वास नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री देश की प्रधान मंत्री हैं उनके ऊपर सन्देह प्रकट करें, उनकी बातों पर विश्वास न करें तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है । उन्होंने कहा कि किसी मुल्क के दबाव में आकर हमने कुछ नहीं किया है और न हम कुछ करेंगे । उन्होंने कहा कि रूस से इस मामले में विराम संधि करने से रूस का दबाव पड़ता, यह गलत है । हमने यह बात नहीं की । ऐसी बात मानने को जो नहीं मानता । विराम संधि भारत ने अपनी तबियत से की है । बार-बार उन्होंने यह एलान किया कि हम स्वतंत्रतापूर्वक अपनी नीति का संचालन करते हैं । अगर अमेरिका अपनी मदद बन्द करता है तो कर दें हमें उनकी मदद नहीं चाहिये । तो आप यहां बैठ कर यह कहें कि किसी के दबाव में आकर विराम संधि की है तो यह गलत है। यह दुनियां जानती है कि हम लड़े हैं तानाशाही और अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के लिये जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ और उन डिक्टेटरों के खिलाफ जो पाकिस्तान में बकायदा बैठे हैं, जम कर बैठे हैं , उनके खिलाफ हम ने आवाज उठाई है और हथियार उठाय ह ।

आज इसका पोस्ट मार्टम किया जाय। आज इसका बाहर क्या असर होने वाला है। क्या इसका मौका इसी समय है ? मैं तो इन सभी दृष्टियों से इसका विरोधी हूं । आज यह बड़ी भारी चीज हो गई है कि इसका श्रेय किसको मिले । प्रस्ताव में किसी को श्रेय देने की बात नहीं है । यह तो सारे देश का ही श्रेय है । क्या खाली सरकार ही लड़ाई जीती है । अगर खाली सरकार ही लड़ाई जीत सकती तो पाकिस्तान कब का समाप्त हो गया होता । बगला देश की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं थी और यही कारण था कि मुक्तिवाहिनी और आपकी सना बहां पर सफल हुई । पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक बहां पर थे और उनके पास सभी प्रकार के लड़ाई लड़न क साधन थे फिर भी उनकी पराजय हुई। उन्होंने सरेंडर कर दिया । क्या इतिहास में ऐसा भी कोई उदाहरण मिलता है ? एक लाख सेना के सिपाही मौजूद हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां की जनता उनके साथ नहीं थी । आज की लड़ाइयां अकेली सरकार कभी नहीं जीत सकती. . . .

(तालियां)

श्रेय तो उन लोगों को है जो इस अवसर पर अपना मतभेद भूल गये, राजनीति भूल गये और किसी प्रकार का विरोध करना भूल गये । कोई भी प्रधान मंत्री हो, देश ने उनको प्रधान मंत्री बनाया है केवल हमन या आपने ही उनको प्रधान मंत्री नहीं बनाया है यद्यपि कुछ लोगों ने उनका बहुत अधिक विरोध भी किया था, उनका दृढ संकल्प हमारा मार्गदर्शन करता रहा है । डा० लोहिया जी ने भी भविष्यवाणी की जिसको हमारे साथी ने पढ़कर सुनाया । उनकी दूरदर्शी दृष्टि थी और उन्होंने 20, 22 वर्ष पूर्व ही भविष्य की परिस्थितियों को दखा और उन्होंने कहा कि इस दिशा में पाकिस्तान नहीं चल सकता है । वह एक बड़े विचारक थे, राजनैतिक थे और विवेचक थे । मेरठ कांग्रेस में जिसमें बटवारे का प्रस्ताव पेश किया गया, मैं भी बहां पर था 1946–47 में और आचार्य कृपालानी उसक अध्यक्ष थे । उस समय गांधी जी न कहा था कि यह एक जहर बोया जा रहा है और इसका उनको बहुत बड़ा खद था । अब जब हमने कोई चीज कर ली है तो हमारा कत्तव्य है कि मिट्टी को सोना बनावें और इससे जो मुनासिब चीज निकल सकती है उसको निकालें । इतिहास तो अपनी गति के साथ चलेगा और उसको कोई टाल नहीं सकता । नियत के लिये कोई न कोई तो निमित्त बनता ही है । भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि इन लोगों को कोई जीवित नहीं रख सकता है तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिये तुमको युद्ध करना है। अर्जुन को इसके लिये श्रेय मिला । प्रधान मंत्री को सारे देश ने बनाया है और ऐसी स्थिति में उनको श्रेय मिला ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस लड़ाई को यहां की 55 करोड़ जनता ने जीता है, हमारे वीर जवानों ने जीता है, नवजवानों ने जीता है हमने और आपने सभी ने जीता है, देश की आत्मा ने जीता है उसकी शक्ति और आदर्शों ने जीता है, आपकी उच्चता ने इस लड़ाई को जीता है और आपके आदर्श ने इस युद्ध को जीता है। यह लड़ाई कोई एक बड़े भारी शत्रु के साथ नहीं थी यह ठीक है, लेकिन आज जो विजय हुई है वह एक नेता या सरकार की विजय नहीं है बल्कि वह उच्च आदर्शों की विजय है। ऐसी स्थिति में हम श्रेय के लिये सुबह से शाम तक बहस करते रहे, यह शोभनीय नहीं है।

मैं नहीं समझता कि इसको इस दृष्टि से देखा जाय। आज इसम बंगला देश के लोगों को बधाई दी गई है। मुक्तिवाहिनी के नौजवानों को, उसके सैनिकों को इसमें बधाई दी गई है। जो शहीद हुए हैं उनको बधाई दी गई है। साथ ही जो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके नेतृत्व में हम चले उनको बधाई दी गई है। माधव प्रसाद जी एक दूसरी बात ले आये। आपके नेता ने यह कहा कि आज एक नेता है और एक दल है और एक पार्टी है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एसा नहीं कहा, वह गलत छप गया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप गलत सोचते हैं, तो गलत कहते हैं। एक नेता और एक दल की बात उन्होंने कही कि हमारा कोई दल नहीं है। माननीय अटल बिहारी जी ने यह बात कही। जो संधि हुई उसमें सब विरोधी दलों से राय ली गई और उनस विचार-विमर्श किया गया। सब की राय लेन के बाद यह संधि की गई। यहां पर कहा गया कि हमको पता है। हमारे भाई न कहा कि दबाव डाला गया इसको उनको पता है। भगवान जाने उनको कहां से पता है। उनकी कोई सी० आई० डी० रही होगी। उसने पता लगाकर उनको बताया होगा। हम तो इस बात को मानते हैं कि जो आप या आपक नेता कहते ह वह सच कहते हैं लेकिन आप इसको गलत मानते हैं जो हम कहते हैं। चौधरी साहब ने भी कुछ भूगोल सिखाया कि पहाड़ पर आजकल बर्फ रहता है। चीन हमला नहीं कर सकता है। क्या इस बात का कोई दावा कर सकता है कि चीन हमला नहीं कर सकता है। उसन हमला किया था। आज अमेरिका और चीन चोंच से चोंच मिलाकर चल रहे हैं। राजनीति तो संभावनाओं पर चलती है। यह कोई नहीं कह सकता है कि नहीं होगा या होगा। यह संभावना हो सकती थी कि अमेरिका ऐसा रुख अख्तियार करेगा ? वह हमारा दोस्त था। हो सकता था कि वह लड़ता। हो सकता था कि चीन अकेले लड़ता। अमेरिका की फ्लीट भी आई। जब इन सब बातों को सोचा जाता है तो कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। पहले के अनुभव से आज हम कुछ वाइजर हो गये हैं। पहल से कुछ अकल बढ़ी है। एक समस्या उत्पन्न हुई उसको हम लेकर चले और उस संदर्भ में सभी बातों पर विचार किया गया। क्या ख्याल हो सकता था कि इस तरह से अमेरिका की फ्लीट आयेगी ? पता नहीं वह डराने के लिये आई थी या पाकिस्तान के लोग जो वहां पर फंसे थे उनको निकालने के लिये चली थी या हमारे ऊपर बम गिराने के लिये चली थी ? लेकिन वह सोचते ही रहे और यहां पर मामला सब खतम हो गया। फिर यह यहां से तशरीफ ले गई और धीरे-धीरे वापस हो गई।

एक बात जायसवाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक जमाने में रामगढ़ कांग्रेस हो रही थी। गांधी जी उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव ले आये। जैसे आजकल के जमाने मे कुछ नेता पैदा हो गये हैं उस समय भी सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोग थे। हम लोग भी उसमें मौजूद थे और मैं भी उस समय नौजवान था। तीस-पैंतीस साल पहले की बात है। हमारे डा० लोहिया साहब, जय प्रकाश नारायण जी, अच्युतपटवर्धन, महरअली, आचाय नरेंद्रदेव ने गांधी जी के उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया कि यह क्या प्रस्ताव है। यह मजाक की बात उन्होंने समझी और इसका मखौल उड़ाया कि कैसे यह व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। जब आप हुकुम करेंगे, तब उनको सरटिफिकेट दिया जायेगा तब वह सत्याग्रह करेंगे।

इस तरह से यह हिन्दुस्तान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सब लोगों ने उसकी बड़ी टीका-टिप्पणी की। गांधी जी उसका जवाब देने बैठे। वह तो जवाब देने में बड़े विनोदी थे। उन्होंने कहा कि हम उनकी तेजस्विता का सम्मान करते हैं और जब समय आयेगा तो उसको देखा जावेगा। श्री लोहिया, मेहरअली यह चाहते हैं कि उनके कंधे पर लेनिन का सिर रख दिया जाय तो हम उनका नेतृत्व करने के लिये तैयार नहीं हैं। तो उसी तरह से इंदिरा गांधी के कंधे पर चौधरी साहब का सिर रख दिया जाता तो उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं देखता हूं कि वह अपनी शक्ति, सामर्थ और बुद्धि से आग बढ़ीं, देश का नेतृत्व किया, उससे दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा, हमें सफलता मिली, देश को उपलब्धि हुई। वह समझते हैं कि हम उनकी राय प्रधान मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, तो वह खुद ही अपनी राय उन तक पहुंचा दें, वे तो स्वयं ही समय-समय पर अपनी राय चिट्ठियों में लिखकर भेजते रहते हैं। मालूम हुआ कि वह हम पर फिदा हैं, आज तक तो मुझे पर कोई फिदा हुआ नहीं, चलो यह हम पर फिदा तो हुए। हमारी यह एकता बनी रहनी चाहिये। श्रेय का सवाल नहीं है। राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह विश्वास है कि जब देश पर संकट आयेगा तो हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक हो सकते हैं। इसका एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार-चार बार प्रमाण मिल चुका है। हमारी यह भावना दृढ़तम हो जानी चाहिये। आज भी हमें धमकियां दी जा रही हैं। जायसवाल जी ने कहा--जब तक हम पाकिस्तान को मिला न लें, ये हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। बैठ-बैठ वह सोचे कि कैसे यह हो सकता है?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसका भी रास्ता बताया है। किन्तु जब तक कि उनकी हैसियत, अस्तित्व अलग रहता है तब तक पूरी दृढ़ता से काम लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दृढ़ता से काम लिया जाय, यह तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सीढ़ी जो मिला लेने की है वह हम कैसे पायें?

श्री अनन्त राम जायसवाल---

भुट्टो साहब अब बदलने लगे हैं। वह कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान चाहे ढीला-ढाला ही हो जाय, लेकिन पाकिस्तान के साथ रहे। वह लूज कांफेडरेशन की बात कहते हैं। तो खाली हम उसका एक्सटेंशन चाहते हैं, हिन्दुस्तान के साथ भी हो जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

भुट्टो साहब यह भी चाहते हैं, वह भी चाहते हैं। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान को भुट्टा बनाकर छोड़ेंगे, अब हम दम लेने वाले नहीं ह। वह यह कहते हैं कि यह न समझो कि तुम जीते हुये हो, तुम से हम बदला लेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत उनसे यह कहे कि तुम आओ, हमारे साथ संघ बनाओ और हम इसके लिये तैयार हैं। जहां हमारे माधव जी की मांग यह है कि जहां हम पहुंच गये हैं, वहां से हम हटे नहीं और जायसवाल जी की मांग यह है कि जहां तक पहुंचे हों उससे आगे पहुच जाओ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हमारी तो कुछ शर्तों के साथ वहां जमे रहने की बात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अब इसके दो ही रास्ते हैं। या तो संबंध इतन दृढ़ हो जायं कि पाकिस्तान भी कहे कि आओ मिलो और हम भी कहें कि छाती से छाती मिला लो और इससे हल न हो तो लाठी डंड से हल किया जाय। आज मामला यह है कि हम काम दृढ़ता से लें। लेकिन आज महासंघ बनाने की बात कोई इधर से या उधर से कहेगा तो इसकी कोई संभावना नहीं व्यक्त कर सकता है। आज तो संभावना यह है कि होशियार हो जाओ जैसा कि वह अकड़े हुये हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस-कांफ्रेंस में यही बात दोहराई है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ

[श्री कमला पति त्रिपाठी]
है, संभावना बनी हुई है, देश को सतर्क रहना चाहिये और हम तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिय। आज तो बहुत स्पष्टता के साथ सारे मसलों पर विचार करने की आवश्यकता है।

हमने जो जमीन ले ली है है, उससे पीछे हटे या न हटें, कौन-सा मसला पेश है कहां हट कर चल जा रहे हैं? क्यों दुनियां का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर? अभी पाकिस्तान से बात भी नहीं करनी है। जहां पर हम जमे हैं वहां से हटना भी नहीं है। जब वह बात करने आयेंगे तो राय दे दीजियगा। मैं यह समझता हूं कि देश क प्रधान मत्री के हाथ जिसम दृढ़ता और संकल्प का परिचय दिया है, इस देश का हित सुरक्षित है। हम सब उनक पीछ खड़े हैं। वही चीज होगी जो देश की जनता चाहेगी। मैं मानता नहीं कि इस तरह के प्रश्न उठाने से आपका लक्ष्य पूरा होगा। इनका जिक्र न करना अच्छा है। हमसे कोई आदमी बात नहीं कर रहा है। जब पाकिस्तान बात करन आये तो देखेंगे। झूठे ही पहले से लगे चिल्लाने सुबह को खांसी आने वाली हो तो आधी ही रात को मुंह बाय दें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इससे अपना हित नहीं होगा। हम जम कर भाई जगजीवन राम का सम्मान करें और मौका आय तो इंदिरा जी को और जगजीवन बाबू को ही लड़ा दें। हमने बधाई देने में भारत सरकार का तथा प्रधान मन्त्री का नाम ले लिया। जो प्रतीक है उसका नाम ले लिया। इंदिरा की सरकार आप कहते हैं। इंदिरा और उनकी सरकार को बधाई देत हैं। जितनी मंडली बैठी है, जगजीवन बाबू कहीं अलग से निकल गये। आप क्षमा करें, धमवीर जी, बचपने की बात नहीं करनी चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह तो खाली याद दिलाने के लिये कहा कि 1962 में जब भागना पड़ा तो कृष्ण मनन गये। अब जब बधाई मिल रही है तो जगजीवन राम जी क्यों वंचित रहे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जगजीवन राम जी को कोई वंचित कर ही नहीं सकता जब कि वह जग के जीवन हैं। आपने कहा कि पीछे चले गये होते तो जगजीवन राम जी को जाना पड़ता, माननीय जायसवाल जी ने कहा। अगर पीछे चले गये होते, तो खाली जगजीवन राम, खाली इन्दिरा गांधी को ही नहीं, हमको, आपको न जाने कहां भागना पड़ता, कहीं दुनिया में मुंह दिखाने वाले रहते?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अभी हाल का इतिहास है, इस दफा को छोड़ दीजिये। अब तक जितने मौके आये हैं हमने अपनी बात और जमीन भी खोई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। थोड़ा मन में धैर्य रखे। आप को बड़ा ही तेजस्वी प्रखर, दृढ़, नतृत्व प्राप्त हुआ है। कोई भविष्य म इस बात का भय नहीं है। आप इस बात को स्वीकार कर ले। मुझे भी देश की धरती से प्रेम है। आपसे अधिक प्रेम नहीं है लेकन आपसे कम भी नहीं है। इस देश के स्वतंत्रता संघर्ष म आपके साथ हमारे जैसे छोट लोगों को थोड़ी बहुत आहुति डालने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम मानते ह कि इंदिरा जी के हाथ में जो देश का नेतृत्व है, बड़ा तेजस्वी, दृढ़ और निर्भीक नेतृत्व है, उसका प्रदर्शन किया है, ऐसे समय में जब कि दुनिया हमारे देश की ओर, डराने धमकान के लिय लाल आंख करक ताक रही थी, उन्होंने उसकी उपेक्षा की है, बड़ा तेजस्वी उत्तर दिया है। जो हमारी, आपकी भावनायें हैं, उन भावनाओं से पूरी जानकारी है, आपके देश के नतृत्व को। उनकी उगलियां हमारे देश की नाड़ी पर हैं, हम किसी बात का खतरा नहीं है और बार-बार उन चीजों को उठाने से लाभ नहीं, हानि ही हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं अपने मित्रों से हाथ जोड़कर कि प्रस्ताव में जो संशोधन उन्होंने पेश किये हैं उनसे उसकी काया पलट ही हो गई है, एक नया प्रस्ताव सा वह हो गया है, उन सारे संशोधनों को कृपा करके वह वापस ल लें क्योंकि उन्होंने अपन संशोधनों के माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर दिया है जो कि देश की जनता को और देश के नेतृत्व को पहुंच जायगी और मूल रूप में जो

प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है, उसे हम सब अपने राजनीतिक मतभेद भुला कर एक हो कर पारित करें क्योंकि इस प्रस्ताव से किसी को कोई मतभेद हो नहीं सकता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था उसी भावना को त्रिपाठी जी ने व्यक्त किया । वह संशोधन कोई मूल प्रस्ताव के विरोध में नहीं था । आशा प्रकट की थी कि वह ऐसा ऐसा करेंगे । ऐसी परिस्थिति में जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा है मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, पिछली पार्लियामेंट में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्वागत करने का समय आया तो उसी सेंट्रल हाल में जगजीवन राम जी का भी उनके साथ स्वागत किया गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार जगजीवन राम जी ने देश का नेतृत्व किया है और जिस-जिस मंत्रालय का काम उनको सौपा गया उसमें उन्होंने जिस सफलतापूर्वक कार्य किया और संकट के समय में जब प्रधान मंत्री दुनिया का जनमत तैयार कर रही थीं, तब जगजीवन राम जी सारा समय लगा कर राष्ट्र की रक्षा के लिये लड़ रहे थे जो कि एक बहुत महान कार्य था । अब अगर पंडित जी समझते हैं कि उनका सम्मान न हो, हालांकि आवश्यकता इस बात की थी कि इन्दिरा गांधी के साथ उनका नाम भी जोड़ दिया जाता तो अच्छा होता लेकिन पंडित जी चाहते हैं कि प्रस्ताव ऐसे ही पास हो जाय तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री अनन्त राम जायसवाल--

मेरा तो संशोधन मूल प्रस्ताव को सम्पूर्ण बनाता है, अगर पंडित जी उसको मान लें तो. . . ।

श्री उपाध्यक्ष---

नियमावली का नियम 285 संशोधनों पर मत लेने की रीति के संबंध में है । जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जायें तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन को बतायेंगे या पढ़ कर सुनायेंगे ।

(2) यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वे पहले मूल प्रस्ताव को या किसी संशोधन को मत के लिये रखें ।

तो मैं मूल प्रस्ताव को रखता हूं ।

विगत 24 वर्षों के तानाशाही, क्रूर एवं बर्बर पाकिस्तानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाकर धर्म निरपेक्ष, समाजवादी एवं सार्वभौम 'गण प्रजातंत्री बांगला देश' के अभ्युदय का यह सदन हार्दिक स्वागत करता है और वहां की जनता, मुक्तिवाहिनी एवं सरकार का अभिनन्दन करते हुये उन्हें बधाई देता है । यह सदन बंगला देश के राष्ट्रपति श्री मुजीबुर-रहमान की तुरन्त रिहाई की अपनी मांग पर पुनः बल देता है, जिससे वे स्वतंत्र बंगला देश का नेतृत्व कर सकें ।

2--पाकिस्तान द्वारा भारत पर एक बार फिर अकारण शर्मनाक आक्रमण करने की यह सदन तीव्र भर्त्सना करता है । भारतीय जल, थल, एवं नभ सेना के वीर जवानों ने भारत की अखंडता एवं सार्वभौमिकता की सफलतापूर्वक रक्षा, व बंगला देश की मुक्ति के लिये जिस अदम्य साहस, वीरता एवं कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया है, उसके लिये यह सदन उनकी प्रशंसा करता है । साथ ही, उन शहीदों के प्रति, जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति पाई है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट करता है और उन्हें यह आश्वासन देता है कि यह प्रदेश उनको यथाशक्ति सहायता देने के लिये कृत संकल्प है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

3— राष्ट्र के इतिहास में महान संकट की इस कठिन घड़ी में हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और केंद्रीय सरकार ने जिस राजनीतिक सूझ-बूझ तथा सबल, परिपक्व एवं दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया है उसके लिये यह सदन, प्रधान मंत्री जी एवं केंद्रीय सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई देता है । इस सदन को गर्व है कि राष्ट्रीय संकट की इन घड़ियों में प्रदेश एवं देश की जनता व राजनीतिक दलों ने एक बार फिर अभूतपूर्व एकता और सहयोग का परिचय दिया है ।

4—यह सदन उन सभी देशों विशेषतया सोवियत रूस व पोलैंड के प्रति जिन्होंने राष्ट्र की इस कठिन घड़ी में हमें अपना सहयोग दिया है, अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है । फ्रांस ब्रिटेन आदि जिन देशों ने तटस्थ रहकर अपनी सहानुभूति दी है, उनको भी यह सदन धन्यबाद देता है । साथ ही अमेरिका और चीन जैसे देशों की वास्तविकता से आंख मूंद कर पाकिस्तान की जघन्य कार्यवाहियों को बढ़ावा देने की नीतियों के प्रति यह सदन क्षोभ प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

नागर अचल सम्पत्ति सीमा आरोपण सम्बन्धी संकल्प के विषय में वैधानिक आपत्ति

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, यह जो नम्बर 13 वाला आइटम है और प्रस्ताव है उस सम्बन्ध में मेरी वैधानिक आपत्ति है । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि यह जो अरबन प्रापर्टी की सीलिंग का प्रश्न है उसको हमारी यह सरकार टालना चाहती है और इसलिये उसे पार्लियामेंट के सुपुर्द करना चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप वैधानिकता की बात कहें....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आप सेविन्थ शेड्यूल के अन्तर्गत 42वां आइटम देखें "एक्विजिशन और रिक्विजिशन आफ प्रापर्टी" । उसके साथ ही आर्टिकिल 252 भी देखें जिसमें लिखा है कि

"252. .....If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated...."

इसलिये मेरा निवेदन है कि आर्टिलक 252 के अन्तर्गत हमारे जो अधिकार हैं जिसके अन्तर्गत हम यह प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं और अरबन प्रापर्टी की सीलिंग यह विधान सभा कर सकती है, उस अधिकार को आप पार्लियामेंट को देना चाहते हैं और यह कहकर कि पार्लियामेंट का यहां पर अधिकार नहीं है । इस कांकरेन्ट लिस्ट के अन्तर्गत जो 42 वां आइटम है उसमें पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

249 और 250 को छोड़कर आप कह रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उसकी स्थिति को छोड़कर ही कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी आपत्ति यह है कि जिस काम को यह विधान सभा आज कर सकती है, जिस अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग को पंडित जी स्वयं कर सकते हैं, जैसा कि शुगर मिल का नेशनलाइजेशन केन्द्रीय सरकार पर थोप दिया तो ऐसा न करें । ये अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग पार्लियामेंट पर छोड़

रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस आर्टिकिल के अन्तर्गत यह रेजोल्यूशन आया है--252 के उसके अन्तर्गत यह नहीं आ सकता। इस आर्टिकिल का प्रारम्भिक वाक्य है कि जिन विषयों पर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन न कर पाये उन पर यह आर्टिकिल अप्लाई करेगा और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांकरेंट लिस्ट के अन्दर आइटम 42 ऐसा है जिसे पार्लियामेंट भी लेजिस्लेशन कर सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपकी एकमात्र आपत्ति यह है कि "यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद को, अनुच्छेद 249 और 250 में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिए किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिए निधि-संगत होगा" आदि । यही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप सही समझ गये, शायद राजस्व मंत्री नहीं समझे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मुझे भी मौका दीजिये, मैं भी फंडामेंटली विरोधी हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आर्टिकिल 252 के अन्दर यह रेजोल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि संसद को इस बात का अधिकार है । यह कांकरेंट लिस्ट के 42 वें आइटम में है कि वह इसका लेजिस्लेशन कर सकती है ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मुझे एक मिनट का समय दे दें । श्रीमन्, जो आपत्ति आपने उठाई है उसको मैं दोहरा देता हूं, उससे श्रीमन्, और माननीय सदस्य समझ जायंगे कि मैं भी उनकी बात समझ गया हूं ।

श्रीमन्, आपका कहना यह है कि यह कांकरेंट जुरिस्डिक्शन की जो लिस्ट है उसमें अरबन प्रापर्टी के ऊपर सीलिंग की जा सकती है । इसलिये पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार है और हमको भी अधिकार है--दोनों को अधिकार है । आपक कहना यह है कि जब हमको अधिकार है तो हम उसे पार्लियामेंट को क्यों दे रहे हैं ? मेरा कहना श्रीमन्, यह है कि उनसे एक कदम आगे जाकर के यह जो आपके सामने प्रस्ताव लाया जा रहा है इसमें सिर्फ यही नहीं मानते कि हमको और उनको दोनों को अधिकार है यह इसके एक कदम आगे है । उसके अनुसार यह अधिकार केवल हमको है, उनको नहीं हैं ।

दूसरी बात यह है कि आपने जो दूसरी आपत्ति उठायी वह यह है कि फिर हम 252 को इसमें क्यों अप्लाई करते हैं ? अगर हम उनको देना भी चाहते हैं तो वह कर सकते हैं । 252 की जरूरत कहां पर है, 252 की जरूरत वहां पड़ा करती है जिस विषय को केवल स्टेट कर सके । उसको हम पार्लियामेंट को जब सौंपें तब 252 आता है । अगर दोनो को कांकरेंट है तब अनुसूची 3 की संख्या 42 से तय हो जाता है, लेकिन यह 42 का मामला नहीं है। अरबन प्रापर्टी के ऊपर जो हम सीलिंग लाते हैं तो अरबन प्रापर्टी में और चीजों के अलावा उसमें लैंड भी शरीक है ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

श्रीमन्, शिड्यूल सात की लिस्ट (2) है जो एक्सक्लूजिव जूरिस्डिक्शन स्टेट का है। इसमें 18 आइटम को देखिये। इसमें लैंड लेने के लिये या सीलिंग लगाने के लिये स्टेट का एक्सक्लूजिव जूरिस्डिक्शन है। जब तक आर्टीकल 252 में न जायं तब तक पालियामेंन्ट को अधिकार नहीं है कि वह लेजिस्लेशन कर सके। यह औचित्य की बात है कि इसे हमें करना चाहिए या केन्द्र ने। लेकिन 252 में हम इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा मुनासिब यह है कि जो सीलिंग हो रही है यह किसी एक स्टेट के मातहत न होकर सारे देश की स्टेट्स के लिए होनी है। इसलिए यह पार्लियामेंट के मातहत होनी चाहिए जिससे उसमें सम्यता और एकरूपता आये। एक सा लेजिस्लेशन हो। एक बात और निवेदन कर दूं कि जहां तक लैंड का ताल्लुक है इसकी प्राब्लम्स अलग-अलग होती है लेकिन अरबन प्रापर्टी की प्राब्लम्स अलग-अलग नहीं होती हैं इसलिये उनकी आपत्ति कोई माने नहीं रखती है।

श्री बंशीधर पांडेय---

जो माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने बात उठाई थी। मेरे मन में भी आया था और मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने एक दूसरे प्रश्न के संदर्भ में कहा था कि सरकार ने घोषणा की है कि देहाती और शहरी सम्पत्ति की सीलिग का एकरूपता से विधेयक लायेंगे। यह मुख्य मंत्री की घोषणा है और परसों भी कहा कि सरकार इस पर अडिग है। हो सकता है कि एक आगे आ जाय और एक पीछे आ जाय। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बात कही उससे मैं इसके लिये और दृढ़ हो गया हूं कि इसको पास नहीं करना चाहिये। मैं इसलिये इसका विरोध करना चाहता हूं कि आपने कहा कि 252 के अन्तर्गत जो स्टेट सब्जेक्ट हैं जो प्योर लेजिस्लेशन की बात है उसके लिये 252 में जायं कि संसद को दे सकते हैं। मैं आप से कहता हूं कि लेजिस्लेचर जो जनता के मत से चुनकर यहां आया हुआ है तो आपको यह कहना चाहिये कि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं चाहता है। मैं कहे देता हूं कि केंद्र में एक पार्टी है और उसी की गवर्नमेंट तो आप उस खतरे में न जायं जिसको लेकर ईस्ट पाकिस्तान पूर्वी बंगला हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि प्रांविंशियल आटोनामी के अन्तर्गत क्या प्रदेश लेजिस्लेचर को आप इनकाम्पीटेंट फील करते हैं जो अरबन प्रापर्टी की सीलिंग नहीं कर सकता है? इसके लिये आप चाहे अपनी कैबिनेट की कमेटी बनाइये। यह विधान सभा क्यों नहीं कर सकती है?

दूसरी बात यह है कि शहरी सम्पत्ति के लिये दिल्ली ले जा रहे हैं एकरूपता कायम करने के लिये। लेकिन लैंड सीलिंग के लिये एकरूपता नहीं चाहते हैं जिसमें आंध्र और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों में जमीन आसमान का मतभेद था। अगर संसद को देना है तो वह देहात की भी सीलिंग करे अन्यथा दोनों इसी सदन में आयें। यह क्या है कि आपने देहात के किसानों का भाग्य तो अलग रख दिया। केरल में कुछ कर दिया गया और करुणानिधि ने कुछ कर दिया। किसानों के लिये अधिकार आप केंद्र को क्यों नहीं दे देते हैं? चाहे कोई प्रांतीय सरकार में हों, हम चाहते हैं कि दृढ़ हो लेकिन जो एकरूपता आप लाना चाहते हैं शहरी संपत्ति के बारे में वह एक रूपता की बात आप किसानों के लिये क्यों नहीं करत हैं। किसानों के लिये तो महाराष्ट्र ने 70 एकड़ कर दिया और उत्तर प्रदेश में आप 20 एकड़ की बात करते हैं। इसलिये ऐसा करना किसानों के लिये अन्याय होगा और हमारा यह लेजिस्लेचर इनकाम्पीटेंट साबित हो जायगा अगर आप इसको दिल्ली ले जायेंगे तो आप चाहें तो सदन की कमेटी बना दीजिये अथवा कैबीनेट की कमेटी बना दीजिये, वह इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दे दें। इसलिये इसको बेसीकली मैं गलत समझता हूं कि इसे दिल्ली भेजा जाय। आप करें तो दोनों अधिकारियों को दिल्ली को दें अथवा दोनों को अपने यहां से ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि लैंड सीलिंग तो विभिन्न राज्यों की अलग-अलग हो और

शहरी एक हो जाय । इसके लिये आगे आने वाली पीढी आपको माफ न करेगी । आपके व्हिप के डर के मारे आपकी पार्टी का कोई भले ही इस बात को न कहे लेकिन यहां से जाने के बाद बाहर सब यही बात कहेंगे। यह किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। आप अपने ऊपर कोई घमंड न करें। आप स्टेट लेजिस्लेचर के अधिकारों को करटेल करने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि प्रांविशियल आटोनामी की बात यहां भी होने लग, फिर आप उसको रोक न पायेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आपने निवेदन कर दिया और उसको मैंने सुन लिया । इस प्रस्ताव को रखा नही गया और आपने उस पर ऐतराज कर दिया । मैंने उस समय यह सोचा कि यह सूची मे रखा जाना उचित है या नहीं, इस पर आप बोल रहे हैं लेकिन आपने संवैधानिक परिस्थिति के बारे में अपना भाषण दे दिया । जब यह प्रस्ताव सदन के सामने रख दिया जाय तभी आप कुछ कह सकते हैं । इसको एजेंडे में रखा जाय या नहीं, इस पर आपको कुछ कहना हो तो कहें ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इसको आज स्थगित कर दिया जाय क्योंकि इस पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके औचित्य पर विचार करने के लिये इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी को सलाह देने का ब्यूरो कायम किया हो । जब आपको समय दिया जाय और आप बोलें तब सलाह दीजिये ।

श्री धर्मवीर—

मैं तो आपकी आज्ञा से कह रहा था ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, न तो अधिकार देने की बात थी इसमें और न अपने हाथ कटा देने की बात थी । बात यह थी कि कांकरेंट लिस्ट में यह है कि जब तक हम कहें नहीं तब तक संसद इस चीज को बनाता नहीं है । विचार यह था कि अरबन प्रापर्टी के बारे में सेंटर कमिटेड है उनका एक माडल बिल बना हुआ है । परन्तु उस चीज को वह ला नहीं सकते जब तक कि दो स्टेट लेजिस्लेचर यह तय न कर दें कि संसद उसको बना दे । इस विचार से कि वहां जल्दी हो जायगी और राष्ट्रपति का भी झमेला उसमें नहीं रहेगा। हमने यह सोचा कि हमारे यहां जब यह निश्चय हो चुका है कि 5 लाख अधिकतम सीमा हो और इसके लिय भारत सरकार को हम लिख चुके हैं कि आप हमारे लिये कानून बना दीजिये ताकि जो दिक्कतें उसमें पड़ने वाली हैं, वह दूर हो जायं और उनका यह कहना कि हम तभी बना सकते हैं जब आपके लेजिस्लेचर के दोनों हाउस यह अधिकार हमको दे दें इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया । इसमें को यह नहीं है कि हम न बनायें । अगर हमारे विरोधी दल के माननीय मित्र जब यह चाहें हों कि नहीं, जैसा भी बनने वाला हो अपने यहां से बनाया जाय तो हम यह कह सकते हैं कि हम उनको अधिकार नहीं देंगे । बिहार ने एक बना दिया था उसमें न मालूम क्या गड़बड़ पैदा हुई कि वहां से वह रिजक्ट हो गया । संसद अगर बना दे तो हमारे लिये सुविधा-जनक हो जायेगा और हम अगर बनायेंगे तो अरबन प्रापर्टी के मसलों को आप उतनी जल्दी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नहीं हल कर पायेंगे जितनी जल्दी संसद। वहां से उसका एक रूप बन जायगा। वह हर प्रदेश के लिये एक तो नहीं हो सकता लेकिन बुनियादी तौर पर एक बन जायगा तो हमारी समस्या जल्दी हल हो जायगी। इसमें वैधानिक आपत्ति तो ज्यादा दिखाई नहीं देती। हमारे स्वामी जी जो प्रश्न उठा रहे हैं वह तो हम मंजूर करते हैं कि हमको अधिकार है बनाने का और हमको यह भी अधिकार है कि हम उसे सिपुर्द कर दें सेंटर को। अगर हमारे विरोधी दल के नेताओं और सदस्यों का यह विचार है कि इस पर पुनः विचार किया जाय तो मैं इसके लिये तैयार हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करने के पहले विरोधी दल के अपने साथियों को बुला कर हम विचार कर लें और अगर यह राय हो कि यह अधिकार दिया जाय तो दिया जाय। लेकिन एक बात निश्चित है कि अरबन प्रापर्टी सीलिंग का देर में आये या जल्दी लेकिन जो लैंड की सीलिंग हमारे यहां होने वाली है, उसके कानून को हम इसके लिये रोके नहीं रहेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं तो चाहता हूं कि जल्दी आ जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस पर विचार करने के लिये वह कब तक विरोधी दल के लोगों को बुला रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि भूमि की सीलिंग का विधेयक जल्दी से जल्दी आना चाहिये और अगर इसके लिये संसद को भी अधिकार देना पड़े तो उसे दे देना चाहिये। लेकिन यह भूमि का जो सीलिंग बिल है वह जल्द से जल्द आना चाहिये और जल्द से जल्द से वह पास होना चाहिये, इसकी वजह से उसे न रोका जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने तो यह पहले ही निवेदन कर दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कृपया इस पर प्रकाश डाल दें कि यहां से जल्दी होगा या वहां संसद से जल्दी होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अभी तो बैठकर बात कर ली जाय और वहां सारे इसके पहलुओं को देख लें और उसके बाद और उसके बाद अगर समझें कि यह प्रस्ताव जाना चाहिये तो वह सर्वसम्मत से जाय क्योंकि यह अधिकार आपका तो है ही। यदि समझ में आये और अरबन प्रापर्टी की सीलिंग करना है, इससे हम भी सहमत हैं कि यह शीघ्र से शीघ्र हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिये कर रहे हैं तो मुनासिब तो यही होता कि दोनों का साथ ही साथ होता लेकिन वह संभव नहीं है। इसलिये अरबन प्रापर्टी का सीलिंग करना जरूरी है, हम उसके लिये कमिटेड हैं और उसमें देर करना अब उचित न होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की सीलिंग के बारे में मैंने पहले कहा था....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अरबन सीलिंग की कोई रूपरेखा आपके पास आ गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वह सब बातें वहीं हो जायंगी सारी बातें यहीं क्यों हों। अब जब अलग बैठकर बात करना है। यहां ग्रामीण सीलिंग को इसलिये हम नहीं ले सकते और अरबन प्रापर्टी की सीलिंग में बिलम्ब हो सकता है और वह संसद में जाकर जल्द पास हो जायगा। हमारे यहां उसमें देर हो सकती है मुमकिन है ज्यादा सुविधा वहां हो। अगर ग्रामीण में अभी देरी है तो इसमें हमें देर नहीं करना चाहिये। हम चाहते हैं कि ग्रामीण और अरबन दोनों ही की सीलिंग हो

जाय, अब समय ज्यादा न लें, 10 बजे से बैठे हैं इसी तरह, न खाया है न पिया है, इसलिये कोई समय हमारे नेतागण बैठ जायं, बातचीत हो जाय, दस-बीस मिनट में बात नहीं हो सकती, एक, दो दिन इन्सटालमेंट में बैठ जायं लेकिन यह जल्द हो जाय । हमारे साथी श्री नारायण दत्त जी से बात करके कोई समय निश्चित कर लें रात को या दिन में किसी भी समय चाहे सुबह को बैठ जायं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, में यह जानना चाहता हूं कि गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण में क्या देर है और वह कब तक हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है ।

श्री गंगा प्रसाद—

ग्रामीण और अरबन प्रापर्टी की सीलिंग का यह सवाल आया है लेकिन गन्ने की मिलों के राष्ट्रीयकरण का भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । इसके लिये कब तक सेंटर में बिल आयेगा या यहीं आयेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीयकरण की घोषणा हो जायगी ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971†

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है वह उसके बारे में कुछ थोड़ा बता दें तब हम कुछ कहें । यह कहते हैं कि खर्च बहुत बढ़ गया.....

श्री उपाध्यक्ष—

हम बाध्य करें कि वह बतायें ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

बता तो दें कि इसमें है क्या ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं समझता था कि आपने इसका अध्ययन कर रखा होगा ।

श्रीमन्, इसमें केवल जो संविधान के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि होती है जिसमें आकस्मिक व्ययों का प्राविधान होता है इसमें धनराशि दस करोड़ के स्थान पर बीस करोड़ करने का प्राविधान है । श्रीमन्, यदा कदा यह होता रहता है कि मूल बजट होने के बाद कई एसी ग्रांटें सरकार को मिलती हैं अप्रत्याशित रूप से कि जिनके लिये इकट्ठे सदन को बुलाना संभव नहीं हो पाता । मैं उदाहरण के लिये जो नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन है वह

---

† 31 दिसम्बर, 1971 की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सहकारिता का जो स्ट्रक्चर है ग्रांट देती है जिनमें यह आता है कि इतना रुपया ले लिया जाता है प्रदेश के हित में और उसके बजट का समाधान होना आवश्यक हो जाता है। अभी बाढ़ इस प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर आई कि हमें पचहत्तर करोड़ का पूरक बजट लाना पड़ा अगर सदन न हो जाता तो बाढ़ के लिये हमें 75 करोड़ या 30 या 25 करोड़ का प्राविधान करना पड़ता। उसकी केंद्र के कमीशन ने भी सिफारिश की है कि कन्टीन्जेंसी फंड को एन्हान्स करना चाहिये। इसलिये विकासीय आवश्यकताओं को देखते हुए कमीशन की आवश्यकताओं को देखते हुए यह आकस्मिकता निधि दस करोड़ के स्थान पर बीस करोड़ करने का प्राविधान है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता था। आप वित्त मंत्री हैं और खर्चा अवसर बढ़ जाया करता है। कंटीजेंसी फंड में रुपये की और आवश्यकता आ जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह तो पास हो जायगा। अपने वित्त विभाग को आप देखें। मेरी प्रार्थना यह है कि आप अपने वित्त विभाग को स्क्रुटिनाइज करें कि वित्त विभाग के कितने ऐसे मामले हैं जो तीन वर्षों से पेंडिग हैं। अगर मैं कहता हूं कि दो-दो, चार-चार वर्षों से नहीं हैं या मेरी समझ में मेरे कहने में गलती होती हो लेकिन वे इतने अधिक समय से पेंडिग हैं कि चार गुने खर्चे हो गये, दो गुने खर्चे हो गये। आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट तैयार है। वित्त विभाग में आये हुये विचारार्थ मामलों पर आप निर्णय लें कि किसमें कितनी देरी हुई है। जब तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। आप कृपया नोट कर लें। एक मेरी माली योजना उत्तर काशी की है। इसकी रिपोर्ट भी आपके पास आई होगी। मेरे पास यह बहुत पुरानी डायरी है। आपके वित्त विभाग की कार्यवाही से कई लाख रुपये का खर्चा बढ़ा या नहीं? मैंने यह एक ऐसे ही उदाहरण दिया है। चाहे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट हो या पी० डब्ल्यू० डी० हो। जो आपके पास आता है उसमें आपके वित्त विभाग की खूबी रहती है एक नोट लिख दिया और वह सत्तरह डिपार्टमेंट के पास छनता हुआ जायगा। क्या इस तरह से दुगुने प्राइस नहीं हो जायेंगे। जब तक फाइनान्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। टैक्निकल रिपोर्ट चलती है नीचे के क्लर्क्स लिखते हैं। सेक्रटरीज डु नाट अप्लाई देअर माइंड्स। नोट लगाते हैं और वह आठ-दस महीने तक टल जाता है। आप मडिकल में जाइये, पी० डब्लू० डी० में जाइये, इर्रीगेशन में जाइये, जिस डिपार्टमेंट में जाइये एक सवाल पैदा होता है। हमने पास किया कि पचास रुपये देने चाहिये इसके उसमें वित्त विभाग कौन होता है जो आपके फैसले के ऊपर फैसला करने लगे? टिप्पणी लगी कि इस पचास के छियालीस होने चाहिये। रीजन दें कि क्यों होना चाहिये? आप इस चीज को कैसे सुधारियेगा इस पर विचार करिये। ऐसा काम करिये जिससे दूसरी जगहों पर भी तेजी से काम हो सके। इसको आप भी सोचिये। इसके लिये कोई फाइनेंशल एडवाइजर हो और उसी का कहना फाइनल हो। हमारा विचार यही है दसियों करोड़ रुपया इस कारण से बढ़ता चला जाता है और वह व्यर्थ में जाता है। इस पर आप विचार करें और मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो सम्मानित नेता, जनसंघ दल ने सुझाव दिया है उन पर हम अवश्य विचार करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आपने जिस केस का उल्लेख किया उसका विवरण आप दे दें तो उसकी गहराई से जांच हो सकेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जहां तक वित्त बिभाग की प्रक्रियाओं का संबंध है, वह पी०ए०सी० कमेटी ने दे दिये हैं । पी० ए ०सी० इस सदन की एक बहुत ही सम्मानित समिति है । कई बार यह भी शिकायत की गई है कि इस समिति की सिफारिशों को मान्यता नहीं दी जाती है । अगर जितना खर्चा वित्त विभाग से होता है, वह सभी मंजूर कर लिया जाय और इसमें ढिलाई दे दी जाय तो हमारा बजट 2/4 हजार करोड़ का हो जायेगा । प्लान के हिसाब से जो प्राथमिकता निर्धारित है, उनको देना ही पड़ता है और जो नान प्लान आइटम हैं, उनमें काट-छांट करनी पड़ती है । लेकिन जो महीनों तक फाइलें पड़ी रहती हैं, वह उचित नहीं है । वित्त विभाग अपने प्रशासन को ठीक करने का प्रयास करेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी —

आपने जो कहा कि पी० ए० सी० के जो कमेन्ट्स होते हैं उसके हिसाब से करना चाहिये लेकिन आपके फाइनेंस विभाग टीका-टिप्पणी करके महीनों लगा देते हैं और होता यह है कि फाइनेंशियल इयर समाप्त हो जाता है । तो यह सारी जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की है । सोचिये, आप वित्त मंत्री हैं, ऐसी ढिलाई नहीं होनी चाहिये, कोई तरीका सोचिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में :—

उत्तर प्रदेश अधि
नियम संख्या 1
1950 की धारा
का संशोधन

(1) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(4) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

(2) पार्श्वशीर्षक में अंक तथा शब्द '4 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' तथा शब्द ' का निकाला जाना ' के बीच में अंक तथा शब्द 'तथा 10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि ' रख दिये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड 3

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि निम्नलिखित को नये खंड 3 के रूप में जोड़ दिया जाय—

"3—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 6 की उप धारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय और निम्नलिखित उप धारा (2) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

[श्री शिवराज सिंह]

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

मान्यवर, देखने में यह संशोधन बहुत लम्बा जान पड़ता है किन्तु यह बहुत सरल है। इसे आदरणीय सदन की प्रतिनिहित विधायन समिति ने सन् 1956 में यह सिफारिश की थी कि जब किसी अधिनियम के अन्तर्गत शासन को नियम बनाने का अधिकार दिया जाय तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार निर्मित नियम 14 रोज के लिये सदन की पटल पर रखा जाय और 1958 में न्याय सचिव ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। उस (अस्योरेंस) आश्वासन के क्रियान्वयन के लिए मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसको स्वीकार कर ल और विधेयक का अग बना लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधेयक में संशोधन दिया है वह महत्वपूर्ण है। मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को नये खण्ड 3 के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"3---उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 6 की उपधारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय और निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में जोड़ दिया जाय--

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंग और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की बधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नया खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 19, 1950

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी से, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 की धारा 100-क का संशोधन

2—1951 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 100-क में, उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "इकत्तीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" रख दिए जाएं।

---

†14 सितम्बर, 1971 की कार्यवाही में छपा है ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

म आपकी आज्ञा से विधान सभा में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव करता हूं :—

"खण्ड 2 में शब्द तथा अंक "इकत्तीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "तीस जून, 1972 को या इसके पूर्व" रख दिए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में शब्द तथा अंक "इकत्तीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "तीस जून, 1972 को या इसके पूर्व" रख दिए जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

धारा 100-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 100-ख में, उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "इकत्तीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" रख दिए जाएं।

श्री राज मंगल पांडेय—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में शब्द तथा अंक "इकत्तीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूव" के स्थान पर शब्द तथा अंक "तीस जून, 1972 को या इसके पूर्व" रख दिए जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में शब्द तथा अंक "इकत्तीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "तीस जून, 1972 को या इसके पूर्व" रख दिए जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 4

धारा 161 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 161 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ग) बढ़ा दिया जाय :—

"(ग) राज्य सरकार से, अपनी भूमि का,"

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 में खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाए :—

4—"मूल अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय,अर्थात्:—

"कोई भूमि या सीरदार अपने द्वारा अधिकृत भूमि से—

(क) किसी दूसरे भूमिधर या सीरदार से उसके द्वारा अधिकृत भूमि का,

अथवा

(ख) किसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी से ऐसी भूमि का जो धारा 117 के अधीन तत्समय उसमें निहित हो, अथवा

(ग) राज्य सरकार से उसके द्वारा अधिकृत किसी भूमि का विनिमय कर सकता है ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि (3) खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

"4 मूल अधिनियम की धारा 161 के उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड से पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय,अर्थात् : —

"कोई भूमिधर या सीरदार अपने द्वारा अधिकृत भूमि से—

(क) किसी दूसरे भूमिधर या सीरदार से उसके द्वारा अधिकृत भूमि का, अथवा

(ख) किसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी से ऐसी किसी भूमि का जो धारा 117 के अधीन तत्समय उसमें निहित हो अथवा

(ग) राज्य सरकार से उसके द्वारा अधिकृत किसी भूमि का विनिमय कर सकता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि यह संशोधन तो सरकार की ओर से मान लिया गया है लेकिन मैंने उसमें यह रखा था कि संशोधन में उल्लिखित खण्ड 4 (ग) म "किसी भूमि का और विनिमय कर सकता है" के बीच शब्द "सार्वजनिक हित में" रख दिये जायं इसमें मैंने यही कहा है कि राज्य सरकार से अपनी भूमि का सार्वजनिक हित में यह शब्द जोड़ दिए जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके स्थान पर नया खण्ड जोड़ दिया गया है जिसके अन्दर वह आ जाता है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

बात यह है कि जो भूमि है उसका उपयोग सार्वजनिक हित में कर सकें । मेरा यह निवेदन है कि यह गांव सभा किसी भी व्यक्तिगत काम के लिए न हो । गांव सभा की प्रदेशीय सरकार की भूमि उसी अवस्था में इक्सचेन्ज होनी चाहिए जबकि वह पब्लिक सर्विस या सार्वजनिक हित में हो । इस सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वह इसको करे । किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी खास काम के लिये कोई सरकारी भूमि को लेना नहीं चाहता है । ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि गांव सभा की संपत्ति को लोगों ने उपयोग किया है और इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । मैं तो यही कहता हूं कि वह सार्वजनिक हित में हो, पब्लिक परपजेज के लिए हो तो वह इस भूमि का इक्सचेन्ज कर सकता है । अधिकारियों और तहसीलदारों की रिपोर्ट आती है और कलेक्टर साहबान उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं । इस प्रकार से राज्य सरकार की कोई भी भूमि कोई भी व्यक्ति, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामधारी शास्त्री]

के लिये ले सकता है। इसी कारण से मैंने इसमें "सार्वजनिक हित में" रखा है। इसको इसमें रख दिया जाय। मेरा ऐसा ख्याल है कि राजस्व मंत्री जी को इसमें कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए और उनको यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

इस संशोधन को मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है परन्तु मेरा दृष्टिकोण जो है कि आप किस काम के लिये ले रहे हैं, किसान के लाभ के लिये इसका प्राविधान किया जा रहा है तथा अन्य कार्य के लिये भी उसमें प्रतिबन्ध लग जायेगा। कोई भी जमीन हो और उसका उपयोग काश्तकार के लिये किन्हीं कारणों से हो सकता है और उससे हमारा भी कोई नुकसान नहीं होता तो हमें उसको इक्सचेन्ज कर लेना चाहिए। यह जो संशोधन था वह इस लिये था कि गांव समाज की जमीन के अलावा और भी लैण्ड है जो गांव समाज की लैण्ड नहीं है स्टेट की प्रापर्टी उसमें इसको कर सकें। अब इसमें दो बातें हैं। अगर यह कहते हैं कि सार्वजनिक हित में हो तो सार्वजनिक हित में जो परिभाषा होती है उसमें यह है कि गांव समाज को कोई नुकसान नहीं होता और वह स्टेट की प्रापर्टी है, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि वह सार्वजनिक हित में न सही एक व्यक्ति के हित में ही सही जिसका फायदा होता है और उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है तो इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री रामधारी शास्त्री—

मुझको बेसिक एतराज यह है....

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

जब तक इसकी भूमिका को अच्छी तरह से समझ न लिया जाय कि आखिरकार यह कैसे पूर्ति हुई तो पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई आराजी है और किसी को उसकी आवश्यकता है तो उसके एक्सचेन्ज करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। एक तरफ मेरे मित्र यह कहते हैं कि सार्वजनिक हित में। कभी-कभी व्यक्तिगत हित में महत्व की बात हो जाती है। असल में यह बात कहां से उठी इस बात को मन्त्री जी ने विस्तार से नहीं बताया। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये कि आखिर मन्त्री जी इसको किस कारण से लेना चाहते हैं।

श्री शेख मुजीबुर्रहमान की बिना शर्त रिहाई की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मुझे अभी एक सूचना सदन को देनी है। अभी टेलिप्रिन्ट से सूचना मिली है कि "शेख मुजीबुर्रहमान रिलीज्ड अनकंडीशनली"

(मेजें थपथपायी गईं)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 (क्रमागत)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

यह एक निर्दोष संशोधन है। इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। प्रभावशाली व्यक्ति अपनी खराब जमीन से अच्छी जमीन बदल लेंगे। कहीं पर आबादी के लिये जमीन है या नाली बनानी है तो वहां पर लोग उसका गलत लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

रामधारी शास्त्री जी का जो संशोधन है वह बहुत महत्व का है उसका मैं समर्थन करता हूं। गांव समाज की भूमि को लोग अपने लाभ के लिये बदल लेते हैं। हमारे जिले में गांव समाज के बहुत से जंगल हैं। उस भूमि को बहुत से प्रधान चाहते हैं कि अपने लड़के और रिश्तेदार के नाम कर लें। मन्त्री जी हमारे जिले में गये थे। एक जमींदार साहब ने अच्छी जमीन सेंटिलमेंट अफसर से मिलकर अपनी खराब राहर और बांगर जमीन से बदल ली। जो जमीन उन्होंने दी है उसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता है। राजस्व मन्त्री जी इस भावना को समझें और सार्वजनिक हित में रख दें। सीरदार और भूमिदार अगर चाहे तो वह बदल सकता है। इससे जमीन व्यक्तिगत हित में नहीं जायगी।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, शास्त्री जी ने यह कहा था कि यह बात पैदा कैसे हुई। हुआ यह है कि इसमें केवल एक संशोधन 161 में था कि गवर्नमेंट लैण्ड भी जोड़ दिया जाय। रामधारी शास्त्री जी ने "विनियमन" शब्द रखा है। वह शाब्दिक संशोधन था। इसमें आपने देखा कि यह "गांव" शब्द आ गया है। कि "किसी दूसरे सीरदार या भूमिदार, उसके द्वारा अधिकृत भूमि"। अब सीरदार या भूमिदार अपनी जमीन से बदल सकता है। यह पहले से मौजूद था। इसमें कोई संशोधन नहीं था। अनुभव में यह आया कि एक किस्म की जमीन उठ गई। अब जो कम कीमत वाली जमीन है उसका भी कहीं-कहीं ऐसा है कि उसको भी बदलने से काम चल सकता है। उसको नहीं बदल सकते हैं, इसलिए यह कर दिया गया है कि यदि गवर्नमेंट लैण्ड भी हो तो कठिनाई न हो। गवर्नमेंट लैण्ड तो हमारी जमीन होगी, उसको कलेक्टर से लेकर गवर्नमेंट तक सैंक्शन कर देगा तथा बदल जायगी। चकबंदियों में यह बहुत बड़ी शिकायत आई है कि कुछ लोगों ने बेईमानी से कुछ चकों के बीच में थोड़ी-थोड़ी जमीन छोड़ दी है। आवश्यकता इसकी है कि हमें जरूरत हो और यदि सम्भव हो तो उसे हम उठा लें। जैसे कि अभी हाल ही में शासन की ओर से यह आदेश भिजवाया है कि जितनी जगह चकबन्दी हो रही है, दफा 52 का प्रकाशन सब जगह रोक दिया जाये। हर जगह की जमीन देख ली जायेगी कि थोड़ी-थोड़ी जमीन छोड़ी तो नहीं गई है, तब उसका प्रकाशन होगा। परिणाम यह होता है कि बड़े आदमी चकों के बीच में जमीन छुड़वा लेते हैं। यह जमीन कभी किसी के उपयोग में नहीं आती, क्योंकि उस जमीन में पहुंचने के लिये किसी आदमी को उस बड़े आदमी की जमीन पर से होकर जाना पड़ता है और बड़े आदमी के भय और बल से उस पर किसी का जाना सम्भव नहीं है। तो ऐसी जमीनों को हम निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 2–2, 4–4 एकड़ जो छुटपुट जमीन हो गई है, उसको खेती से निकाल लेंगे। तो इस लिहाज से इस बात को करने की कोशिश की गई है। बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं, जिसमें किसी उपयोग के लिए किसी को जमीन आवश्यक हो और वह जमीन हम उसको दे दें और उससे जमीन ले लें। इसमें यह नहीं है कि अच्छी-अच्छी जमीन उनको दे दें और खराब-खराब उनसे ले लें।

श्री महीलाल---

तब्दीली में तो रजामन्दी की जरूरत होगी, बड़े आदमी रजामंदी देगें नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो माल मंत्री महोदय की बात अभी सुनकर बड़ी हैरत हुई। चकबन्दी के तो कायदे-कानून बने हुये हैं। जमीन आबादी या सार्वजनिक हित के लिए केवल छोड़ी जाती है, उसके अलावा यदि प्रदेश में कहीं छोड़ी गई है तो वह चकबन्दी हो रही है या खेल हो रहा है या लूट हो रही है। आपको एहलाम हो रहा है कि यह जो कंसालिडेशन अधिकारी हैं इन्होंने नये आधार पर तमाम प्रकार की जमीन छोड़ दी है। किसी कायदे के और किसी बिना पर उसने 2--2, 3--3 बीघा जमीन छोड़ दी, तो वह चकबन्दी तो हुई नहीं। नक्शे को देखकर चकबन्दी में तो चूल पर चूल बिठाई जाती है। दो-तीन ऐसे ही मुकाम हैं जो छोड़े जाते हैं---स्कूल या अस्पताल के लिए या आबादी के लिये। आबादी में अगर 2--2 बीघा जमीन छोड़ दी जाती है, तो यह चकबन्दी है या इसे मजाक बना रखा गया है? मेरे समझ में नहीं आता चकबन्दी के तो कानून बने हुये हैं, फिर यह क्यों हुआ? क्या चकबन्दी के कोई नये कानून बन गये हैं? मैंने अपने समय में हजारों एकड़ जमीन की चकबन्दी करा दी, लेकिन कहीं भी यह बात नहीं हुई, कहीं यह बात दिखाई नहीं पड़ी, न कोई हमें ऐसी शिकायत ही मिली। इनके ही समय में यह शिकायतें कैसे आई?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मैंने शुरू में अर्ज किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सारा का सारा काम ऐसे ही इनके जमाने में हो गया और इन्हें पता ही नहीं लगा। आज अगर चकबन्दी की कोई शिकायत है जो वाकई परेशानी की शिकायत है, वह यह है कि दो-दो, चार-चार बीघे चकों के बीच में जमीन छोड़ दी गयी है। वह कहते हैं कि कोई शिकायत है ही नहीं। इसका क्या जबाव दूं?

*श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, जहां तक पब्लिक यूटिलिटी रखने की बात कही गयी है, मैं एक केस श्रीमन्, के सामने रख दूं। जैसे सड़क बनानी है, काश्तकार का खेत बीच में पड़ता है, जो सड़क पहले से बनी हुई है, जो लैण्ड गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना खेत हमको दे दो हम पुरानी सड़क दे देते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री---

यह पब्लिक परपज है।

श्री राजमंगल पांडेय---

पब्लिक परपज काश्तकार के लिये तो है नहीं, उसके लिये वह व्यक्तिगत हित होता है। किसान यह समझता हो कि इस सड़क के बन जाने से, मिट्टी निकाल देने से गड्ढे की उपयोगिता बढ़ सकती है, वह इंडिविजुअल परपज हुआ। जहां प्राइवेट इंटरेस्ट हो, और गवर्नमेंट की प्रापर्टी हो, दोनों एक्सचेंज करना चाहें तो एक्सचेंज में दोनों की कंसेंट होगी। इसलिये सार्वजनिक हित जोड़ देने से ऐसा प्रतिबन्ध कर देते हैं उसके अलावा किसी भी परपज के लिये गवर्नमेंट की जमीन से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं और इसका परपज खत्म हो जाता है। किसी के खेत के सामने किसी का खेत पड़ा, वह कहता है कि हम खेत को नहीं छोड़ेंगे। हम कल घर बनायेंगे। दोनों ने मिलकर कम्प्रोमाइज कर लिया और बीच में दो, चार, छः डैसिमल छोड़ दिया, पब्लिक परपज की बात ऐसी बाईंडिंग हो जायगी जिससे उसका परपज सर्व नहीं हो सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुझे इस विवाद के सुनने से बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया। वह यह है कि ग्राम समाज की जमीन और किसी व्यक्ति की जमीन को आपस में तब्दील करने का प्राविजन है, ग्राम समाज का कोई प्रस्ताव हो उसके आधार पर तबादला होगा। दो व्यक्तियों की आपस में जमीन के तबादले के लिये दोनों की रजामन्दी जरूरी है। लेकिन जब सरकार की जमीन किसी एक व्यक्ति की जमीन से बदली हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक्सचेंज से फायदा स्वयं सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को होगा, पब्लिक के व्यक्तिगत आदमी को नहीं होगा क्योंकि उसकी रजामन्दी का फैसला सरकारी अधिकारी ही कर सकता है, क्योंकि वह ग्राम समाज के सुपुर्द नहीं है। इसलिये पब्लिक परपज रखना बहुत जरूरी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता था कि दोनों प्रकार के आवश्यक हैं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जिस चीज का जिक्र किया, वह आवश्यक इसलिए है कि बहुत सी ऐसी भूमि है जिसकी कभी-कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है जो व्यक्ति से एक्सचेंज करने की आवश्यकता पड़े, जो कि दोनों के ही हित में नहीं बल्कि सारे गांव के हित में होता है जैसे खादर की भूमि। एक कठिनाई और है। वहां पर चकबन्दी भी नहीं हुई है। ऐसी भी भूमि है, यदि इसको पूरे तौर पर रोक दिया जाय तो उचित नहीं होगा लेकिन जैसा शास्त्री जी ने कहा मेरा सुझाव है कि उनकी भावना उचित ही है, उसकी शब्दावली में अन्तर करना पड़ेगा। शास्त्री जी के संशोधन को मान लेने से तो जो उनका मन्तव्य है, वह पूरा नहीं होगा, लेकिन भावना ठीक है इसलिये कि जो सरकारी लैण्ड है उसको संरक्षण की आवश्यकता है। गंगा प्रसाद जी ने ठीक ही कहा कि कुछ शक्ति सम्पन्न लोग इसका बड़ा दुरुपयोग करेंगे। एक्सचेंज हो यह ठीक है लेकिन सदुपयोग के लिये एक्सचेंज हो तो ठीक है। उसमें किसान का हित भी है लेकिन दुरुपयोग न हो इसकी भी नितान्त आवश्यकता है। इन दोनों भावना को निहित करते हुए राजस्व मंत्री जी इसकी शब्दावली को बदल कर इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

जब दो व्यक्तियों की आपस की जमीन में तब्दीली होगी तो दोनों की रजामन्दी आवश्यक है। फिर गांव समाज की जमीन काश्तकार से बदली जा सकती है। चकबन्दी की जमीन का जिक्र किया गया तो जो जमीन छूटी है जब धारा 52 का प्रकाशन हो जायगा तो अपने आप गांव समाज की वह जमीन हो जायगी। अब अगर गांव समाज की जमीन बदलनी होगी तो गांव समाज में प्रस्ताव पारित होगा तभी काश्तकार उस जमीन को बदल सकता है। अब राजस्व मंत्री ने वह औचित्य नहीं बतलाया जिसकी वजह से सरकारी भूमि के बदलने की आवश्यकता पड़ गयी। लिहाजा इस सम्बन्ध में जो शंका व्यक्त की जा रही है वह उचित ही है और मंत्री जी को इस शंका को निर्मूल करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस संशोधन की जो शब्दावली है उससे कुछ भ्रम होता है। यह संशोधन तात्कालिक दिया गया। केवल एक संशोधन हमने स्वीकार किया था माननीय जायसवाल जी का, इसलिये मुझे इस संशोधन को भी लेना पड़ा।

श्री महीलाल—

शाब्दिक संशोधन करने का आपको अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा सुझाव है कि इस पर आप सोच लीजिये और आज न रखकर इसे फिर रखियेगा।

श्री उदितनारायण शर्मा---

ठीक है, इसको कल के लिये रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

सरकारी पक्ष को चाहिये कि उसका दिमाग बिलकुल साफ हो ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि कल के लिये इसको रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

शास्त्री जी का संशोधन रहेगा । चौथे खंड में माननीय राजमंगल पांडेय का संशोधन पास हो गया है और शास्त्री जी के संशोधन पर ही कल बहस होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि और आपके जरिये माननीय माल मंत्री जी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो वह या तो जनता की मांग पर बनाया जाता है या उसमें कोई बहुत सुधार की जरूरत हो तभी बनाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो कल के लिये हो गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इसे आप कल संशोधनों तक ही सीमित न रखें । माननीय मंत्री जी इसे वापस लेने की सोच सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह कल आयेगा और उस पर विचार किया जायेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास आज नियम 5 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी की कानपुर स्थित मारवाड़ी इन्टर कालेज के अध्यापकों पर गुन्डों द्वारा आक्रमण तथा स्थानीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सत्याग्रह वाली सूचना को दिनांक 5-1-72 को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकार हुई ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
3 जनवरी, 1972 ।

नत्थी 'क'

तालिका + लाभ
–हानि

(देखिये प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 152 पर)

क्रमम-सं०	उपक्रम	67–68	68–69	69–70	70–71	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1––राजकीय सीमेंट फैक्ट्री चुर्क, मिर्जापुर		+44,88,000	+27,94,000	+19,60,000	..	70–71 का आर्थिक चिट्ठा अभी तैयार हो रहा है ।
2––राजकीय सीमेंट फैक्टरी डाला, मिर्जापुर	..	..	..	..	..	यह कारखाना 18 दिसम्बर, 1970 तक निर्माणाधीन था । इसके पश्चात् यह कारखाना परीक्षात्मक रूप से चलाया जा रहा है । अतः इस कारखाने के लाभ व हानि का विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।
3––राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला लखनऊ ।	–36,000	+30,000	+1,12,000	..		70–71 का आर्थिक चिट्ठा अभी तैयार हो रहा है ।
4––विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी ।	+5,218	+1,70,641	+6,236	..		" " "
5––मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लि० मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद ।	..	–68,907	–87,656	–59,732		वर्ष 1969–70 तथा 70–71 के लेखा जोखा का आडिट नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	उपक्रम	67–68	68–69	69–70	70–71	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
						1–5–71 से लघु उद्योग निगम को पट्टे पर दे दिया गया है।
6—राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उ० प्र०, लखनऊ।	..	+1,294	+7,209	..	70–71 का आर्थिक चिट्ठा बनाया जा रहा है।
7—स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट पटवाडांगर, जि० नैनीताल।	..	+6,78,075	+7,68,038	+4,00,553	
8—केन्द्रीय दुग्धशाला प्रक्षेत्र, अलीगढ़	+2,69,316	+3,00,448	+48,807	..	
9—राजकीय दुग्शाला, आगरा ..	−63,789	−91,731	−1,21,967	..	70–71 का रोकड़-पत्र अभी तैयार नहीं हुआ।
10—फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री रामगढ़, नैनीताल	..	−70,997	+109	..	,, ,, ,,
11—पायलेट प्रोजेक्ट आन मैगों अल्प एण्ड फलैक्स प्रजरवेशन कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद।	..	..	−5,236	..	,, ,, ,, यह फैक्ट्री फरवरी 1970 मे पट्टे पर ली गई थी।
12—पैकिंग केसेज मैनुफैक्चरिंग यूनिट, हलद्वानी, नैनीताल।	..	..	..	..	माह जनवरी 1970 से आरम्भ हुआ है।
13—बैलेन्स लाइवस्टाक फूड डिवीजन डालीगंज, लखनऊ।	..	..	−12,976	..	बैलेन्स शीट बन रही है। यह कारखाना 17 दिसम्बर, 1969 को उ० प्र० राज्य कृषि उद्योगिक निगम के अधिकार में आया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14--असेम्बली वर्कशाप तालकटोरा,	..	+3,79,914	+18,74,030	..	,,	,,	,,	,,
15--कृषि वर्कशाप तालकटोरा, लखनऊ	..	-3,10,032	-97,473	..	,,	,,	,,	,,
16--सिंचाई कार्यशाला, रुड़की ..	..	+5,20,000	+6,14,000	+8,13,000	1970-71 के आंकड़ों का आडिट होना शेष है।			
17--सिंचाई कार्यशाला, बरेली ..	..	-18,000	+47,000	+1,40,000	,,	,,	,,	,,
18--सिंचाई कार्यशाला, मेरठ ..	..	+3,10,000	+3,32,000	+2,81,000	,,	,,	,,	,,
19--सिंचाई कार्यशाला, झांसी ..	..	+39,000	+57,000	+1,45,000	,,	,,	,,	,,
20--सिंचाई कार्यशाला, कानपुर ..	..	..	..	+2,000	यह नई यूनिट है।			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 153 पर।)

हरबुआगंज सेन्टर पर अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा वर्ग के रेगुलर पदों पर चयन के लिये किये गय साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सुपरवाइजरों की सूची।

क्रम- सं०	सुपरवाइजर का नाम		कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्राप्तांकों का प्रतिशत	अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा वर्ग के रेगुलर पदों के लिये चुने गये अथवा नहीं
1	2		3	4	5
	सर्वश्री				
1	अहमद जियाउर राब	..	22-6-1967	52.4	नहीं चुने गये
2	अमर सिंह	..	25-12-1966	56.3	चुने गये
3	अशोक कुमार (अरोरा)	..	25-11-1966	54.24	नहीं चुने गये
4	भारतेन्दु कुमार (गोबिल)	..	19-6-1967	65.1	चुने गये
5	चन्द्रभान राठी	..	33-6-1966	57 प्रतिशत	चुने गये
6	दीन दयाल दशाधारी	..	6-5-1966	52.1	चुने गये
7	दर्शन लाल कालरा	..	20-7-1967	65.99	चुने गये
8	धर्म बीर शर्मा	..	23-5-1967	58.3	चुने गये
9	गिरीज किशोर वार्ष्णेय पुत्र सर्व० श्री डी० आर० वार्ष्णेय	..	9-2-1966	57.4	चुने नहीं गये
10	गिरीश चन्द्र मिश्रा	..	4-6-1966	65.61	चुने गये
11	हरी ओम कुलश्रेष्ठ	..	3-9-1968	65.62	नहीं चुने गये
12	कान्ती स्वरूप रस्तोगी	..	1-6-1967	63.87	नहीं चुने गये
13	कृष्ण कान्त गुप्ता	..	15-11-65	56.3	चुने गये
14	कैलाश चन्द्र गुप्ता	..	14-5-67	55.5	नहीं चुने गये
15	मसरुर अहमद खान	..	16-5-67	51.4	नहीं चुने गये
16	महेश चन्द्र अग्रवाल	..	13-5-67	58.2	नहीं चुने गये
17	मोहम्मद मुस्तफा	..	24-7-67	58.75	चुने गये
18	मोहम्मद वशीम	..	1-2-68	56-9	चुने गये
19	नरेश चन्द्र अवस्थी	..	12-7-67	59.5	चुने गये
20	नन्द लाल गुप्ता	..	22-12-66	54.4	नहीं चुने गये
21	नन्द किशोर महेश्वरी	..	12-5-67	59.3	चुने गये
22	प्रमोद कुमार गुप्ता	..	1-8-66	56.55	चुने गये
23	राम स्वरूप	..	29-5-67	65.1	चुने गये (हरिजन)
24	रमेश चन्द्र गोयल	..	1-8-67	58.8	चुने गये
25	रनजीत कुमार मुखरजी	..	30-12-66	62.9	चुने गये

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
26—	राजपाल सिंह ..	31-5-66	62.1	चुने गये
27—	राम किशन शर्मा ..	27-5-66	58.45	चुने गये
28—	राम प्रकाश राठी ..	21-12-65	48.45	नहीं चुने गये
29—	रमेश चन्द्र पुत्र श्री परमानन्द अग्रवाल	17-7-67	63.8	चुने गये
30—	शबीह अहमद खान शेरवानी ..	4-2-66	54.44	चुने गये
31—	सनत कुमार श्रीवास्तव ..	30-4-66	65.2	चुने गये
32—	सुरेन्द्र पाल सिंह ..	17-6-68	58.9	चुने गये
33—	सतेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ ..	25-7-55	मार्कशीट नहीं दी	नहीं चुने गये
34—	श्याम मोहन शर्मा ..	31-3-67	57.95	नहीं चुने गये
35—	शिवदान सिंह ..	2-2-67	61.97	चुने गये
36—	सुभेन्द्र कुमार मजूमदार ..	3-1-68	62.10	नहीं चुने गये
37—	तिलक सिंह यादव ..	28-5-67	56.5	नहीं चुने गये
38—	वीरेन्द्र पाल सिंह ..	2-3-66	58.93	चुने गये
39—	जैनुल अबेदीन खान ..	14-4-68	59.9	चुने गये
40—	नूर मोहम्मद खान ..	19-7-67	52.83	नहीं चुने गये
41—	ओम चन्द जन ..	3-6-67	56.96	नहीं चुने गये
42—	ओम प्रकाश अग्रवाल ..	26-5-67	63.2	चुने गये

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 160 पर)

प्रदेश के अधीक्षण अभियन्ता के मण्डलों की सूची

क्रम-संख्या	सर्किल का नाम	सुपरिन्टेंन्डिंग इन्जीनियर का नाम	तारीख जब से काम कर रहे हैं
1	2	3	4
1	ओबरा थर्मल आपरेशन सर्किल, ओबरा ।	श्री मथुरा राय	5-7-1968
2	ओबरा थर्मल मेन्टिनेन्स सर्किल, ओबरा ।	श्री जे० एल० नागर	2-1-1969
3	ओबरा थर्मल पावर सर्किल, ओबरा	श्री एस० एस० मिश्रा	16-2-1970
4	ओबरा थर्मल एक्सटेन्शन सर्किल, ओबरा ।	श्री आर० के० सान्याल	7-1-1971
5	हाईडिल जेनरेशन सर्किल, ओबरा	श्री आर०एन० गर्ग	24-8-1968
6	आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स सर्किल 'ए' पावर स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।	श्री डी०एस० झा	20-5-1969
7	मेन्टीनेन्स सर्किल 'बी' पावर स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।	श्री जे०सी० मित्तल	10-11-1967
8	मेकेनिकल प्लान्ट एरेक्शन सर्किल, स्टेज चतुर्थ, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।	श्री ए०एच० कुरैशी	1-4-1966
9	इलेक्ट्रिसिटी प्लान्ट एरेक्शन सर्किल, स्टेज चतुर्थ, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।	श्री एन०के० जैन	25-11-1968
10	यमुना हाईडिल स्टेज 1 व 2 सर्किल, देहरादून ।	श्री एस०एन० राय	3-12-1968
11	रामगंगा हाईडिल सर्किल, रामपुर	श्री के०आर० अग्रवाल	9-11-1967
12	इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कान्स० सर्किल, रूड़की ।	श्री ब्रिजेन्द्र सेन	6-11-1971
13	इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्स० कान्स० सर्किल, अलीगढ़ ।	श्री बी० एस० गुप्ता	17-8-1970
14	इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्स० कान्स० सर्किल, वाराणसी ।	श्री एस० पी० माथुर	30-6-1968
15	इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्स० कान्स० सर्किल, कानपुर ।	श्री आई० सी० कोहली	26-9-1970

1	2	3	4
16	इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्स० कान्स० सर्किल, इलाहाबाद ।	श्री पी० एस० वेंकटाचार	18-7-1969
17	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन सर्किल, रुड़की ।	श्री टी० सी० अग्रवाल	8-7-1971
18	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, मुरादाबाद ।	श्री जी० के० अरोरा	29-10-1965
19	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, मेरठ ।	श्री भूपाल सिंह	25-6-1970
20	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, अलीगढ़ ।	श्री के० एन० श्रीवास्तव	11-7-1969
21	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, झांसी ।	श्री एच० एन० कपूर	4-9-1971
22	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, बरेली ।	श्री एच० पी० सिंह	10-9-1971
23	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, इलाहाबाद ।	श्री पी० एन० अग्रवाल	1-7-1969
24	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, लखनऊ ।	श्री ए० के० गुप्ता	10-7-1970
25	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, फैजाबाद ।	श्री जे० आर० फन्सालकर	19-6-1969
26	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, गोरखपुर ।	श्री फागू सिंह	13-9-1971
27	इलेक्ट्रिसिटी मेन्टी० एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्किल, वाराणसी ।	श्री बी० एस० मित्तल	28-12-1970
28	इलेक्ट्रिसिटी हिल सर्किल, रानीखेत	श्री जे० सी० गुप्ता	5-8-1971
29	इलैक्ट्रिसिटी सिवलि कान्स० सर्किल, मुरादाबाद ।	श्री पी० एन० गुप्ता	10-8-1971
30	इलैक्ट्रिसिटी सिवलि कान्स० सर्किल, लखनऊ ।	श्री एल० के० मित्तल	10-7-1970
31	इलैक्ट्रिसिटी टेस्ट एवं कमीशनिंग सर्किल लखनऊ ।	श्री आर० एस० गर्ग	16-11-1968

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 163 पर)

रूहेलखण्ड डिवीजन में सेल्स टैक्स के बकायादारों की सूची

1--सर्वश्री अब्दुल हमीद, रईस अहमद सूत की कोठी मु० बीजपुर, जिला मुरादाबाद ।
2--सर्वश्री मुरादाबाद केबिल्स ऐन्ड वायर प्रोडक्ट्स, मुरादाबाद ।
3--महेश्वरी ब्रदर्स, बिजनौर रोड, अमरोहा ।
4--डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, डिप्टीगंज, मुरादाबाद ।
5--श्री चन्द, बिपिन चन्द, आयल डीलर, चन्दौसी।
6--कुंज बिहारी लाल ऐण्ड संस, चन्दौसी ।
7--लक्ष्मीनारायण, मुकेश कुमार, चांदपुर ।
8--अयोध्या प्रसाद त्रिलोकीनाथ, अनाज, चांदपुर ।
9--अग्रवाल आयल स्टोर, बरेली ।
10--बिहारीलाल, भगवतशरण, बरेली।
11--जीत प्रसाद सिंह, रामकुमार, शराब डीलर, जिला बरेली ।
12--जीत सिंह भोलानाथ हरसुबरन लाल, रघुबीर शरण, श्यामगंज, बरेली ।
13--बिरयान सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह, शराब कुहाड़ापीर, बरेली ।
14--श्यामलाल, बृजलाल, श्यामगंज, बरेली ।
15--गोबिन्दराम, तनसुखराम, श्यामगंज, बरेली ।
16--बिरौली लाल, मन्नी लाल, शराब डीलर, प्रतापगंज, बिहारीपुर, बरेली ।
17--लक्ष्मी नारायण, खाण्डसारी, आलमगीरीगंज, बरेली ।
18--राधे श्याम, लाल बहादुर, शराब-डीलर, नवाबगंज, बरेली ।
19--राम निवास कृष्ण अवतार, बरेली ।
20--टीकाराम प्रसाद, गंगापुर, बरेली ।
21--उमेश कुमार नन्दलाल आढ़ती, नई बस्ती, बरेली ।
22--बलवन्त मोटर्स, 130 सिविल लाइन्स, बरेली ।
23--रघुनन्दन प्रसाद मोहन लाल, बरेली ।
24--अशोका दाल, राईस ऐण्ड आयल मिल्स, गंगापुर ।
25--पूरनचन्द, त्रिलोकगंज, बरेली (मारबाड़ीगंज) ।
26--पंकज कुमार प्रवीण कुमार, पुरानी माचिस फैक्टरी, बरेली ।
27--सर्वश्री म्यारसी लाल, रामस्वरूप, आढ़ती, गांधीगंज, शाहजहांपुर ।
28--बाल किशन भोलानाथ, भट्टा ईंट, चौक, शाहजहांपुर।
29--केस ऐण्ड कम्पनी, रोजा, शाहजहांपुर ।
30--आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर ।
31--रामेश्वर दयाल, राकेश कुमार आढ़ती, बहादुरगंज, शाहजहांपुर ।
32--श्याम लाल, रामगुलाम आढ़ती, रामगंज, शाहजहांपुर ।
33--राम दयाल, जय प्रकाश, बनस्पति घी व्यापारी, बहादुरगंज, शाहजहांपुर ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 165 पर)

उप मन्त्री जी, आबकारी को निरीक्षण टिप्पणी की प्रति

आबकारी मन्त्री जी,

जनपद आगरा के दौरे के समय दिनांक 31 अगस्त, 1971 को भारत केमिकल कारपोरेशन, मैनुफैक्चरर्स आफ फाइन ऐण्ड हैवी केमिकल ऐन्ड मेडिसिन्स, जी० टी० रोड, सिकन्दरा राऊ (अलीगढ़) द्वारा आबकारी आयुक्त को सम्बोधित फर्म की स्वामिनी, श्रीमती दया रानी गुप्ता का दिनांक 18 अगस्त, 1971 का प्रार्थना-पत्र मुझे देखने को मिला। इस प्रार्थना-पत्र में 7,000 लीटर प्रतिमाह अलकोहल की वृद्धि कराने का अनुरोध किया गया है।

उसी दिन मौके पर जाकर मैंने फर्म का निरीक्षण किया और पाया कि :—

इस फर्म को 7,000 बल्क लीटर स्पेशल रेक्टिफाइड स्प्रिट प्रतिमाह का परमिट प्राप्त है, जिसका प्रयोग फर्म के कार्यकर्त्ताओं के अनुसार—(1) क्लोरल हाइड्रेट, (2) ईथाइल क्लोराइड, (3) नमक का तेजाब और (4) क्लोरोफार्म बनाने में करते हैं।

2—मेरे निरीक्षण के समय केवल सर्वश्री ओम प्रकाश, एकाउन्ट्स क्लर्क और श्री गिरीशचन्द्र, सुपरवाइजर, फैक्टरी के अन्दर पाये गये। उन्होंने बताया कि इस फर्म की मालिकान, श्रीमती दया रानी गुप्ता हैं, जो कि हैदराबाद गयी हुई हैं और उनके मैनेजर श्री दाऊ दयाल गुप्ता हैं, जो कि मौजूद हैं। श्री दाऊदयाल गुप्ता लगभग एक घंटे के बाद बाहर से मेरे पास आये और बताया कि वह उक्त फर्म के मैनेजर न होकर के उसके भागीदार हैं। केमिकल्स इन्जीनियर तीन दिन से बाहर गये हुये थे फिर भी उनकी अनुपस्थिति में दवा बिना किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख के बनायी जा रही थी।

3—सन् 1964 में अप्रैल से अगस्त के कोटे की 23,580 लीटर रेक्टिफाइड-स्प्रिट वर्ष के अन्त की अन्तिम तिथियों में उठाने की अनुमति आबकारी आयुक्त कार्यालय से दी गयी। जब कि वर्ष समाप्त होने में दो ही तीन दिन अवशेष थे, समय के अन्दर कैसे उपयोग में लायी गयी होगी—दुरुपयोग का सन्देह उत्पन्न करती है। इसकी जानकारी प्राप्त करना उचित प्रतीत होता है कि—

(क) निकासी लेने की तिथि, (ख) फैक्टरी गोदाम में पहुंचने की तिथि, (ग) इस कोटे की स्प्रिट में से किस तिथि में कितनी स्प्रिट उपयोग में लायी गयी और (घ) उससे कितना माल तैयार करें, कहां-कहां किन तिथियों में भेजा गया। (बिल्टी नम्बर वगैरह दिया जाय)।

4—उक्त अवधि में इस फर्म की कार्य प्रणाली को आबकारी अधीक्षक, अलीगढ़ ने सन्देहजनक बताया है लेकिन बिना उनकी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये हुये परमिट दे दिया गया है।

5—इस फर्म का आबकारी अधीक्षक ने 2 अप्रैल, 1965 को निरीक्षण किया और 21,000 लीटर डिनेचर्ड स्प्रिट उनके स्टाक में जो कि बिना किसी वैध परमिट के उनके गोदाम में रखी थी, पाया। फर्म के पास इस मात्रा की प्राप्ति और उपयोग का कोई हिसाब-किताब अधीक्षक को नहीं मिला। इस प्रकार एक्साइज ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन किया गया जो कि धारा 84 (पी०) के अन्तर्गत दण्डनीय है।

6--आबकारी अधीक्षक ने अपने निरीक्षण के समय यह भी पाया था कि फर्म ने 11 कन्साइनमेन्ट अब तक लिया था और बराबर इक्साइज मैनुअल वाल्यूम (फर्स्ट) पैरा 666 तथा 682 का उल्लंघन किया था।

7---दिनांक 9 जनवरी, 1970 को भारत केमिकल कारपोरेशन तथा राज केमिकल की सम्मिलित फैक्टरी के कार्यकर्त्ताओं के सहायक आबकारी आयुक्त आगरा द्वारा निरीक्षण न करने के लिए बहाना किया और रिकार्ड्स वगैरा न तो दिखाया और न पूछने पर कोई सन्तोषजनक उत्तर दिये कि जिसके लिए उन्हें 100 रु० कम्पाउन्ड करना पड़ा।

8---हस्ताक्षर रहित प्रार्थना-पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1970को दाऊ दयाल गुप्ता ने यह लिखा है कि राज केमिकल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और वह फर्म काफी समय पहले बन्द हो गयी है। इसमें विचारणीय बात यह है कि इन दोनों फर्मों के लिए एक ही व्यक्ति ने संयुक्त प्रार्थना-पत्र सहायक आबकारी आयुक्त आगरा को 5 मार्च, 1969 को दिया जिस पर सहायक आयुक्त की संस्तुति दिनांक 3 मार्च, 1919 के आधार पर परमिट नं० 22543 दिनांक 11मार्च, 1969, 9055 लीटर स्प्रिट के लिए भारत केमिकल कारपोरेशन के लिए दिया गया।

9---श्रीमती दया रानी गुप्ता के वर्ष 1970--71 के लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र को अग्रसारित करते हुये सहायक आयुक्त आगरा ने अपने पृष्ठांकन नं० 937 दिनांक 31 मार्च, 1970 द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण न करने के लिए संस्तुति किया क्योंकि इस फर्म का उनको हिसाब-किताब दिखाया नहीं गया।

10---सहायक आबकारी आयुक्त, आगरा ने दिनांक 26 मई, 1970 को आबकारी अधीक्षक (रिगुलर) अलीगढ़ से निम्न सूचनायें फर्म की ओर से प्राप्त करके प्रस्तुत करने को कहा---

(क) क्लोरोहाइड्रेट बनाने के लिए किस-किस फर्म को डिनेचर्ड स्प्रिट का परमिट दिया है और वह कब किसके नाम नवीनीकृत हुआ है।

(ख) भारत केमिकल कारपोरेशन के मूल विवरण श्रीमती दयारानी गुप्ता की ओर से हस्ताक्षरित है। श्री दयाऊ दयाल गुप्ता जिस हैसियत से और जिस प्रकार उक्त फर्मों की ओर से आवेदन भेजने के लिए अधिकृत हैं। वह फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं।

(ग) क्या इस फर्म के पास निदेशक उद्योग विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का कोई लाइसेंस क्लोरोहाइड्रेट के निर्माण के लिए मिला है तथा उनकी क्या सिफारिश है।

(घ) क्या कभी स्प्रिट की डिस्टिलरी में सिकन्दरा राऊ आने पर आबकारी निरीक्षक ने पूरे प्रेषण की मार्ग में जांच की और यह पता लगाया कि पूरा-पूरा माल फैक्टरी में पहुंचता है या नहीं। यह शिकायत की गयी है कि सिकन्दरा राऊ से वर्तमान देशी शराब के ठेकेदार श्री बलदेव राज चावला (दिल्ली निवासी) को कुछ स्प्रिट स्थानान्तरण कर दी जाती है और पूरी मात्रा फैक्टरी में नहीं जाती है। अतः गोपनीय रूप से यह पता लगा लिया जाय कि वर्तमान उक्त देशी शराब के ठेके से चावला तथा इस फर्म को कोई सम्बन्ध है।

(च) क्या हैदराबाद के सिकदन्रा राऊ के किसी फर्म ने इस संस्थान से वास्तव में क्लोरल हाइड्रेट खरीदा है। आप हैदराबाद के उक्त खरीदारों से लिखित रूप से क्लोरल हाइड्रेट का ग्राहक होने तथा इसे समय-समय पर प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये। ऐसी प्राप्ति की रसीदें, वाउचर, बिल इत्यादि यदि सिकन्दरा राऊ की फर्म के पास हैं तो उनकी जांच कर के रिपोर्ट लिखिए कि सारा क्लोरल हाइड्रेट हैदराबाद गया है।

(छ) क्या उनके केमिस्ट निर्धारित योग्यता सम्पन्न हैं या नहीं। साथ ही साथ इसकी प्रतिलिप आबकारी आयुक्त इलाहाबाद को पृष्ठांकित करते हुये लिखा कि फर्म की स्वामित्व एक महिला के नाम दिखाया जाता है जिससे सम्पर्क करना कठिन है तथा इस भांति गैर रजिस्टर्ड फर्म के नाम से परमिट का मिलना उचित नहीं लगता।

30 जून, 1971 को आबकारी अधीक्षक ने अपनी जांच-पड़ताल के बाद उत्तर दिया कि:—

(ख) भारत केमिकल कारपोरेशन के मालिक श्रीमती दयारानी गुप्त हैं और उन्होंने श्री दाऊदयाल गुप्ता को मुखतारनामा लिखा है कि वे फैक्टरी के सारे कार्य की देखभाल करें यह फर्म हैदराबाद से रजिस्टर्ड बतायी जाती है।

(ग) यह फर्म उद्योग विभाग से रजिस्टर्ड है। स्वास्थ्य विभाग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।

(घ) आबकारी निरीक्षक, हाथरस ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि डिस्टिलरी से आती हुई स्प्रिट को रोक कर जांच करते।

(च) इस फर्म से अधिकांश क्लोरल हाइड्रेट हैदराबाद की फर्मों ने खरीदा है उनमें से 5 के नाम पत्र भेजकर यह पूछा गया है कि उन्हें कितना क्लोरल हाइड्रेड वर्ष 1969–70 के अन्तर्गत खरीदा। उनमें से 4 फर्मों के उत्तर प्राप्त हुये। लेकिन पूरी सूचना न देकर केवल मामलों को टाला गया है।

(छ) मेसर्स भरत केमिकल कारपोरेशन के केमिस्ट श्री राम कुमार गुप्ता हैं जिनकी योग्यता बी० एस० सी० बी० फार्मा (बनारस विश्वविद्यालय) है।

सहायक आबकारी आयुक्त ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1970 को लिखा कि सिकन्दरा राऊ (अलीगढ़) के भारत केमिकल नामक फर्म को जुलाई तथा अगस्त मास के लिए 7,000 लीटर प्रति माह डिनेचर्ड स्प्रिट का परमिट दिया गया यद्यपि इस परिमाण में इस फर्म को स्प्रिट देने की सिफारिश नहीं की गयी थी। प्रथम तो क्लोरल हाइड्रेट नामक रसायन को जो डेनजरस ड्रग की 2 (जी०) परिभाषा में आता है औषधि या स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति या अनुमति के बिना बनाना उचित नहीं है। दूसरे फर्म वाले कहते हैं कि इनका बनाया सारा क्लोरल हाइड्रेट हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) जाता है। किन्तु क्लोरल हाइड्रेट और क्लोरोफार्म दोनों नारकोटिक्स होने से इनका प्रदेश में बिना आयात निर्यात परमिट के ले जाना डेनजरस ड्रग ऐक्ट के अधीन जुर्म है। तीसरे प्रत्येक नारकोटिक्स ड्रग पर फिनेन्स बिल 1964 के अनुसार मूल्येन दशांश कर लगाना चाहिये जो विभाग द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार इन व्यापारियों को इस आरनोटिक्स द्रव के अवैध्य आयात के लिए घोषित करके आबकारी अधिकारियों को भी अबेटमेन्ट का दोषी मान सकती है क्योंकि यह निर्माण की डेंजररस ड्रग ऐक्ट में दण्डनीय है।

11—उपरोक्त का उत्तर देते हुए उप आबकारी आयुक्त ने क्लोरोफार्म के विषय में जो शान्त रहे लेकिन क्लोरल हाइड्रेट के लिये नाइकोटिक्स न होने तथा ड्यूटी का न लिया जाना, अबेटमेन्ट का संभावना न होना, अपने पत्र दिनांक 11 सितम्बर 1970 द्वारा लिया है ।

12—यहां स्वास्थ्य विभाग के उच्च कोटि के डाक्टरों से पूछने पर मालूम हुआ कि क्लोरल हाइड्रेट तथा क्लारोफार्म दोनों ही नाइकोटिक्स की परिभाषा में आते हैं ।

13—उक्त फर्मों का निरीक्षण करते समय दिनांक 11 अगस्त, 1971 को सहायक अधिकारी आयुक्त ने लिखा था कि ओम प्रकाश एकाउन्टेन्ट फर्म की ओर से उपस्थित थे । 3,700 लीटर डिनेचर्ड स्प्रिट 21 ड्रमों में एक कमरे में संचित था । प्रायः सभी ड्रम जंग खाए हुए हैं । उसमें रखा हुआ स्प्रिट रसायनों तथा दवाओं के निर्माण के लिये अनुपयोगी तथा अशुद्ध हो सकता है । उन्होंने यह सुझाव दिया कि कारखाना कोई बड़ी टंकी बना कर उसमें सारा स्प्रिट की मात्रा को आते ही स्थानान्तरित कर दें ताकि उसका समय-समय पर अवलोकन किया जा सके । तथा टंकी के अन्दर के शोध आदि की कोटिंग कर दी जाय जिससे स्प्रिट खराब न हो । आबकारी अधीक्षक तथा आबकारी निरीक्षक ने इस फर्म का 11 अगस्त, 1971 तक (चालू वर्ष) निरीक्षण नहीं किया था उनको चाहिए कि वह समय-समय पर इस फर्म द्वारा संचित तथा नियत उन हैवी कामकल्स और मेडिसिन्स का निराक्षण किया करें जिनके बनाने क लिए स्प्रिट दिया जाता है ।

आबकारी निरीक्षक को आदेश दिया कि अगले कन्साइनमेन्ट को अपने सामने संचय करायें और फम को भी आदेश दिया कि प्रेषण लाने की सूचना आबकारी निरीक्षक को दे दें । लेकन आश्चर्य कि इसका अनुपालन मेरे निरीक्षण तक नहा किया गया । मैन यह पाया कि:

14—इस फर्म ने 29 अप्रैल, 1969 को उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश से लाइसेन्स लिया है जबकि फर्म पिछले आठ नौ वर्ष से कार्य कर रही है । स्वास्थ्य विभाग को कोई लाइसेन्स नहीं ह इसक लेटर पड मे भारत कोमकल कारपोरेशन मनुफैक्चर्स आफ फाइन ऐन्ड हैवी केमिकल्स एन्ड मीडयम छपा है । मीडीसन निर्माता के लिये स्वास्थ्य विभाग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये लेकन इस विषय म आबकारा आयुक्त कायालय ने कोई भी कदम नहीं उठाय ।

15—इंकम-टैक्स नहीं दिया जाता है ।

16—निर्मित औषधियों / रसायन हैदराबाद ट्रक द्वारा ही भेज जाना बताया गया ।

17—7,000 बल्क लीटर स्प्रिट से निर्मित वस्तुओं पर इक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाती है ।

18—श्री दाऊ दयाल गुप्ता ने बताया कि वह इस फर्म के भागीदार हैं और इनके अलावा 5 भागीदार और हैं जो कि हैदराबाद में रहत हैं । लेकिन मुझे देखने का मिला कि श्रीमती दयारानी गुप्त जो कि हैदराबाद मे रहती है वहा फर्म की मालिक हैं और उन्हीं की दस्तखत से मालक के रूप मे कागजात का निस्तारण होता है । फैक्ट्री के प्राइवेट लिमिटेड होने का भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है ।

19—इस फर्म के विषय में सर्वश्री रामकुमार, रूप किशोर गुप्ता, सुरेश चन्द्र, दयारानी, एस०सी० वारशनी आदि लोगों ने विभिन्न पद नामों से समय-समय पर लिखा-पढ़ी किया है जिस पर आबकारी विभाग (आयुक्त कार्यालय) तथा आबकारी निरीक्षक हाथरस ने बिना आपत्ति प्रकट किए वांछित कार्यवाही की है ।

20—आबकारी आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद में इस फर्म की व्यक्तिगत पत्रावली देखने से स्पष्ट होता है कि टेक्निकल आफिसर ने इस फर्म के हित में हर संभव कायवाही किया है । और साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर वांछित सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं ।

21—आबकारी निरीक्षक हाथरस ने श्रीमती दयारानी गुप्ता, मलिकिन भारत केमिकल कारपारेशन के प्रार्थना-पत्र दिनांक 8 मार्च, 1971 पर संस्तुति करते हुए 7,000 बल्क लीटर के अतिरिक्त 5,000 बल्कि लीटर और स्प्रिट कोटा प्रतिमाह बढ़ाने के लिये लिखा जिसे जिलाधिकारी ने कमिश्नर को अग्रसारित कर दिया ।

22—आबकारी निरीक्षक हाथरस ने इस फर्म की समय-समय पर जांच-पड़ताल लरने तथा वास्तविकता की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को करने के विषय में उदासीनता दिखाये है फलतः फर्म को हर अनुचित कार्य करने के अवसर मिला है ।

अतः ऐसी विषम परिस्थितियों में मेरे सुझाव है कि इन सब गड़बड़ियों की जांच विजलेन्स विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र करा ली जाए और जब तक जांच पूरी न हो जाए इनका कोटा बढ़ाया न जाए और अगामी वर्ष के लिये परमिट का नवीनीकरण भी स्थगित रखा जाये। साथ ही साथ आबकारी निरीक्षक, हाथरस को जांच के दौरान निलम्बित कर दिया जाय टेक्निकल आफिसर आबकारी आयुक्त कार्यालय को स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करना शासन के हित में होगा। मेरा अनुमान है कि राज्य को 25 लाख रुपये के लगभग वार्षिक आबकारी कर की हानि हो रही है।

रामपूजन पटेल,
उप मंत्री, कारागार एवं आबकारी,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 166 पर)

सूची उन ग्रामों की जिनका विद्युतीकरण एटा जिला में तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल (1961-66) में सी० डब्ल्यू० एन्ड पी०सी० की परिभाषानुसार हुआ जिनका विवरण विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार है।

(अ) अलीगंज (विधान सभा क्षेत्र)—
(1) जेघरा
(2) घुमरी
(3) सरोठ पवांये
(4) सरोंठ पछाएं

(ग) पटियाली (विधान सभा क्षेत्र)
(1) जवाहर नगर
(2) लाल गढ़ी
(3) मझोला

(ख) सोरों (विधान सभा क्षेत्र)
(1) मानपुर नगरिया

(घ) कासगंज (विधान सभा क्षेत्र)
(1) मोहनपुर
(2) नगरई
(3) मेरी
(4) नमैनी
(5) कांतौर

(ग) सकीट (विधान सभा क्षेत्र)
(1) सिंधपुरा
(2) सरावल
(3) पहलोई
(4) भुजपुरा
(5) खराब पट्टी
(6) कुवांर
(7) फफोतू
(8) रेवाड़ी
(9) मला वन

(र) एटा (विधान सभा क्षेत्र)
(1) अचलपुर
(2) जिरखमी
(3) मिरहची
(4) जिन्हैरा
(5) सिरसा टम्पू
(6) असरौली
(7) पिवारी
(8) छड़ैना बनगांव
(9) रारपट्टी
(10) लालपुर जलोली
(11) मगोपुर
(12) फरीदपुर

(ल) निधौली कलां (विधान सभा क्षेत्र)
(1) जरासी खुर्द कलां
(2) जिलौली
(3) इसौली
(4) चुरथैरा
(5) बसून्धरा
(6) पिछुआ
(7) सोंगरा
(8) मदवास
(9) खैरा
(10) लहरा

(ब) जलेसर (विधान सभा क्षेत्र)
(1) बेरनी
(2) ऊंचा गांव
(3) सकरौली
(4) कुंण्डल पुर।

टिप्पणी—ग्रामों के विद्युतीकरण की सूचना पूरे जिले की संग्रहित की जाती है, विधान सभा क्षेत्र के अनुसार नहीं। संलग्न सूची में यथासंभव प्रयत्न किया गया है कि ठीक सूचना विधान सभा क्षेत्र के अनुसार दी जाए।

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 168 पर)

विवरण-पत्र जिसमें प्राइवेट विद्युत् कम्पनियों के नाम, स्थान जहां वे कार्य कर रही हैं तथा दिनांक जब उनके लाइसेंस समाप्त होंगे, दिये गये हैं :—

क्रम-संख्या	प्राइवेट विद्युत् कम्पनी का नाम	स्थान जहां वे कार्य कर रहे हैं	दिनांक, जब उनके लाइसेन्स समाप्त होंगे
1	2	3	4
1	—आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, आगरा।	7 मील के अर्ध व्यास के वृत्त के भीतर का सम्पूर्ण क्षेत्र।	17-12-1973
2	—अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, अलीगढ़।	अलीगढ़ शहर की नगरपालिका सीमा के अन्दर सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	15-4-1976
3	—बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लि०, बरेली।	बरेली नगरपालिका तथा कैन्टोन्मेंट की सीमा के अन्दर सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	24-1-1977
4	—बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कम्पनी लि०, वाराणसी।	वाराणसी के 12 मील के अर्धव्यास के वृत्त के अन्दर सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	5-2-1975
5	—फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।	फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ की नगर तथा सिविल सीमाएं तथा फतेहगढ़ की छावनी की सीमा और फर्रुखाबाद के जिला परिषद् क्षेत्र का भाग भी जैसा कि जमा किए गए मानचित्र में दर्शाया गया है।	26-3-1984
6	—दी फैजाबाद इलेक्ट्रिक लाइसेंस, 1933।	फैजाबाद, अयोध्या नगरपालिका एवं फैजाबाद कन्टोनमेंट की सीमा के अन्दर सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	28-11-1983
7	—दी जौनपुर इलेक्ट्रिक लाइसेंस, 1934।	जौनपुर नगरपालिका का समस्त क्षेत्र।	4-1-1985
8	—किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, बदायूं।	बदायूं नगरपालिका की सीमा के अन्दर सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	21-4-1979
9	—मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, मिर्जापुर।	नगरपालिका का कुल क्षेत्र एवं जिला परिषद्, मिर्जापुर के कुछ भाग, जो जमा किये हुए मानचित्र में दर्शाया गया है।	23-8-1979

1	2	3	4
10	मुद्रा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, मथुरा।	मथुरा शहर कैन्टोनमेंट तथा सिविल लाइन्स में सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	29-7-1975
11	पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (प्राइवेट) लि0, पीलीभीत।	पीलीभीत नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	29-11-1985
12	रोहतक एण्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट्स इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद।	जिला रायबरेली में रायबरेली, बछरावां, महराजगंज, सलोन तथा जायस कस्बे और प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर कस्बे।	19-3-1982
13	सादाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, सादाबाद, जिला मथुरा।	मथुरा जिले में सादाबाद कस्बे व तहसील की सीमा में सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	1-7-1982
14	सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, सहारनपुर।	सहारनपुर नगर का वह समस्त क्षेत्र जैसा कि जमा किये गए मानचित्र में दर्शाया गया है।	14-12-1972
15	शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, शाहजहांपुर।	शाहजहांपुर नगरपालिका की समस्त सीमा एवं कैंटोनमेंट की सीमा के अन्दर सम्मिलित समस्त क्षेत्र।	22-5-1977
16	दि वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड।	आगरा, मैनपुरी व इटावा जिलों का वह समस्त क्षेत्र जो क्रमशः फिरोजाबाद, शिकोहाबाद एवं इटावा तहसील क्षेत्र के अन्दर आता है।	16-8-1984

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 174 पर)

सेन्ट्रल जेल, फर्रुखाबाद के फार्म की पैदावार का ब्यौरा (क्विंटल में)

वर्ष	सब्जी	खाद्यान्न	चारा
	क्विंटल कि० ग्रा० ग्राम	क्विंटल कि० ग्रा० ग्राम	क्विंटल कि०ग्रा०ग्राम
1968–69	401—56—750	72—85—0	703—25—0
	फूलगोभी 3,974 नग		
	बन्दगोभी 2,033 नग		
1969–70	687—04—0	42—90—0	549—09—0
	फूलगोभी 2,848 नग		
	बन्दगोभी 2,481 नग		
1970–71	904—07—250	57—96—250	908—60—0
	फूलगोभी 2,442 नग		
	बन्दगोभी 2,089 नग।		

नत्थी "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 178 पर)

राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्यों के नाम तथा योग्यता की सूची

क्रम-संख्या	नाम	सदस्य	योग्यता
1	श्री आर० के० त्रिवेदी, अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् ।	सदस्य धारा 5/4/ए/ के अधीन ।	इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ।
2	श्री जी० के० आर० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ ।	सदस्य धारा 5/4/बी/ के अधीन सदस्य (पदेन)	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से बी० एस-सी० इंजीनियरिंग की डिगरी तथा लन्दन से डी० आई० सी० ।
3	श्री सी० पी० बान्चू	सदस्य धारा 5/4/सी/ के अधीन	इंडियन आडिट एण्ड एकाउन्ट्स सर्विस ।
4	श्री भरत नारायण, आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ।	सदस्य (पदेन)	इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ।
5	श्री प्रेम प्रकाश, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग ।	सदस्य (पदेन)	यू० पी० जूडीशल सर्विस
6	श्री एम० वरदराजन, सदस्य, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ।	सदस्य (पदेन)	इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ।

नत्थी "ञ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 178 पर)

सन् 1971–72 में कानपुर ज़िले में विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्रम-सं०	ग्राम	तहसील
1	मझायन	कानपुर
2	महुआ गांव	,,
3	सिकठिया	,,
4	महोली	,,
5	बड़ा गांव	,,
6	करबिगवां	,,
7	सीढ़ी	,,
8	इटारा	,,
9	दलेलपुर	,,
10	कठारा	,,
11	रमईपुर	,,
12	उदयपुर	,,
13	धरमांदपुर	,,
14	सराई	,,
15	सेन पच्छिम पारा	,,
16	ढकन शिवली	अकबरपुर
17	बदनपुर	,,
18	माली किशनपुर	,,
19	रसभान	भोगनीपुर
20	कांची	,,
21	राजपुर	,,
22	किशोरा	डेरापुर
23	बनी पारा लगरहा	,,
24	हरवंशपुर	घाटमपुर
25	मकरन्दपुर बांगर	,,
26	सिंगाई	अकबरपुर
27	हिलौली	डेरापुर
28	सिकन्दरा	भोगनीपुर
29	डेरापुर	डेरापुर
30	घरेण्डी	बिल्हौर
31	भालों	,,
32	ककवन	,,
33	उझरी	,,

नत्थी "ट"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 178 पर)

बिक्री कर के बकाय की सूची

(लाख रुपये में)

क्रम-सं०	जिला	बकाया	क्रम सं०	जिला	बकाया
1	आगरा ..	200.95	26	फैजाबाद ..	19.02
2	मथुरा ..	13.11	27	गोंडा ..	27.64
3	अलीगढ़ ..	98.95	28	बहराइच ..	20.83
4	मैनपुरी ..	17.69	29	सुल्तानपुर ..	7.88
5	एटा ..	26.93	30	प्रतापगढ़ ..	10.75
6	इलाहाबाद ..	116.04	31	कानपुर ..	598.84
7	झांसी ..	106.54	32	उन्नाव ..	20.76
8	उरई (जालौन) ..	39.57	33	फतेहगढ़ ..	31.99
9	महोबा ..	16.30	34	इटावा ..	24.80
10	बांदा ..	20.03	35	लखनऊ ..	319.45
11	फतेहपुर ..	12.14	36	रायबरेली ..	6.59
12	बरेली ..	103.41	37	सीतापुर ..	12.27
13	बिजनौर ..	29.41	38	हरदोई ..	21.68
14	बदायूं ..	13.16	39	खीरी ..	29.05
15	मुरादाबाद ..	137.72	40	बाराबंकी ..	14.62
16	शाहजहांपुर ..	37.25	41	मेरठ ..	206.96
17	पीलीभीत ..	13.72	42	मुजफ्फरनगर ..	45.98
18	रामपुर ..	13.93	43	सहारनपुर ..	48.81
19	नैनीताल ..	20.65	44	देहरादून ..	51.89
20	अल्मोड़ा ..	5.65	45	बुलन्दशहर ..	84.67
21	पौड़ी (गढ़वाल) ..	7.91	46	टेहरी ..	5.68
22	गोरखपुर ..	110.85	47	वाराणसी ..	258.37
23	बस्ती ..	25.60	48	मिर्जापुर ..	28.65
24	आजमगढ़ ..	25.02	49	जौनपुर ..	23.30
25	देवरिया ..	32.60	50	गाजीपुर ..	13.74
			51	बलिया ..	23.23
		कुल योग ..			3202.38

नत्थी "ठ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 179 पर)

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र	ट्यूबवेल कनेक्शन	पावर कनेक्शन
1	झांझरी	151	29
2	इंडियाथोक	81	15
3	बलरामपुर	70	22
4	गैडास बुजुर्ग	..	..
5	तुलसीपुर	21	11
6	गैसारी	5	..
7	पचपुरवा	..	..
8	मनकापुर	85	17
9	छपिया	32	..
10	भावन जोत	54	..
11	नवबागंज	95	16
12	तारह गंज	34	6
13	पारसपुर	14	1
14	करनलगंज	13	11
15	कटरा	..	..
16	उपेडी	16	5
17	उतराला	34	14
18	हलदरमऊ	23	2
	कुल ..	728	149

नत्थी "ड"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 184 पर)

इकनामिक प्लानिंग सेल द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की सूची

1--परफारमेंस बजटिंग।

2--मितव्ययता के उपाय।

3--मासिक कर तथा करेतर प्राप्तियों की समीक्षा विशेषकर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से प्राप्त उनके मासिक खाते के सम्बन्ध में।

4--कर तथा करेतर राजस्व बकायों की समीक्षा और उनसे सम्बन्धित आंकड़ों का आय-व्ययक में सम्मिलित किया जाना।

5--आय-व्ययक की रूप रेखा नामक पुस्तिका का तैयार करना और मुद्रण।

6--आय-व्ययक साहित्य के खंड 6 में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतन क्रम सम्बन्धी सूचना की जांच।

7--मासिक थोक भावों के सूचकांक को तैयार करना और उनकी समीक्षा करना।

8--सार्वजनिक व्यवसायों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करना।

9--सरकारी कर्मचारियों पर व्यय के विवरण तैयार करना।

10--आवश्यकतानुसार, आर्थिक, आय-व्ययक, तथा वित्तीय मदों की सूचना तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण करना।

अदर प्रदेश

नत्थी "ढ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 191 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९७२

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गण राज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाताहै :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई० की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में धारा 17 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाय, अर्थात्,—

"(5) (क) पूर्ववर्ती उप धाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्टरी का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्टरी के कार्यकलापों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबन्ध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर अग्रिम धनराशि देने के लिये सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति उस अनुबन्ध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम की कुल धनराशि का एक नियत प्रतिशत अलग अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों को फैक्टरी के लिये चालू पेराई के मौसम में उन गन्ना उत्पादकों से या उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके संबंध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा ।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबन्ध की एक प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग) 'इकाई' या 'गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने अथवा उसके उत्पादन में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो यंत्र-शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो;" ।

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (5) में—

(1) शब्द "शक्कर उप-आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिये जायं;

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि " के पश्चात् शब्द "धारा 3–क के अनुसार वसूल होने योग्य कर की दशा को छोड़कर" रख दिये जायें ।

(3) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई के स्वामी द्वारा अपील किये जाने की दशा में, शक्कर आयुक्त किसी ऐसी अपील को, जो उसके पास विचाराधीन हो, किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रामित कर सकता है, और किसी ऐसी अपील को वापस भी ले सकता है और उसका निस्तारण या तो स्वयं करेगा अथवा उसे किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रामित कर सकता है।"

नयी धारा 3–क का बढ़ाया जाना और वर्तमान धारा 3-क को 3-कक के रूप में पुन: संख्यांकन

5—मूल अधिनियम की धारा 3-क की संख्या बदलकर 3–कक कर दी जाय और इस प्रकार पुन: संख्याकित धारा 3-कक के पहले निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय अर्थात् :—

फैक्टरी से शक्कर हटाने के पूर्व कर का भुगतान

"3-क (1)–किसी फैक्टरी का कोई स्वामी दिनांक 1 अक्टूबर, 1971 को अथवा उसके पश्चात् जिसे आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है, फैक्टरी में उत्पादित किसी शक्कर को उपभोग के लिये अथवा बिक्री के लिये, या फैक्टरी के भीतर अथवा उसके बाहर कोई अन्य पदार्थ निर्मित करने के लिए तब तक न हटायेगा और न उसे हटवायेगा जब तक कि उसने धारा 3 के अधीन लगाये गये कर का, जो यथास्थिति, उपधारा '(2)' उपधारा '(3)' या उपधारा '(4)' में निर्दिष्ट धनराशि होगी, भुगतान न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी शक्कर, ऐसी किसी धनराशि का भुगतान किये बिना, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी गोदाम अथवा अन्य संग्रह स्थान में जमा की जा सकती है और जहां पर वह इस प्रकार जमा की जाय वहां से वह तब तक न हटायी जायगी जब तक कि उपयुक्त धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की, प्रतिभूति पर फैक्टरी के स्वामी को दी गई किसी अग्रिम धनराशि के संबंध में, उस शक्कर की, किसी बैंक के पण्यमदार के रूप में अपने अधिकारों के प्रयोग में उसके अनुप्रेरण पर बिक्री की दायिता पर कोई प्रभाव पड़ता है ।

(2) प्रत्येक पेराई के मौसम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र (और उक्त दिनांक को प्रारम्भ होने वाले पेराई के मौसम की दशा में इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र) कर निर्धारण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रति बोरी शक्कर के

लिये देय अस्थायी दर को पूर्ववर्ती पेराई के ऐसे मौसम के दौरान जिसमें फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो फैक्टरी के लिये क्रय किये गये गन्ने की मात्रा को फैक्टरी में उत्पादित शक्कर से सहसम्बद्ध करके निकालेगा और निर्दिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—यदि किसी ऐसी पूर्ववर्ती पेराई के मौसम के केवल किसी एक भाग में ही फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो तो पेराई के मौसम के उतने ही भाग पर विचार किया जाना पर्याप्त होगा जिसके दौरान फैक्टरी वस्तुत: उत्पादन किया गया ।

स्पष्टीकरण 2—यदि फैक्टरी ने उस पेराई को मौसम के पूर्व, जिसके लिए अस्थायी कर निर्धारिण किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ न किया हो, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी उसी क्षेत्र की अन्य फैक्टरियों से, यदि कोई हो, सम्बन्धित तुलनीय आधार-सामग्री अथवा किसी अन्य संगत कारण के आधार पर प्रति बोरी शक्कर के भुगतान की अस्थायी दर निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) पेराई के मौसम के अन्त में कर-निर्धारण प्राधिकारी, चालू पेराई के मौसम के दौरान फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा और फैक्टरी में उत्पादित शक्कर को ध्यान में रखकर शक्कर की प्रति बोरी के भुगतान के लिए पुनरीक्षित दर निकाल कर उसे निर्दिष्ट करेगा, और यदि ऐसे पुनरीक्षण पर दर घट या बढ़ जाय तो, यथास्थिति, अधिक या कम भुगतान की गयी धनराशि, उक्त शक्कर के शेष स्टाक पर लगायी जायगी और शक्कर प्रत्येक ऐसी शेष बोरी को हटाने के पूर्व दी जाने वाली धनराशि तदनुसार पुन: निश्चित की जायगी, और यदि स्टाक में ऐसी शक्कर न रहे तो स्वामी, यथास्थिति, धनराशि की वापसी, पाने का हकदार होगा अथवा शेष धनराशि का भुगतान करेगा ।

(4) यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि उक्त शक्कर स्टाक का कोई भाग हटा दिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है, और इस धारा के अधीन ऐसे भाग के प्रति देय कर का भुगतान नहीं किया गया ह, तो कर निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसी कमी को उस समय के स्टाक की शक्कर पर लगा कर वसूल किया जायगा।

(5) इस धारा के उपबन्ध धारा 3 की उपधारा (6) या उपधारा (8) म निहित किसी बात के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, किन्तु उक्त धारा की उपधारा (2), (3), (4) और (9) की कोई बात किसी ऐसे कर के संबंध में लागू न होगी जिसके संग्रहण और वसूली के लिये इस धारा द्वारा व्यवस्था की गई है।"

धारा 3-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम को धारा 3-ख में, शब्द "शक्कर उप-आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय ।

धारा 4 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3-क) में शब्द "शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिये जायं ।

धारा 8 क संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी मात्रा में शक्कर हटाने अथवा हटवाने के लिये या," बढ़ा दिये जायं ।

धारा 15 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में—

(1) खण्ड (ङ) में सेमीकोलन के पश्चात् आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"(च) फैक्टरी में या किसी अन्य संग्रह स्थान पर शक्कर की बोरियों का संग्रहण और वहां से ऐसी बोरियों का हटाना :—

(छ) धारा 3—क के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिये देय कर की धनराशि की गणना करने और देय कर के लिये इस प्रकार दी गयी धनराशि का समायोजन करने की रीति;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये धारा 3—क में वर्तमान उपबन्ध अपर्याप्त हों और उस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उपबन्ध आवश्यक समझे जाये; और," तथा

(3) वर्तमान खंड (च) को पुनाक्षरित खण्ड (झ) कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 20, 1971 का निरसन

10—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 (2) के अधीन गन्ने के मूल्य का भुगतान उसके दिये जाने के तुरन्त बाद किया जाना चाहिये। अधिनियम की धारा 17(4) में यह व्यवस्था है कि गन्ना अधिवक्त से वसूली का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर पंद्रह दिन से अधिक गन्ना मूल्य की वसूली मालगुजारी की बकाया के रूप में करेगा। राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य के भुगतान और उसकी वसूली के लिये नियम बनाये हैं किन्तु ये नियम पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाये गये जिसका परिणाम यह हुआ कि फैक्टरियां गन्ने के जो कि एक आवश्यक और मुख्य कच्चा माल है, मूल्य का नियमित रूप भुगतान नहीं करती। इससे गन्ना उत्पादकों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव अधिनियम में यह व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है कि यदि शक्कर मिल का स्वामी या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति किसी बैंक से कोई ऐसा अनुबन्ध करे जिसके अन्तर्गत बैंक फैक्ट्री में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर अग्रिम धनराशि देने को सहमत हो तो स्वामी या ऐसा व्यक्ति उस अनुबन्ध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम की कुल धनराशि का एक नियत प्रतिशत अलग रख दिया जायगा और यह केवल गन्ने का मूल्य, ब्याज तथा कमीशन देने के लिये उपलब्ध रहेगा।

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गन्ने पर क्रय-कर लगाया जाता है। उक्त अधिनियम में क्रय-कर की बकाया धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने की व्यवस्था है। क्रय-कर तथा ब्याज की बकाया धनराशि पर शास्ति आरोपित करने की भी व्यवस्था है। यह पाया गया है कि उपर्युक्त उपबन्धों के होते हुए भी शक्कर की अनेक मिलें क्रय-कर का ठीक समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं और क्रय-कर की बकाया धनराशियां एकत्र होती जा रही है। अतएव क्रय-कर का ठीक समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की जाय कि कर की बकाया न होने देने के उद्देश्य से शक्कर की बोरियां उठाने के साथ ही साथ क्रय-कर का भुगतान किया जाय।

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 के अधीन क्रय-कर शक्कर की फैक्टरियों के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित खंडसारी इकाइयों पर लगाया जाता है। सुरक्षित क्षेत्रों तथा असुरक्षित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों में किसी विभेद को दूर करने के उद्देश्य से यह अनुभव किया गया कि शक्कर की फैक्टरियों के असुरक्षित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों पर भी क्रय-कर लगाया जाय।

4—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में व्यवस्थित कतिपय प्रक्रियात्मक विषयों का संशोधन करना भी आवश्यक समझा गया।

5—उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधयक, 1972 की धारा 3 में खांडसारी इकाई की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित इकाइयों पर भी अब क्रय-कर उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत लागू होगा। इससे राजस्व में प्रतिवर्ष अतिरिक्त लगभग 25 लाख की आय सम्भावित है। इसके अलावा इस विधेयक की धारा 5 के अनुसार अब क्रय-कर मिल से चीनी के बोरे उठाने से पहले चुकाना होगा। इन प्राविधानों के प्रवर्तन के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों आदि को प्रशासकीय व्यवस्था के लिये रखना होगा। इस प्रकार इन प्राविधानों को लागू करने में लगभग 2 लाख रु० सालाना व्यय होने का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में केवल 50,000 रु० के लगभग व्यय होने का अनुमान है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन सम्बन्धी ज्ञापन-पत्र

विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित धारा 17 की उपधारा (5) में चीनी के रेहन पर बैंकों से चीनी मिलों को प्राप्त होने वाले अग्रिम में से एक नियत प्रतिशत धनराशि को गन्ना मूल्य व कमीशन के भुगतान के लिये अलग रखने के बारे में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी जा रही है ।

2—विधेयक के खंड 9 में प्रस्तावित धारा 15 की उपधारा (2) में फैक्टरी में या, किसी अन्य संग्रह स्थान पर शक्कर की बोरियों का संग्रहण और वहां से ऐसी बोरियां के हटाने, प्रति बोरी शक्कर के लिये देय-कर की धनराशि की गणना करने और देय-कर के लिये इस प्रकार दी गयी धनराशि का समायोजन करने की रीति निर्धारण करने तथा वर्तमान उपबन्धों के अपर्याप्त होने पर और इन धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे जाने वाले उपबन्धों के लिये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी जा रही है ।

3—ऐसे नियम राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समाने रखे जायेंगे और दोनों सदनों द्वारा किये गये परिष्कारों और अभिशून्यनों के अधीन होंगे ।

कमलापति त्रिपाठी,

मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रयकर की वसूली) (संशोधन अध्यादेश, 1971 से विधेयक में किये गये रूप भेदों का ज्ञापन

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-विक्रय कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 में धारा 5 में एक संक्रमण-कालीन उपबन्ध 1970–71 पेराई मौसम की बनाई गई चीनी के लिये भी किया गया था, से तब रखा गया था जब अध्यादेश को जून 1971 में निकालने की आशा थी, किन्तु राष्ट्रपति स्वीकृति देर में प्राप्त होने के कारण अब वह उपबन्ध अनावश्यक हो गये हैं।

इसके अतिरिक्त इसी धारा द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा 3–क (1) में अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक के स्थान पर चालू पेराई मौसम के प्रारम्भ का दिनांक (1 अक्टूबर, 1971) रख दिया गया है। अन्य आनुषंगिक संशोधन भी कर दिये गये हैं।

कमलापति त्रिपाठी,

मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश गन्ना [पूर्ति तथा खरीद विनियमन] अधिनियम, 1953 [अधिनियम संख्या 24, 1953] की विभिन्न धारायें जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

17—(1) फैक्टरी का अध्यासी अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा जो नियत की जाय। — गन्ने के मूल्य की अदायगी उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4, 1964 द्वारा संशोधित

(2) गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों की तुरन्त अदायगी का उत्तरदायी होगा और यदि किसी खरीदारी एजेन्ट द्वारा गन्ना दिया गया हो, तो अध्यासी के अतिरिक्त खरीदारी एजेन्ट भी उसी प्रकार उत्तरदायी होगा।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से 15 दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह गन्ना पाने के दिनांक से 7 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु किसी भी मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा, अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायेगा, जिसे वह निश्चित करे।

(4) गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र भेज देगा, जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली कार्यवाही उसी प्रकार करेगा, मानो यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

उत्तर प्रदेश गन्ना [क्रय कर] अधिनियम 1961 [अधिनियम संख्या 9, 1961]

* * *

धारा 2 (ग) "इकाई" का तात्पर्य गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली ऐसी इकाई से है जो किसी रक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रही हो, जो यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1964 द्वारा संशोधित

(घ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हों, किन्तु वहां पर पारिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में दिये गये हैं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई

* * *

धारा 3 (5)—इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (4) के अधीन दण्ड के आरोपण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के उसे सूचना होने के तीस दिन के भीतर फैक्टरी की दशा में गन्ना आयुक्त और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष, जो शक्कर उप आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्ति करे अपील कर सकता है : — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1964 द्वारा संशोधित

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण न हो कि अपीलकर्ता ने उसके द्वारा स्वीकार की गई देय धनराशि का भुगतान कर दिया है। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1971 द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1964 द्वारा नयी धारा 3 (क) और 3 (ख) का बढ़ाया जाना

3—(क) कोई कर निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी स्वतः या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना पर, जो भूल सुधार उस आदेश के दिनांक से जिसे ठीक करना हो, एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, ऐसी किसी भूल को सुधार सकता है जो यथास्थिति कर निर्धारण या अपील में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई भूल सुधार न किया जायगा।

3—(ख) फैक्टरी की दशा में गन्ना आयुक्त और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी, जो शक्कर आयुक्त द्वारा तदर्थ प्राधिकृत शक्कर उप आयुक्त के पद से नीचे के पुनरीक्षण पद का न हो, इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिये, स्वतः या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर, जो आदेश के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा, कर निर्धारण की किन्हीं कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसे पक्ष की प्रेरणा पर ग्रहण नहीं किया जायगा, जिसे अपील करने का अधिकार था, किन्तु जिसने उपयोग नहीं किया :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कर में वृद्धि नहीं की जायगी जब तक की करदाता को वृद्धि के विरुद्ध सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय।

गुड़ या राब बनाने के लिये लाइसेंस देना।

4—(1) (क) लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में :

* * *

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1964 द्वारा संशोधित

(क) इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने

* * *

अर्थ दण्ड तथा दण्ड

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1964 द्वारा संशोधित

8—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम तया तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या जान बूझकर किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में मिथ्या कथन करता है या मिथ्यापूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या लाइसेंस की शर्तों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की जाय तो वह सिद्ध दोष ठहराये जाने पर धारा 3 के अधीन यथास्थिति ब्याज या अर्थदंड अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दंडित होगा, जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड से दंडित होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित होगा और निरन्तर उल्लंघन करते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जब सिद्ध दोष ठहराये जाने के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये तक हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी इकाई को चलाने के लिये न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराते समय विशषतया पयाप्त कारणों के जो उल्लिखित किये जायेंगे, न होने पर अर्थ दण्ड सहित या बिना अर्थ दण्ड के कारावास का दण्ड देगा।

नियम बनाने का अधिकार

15—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करन के लिये नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिन ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) वह रीति, जिसके अनुसार तथा प्रपत्र, जिसमें धारा 3 की उपधारा (8) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेजा जा सकता है,

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई [सूचना या आंकड़े एकत्र करना,

(ग) वह प्रपत्र, जिसमें तथा वह रीति, जिसके अनुसार कोई विवरण तैयार हो और प्रस्तुत किया जायेगा,

(घ) लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र और इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस की शर्तें तथा लाइसेंस दिये जाने या उनके नवीकरण के लिये लिया जाने वाला शुल्क या अतिरिक्त शुल्क,

(ङ) वह रीति, जिसके अनुसार कर निर्धारित तथा वसूल किया जायगा, और

(च) विषय, जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जा सकें।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने क पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में उसके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ 195 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति [संशोधन] विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को संशोधित करने के लिये विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 14 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 की उपधारा (2) में शब्द "और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" निकाल दिये जायं।

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में खंड (ख) में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि से जो नियत की जाय" रख दिये जायं।

धारा 30 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 30 में:—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा।"

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, उप-सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नये सभापति यथाविधि निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त न हो जाय।"

धारा 34 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"34 (1) यदि राज्य सरकार ने:—

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गय ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी

हो अथवा किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत न देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंश पूंजी पांच लाख रुपये से कम न हो, तो राज्य सरकार को कमेटी के सदस्यों में से प्रबन्ध कमेटी का सभापति नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि :—

(1) यदि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश पच्चीस प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से अनधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के, एक-तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश बीस प्रतिशत से कम न हो जाय,

(2) यदि समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंश पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक किन्तु साठ प्रतिशत से कम हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या में से उतने सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, जो कुल संख्या के आधे से अधिक और यथासंभव उसके निकटस्थ हो, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश चालीस प्रतिशत से कम न हो जाय।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई एक सदस्य जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, यदि —

(क) समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश साठ प्रतिशत से कम न हो, या

(ख) राज्य सरकार न समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो अथवा समिति को ऋण या अग्रिम क मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जो धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गयी कुल धनराशि के योग से 60 प्रतिशत से कम न हो, या

(ग) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा दोनों द्वारा समिति के लिए व्यवस्थित चालू पूंजी समिति की कुल चालू पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायगी) की धनराशि के साठ प्रतिशत से कम न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी समिति की दशा में, जो माल का निर्माण, संरक्षण, प्रक्रिया या वितरण अथवा खनन या विद्युत् का जनन या वितरण के लिये किसी उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से बनायी गयी हो, और जिसकी कुल चालू पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायगी) ऐसी धनराशि से कम न हो, जो नियत की जाय, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों में कम से कम दो सरकारी सेवक होंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन एक बार प्रोद्भूत अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उक्त धारा के यथास्थिति, खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) में अभिदिष्ट धनराशि पचास प्रतिशत से कम न हो जाय।

(4) यदि राज्य सरकार को या राज्य सरकार के अनुमोदन से, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (च) में अभिदिष्ट किसी निगमित निकाय को समिति के साथ किसी अनुबन्ध के अधीन नाम-निर्देशन का अधिकार दिया जाय, तो ऐसे अधिकार की सीमा, उप धारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार शासित होगी।

(5) यदि राज्य सरकार इस धारा के अधीन नाम-निर्देशन करने के अपने अधिकार के प्रयोग करे तो—

(क) सभापति का नाम-निर्देशन करने की दशा में, तत्समय उक्त पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति उस दिनांक को, जब राज्य सरकार नाम-निर्देशन करे, सभापति न रह जायगा।

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने की दशा में, निबन्धक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कमेटी के उतने सदस्यों को निवृत्त करने के लिये जितने राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थान देने के निमित्त आवश्यक हो, पर्चियां, ऐसे दिनांक और समय तथा स्थान पर, जो निबन्धक द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय (जिसकी सूचना कमेटी के सदस्यों को दी जावेगी) डाली जायेंगी, और जिन सदस्यों के नाम पर्चियां डाल कर निकाली जायें वे पर्ची निकाले जाने के दिनांक से कमेटी के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

(6) यदि राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय ने इस धारा के अधीन कोई नाम-निर्देशन किया हो तो समिति दिनांक से जब इस धारा के अधीन राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय का नाम-निर्देशन करने का अधिकार समाप्त हो जाय, नब्बे दिन के भीतर और नियत रीति से, नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर सदस्यों का निर्वाचन करेगी, और नाम-निर्दिष्ट सभापति के स्थान पर, यदि कोई हो, सभापति के निर्वाचन करेगी और तब नाम-निर्दिष्ट सदस्य तथा सभापति ऐसे निर्वाचन के दिनांक से अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे।

(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम-निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी को जिस वह तदर्थ निर्दिष्ट कर, प्रतिनिहित किया जा सकता है।

(8) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति राज्य सरकार या उपधारा (7) के अधीन प्राधिकारी की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार को सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति समझी जायगी।

धारा 98 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 98 में, उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इन्कार किया गया हो, अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो:"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1971 का निरसन।

7--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, प्रदेश में 26 जनवरी, 1968 से लागू किया गया। तब से तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया है और इस मध्य अनेकों ऐसी समस्यायें तथा व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिनका तत्काल निवारण करना अत्यावश्यक हो गया है और जिसके लिये उक्त अधिनियम के कतिपय प्राविधानों को संशोधित किये जाने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

अधिनियम की धारा 14 के अधीन निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को सहकारी समितियों में संशोधित उप विधियां लागू करने का अधिकार है। किन्तु निबन्धक उक्त अधिकार का प्रयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही कर सकते हैं। प्रदेश में लगभग 40,000 सहकारी समितियां ह। ऐसे मामलों की राज्य स्तर पर जांच करना एक तो सम्भव नहीं है। तथा दूसरे अधिक समय तथा अनावश्यक बिलम्ब होता है। अतः इस बिलम्ब को बचाने के उद्देश्य से उपरोक्त धारा में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन संबंधी प्राविधान समाप्त किया जा रहा है।

धारा 22 में व्यक्तियों के अंश धारण को पांच हजार रुपया की निर्धारित सीमा रुपये का मूल्य घटने व बड़ी औद्योगिक सहकारी समितियों के अंशधन की आवश्यकताओं को देखते हुये अव्यवहारिक तथा अति न्यून थी। अतएव उक्त प्रतिबन्ध को हटा कर अब नियमों में ऐसा प्रतिबन्ध निश्चित किया जा रहा है जिससे विभिन्न प्रकार की समितियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये सीमा निर्धारित की जा सके।

धारा 30 में समिति का अध्यक्ष निर्वाचित होने का अनिवार्य प्राविधान था। यह प्राविधान धारा 34 के प्राविधानों से, जिसमें राज्य सरकार को अध्यक्ष मनोनीत करन का अधिकार प्राप्त है, से असंगत था। अतएव इस प्राविधान को इस प्रकार स शिथिल किया जा रहा है कि चुनाव के अन्तर्गत अधिनियम, नियम व उप-विधि में निर्धारित अन्य प्रणाली से नियुक्त सभापति को भी मान्यता दी जा रही है ताकि उपरोक्त समितियों में सभापति की वर्तमान स्थिति अवैधानिक न समझी जाय।

इसके अतिरिक्त कई प्रकार की सहकारी समितियों में, जिनमें उद्योग एवं वाणिज्यिक का कार्य करन वाली समितियां प्रमुख हैं, शासन द्वारा काफी मात्रा में अंश पूंजी में धन लगाया जा रहा है तथा इन समितियों को दिये गये ऋण के मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के लिये शासन द्वारा लाखों अथवा करोड़ों रुपयों की प्रत्याभूति दी जा रही हैं। अतएव इस प्रकार लगाये जाने वाले धन के संबंध में यह आवश्यक है कि शासन के व सार्वजनिक हितों की पूर्ण रूप से दखभाल हो सके। अतएव धारा 34 में ऐसा संशोधन किया जा रहा है कि शासन ने जो अंश पूंजी, ऋण या प्रत्याभूति के तौर पर जो एक सीमा या प्रतिशत से अधिक वित्तीय भार अपन ऊपर लिया है, उस भार के अनुसार समितियों की प्रबन्ध कमटी में आनुपातिक नामांकन का शासन को अधिकार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ सहकारी चीनी फैक्टरियों के सम्बन्ध में वर्तमान वस्तुस्थिति को, जो अब तक धारा 113 के अधीन आदेश द्वारा नियमित की जाती रही थी, अधिनियम में संशोधन द्वारा नियमित करना आवश्यक है।

धारा 98 में जो संशोधन किया जा रहा है, वह धारा 14 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

लक्ष्मी शंकर यादव,
सहकारिता मंत्री।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 में रूप भेदों पर ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 में कतिपय परिवर्तन कर दिये गये हैं जिनका रूप भेद निम्नलिखित है:—

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) (ख)	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 के खण्ड 5 (2) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 34 (2) (ख)
राज्य सरकार ने ऋण दिया हो, अथवा अग्रिम ऋण दिया हो, या समिति द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि के योग में से कम से कम साठ प्रतिशत धनराशि तक ऋण के प्रतिदान की प्रत्याभूति दी हो, या	राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो अथवा समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज भुगतान के लिए प्रत्याभूत दी हो, जो धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग से साठ प्रतिशत स कम न हो, या

यह शाब्दिक संशोधन धारा 34 (1) (ग) तथा 55 में प्रयुक्त भाषा से एकरूपता लाने के लिए आवश्यक समझा गया है ।

लक्ष्मी शंकर यादव,
सहकारिता मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है का ज्ञापन-पत्र

संलग्न उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 में निम्नलिखित उपबन्ध ऐसे हैं जिनमें विधायी अधिकारों के प्रति निधान के तत्व अन्तर्ग्रस्त हैं। इनका विवरण निम्न है:--

(1) मूल अधिनियम की धारा 22 (ख) में व्यक्तियों के अंशधारण की रु0 5,000 की सीमा निर्धारित है जिससे अधिक कोई व्यक्ति विशेष समिति में अंश पूंजी धारण नहीं कर सकता है। यह समान रुप से लागू होने वाली सीमा, अव्यवहारिक और समितियों के अंश धन की बढ़ोत्तरी में (विशेष तौर से बड़े और औद्योगिक व्यवसाय करने वाली समितियों में) बाधक प्रतीत हुई अतएव अब संलग्न विधेयक में उपरोक्त अंशधन की सीमा निर्धारण का प्राविधान राज्य सरकार को नियमों में करने के लिये दिया जा रहा है ताकि भिन्न-भिन्न प्रकार की समितियों में आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न धनराशि की सीमा निर्धारित की जा सके और बदलती हुई परिस्थितियों में सुगमता से परिवर्तन होना संभव हो सके।

(2) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) व (ग) में यह प्राविधान था कि यदि राज्य सरकार ने किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में योगदान दिया हो या उसकी अंश पूंजी के निर्माण तथा वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो अथवा मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो तो राज्य सरकार को उक्त समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। और यदि शासन द्वारा अंशदान की हुई पूंजी समिति की कुल अंश पूंजी की 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो शासन को उक्त समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या के दो तिहाई सदस्य, जिनमें समिति का सभापति भी शामिल होगा, नामांकित करने का अधिकार प्राप्त है।

अब प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 5 में यह प्राविधान किया गया है कि समिति की कुल चालू पूंजी अवधारित करने की रीति नियमों के अनुसार होगी। यह पूर्णतया व्यवसायिक रीति का मामला है और इसके निश्चित करने की रीति नियमों में देना व्यवहारिक है इसी खण्ड के प्रतिबन्ध में यह भी प्राविधान किया जा रहा है कि चालू पूंजी की वह सीमा जिससे इस खण्ड में उल्लिखित अधिकार का प्रयोग किया जाय, वह नियमों में निश्चित हो।

लक्ष्मी शंकर यादव,
सहकारिता मन्त्री।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 14, 22, 30 34 तथा 98 जिनका उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक में संशोधन किया जा रहा है, के उद्धरण .

धारा 14—(1) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की यह राय हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में, अथवा सार्वजनिक हित में, आवश्यक या वांछनीय है, तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायें, रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करें।

(2) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबंधक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संशोधन को निबन्धित कर सकता है तथा समिति को रजिस्ट्री डाक द्वारा संशोधन की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गयी हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबन्धित कर दिया गया है।

धारा 22—व्यक्ति विशेष सदस्य—

(क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से, जो उसके 1/5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाय, अधिक धारित करेगा, और

(ख) न पांच हजार रुपये से अधिक अंकित (nominal) मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और उनमें किसी हित का दावा करेगा।

धारा 30—(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति तथा उप-सभापति होगा जो नियमों तथा उप-विधियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित होंगे।

(2) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर, वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) उप सभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये सभापति की अनुपस्थिति में, सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी के बठकों की अध्यक्षता करेगा, और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुये, सभापति द्वारा लिखित रुप में प्रतिनिहित किये जायें।

धारा 34—

(1) यदि राज्य सरकार ने:—

(क) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में अंशदान दिया हो, अथवा,

(ख) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी के निर्माण तथा वृद्धि में अप्रत्यक्षरूप से सहायता दी हो, जैसा कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, अथवा

(ग) किसी सहकारी समिति के मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त प्रबन्ध कमेटी में दो व्यक्तियों को, उसके सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के निर्वाचन से सम्बद्ध मामले में मतदान नहीं करगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की हुई अंश पूंजी सहकारी समिति की कुल अंश-पूंजी की साठ प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई तक सदस्य नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा और धारा 30 में किसी बात के होते हुये भी, किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति को प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा और इस अधिकार का प्रयोग पूंजी में राज्य सरकार का अंश साट प्रतिशत या उससे अधिक हो जाने से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त अथवा पूंजी में ऐसा अंश घट कर पचास प्रतिशत से कम हो जाने तक, जो भी पहले हो, किया जा सकता है ।

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य, यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

धारा 98--(1) निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरुद्ध अपील की जानी हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है:--

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निबंधक द्वारा किया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति को निबंधित करने से इन्कार किया गया हो,

(ख) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों के किसी संशोधन को निबंधित करने से इन्कार किया गया हो,

(ग) किसी सहकारी समिति का कोई निर्णय, जिसमें धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इन्कार किया गया हो अथवा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो,

(घ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबंधक का कोई आदेश,

(ङ) धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने का निबंधक का आदेश,

(च) धारा 65 के अधीन की गयी किसी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के व्ययों को विभाजित करने का धारा 67 के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश,

(छ) धारा 68 के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश,

(ज) धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल द्वारा किया गया अभिनिर्णय,

(झ) धारा 72 के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन (winding up) का निदेश दिया गया हो,

(ञ) धारा 74 के खंड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश,

(ट) धारा 92 के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश,

(ठ) धारा 94 के अधीन निबंधक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिये दिया गया आदेश ।

(ड) निबंधक की धारा 125 के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन (amalgamation) या विलयन का निदेश दिया गया हो या धारा 126 के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निदेश दिया गया हो,

(ढ) धारा 128 के अधीन निबंधक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिये दिया गया आदेश ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ), (च), (छ), (ट) और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (ज), (झ), (ञ) (ड) तथा (ढ) के अधीन अपील, निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेगी:—

(क) यदि निर्णय या आदेश निबंधक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को अथवा,

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबंधक हो ।

(3) उपधारा (3) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के खंड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग के संबंध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायं, न्यायाधिकरण को की जायेगी और तदुपरान्त ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 245 एल० ए०—1972—8-45 ।